हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
हरियाणा

2025-26

जारीकर्ता :

अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा

2026

प्रकाशन संख्या 1417

www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

हरियाणा

2025-26

जारीकर्ताः

अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा

योजना भवन, सैक्टर-4, पंचकूला

प्रस्तावना

हरियाणा का 'आर्थिक सर्वेक्षण' एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत से अब तक राज्य में हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है। यह रिपोर्ट वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भौतिक परिणामों के माध्यम से प्रमुख आर्थिक और सामाजिक संकेतकों के तहत राज्य के विकास प्रदर्शन को प्रस्तुत करती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 अर्थ एवं सांख्यिकी कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार किया गया है।

सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और शोधकर्ताओं द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण की लगातार बढ़ती मांग इसकी अत्यधिक उपयोगिता का प्रमाण है, जो हमारे लिए अत्यन्त हर्ष और उत्साह का विषय है। आशा है कि यह रिपोर्ट योजना निर्माण एवं नीति निर्धारण हेतू राज्य की आर्थिक आंकडा आवश्यकताओं के लिए एक उपयोगी संदर्भ के रूप में सिद्व होगा।

इस प्रकाशन के सफल संकलन में विभिन्न प्रशासनिक सचिवों, सम्बन्धित विभागों, कार्यालयों, निगमों और राज्य की विभिन्न इकाईयों ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके सहयोग और समर्थन के लिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते है।

मैं, अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा के श्री मनोज कुमार गोयल, निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार मोर, अतिरिक्त निदेशक, श्री बिजेन्द्र कुमार, उप निदेशक, श्री शिवतेज सिंह, श्री जगदीश दलाल, श्री ओम प्रकाश इन्दौरा, श्री कमल मित्तल और श्रीमति सुमन जोइया, अनुसंधान अधिकारियों के साथ-साथ श्रीमती मीना ठाकुर व श्री राहुल शर्मा, सहायक अनुसंधान अधिकारियों, श्रीमती तारामणी, निजी सहायक, श्रीमती पूजा रानी व डा. रूदिता गोयल, युवा पेशेवरों को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निर्माण में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

मैं इस प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूं।

(अरुण कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, योजना विभाग।

चण्डीगढ
दिनांकः 10 फरवरी, 2026

विषयवस्तु

हरियाणा एक दृष्टि में (i-ii)

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति	
अध्याय-1	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1-17
अध्याय-2	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान	18-40
	विभागों/बोर्डों/निगमों की उपलब्धियां	
अध्याय-3	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	41-84
अध्याय-4	उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन	85-115
अध्याय-5	शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी	116-137
अध्याय-6	स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास	138-166
अध्याय-7	पंचायती राज, ग्रामीण एवं शहरी विकास	167-182
अध्याय-8	सामाजिक क्षेत्र	183-211
	अनुलग्नक	212-217

हरियाणा एक दृष्टि में

मदें		अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
प्रशासनिक ढांचा			संख्या		
(क) मण्डल		जनवरी, 2026		6	
(ख) जिले				23	
(ग) उप-मण्डल				80	
(घ) तहसीलें				94	
(ड) उप-तहसीलें				49	
(च) खण्ड				143	
(छ) कस्बे		जनगणना, 2011		154	
(ज) गांव (गैर आबाद सहित)				6,841	
जनसंख्या					
(क) कुल		जनगणना, 2011	संख्या	2,53,51,462	1,21,08,54,977
(ख) पुरूष			संख्या	1,34,94,734	62,32,70,258
(ग) स्त्रियां			संख्या	1,18,56,728	58,75,84,719
(घ) ग्रामीण			संख्या	1,65,09,359	83,37,48,852
ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत				65.12	68.86
(ड) शहरी			संख्या	88,42,103	37,71,06,125
(च) जनसंख्या घनत्व			प्रति वर्ग कि.मी.	573	368
(छ) साक्षरता दर	पुरूष		प्रतिशत	84.1	80.9
	स्त्री			65.9	64.6
	कुल			75.6	74.0
(ज) लिंग अनुपात			हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879	943
स्वास्थ्य आंकडे					
(क) जन्म दर		2023	प्रति हजार		
(i) इक्टठी				18.7	18.4
(ii) ग्रामीण				20.0	20.3
(iii) शहरी				16.8	14.9
(ख) मृत्यु दर			प्रति हजार		
(i) इक्टठी				6.8	6.4
(ii) ग्रामीण				7.1	6.8
(iii) शहरी				6.4	5.7

मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
(ग) बाल मृत्यु दर (आई.एम.आर.)		प्रति हजार		
(i) इक्टठी	2023		26	25
(ii) ग्रामीण			29	28
(iii) शहरी			20	18
(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2021-23	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	89	88
भूमि उपयोग			2023-24	2023-24
(क) निवल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,514	1,38,992
(ख) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,223	78,890
(ग) कुल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	6,737	2,17,882
(घ) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		प्रतिशत	91.72	56.76
चालू जोतें				
(क) चालू जोतों की संख्या	कृषि गणना 2015-16	संख्या हजार	1,628	1,46,454
(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,609	1,57,817
(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.22	1.08
विद्युत			2024-25	2023-24
(क) स्थापित कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	16,016	44,19,706
(ख) उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	6,76,625	उपलब्ध नहीं
(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	6,09,786	1,35,00,920
(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	81,65,554	35,75,78,391
राज्य आय (चालू कीमतों पर)				
(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)/जी.डी.पी.	2025-26 (अग्रिम अनुमान)	करोड़ रूपये	13,67,769	3,57,13,886
(ख) सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)/जी.वी.ए.		करोड़ रूपये	12,07,442	3,23,47,873
(ग) कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)/जी.वी.ए.		करोड़ रूपये	2,01,616	54,27,908
(घ) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)/जी.वी.ए.		करोड़ रूपये	3,53,419	86,80,246
(ड) सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)/जी.वी.ए.		करोड़ रूपये	6,52,407	1,82,39,719
(च) प्रति व्यक्ति आय		रूपये	3,95,618	2,19,575

***

हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा राज्य की सम्पन्न संस्कृति और कृषि समृद्ध भूमि है। यह उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब व दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा राज्य है और इसे तीन तरफ से घेरता है। हरियाणा सेंट्रल पूल जो कि अधिशेष खाद्य अनाज की एक राष्ट्रीय भण्डार प्रणाली है, जिसमें काफी मात्रा में गेहूँ और चावल का योगदान देता है। हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी तेजी से प्रगति की है। हरियाणा के प्रमुख उद्योग मोटर वाहन, सूचना एवं प्रौधोगिकी, कृषि एवं पैट्रोकैमिकल है। ऑटो की बड़ी कम्पनियों और आटो पार्टस निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थान होने के कारण राज्य देश का सबसे बड़ा ऑटो मोबाइल केन्द्र है। पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी (आई.ओ.सी.एल.) दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। राज्य सरकार एक प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा का संरचनात्मक परिवर्तन कृषि राज्य से औद्योगिक राज्य में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के साथ सेवा क्षेत्र के रूप में हो रहा है, राज्य ने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाया है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है जो देश के केवल 1.3 प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है इसके बावजूद राज्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों (2011-12) पर वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार योगदान 3.8 प्रतिशत है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 13,67,768.78 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जो वर्ष 2024-25 की 11.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2025-26 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों (2011-12) पर 7,58,504.67 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2024-25 में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2025-26 में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर कीमतों (2011-12) पर **आकृति 1.1** में दिया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर **तालिका 1.1** में दी गई है।

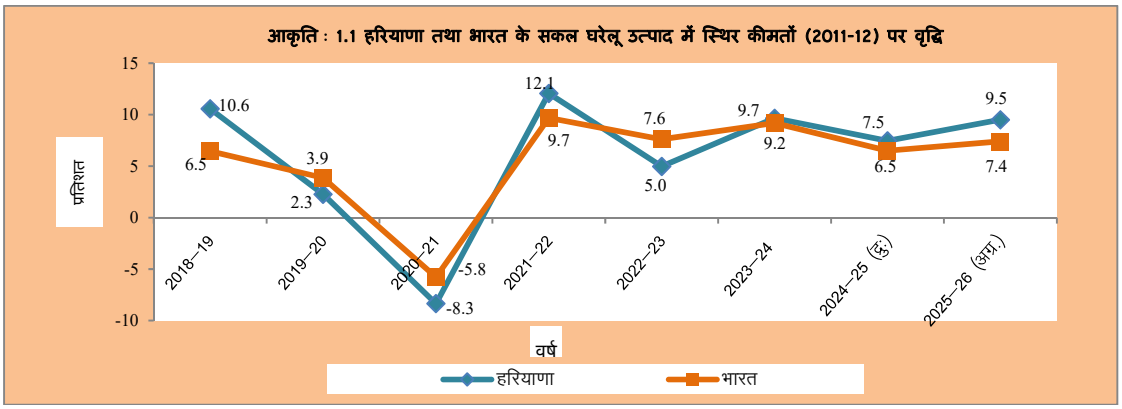

तालिका 1.1: हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों (2011-12) पर**
2011-12	297538.52	297538.52
2012-13	347032.01	320911.91
2013-14	399268.12	347506.61
2014-15	437144.71	370534.51
2015-16	495504.11	413404.79
2016-17	561424.17	456709.11
2017-18	638832.08	482036.15
2018-19	698939.76	532996.04
2019-20	738052.38	545123.96
2020-21	730441.77	499643.32
2021-22	877268.91	559921.63
2022-23	977792.86	587776.86
2023-24	1099476.57	644508.30
2024-25 (द्रु:)	1223904.15	692619.32
2025-26 (अग्र.)	1367768.78	758504.67

द्रु. दुत अनुमान, अग्र. अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.3 राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में स्थिर कीमतों (2011-12) पर वर्ष 2024-25 और 2025-26 में क्रमशः 7.6 और 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। उद्योग क्षेत्र में 8.9 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2025-26 में 9.5 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर **तालिका 1.2 तथा आकृति 1.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर कीमतों (2011-12) पर

(प्रतिशतता)

क्षेत्र	**हरियाणा**								**अखिल भारत**
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (द्रु.)**	**2025-26 (अग्र.)**	**2025-26 (अग्र.)**
कृषि एवं सहबद्ध	8.8	5.3	-1.8	-0.6	0.8	6.5	4.8	4.4	3.1
उद्योग	13.0	-2.5	-5.9	18.5	0.8	11.2	6.7	8.9	6.2
सेवा	8.5	5.0	-10.2	12.5	10.5	7.8	9.1	11.5	9.1
सकल मूल्य वर्धन	**10.0**	**2.6**	**-7.3**	**11.9**	**5.6**	**8.7**	**7.6**	**9.5**	**7.3**

द्रु. दुत अनुमान, अग्र. अग्रिम अनुमान

स्त्रोतःएन.एस.ओ., नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 07 जनवरी, 2026

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

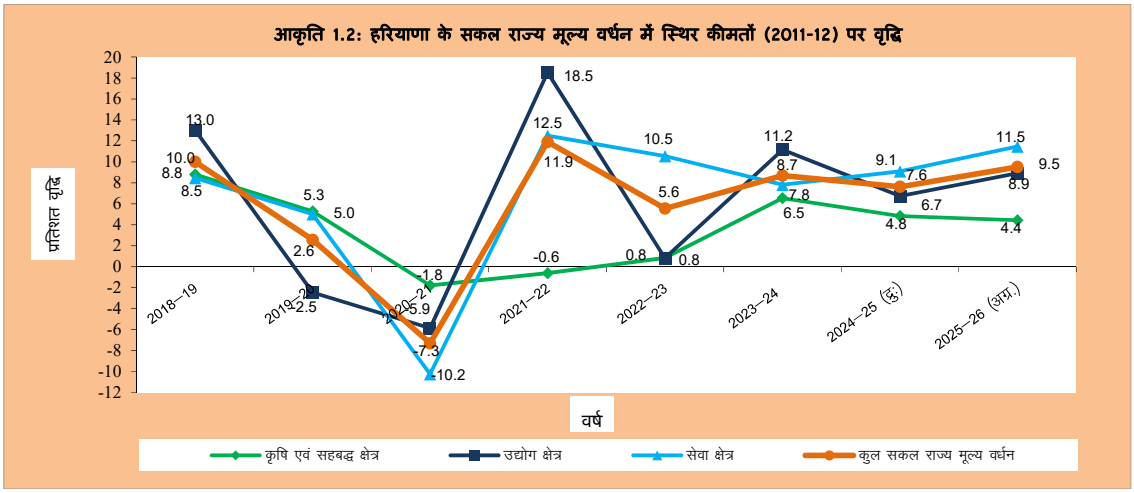

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969-70) में स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों (फसलें, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा, इसके बाद सेवा क्षेत्र (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा है।

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षों (1969-70 से 2006-07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी कम हुई। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 1969-70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 21.3 प्रतिशत रह गई जबकि उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 1969-70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 32.1 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गई।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्र में दर्ज उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप ज्यों की त्यों जारी रही, सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2025-26 में 52.1 प्रतिशत तक मजबूत हुई जिसके परिणामस्वरूप कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों (14.9 प्रतिशत) की हिस्सेदारी घट गई। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2025-26 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान 33.0 प्रतिशत दर्ज किया गया है। राज्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी **आकृति 1.3** में दर्शायी गई है।

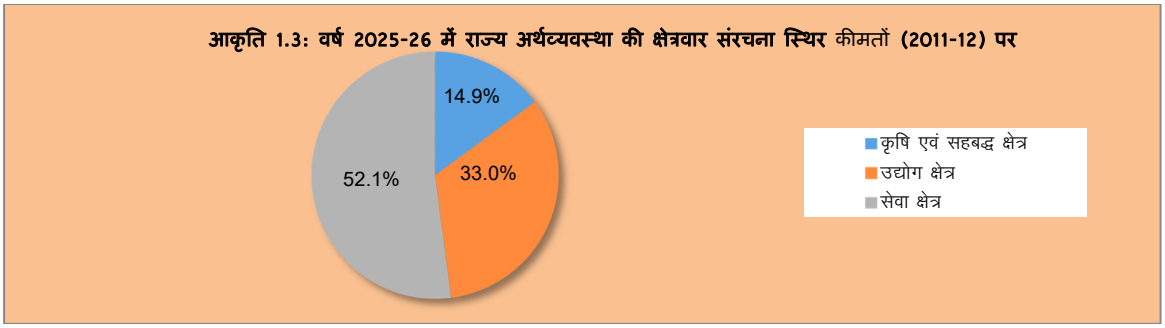

प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

1.7 प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय का औसत है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और इसकी वृद्धि दर को क्रमशः **तालिका 1.3** और **आकृति 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (रूपये)		भारत की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारत (रूपये)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों (2011-12) पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों (2011-12) पर
2011-12	106085	106085	63462	63462
2012-13	121269	111780	70983	65538
2013-14	137770	119791	79118	68572
2014-15	147382	125032	86647	72805
2015-16	164963	137833	94797	77659
2016-17	184982	150259	104880	83003
2017-18	208437	156200	115224	87586
2018-19	223022	169604	125946	92133
2019-20	232530	170765	132341	94420
2020-21	225137	151979	127244	86034
2021-22	265163	166873	150906	94054
2022-23	290461	172887	169145	100163
2023-24	324958	188018	188892	108786
2024-25 (द्रु.)	358171	199911	205324	114710
2025-26 (अग्र.)	395618	216315	219575	121968

द्रुः द्रुत अनुमान, अग्र. अग्रिम अनुमान।

स्त्रोतः एन.एस.ओ., नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 07 जनवरी, 2026

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.4: प्रचलित कीमतों पर हरियाणा और अखिल भारत की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

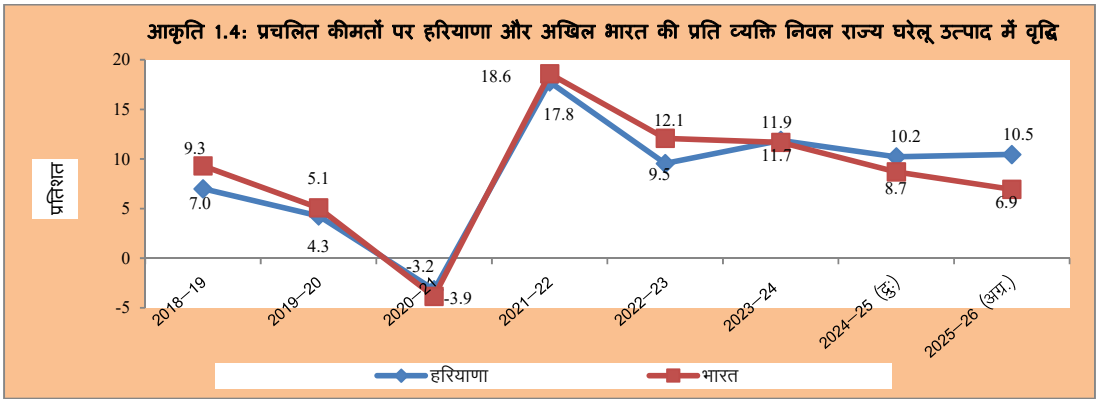

1.8 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों (2011-12) पर वर्ष 2025-26 में 2,16,315 रूपये अनुमानित की गई है जो वर्ष 2024-25 में दर्ज 6.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2025-26 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में 3,95,618 रूपये होने की सम्भावना है जोकि वर्ष 2024-25 में 10.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से अधिक बनाये रखने में कामयाब रहा है। चालू एवं स्थिर कीमतों पर वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 2,19,575 रूपये एवं 1,21,968 रूपये होगी।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

1.9 कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जनसंख्या के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। इसलिए राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। राज्य में मजबूत बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सडकें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नहरों का जाल, बाजार/मण्डी का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में अति वांछनीय तरक्की हुई है। इन सुविधाओं को कृषि अनुसंधान सहायता तथा सशक्त विस्तार तंत्र के साथ जोडने से किसानों को उन्नत कृषि पद्वतियों से सम्बन्धित जानकारी के प्रसार में सहायता मिली जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हुआ।

1.10 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि राज्य अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान बढा है जिसके कारण कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान घटा है। वर्ष 2025-26 के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमतों (2011-12) पर 14.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर पर ज्यादा निर्भर रहा है। हालांकि हाल के अनुभवों से प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है, जो लम्बी विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास में कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का विकास एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा।

1.11 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में कृषि, वानिकी एवं लकडी कटान व मत्स्य पालन उप-क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में फसलों की खेती व पशुपालन मुख्य घटक है, जिनका वर्ष 2025-26 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग 92.5 प्रतिशत का योगदान है। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वानिकी और मत्स्य पालन उप-क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5.4 प्रतिशत तथा 2.1 प्रतिशत है जिससे इन दो उप-क्षेत्रों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

1.12 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों (2011-12) पर विभिन्न वर्षों में दर्ज विकास दर को **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन 4.4 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 100,364.24 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र जिसमें फसल एवं पशुपालन उपक्षेत्र शामिल है, का सकल राज्य मूल्य वर्धन 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 92,872.63 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया

जबकि इसी वर्ष के दौरान वानिकी व लकडी कटान और मत्स्य उप क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन 4.6 प्रतिशत तथा 6.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ क्रमशः 5,404.45 करोड़ रूपये तथा 2,087.17 करोड़ रूपये दर्ज किया गया।

तालिका 1.4: कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों (2011-12) पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	**2011-12**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25** (द्रु.)	**2025-26** (अग्र)
फसल व पशुपालन	59785.53	79199.16 (-0.9)	79591.40 (0.5)	84880.93 (6.6)	88971.11 (4.8)	92872.63 (4.4)
वानिकी तथा लकडी कटान	3894.90	4387.43 (3.6)	4671.03 (6.5)	4957.37 (6.1)	5167.53 (4.2)	5404.45 (4.6)
मत्स्य	858.43	1725.78 (1.2)	1774.66 (2.8)	1828.80 (3.1)	1965.56 (7.5)	2087.17 (6.2)
कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	**64538.86**	**85312.37 (-0.6)**	**86037.09 (0.8)**	**91667.11 (6.5)**	**96104.20 (4.8)**	**100364.24 (4.4)**

उद्योग क्षेत्र

1.13 विभिन्न वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का उप-क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर को स्थिर कीमतों (2011-12) पर **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 के अनन्तिम अनुमानों में आंके गए 1,90,501.41 करोड़ रुपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन की तुलना में वर्ष 2024-25 के द्रुत अनुमानों में यह 2,03,342.25 करोड़ रुपये का आंकलन किया गया। जो वर्ष 2023-24 में 11.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2024-25 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 2,21,498.62 करोड़ रूपये आंका गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 1.5: औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों (2011-12) पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	**2011-12**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (द्रुः)**	**2025-26 (अग्रः)**
खनन व उत्खनन	118.82	725.46 **(-38.7)**	875.51 (20.7)	759.09 (-13.3)	804.70 **(6.0)**	1164.68 **(44.7)**
विर्निमाण	53286.09	120292.06 **(15.9)**	117845.56 **(-2.0)**	134566.04 (14.2)	141986.12 **(5.5)**	153326.15 **(8.0)**
बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं	3446.04	4757.51 **(14.6)**	5318.66 (11.8)	5912.95 (11.2)	6668.96 **(12.8)**	7107.42 **(6.6)**
निर्माण	29759.66	44211.13 **(28.8)**	47338.84 (7.1)	49263.33 (4.1)	53882.47 **(9.4)**	59900.37 **(11.2)**
उद्योग	**86610.61**	**169986.17 (18.5)**	**171378.57 (0.8)**	**190501.41 (11.2)**	**203342.25 (6.7)**	**221498.62 (8.9)**

द्रुः द्रुत अनुमान अग्रः अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

सेवा क्षेत्र

1.14 सेवा क्षेत्र के महत्व का माप अर्थव्यवस्था के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों (2011-12) पर 52.1 प्रतिशत आंका गया है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का उच्च अंश राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है तथा इसे विकसित अर्थव्यवस्था की मूल संरचना के अधिक निकट ले जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि एवं सहबद्ध और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से काफी तेज थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान सेवा क्षेत्र में औसत वार्षिक विकास दर 10.1 प्रतिशत थी जो कि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर (6.3 प्रतिशत) से ज्यादा थी।

1.15 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज करने के बाद, सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी हुई। इस क्षेत्र ने 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद इस क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024-25 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र का वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2023-24 में 2,87,792.24 करोड़ रूपये के अनंतिम अनुमान के मुकाबले 9.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,13,964.76 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 3,49,954.60 करोड़ रूपये अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में दर्ज 11.5 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट सेवाओं से (11.9 प्रतिशत) परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण से सम्बन्धित सेवाओं (12.9 प्रतिशत), वित्तीय सेवाओं, स्थावर सम्पदा तथा व्यवसायिक सेवाओं (11.0 प्रतिशत) क्षेत्रों में दर्ज वृद्धि के कारण सम्भव हुई है। **(तालिका 1.6)**

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों का विकास

व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट

1.16 वर्ष 2023-24 और 2024-25 दोनों वर्षों के अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों में इस उप-क्षेत्र की विकास दर 11.9 प्रतिशत रहने की संभावना है।

परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धी सेवाएं

1.17 वर्ष 2024-25 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2023-24 में इसमें 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र की वृद्धि दर 12.9 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

वित्तीय, स्थावर सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं

1.18 वर्ष 2023-24 के इन उप-क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है जबकि वर्ष 2024-25 में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि रहने की सम्भावना है।

लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं

1.19 वर्ष 2023-24 के दौरान इस उप-क्षेत्र में दर्ज 1.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2024-25 में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप-क्षेत्र में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि रहने की सम्भावना है।

तालिका 1.6: सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों (2011-12) पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	**2011-12**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (द्रु.)**	**2025-26 (अग्र.)**
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	33107.42	65385.23 (9.9)	72863.08 (11.4)	79040.99 (8.5)	85756.94 (8.5)	95961.83 (11.9)
परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं	17276.89	28224.20 (23.8)	28889.24 (2.4)	30900.47 (7.0)	33515.75 (8.5)	37828.01 (12.9)
वित्तीय, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं	52584.59	111821.59 (12.1)	127031.70 (13.6)	138980.98 (9.4)	152243.79 (9.5)	168919.35 (11.0)
लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	19956.26	36031.22 (10.5)	38148.65 (5.9)	38869.80 (1.9)	42448.28 (9.2)	47245.41 (11.3)
कुल सेवाएं	**122925.16**	**241462.24 (12.5)**	**266932.67 (10.5)**	**287792.24 (7.8)**	**313964.76 (9.1)**	**349954.60 (11.5)**

द्रुः द्रुत अनुमान अग्रः अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का योगदान

1.20 राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का उल्लेखनीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान स्थिर कीमतों (2011-12) पर 3.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था जो अब वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया है। **(आकृति 1.5)** प्रचलित कीमतों पर, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का हिस्सा वर्ष 2025-26 में 3.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

आकृति 1.5 : स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद में हरियाणा का योगदान

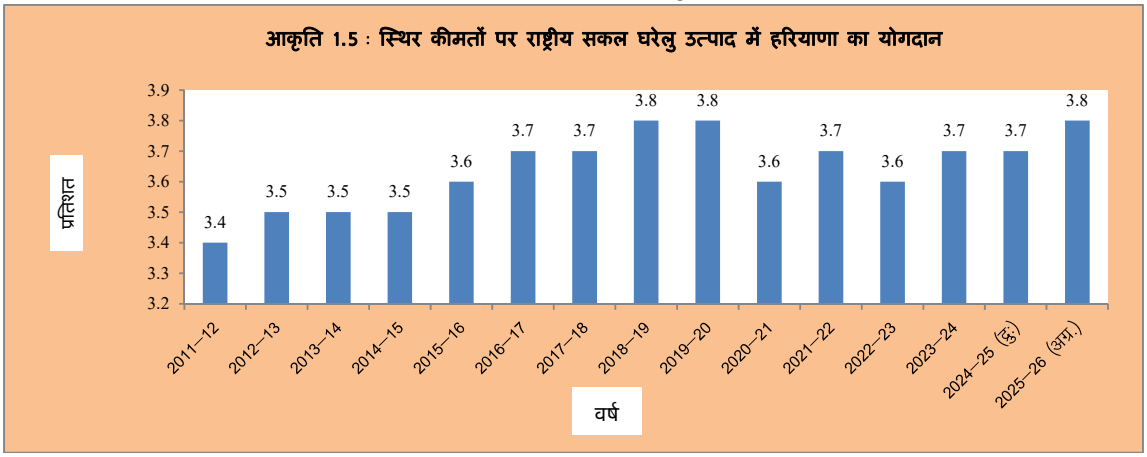

कृषि सूचकांक

1.21 फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उत्पादन व उपज सूचकांक (आधार त्रैवर्षान्त 2007-08=100) तैयार किये जाते है। फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2023-24 में 97.46 से बढकर वर्ष 2024-25 में 113.92 हो गया है। कृषि उत्पादन सूचकांक 2023-24 में 126.08 से बढकर वर्ष 2024-25 में 140.64 हो गया है। जबकि कृषि उपज का सूचकांक वर्ष 2023-24 में 129.37 से घट़कर वर्ष 2024-25 में 123.45 हो गया है। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2023-24 में 133.19 से बढकर वर्ष 2024-25 में 164.66 हो गया है, जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2023-24 में 110.85 से घट़कर वर्ष 2024-25 में 89.20 हो गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)

1.22 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक **तालिका 1.7** में दी गई है।

तालिका 1.7: हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2011-12=100)

औद्योगिक समूह	**सूचकांक**	
	2022-23	**2023-24**
विनिर्माण	185.1 (6.0)	201.1 (8.7)
विद्युत	133.7 (34.3)	117.3 (-12.3)
उपयोग आधारित वर्गीकरण		
क - प्राथमिक वस्तुएं उद्योग	20.6 (-77.2)	4.1 (-79.9)
ख - पूंजीगत वस्तुएं उद्योग	224.1 (7.9)	286.6 (27.9)
ग - मध्यवर्ती वस्तुएं उद्योग	186.6 (6.9)	308.5 (65.3)
घ - आधार संरचना, निर्माण उद्योग	423.4 (231.8)	334.0 (-21.1)
ड - उपभोक्ता स्थिर वस्तुएं	169.5 (-18.8)	124.1 (-26.8)
च - उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं	90.4 (121.6)	41.2 (-54.5)
औद्योगिक उत्पादन सामान्य सूचकांक	**181.4** **(7.2)**	**195.1** **(7.6)**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.23 आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2022-23 में 181.4 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 195.1 हो गया जिसमें 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2022-23 के 185.1 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 201.1 हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बिजली क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2022-23 में 133.7 से घटकर वर्ष 2023-24 में 117.3 हो गया। जो कि गत वर्ष की तुलना में 12.3 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

1.24 प्राथमिक वस्तु के उद्योगों जैसे आर्गन गैस, नाईट्रोजन लिक्विड, आक्सीजन लिक्विड, यूरिया, बिटूमन, एल.पी.जी. सिलेण्डर ऑफ आयरन तथा स्टील, विद्युत इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2022-23 में 20.6 से घटकर वर्ष 2023-24 में 4.1 हो गया, जिसमें 79.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

1.25 पूंजीगत वस्तु के उद्योगों जैसे कनवेयर बैल्ट, दन्त चिकित्सा, मोटर, फैन, डायमंड टूल्स, कल्टीवेटर्स, स्प्रिंग पिन, एयर ब्रेक सेट, एक्सल, ट्रैक्स, रेलवे/ट्रामवे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2022-23 में 224.1 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 286.6 हो गया, जिसमें 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.26 मध्यवर्ती वस्तु के उद्योगों जैसे मड/मौलासिस वेस्ट, प्लाईवुड बोर्ड, एल्यूमिनियम इनगोट, कास्ट आयरन, मशीन स्क्रु आयरन तथा स्टील, गियर केस एसेंमबली, मेडिकल सर्जीकल लैबोरेट्री स्टरलाईजर इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2022-23 में 186.6 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 308.5 हो गया, जिसमें 65.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

1.27 उपभोक्ता संरचनात्मक वस्तुओं जैसे पेंट, सीमेंट, पोर्टलैंड, केबल, इन्सूलेटिड पी.वी.सी., स्क्रेप कास्ट आयरन, सीमेंट, अन्य उत्पाद केबल, इन्सूलेटिड रबड़, सीरैमिक टाईल्स इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2022-23 में 423.4 से घटकर वर्ष 2023-24 में 334.0 हो गया, जिसमें 21.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

1.28 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे की कॉटन, कार्डिड या कौम्बड, कॉटन फैबरिक्स, फैबरिक्स, कॉटन कम्बल, गारमेन्टस कपडे, हैंडबैग, कृत्रम फर, अन्य सपोर्टस फुटवियर, स्केटिंग बूट के अतिरिक्त, किताबें, रेक्सिन, ऑ डियो सी.डी./डी.वी.डी. प्लेयर, रबड़ कपडा/सीट, केंपिंग, पैन बॉडी प्लास्टिक, स्टैपलर, हथकरघा/साजो-समान के फैन्सी आईटम इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2022-23 में 169.5 से घटकर वर्ष 2023-24 में 124.1 हो गया, जोकि 26.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

1.29 उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं जैसे सूखी सब्जियां, दूध, बासमती चावल, चीनी, बिस्कुट, ब्लैक चाय, रैक्टीफाईड स्प्रिट, चबाने का तम्बाकू तथा पेय फिल्टर्स इत्यादि का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2022-23 में 90.4 से घटकर वर्ष 2023-24 में 41.2 हो गया, जोकि 54.5 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

*** वार्षिक औधोगिक उत्पादन सूचकांक का समूह विवरण वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक का अनुलग्नक 1.1 व 1.2 पर संलग्न है।**

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.30 अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग,

हरियाणा राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण का अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों (2004-05) उद्योगों के उपयोग, संस्थानों के प्रकार और परिसम्पतियों के अनुसार तैयार करता है।

1.31 वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा में प्रचलित भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण 1,58,162 करोड़ रूपये आँका गया, जो वर्ष 2022-23 में 1,36,668 करोड़ रूपये था, जिसमें 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार, वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों (2004-05) पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण 71,569 करोड़ रूपये आँका गया, जबकि वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों (2004-05) पर यह 62,506 करोड़ रूपये था, जिसमें 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान **तालिका 1.8** में दर्शाये गये है तथा वर्ष दर वर्ष सकल स्थाई पूंजी निर्माण की प्रचलित एवं स्थिर कीमतों (2004-05) पर वास्तविक वृद्धि दर **आकृति 1.6** में दिखाई गई है।

तालिका 1.8: प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	स्कल स्थाई पूंजी निर्माण	
	चालू कीमतों पर	स्थिर कीमतों (2004-05) पर
2011-12	47948	30958
2012-13	53158	32041
2013-14	59134	33584
2014-15	65357	36158
2015-16	71116	38851
2016-17	78423	41463
2017-18	86061	44442
2018-19	94130	46101
2019-20	98953	47922
2020-21	104865	50061
2021-22	119555	55148
2022-23	136668	62506
2023-24(अ:)	158162	71569

अः अनन्तिम

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

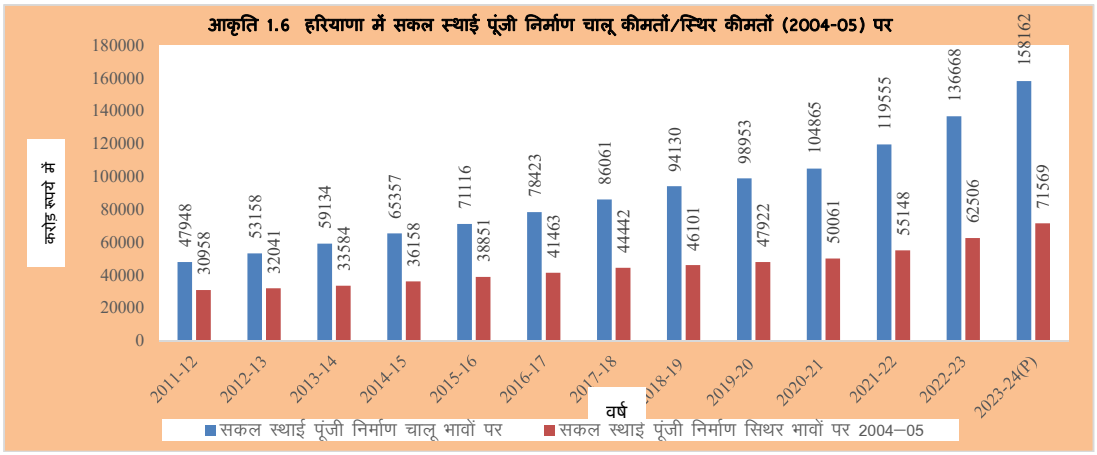

श्रेणी अनुसार सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान

उधोग के उपयोग के अनुसार सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.32 उधोग के उपयोग के अनुसार, सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान के लिए अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में बांटा गया है। इन 13 क्षेत्रों को 3 बडे ग्रुपों में जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन क्षेत्र शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विर्निमाण, निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति क्षेत्र शामिल हैं और तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, रियल एस्टेट, आवास और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल हैं। हरियाणा में मौजूदा और स्थिर कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण में इन क्षेत्रों का अनुमानित योगदान **तालिका 1.9 और 1.9 (ए)** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: हरियाणा में मौजूदा कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान

(लाख रूपये में)

औधोगिक उपयोग	**2011-12**	**2014-15**	**2015-16**	**2018-19**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अ:)**
प्राथमिक क्षेत्र	622078 (13.0)	1228995 (18.8)	1451985 (20.4)	2375431 (25.2)	2591953 (24.7)	2732817 (22.9)	3039430 (22.2)	3237623 (20.5)
द्वितीयक क्षेत्र	2601674 (54.2)	3046756 (46.6)	3108446 (43.7)	3883875 (41.3)	4351036 (41.5)	5001302 (41.8)	5568662 (40.8)	6597848 (41.7)
तृतीयक क्षेत्र	1571073 (32.8)	2259998 (34.6)	2551212 (35.9)	3153665 (33.5)	3543478 (33.8)	4221340 (35.3)	5058752 (37.0)	5980746 (37.8)
कुल	**4794825 (100.0)**	**6535749 (100.0)**	**7111643 (100.0)**	**9412971 (100.0)**	**10486467 (100.0)**	**11955459 (100.0)**	**13666844 (100.0)**	**15816217 (100.0)**

अः अन्तिम

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गये आंकडे कुल से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तालिका 1.9 (ए): हरियाणा में स्थिर कीमतों (2004-05) पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान

(लाख रूपये में)

औधोगिक उपयोग	**2011-12**	**2014-15**	**2015-16**	**2018-19**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अ:)**
प्राथमिक क्षेत्र	295791 (9.6)	434605 (12.0)	479952 (12.4)	738697 (16.0)	827323 (16.5)	855758 (15.5)	1042270 (16.7)	1083181 (15.1)
द्वितीयक क्षेत्र	1855210 (59.9)	1998834 (55.3)	2064183 (53.1)	2347356 (50.9)	2537675 (50.7)	2793453 (50.7)	3118801 (49.9)	3620826 (50.6)
तृतीयक क्षेत्र	944829 (30.5)	1182378 (32.7)	1341006 (34.5)	1524087 (33.1)	1641100 (32.8)	1865539 (33.8)	2089509 (33.4)	2452903 (34.3)
कुल	**3095830 (100.0)**	**3615817 (100.0)**	**3885141 (100.0)**	**4610140 (100.0)**	**5006098 (100.0)**	**5514750 (100.0)**	**6250580 (100.0)**	**7156910 (100.0)**

अः अन्तिम

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गये आंकडे कुल से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

संस्थानों के प्रकार के अनुसार सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.33 संस्थानों के प्रकार के अनुसार सकल स्थिर पूंजी निर्माण के अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा तैयार किये गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को आगे सार्वजनिक प्रशासन विभागीय उधमों और गैर-विभागीय उधमों में विभाजित किया गया है। हरियाणा में संस्थानों के प्रकार के अनुसार वर्तमान और स्थिर कीमतों पर अनुमानित सकल स्थिर कीमतों पर अनुमानित सकल स्थिर पूंजी निर्माण **तालिका 1.10 व तालिका 1.10 (ए)** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.10: हरियाणा में मौजूदा कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान

(लाख रूपये में)

उधोग के प्रकार	**2011-12**	**2014-15**	**2015-16**	**2018-19**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अ:)**
सार्वजनिक क्षेत्र	1695602 (35.4)	2191321 (33.5)	2258420 (31.8)	2916010 (31.0)	2878638 (27.5)	3641752 (30.5)	4587803 (33.6)	5720241 (36.2)
निजी क्षेत्र	3099223 (64.6)	4344428 (66.5)	4853223 (68.2)	6496961 (69.0)	7607829 (72.5)	8313707 (69.5)	9079041 (66.4)	10095976 (63.8)
कुल	**4794825 (100.0)**	**6535749 (100.0)**	**7111643 (100.0)**	**9412971 (100.0)**	**10486467 (100.0)**	**11955459 (100.0)**	**13666844 (100.0)**	**15816217 (100.0)**

अः अन्तिम

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गये आंकडे कुल से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तालिका 1.10 (ए): हरियाणा में स्थिर कीमतों (2004-05) पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान

(लाख रूपये में)

उधोग के प्रकार	**2011-12**	**2014-15**	**2015-16**	**2018-19**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अ:)**
सार्वजनिक क्षेत्र	1101546 (35.6)	1271815 (35.2)	1284099 (33.1)	1484169 (32.2)	1483386 (29.6)	1718319 (31.2)	2061868 (33.0)	2522921 (35.2)
निजी क्षेत्र	1994284 (64.4)	2344002 (64.8)	2601042 (66.9)	3125971 (67.8)	3522712 (70.4)	3796431 (68.8)	4188712 (67.0)	4634289 (64.8)
कुल	**3095830 (100.0)**	**3615817 (100.0)**	**38855141 (100.0)**	**4610140 (100.0)**	**5006098 (100.0)**	**5514750 (100.0)**	**6250580 (100.0)**	**7156910 (100.0)**

अः अन्तिम

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गये आंकडे कुल से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

सम्पत्ति के प्रकार के अनुसार सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.34 संपत्त्यिों के प्रकार के अनुसार सकल स्थाई पूंजी निर्माण को संकलित करने के लिए, स्थिर सम्पत्तियों को 6 मदों में वर्गीकृत किया गया है जैसेः (1) भवन (2) सडकें और पुल (3) अन्य निर्माण (4) संयत्र और मशीनरी (5) परिवहन उपकरण और (6) अन्य उपकरण फर्नीचर और फिकस्चर सहित। हरियाणा में सम्पत्तियों के प्रकार के अनुसार वर्तमान और स्थिर कीमतों पर अनुमानित सकल निश्चित पूंजी निर्माण को **तालिका 1.11 व 1.11 (ए)** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: हरियाणा में मौजूदा कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान

वर्ष	भवन	सडकें और पुल	अन्य निर्माण	संयत्र और मशीनरी*	परिवहन उपकरण	सकल स्थाई पूंजी निर्माण
2017-18	5123413 (59.5)	277157 (3.2)	416359 (4.8)	2638699 (30.7)	150509 (1.8)	8606137 (100.0)
2018-19	5591482 (59.4)	505641 (5.4)	467696 (5.0)	2630643 (27.9)	217509 (2.3)	9412971 (100.0)
2019-20	5627776 (56.9)	577323 (5.8)	379774 (3.8)	3087862 (31.2)	222607 (2.3)	9895342 (100.0)
2020-21	5287286 (50.4)	439550 (4.2)	493520 (4.7)	4088315 (39.0)	177796 (1.7)	10486467 (100.0)
2021-22	5736033 (48.0)	709795 (5.9)	590276 (5.0)	4702327 (39.3)	217028 (1.8)	11955459 (100.0)
2022-23	6376404 (46.7)	773653 (5.7)	770689 (5.6)	5483132 (40.1)	262966 (1.9)	13666844 (100.0)
2023-24 (अ:)	7382327 (46.7)	978397 (6.2)	766252 (4.8)	6370447 (40.3)	318794 (2.0)	15816217 (100.0)

*अन्य उपकरण भी संयत्र और मशीनरी के अन्तर्गत आते हैं।

अः अन्तिम

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गये आंकडे कुल से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तालिका 1.11 (ए): हरियाणा में स्थिर कीमतों (2004-05) पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान

वर्ष	भवन	सडकें और पुल	अन्य निर्माण	संयत्र और मशीनरी*	परिवहन उपकरण	सकल स्थाई पूंजी निर्माण
2017-18	2364421 (53.2)	113635 (2.6)	190777 (4.3)	1677354 (37.7)	97854 (2.2)	4444241 (100.0)
2018-19	2416021 (52.4)	204217 (4.4)	210941 (4.6)	1638297 (35.5)	140664 (3.1)	4610140 (100.0)
2019-20	2247124 (46.9)	234678 (4.9)	163698 (3.4)	1992968 (41.6)	153742 (3.2)	4792210 (100.0)
2020-21	1808795 (36.1)	161125 (3.2)	201658 (4.0)	2714697 (54.3)	119823 (2.4)	5006098 (100.0)
2021-22	1880136 (34.1)	252236 (4.6)	226856 (4.1)	3010059 (54.6)	145463 (2.6)	5514750 (100.0)
2022-23	2007054 (32.1)	255923 (4.1)	248369 (4.0)	3565205 (57.0)	174029 (2.8)	6250580 (100.0)
2023-24 (अ:)	2352559 (32.9)	317458 (4.4)	241872 (3.4)	4036931 (56.4)	208090 (2.9)	7156910 (100.0)

*अन्य उपकरण भी संयत्र और मशीनरी के अन्तर्गत आते हैं।

अः अन्तिम

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

कोष्ठक में लिखे गये आंकडे कुल से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कीमतों की स्थिति

1.35 राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग हरियाणा, साप्ताहिक खुदरा मूल्य, पाक्षिक ग्रामीण खुदरा मूल्य, साप्ताहिक कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य तथा त्रैमासिक मकान किराये के आंकडों से सम्बन्धित नियमित सूचनाएं एकत्रित करता है। इसके अतिरिक्त 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचंकाक और ग्रामीण खुदरा मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

थोक मूल्य सूचकांक

1.36 थोक मूल्य सूचकांकः राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980-81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक को **तालिका 1.12** में दिखाया गया है। यह वर्ष 2023-24 में 1,785.0 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1879.7 हो गया जोकि 5.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जबकि यह वृद्वि वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 3.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी।

तालिका 1.12: हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक कृषि आधार वर्ष (1980-81=100)
2020-21	1570.5
2021-22	1642.9
2022-23	1724.4
2023-24	1785.0
2024-25	1879.7

1.37 माहवार थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2024 से दिसम्बर, 2025 तक को **तालिका 1.13** में दिखाया गया है। थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2024 में 871.4 से बढ़कर दिसम्बर, 2025 में 1958.6 हो गया जो कि 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि अनाजों, कपास व अन्य फसलों के भावों में वृद्धि के कारण हुई।

तालिका 1.13: हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980-81=100)
दिसम्बर, 2024	1871.4
जनवरी, 2025	1899.65
फरवरी, 2025	1898.39
मार्च, 2025	1900.72
अप्रैल, 2025	1911.72
मई, 2025	1909.86
जून, 2025	1919.44
जुलाई, 2025	1926.85
अगस्त, 2025	1931.25
सितम्बर, 2025	1939.22
अक्तूबर, 2025	1947.48
नवम्बर, 2025	1953.69
दिसम्बर, 2025	1958.61

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)

1.38 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उद्देश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 23 गांवों से पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

1.39 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) खाद्य वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2023-24 में 2.21 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.62 प्रतिशत रही तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2023-24 में 5.42 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.74 प्रतिशत रही। राज्य में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक को **तालिका 1.14** में दिखाया गया है।

तालिका 1.14: हरियाणा में वर्षवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988-89=100)

वर्ष	**खाद्य सूचकांक**	**सामान्य सूचकांक**
2020-21	918	849
2021-22	963	892
2022-23	995	941
2023-24	1017	992
2024-25	1064	1039

1.40 राज्य में माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) को दिसम्बर, 2024 से दिसम्बर, 2025 तक **तालिका 1.15** में दिखाया गया है। यह सूचकांक दिसम्बर, 2024 में 1033 था जो कि दिसम्बर, 2025 में बढ़कर 1087 हो गया, जो 5.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.15: हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (1980-81=100)

मास	**सूचकांक**
दिसम्बर, 2024	1033
जनवरी, 2025	1043
फरवरी, 2025	1049
मार्च, 2025	1056
अप्रैल, 2025	1057
मई, 2025	1060
जून, 2025	1062
जुलाई, 2025	1067
अगस्त, 2025	1075
सितम्बर, 2025	1076
अक्तूबर, 2025	1079
नवम्बर, 2025	1082
दिसम्बर, 2025	1087

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1.41 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय के साथ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह नए आधार वर्ष 2016=100 को आधार मानकर छः केन्द्रों नामत अम्बाला, बहादुरगढ, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के मासिक सूचकांकों के भारित औसत को ध्यान में रखते हुए संकलित किया गया है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 से 2025 तक को **तालिका 1.16** में दिखाया गया है।

तालिका 1.16: हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	**सामान्य सूचकांक**
2021	121.5
2022	128.4
2023	135.3
2024	141.3
2025	145.8

1.42 राज्य में माहवार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति के आंकलन को दिसम्बर, 2024 से दिसम्बर, 2025 तक को **तालिका 1.17** में दिखाया गया है। श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छः केन्द्रों नामत अम्बाला, बहादुरगढ, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के मासिक सूचकांको के भारित औसत को ध्यान में रखते हुए माह अगस्त, 2021 से नए आधार वर्ष 2016=100 के आधार पर संकलित किया गया है। यह सूचकांक दिसम्बर, 2024 में 143.8 था जो कि दिसम्बर, 2025 में बढ़कर 148.3 हो गया, जो कि 3.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.17: हरियाणा में श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

मास	**सूचकांक**
दिसम्बर, 2024	143.8
जनवरी, 2025	143.3
फरवरी, 2025	142.9
मार्च, 2025	143.3
अप्रैल, 2025	144.0
मई, 2025	144.6
जून, 2025	146.1
जुलाई, 2025	146.8
अगस्त, 2025	147.1
सितम्बर, 2025	147.4
अक्तूबर, 2025	147.8
नवम्बर, 2025	148.2
दिसम्बर, 2025	148.3

*आधार वर्ष 2016=100 स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान

हरियाणा देश के प्रगतिशील राज्यों में से एक है। हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित हैं; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 राज्य के राजकोषीय पैरामीटर जैसे राजकोषीय घाटा और ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) अनुपात केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देते हैं। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, राज्य राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 2.68 प्रतिशत पर रखने में सक्षम है जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत की सीमा से कम है। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात भी 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड के मुकाबले 26.13 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार, राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 2.67 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2022-23 से 2025-26 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1 तथा अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2025-26 बजट अनुमानों के अनुसार, हरियाणा सरकार की प्राप्तियाँ 1,27,906.82 करोड़ रूपये के विरूद्ध राजस्व के व्यय 1,47,516.56 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2024-25 (स.अ.), में 1,12,624.39 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 1,30,472.04 करोड़ रूपये था। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 1,01,314.76 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 1,13,195.67 करोड़ रूपये था।

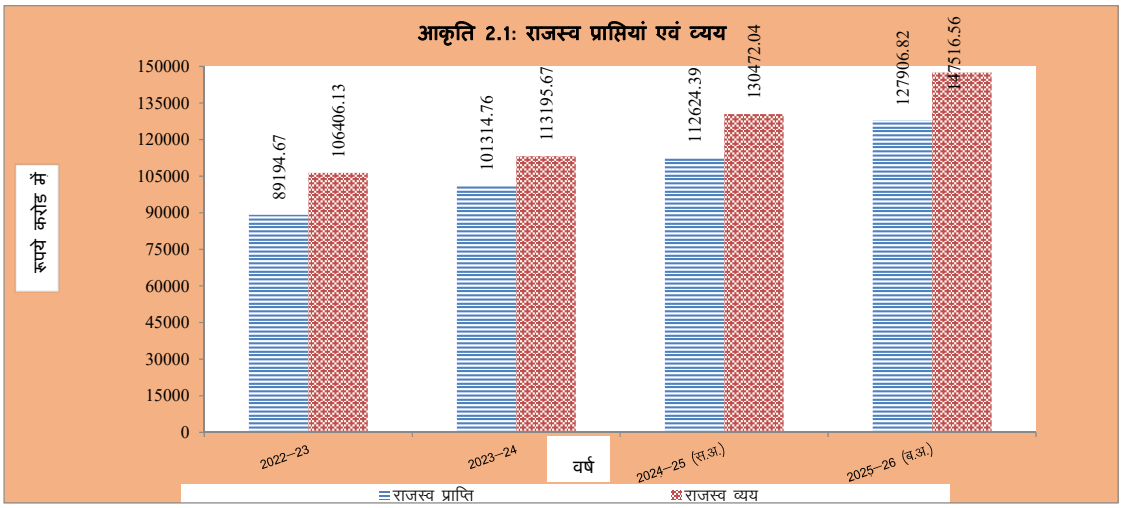

कुल कर

2.4 वर्ष 2022-23 से 2025-26 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है। कुल कर में (i) राज्य का स्वयं कर राजस्व(ओ.टी.आर.) तथा (ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा (एस.सी.टी.) शामिल है। राज्य का ओ.टी.आर. 2022-23 में 62,960.80 करोड़ रूपये से बढ़कर 2025-26 (ब.अ.) में 92,233.71 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य के एस.सी.टी. के 2022-23 में 10,378 करोड़ रूपये से बढ़कर 2025-26 (ब.अ.) में 15,547.32 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। कुल कर राजस्व जिसमें ओ.टी.आर. तथा एस.सी.टी. दोनों शामिल है, वर्ष 2022-23 में 73,338.80 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 1,07,781.03 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

तालिका 2.1: राज्य की कर स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व(ओ.टी.आर.)	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी (एस.सी.टी.)	कुल कर
2022-23	62960.80	10378.00	73338.80
2023-24	72511.06	12345.35	84856.41
2024-25(स.अ.)	81944.08	14065.65	96009.73
2025-26 (ब.अ.)	92233.71	15547.32	107781.03

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

स्वयं कर राजस्व

2.5 स्वयं कर में बिक्री कर से कर राजस्व में योगदान वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 12,750 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25(स.अ.) में यह 11,800 करोड़ रूपये था। वर्ष 2024-25 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में बिक्री कर में 8.05 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर राजस्व में योगदान 42,021 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि यह वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 37,500 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2024-25 (स.अ.) से वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 12.06 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में योगदान 14,063.91 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 12,650 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2024-25 (स.अ.) से वर्ष 2025-26 में 11.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष

2025-26 (ब.अ) में 16,555.30 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25 (स.अ.) में इस मद से 14,048.96 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)।**

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.6 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 15,547.32 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 14,065.65 करोड़ रूपये थी जोकि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में वर्ष 2024-25 (स.अ.) की तुलना में 10.53 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

सहायता अनुदान

2.7 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 9,791.54 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है, जबकि इसी मद में वर्ष 2024-25 (स.अ.) में यह राशि 7,843.05 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2024-25 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 24.84 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

तालिका 2.2: केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्त राशि
2022-23	7113.26
2023-24	8355.37
2024-25	7843.05
2025-26	9791.54

स.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियां

2.8 वर्ष 2022-23 से 2025-26 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2.2 तथा अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) उधार तथा अन्य ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 41,411.67 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2024-25(स.अ.) में यह 33,944.98 करोड़ रूपये थी जो कि वर्ष 2024-25 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

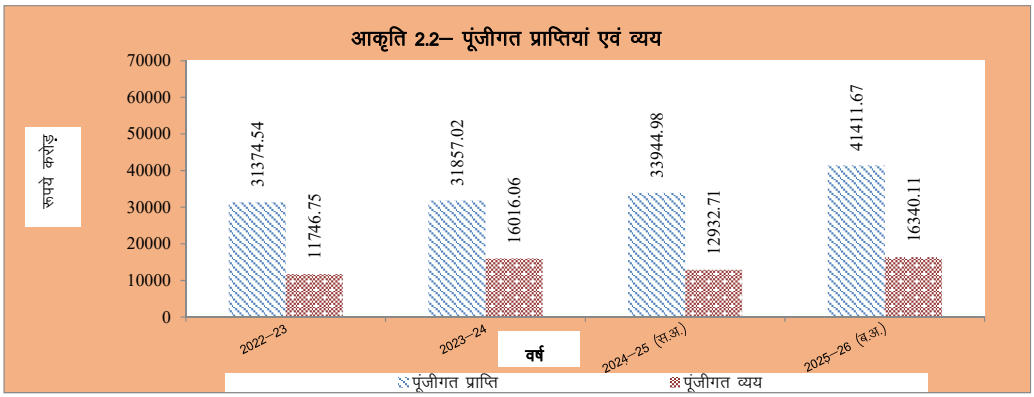

पूंजीगत व्यय

2.9 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 16,340.11 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 12,932.71 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.2)।**

2.10 कुल विकासात्मक व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं, वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 1,06,831.64 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25 (स.अ.) में यह 90,935.20 करोड़ रूपये था, जोकि 17.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.11 कुल गैर-विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 57,025.03 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 52,469.55 करोड़ रूपये था। कुल गैर-विकासात्मक व्यय में वर्ष 2024-25 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 8.68 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.12 राजस्व खाते में वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 17,847.68 करोड़ रूपये घाटे के विरूद्व वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 20,599.75 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा में 63.96 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है, जबकि यह वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 89.50 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)।**

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.13 सरकार के बजट में आम तौर पर व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है, ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा-परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन-देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे चुनने, पुनः वर्गीकृत करने तथा पुनः श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन-

इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.14 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन-देन को अर्थ-पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2025-26 (ब.अ.) में कुल व्यय 1,63,990.60 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 1,45,844.71 करोड़ रूपये था जोकि 12.44 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)।**

2.15 राज्य सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 56,128.47 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 51,860.20 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2025-26 (ब.अ.) में वर्ष 2024-26 (स.अ.) से 8.23 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.16 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 13,467.54 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2024-25 (स.अ.) में 10,775.15 करोड़ रूपये था। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजी हस्तान्तरण, कर्जे एवं अग्रिम तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती है।

संस्थागत वित्त

2.17 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। इसे समर्थन देने के लिए राज्य सरकार बैंकों को कृषि और गरीबी उन्मूलन पहलों पर अधिक ध्यान केन्द्रीत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य सावधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करता है।

2.18 राज्य में सितम्बर, 2025 तक वाणिज्यिक बैंकों (सी.बी.एस.) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की शाखाओं की कुल संख्या 5,582 थी। वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2025 तक ब□कर 8,68,918 करोड़ रूपये हो गई। इस प्रकार राज्य में सितम्बर, 2025 तक अग्रिम ऋण की राशि भी बढ़कर 7,69,537 करोड़ रूपये हो गई। ऋण-जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये क्रेडिट प्रवाह का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। राज्य में ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 87 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2025 में थोड़ा बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया है।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.19 चालू वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत 1,56,813 करोड़ रूपये के ऋण देने का लक्ष्य है। गत वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में सितम्बर, 2025 तक के लक्ष्य में 36 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना की 2025-26 के अन्तर्गत सितम्बर, 2025 तक कुल उपलब्धि 1,89,700 करोड़ रूपये रही जोकि 1,56,813 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 121 प्रतिशत था **(तालिका-2.3)**।

तालिका 2.3: हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2025-26

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2025-26	उपलब्धियां (30-09-2025 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	56101.00	55279.00	99
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	90341.00	130476.00	144
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	10371.00	3945.00	38
कुल	**156813.00**	**189700.00**	**121**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

2.20 बैंकों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण देने का प्रदर्शन संतोषजनक है। सितम्बर, 2025 तक के अनुपातिक लक्ष्य 56,101 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2025 तक 55,279 करोड़ रूपये थी यानि 99 प्रतिशत। इसमें उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि काफी संतोषजनक रही। बैंकों ने इन उद्योगों के लिए 90,341 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 1,30,476 करोड़ रूपये के ऋण जारी किए गए जोकि लक्ष्य का 144 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों ने 10,371 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 3,945 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 38 प्रतिशत है।

वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंकवार उपलब्धि

2.21 हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अन्तर्गत, वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1,47,507 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 1,83,518 करोड़ रूपये वितरित किये, जोकि लक्ष्य का 124 प्रतिशत है। वर्ष 2025-26 में इन बैंको द्वारा किया गया संवितरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: हरियाणा में वर्ष 2025-26 में वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2025-26	उपलब्धियां (30-09-2025 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	48075.00	50001.00	104
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	89597.00	130420.00	146
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	9835.00	3097.00	31
कुल	**147507.00**	**183518.00**	**124**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

2.22 वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक 1,30,420 करोड़ रूपये वितरित किये। उसके बाद कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के अन्तर्गत 50,001 करोड़ रूपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 3,097 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये। फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक 146 प्रतिशत, कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में 104 प्रतिशत और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 31 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.23 सितम्बर, 2025 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 8,240 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 6,183 करोड़ रूपये वितरित किये, जो लक्ष्य का 75 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: हरियाणा में वर्ष 2025-26 में सहकारी बैंकों द्वारा किया गया संवितरण (सितम्बर, 2025 तक)

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2025-26	उपलब्धियां (30-09-2025 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्ध	7227.00	5278.00	73
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	546.00	57.00	10
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	467.00	848.00	182
कुल	**8240.00**	**6183.00**	**75**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैशनल बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, पंचकुला

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) लिमिटेड की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय, राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 70 हो गई है। जिन्हें 2008 में 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मिलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप-तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहें हैं।

2.25 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड का पिछले पांच वर्षो (2021-22 से 2025-26 (31-12-2025 तक)) का क्षेत्र-वार प्रदर्शन **तालिका 2.6** में निम्नानुसार है:

तालिका 2.6: हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की क्षेत्रवार उपलब्धियां

(लाख रूपये में)

क्षेत्र व स्कीम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (31-12-2025 तक)	
	लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि	लाभार्थी संख्या	राशि
लघु सिंचाई	412	1717.35	584	2533.40	443	1927.60	551	2692.15	529	2832.04
कृषि मशीनीकरण	8	23.50	30	92.50	32	108.10	29	101.80	19	69.50
भूमि विकास	173	721.15	305	1249.35	229	924.00	295	1380.55	284	1463.92
डेयरी विकास	96	288.44	175	586.55	93	306.10	121	441.45	174	730.05
बागवानी/ कृषिवानिक	168	800.60	158	724.20	129	646.30	167	799.50	193	994.40
ग्रामीण आवास	134	349.80	372	1044.40	181	621.30	146	473.15	114	469.70
गैर कृषि क्षेत्र	420	1396.55	561	2042.32	393	1363.30	182	803.45	204	896.70
भूमि खरीदने हेतु	13	78.00	31	153.00	13	80.50	8	60	2	8.00
ग्रामीण भण्डारण	3	18.00	6	34.00	01	6.00	0	0.00	0	0.00
अन्य	73	197.00	113	359.00	76	226.30	137	414.15	103	357.75
कुल	**1500**	**5590.39**	**2335**	**8818.72**	**1590**	**6209.50**	**1638**	**7136.50**	**1622**	**7822.06**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

ब्याज दर

2.26 बैंक ने परम उधारकर्ताओं से लिए जाने वाले ब्याज की दर दिनांक 06-02-2023 से 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष तय की है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने केवल 3 प्रतिशत प्रति वर्ष का मार्जिन बरकरार रखा है।

राज्य सरकार द्वारा सहायता

2.27 राज्य सरकार ने किसानों को ऋण प्रदान करने और नाबार्ड के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. को वित्तीय सहायता प्रदान की है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। ऋण और अनुदान सहायता का वर्षवार विवरण **तालिका 2.7** में इस प्रकार है:

तालिका 2.7: राज्य सरकार द्वारा एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. को वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण

(राशि करोड़ में)

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
2011-12	70.00	0.00	70.00
2012-13	0.00	142.00	142.00
2013-14	0.00	107.00	107.00
2014-15	100.00	86.00	186.00
2015-16	0.00	0.00	0.00
2016-17	200.00	0.00	200.00
2017-18	150.00	100.00	250.00
2018-19	200.00	100.00	300.00
2019-20	100.00	100.00	200.00
2020-21	70.00	70.00	140.00
2021-22	75.00	84.00	159.00
2022-23	40.00	40.00	80.00
2023-24	32.00	0.00	32.00
2024-25	10.00	0.00	10.00
कुल	**1047.00**	**829.00**	**1876.00**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज प्रोत्साहन योजना

2.28 राज्य सरकार द्वारा नियमित भुगतान करने वाले जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सदस्यों के लिए 2014 में "समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना" शुरू की गई। इस योजना के तहत 1,37,753 ऋणी किसानों ने दिनांक 25-08-2014 से 30-12-2024 तक 111.22 करोड़ रुपये का लाभ उठाया है। राज्य सरकार ने योजना को दिनांक 31-03-2026 तक बढ़ा दिया है।

जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ऋणी सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2022

2.29 हरियाणा सरकार ने गैर निष्पादित संपत्तियों (एन.पी.ए.) को कम करने और राहत प्रदान करने के लिए जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए दिनांक 03-08-2022 को एकमुश्त निपटान योजना-2022 (ओ.टी.एस.) शुरू की है। इस स्कीम मे बैंक उन कर्जदारों को राहत प्रदान करता है जो उनके नियंत्रण से परे कारणों से अपना बकाया चुकाने में सक्षम

नहीं हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए "एकमुश्त निपटान योजना" (ओ.टी.एस.-2022), दिनांक 03-08-2022 को शुरू की गई थी और 30-06-2024 तक बढ़ा दी गई थी। इस योजना के तहत बैंक ने 11,750 ऋणी सदस्यों को 175.27 करोड़ रुपये का लाभ देकर 402.92 करोड़ रुपये की वसूली की है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 09-12-2025 को ब□ाकर 31-03-2026 कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा 31-12-2025 तक ऋणी सदस्यों से 51.71 करोड रूपये की वसूली की है।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़

2.30 लघु अवधि सहकारिता ऋण □ांचा तीन स्तरों पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है तथा जिला मुख्यालयों पर, 19 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 572 शाखाएं तथा 27 विस्तार पटल हैं तथा 803 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पूरे राज्य में कार्य कर रही है, जोकि अधिकतम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.80 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। बैंकों द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ जमा राशि जुटाना, आर.बी.आई./नाबार्ड, राज्य सरकार, एन.सी.डी.सी. आदि जैसी विभिन्न उच्च वित्तपोषण एजेंसियों से अपनी और अपने सदस्यों की ओर से धन जुटाना/उधार लेना है, ताकि अपने सदस्यों को कृषि, विपणन और प्रसंस्करण, उपभोग, विनिर्माण, व्यापार, आवास, परिवहन, वितरण और स्टॉकिंग आदि के लिए ऋण प्रदान कर सके, बैंक इस उद्देश्य से पिछले 59 वर्षों से अपने जमाकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा है।

हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

2.31 नवम्बर, 1966 में मामूली शुरूआत से हरको बैंक एक मजबूत वित्तीय संस्थान के रूप में क्रेडिट योग्यता के साथ विकसित हुआ है। जनवरी, 2026 तक बैंक की कार्यशील पूंजी 11,316.48 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.8**)। निम्नलिखित आंकड़े इसके अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाते हैं।

तालिका 2.8: हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये में)

विवरण	1966-67	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	जनवरी, 2026
हिस्सा पूंजी	0.53	376.98	379.02	341.64	322.69	322.77
निजि कोष	0.82	1201.50	1332.66	1362.87	1395.29	1373.83
अमानतें	1.16	3824.67	5280.27	4953.48	3436.86	3370.21
उधार राशि	6.47	4674.04	5161.55	5217.14	6671.98	6411.62
ऋण दिये	5.75	7600.00	5134.77	6974.86	6915.02	6223.51
बकाया ऋण	7.47	7148.24	7509.90	8125.12	8275.30	7705.48
लाभ/हानि	0.04	67.84	88.52	61.25	82.89	-
वसूली प्रतिशत	97.49	99.91	99.95	99.96	99.95	-
अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	-	0.09	0.06	0.03	0.03	-
एन.पी.ए. प्रतिशत	-	0.09	0.06	0.05	0.06	-
कार्यशील पूंजी	8.60	9847.28	11924.00	11849.01	11749.85	11316.48

स्त्रोतः हरको बैंक।

तालिका 2.9: केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की फसलवार तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

(क) खरीफ फसल **(करोड़ रूपये में)**

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2021	6189.67	365.42	6555.09	5860.85	239.55	6100.40
2022	6446.96	263.50	6710.46	6579.02	203.13	6782.15
2023	7089.00	231.16	7320.16	5927.71	198.57	6126.28
2024	6522.00	218.00	6740.00	5894.01	187.01	6081.02
2025	6635.00	218.35	6853.35	6161.87	161.69	6323.56

(ख) रबी फसल **(करोड़ रूपये में)**

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2021-22	6930.20	419.46	7349.66	5663.64	131.83	5795.47
2022-23	7185.00	428.00	7613.00	4274.78	188.36	4463.14
2023-24	7265.00	408.00	7673.00	5768.18	190.87	5959.05
2024-25	7378.74	416.53	7795.27	5983.26	195.42	6178.68
2025-26	6650.00	22.53	6872.35	4006.34	174.00	4180.34 (जनवरी, 2026 तक)

स्त्रोतः हरको बैंक।

रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपोजिट गारंटी स्कीम

2.32 किसानों के हितों के लिए 11.49 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने मार्च, 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। किसानों की सभी प्रकार की गैर-कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारन्टी देता है।

2.33 भारत सरकार व राज्य सरकार की समय पर अदायगी करने वाले प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू ब्याज राहत योजना।

भारत सरकार की ब्याज राहत योजना: भारत सरकार द्वारा फसली ऋण पर उन किसानों को जिन्होंने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया है, उन्हें 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 01-04-2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत, समय पर अदायगी करने वाले लगभग 5,31,652 किसानों को 1,201.73 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

राज्य ब्याज राहत योजना-2014: राज्य द्वारा 4 प्रतिशत की दर से 01-09-2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान समय पर अदायगी करने वाले

5,31,652 किसानों को 1,353.65 करोड़ रूपये की ब्याज राहत राशी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार, समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज 0 प्रतिशत (7 प्रतिशत-4 प्रतिशत-3 प्रतिशत=0) है। यह योजना अभी तक क्रियाशील है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.34 जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का 2.40 रूपये के अंशदान पर 50,000 रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 0.80 रूपये का अंशदान देना होगा तथा शेष 1.60 रूपये का अंशदान जिला सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। यह योजना अभी तक क्रियाशील है।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ते योजना

2.35 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पैंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। उक्त बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3,67,023 पैंशनधारकों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और लाभार्थियों को इन बैंकों के माध्यम से पैंशन वितरित की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी पैंशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य में सहकारी बैंकों ने सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

कम्प्यूटरीकरण

2.36 राज्य के हरको बैंक और 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और उनकी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली मौजूद है। हरको बैंक पेटीएम, फोनपे, गूगलपे और यू.पी.आई. एपस की सुविधा प्रदान कर रहा है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण-इस योजना के अन्तर्गत अब तक 710 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से 624 पैक्स को ई-पैक्स में परिवर्तित कर दिया गया है। शेष पैक्स पर कार्य प्रगति पर है।

नई पहल

2.37 भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों के अन्तर्गत राज्य में 749 प्रधानमंत्री किसान समृद्वि केन्द्र, 464 सामान्य सेवा केन्द्र तथा 9 जन औषधि केन्द्रों द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। हरियाणा राज्य में, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 686 स्वयं सहायता समूहों को 7.39 करोड़ रूपये के अग्रिम ऋण जारी किये गये और 10,880 संयुक्त देयता समूहों को 127.80 करोड़ के अग्रिम ऋण जारी किये जा चुके हैं।

2.38 हरको बैंक की नई जमा योजनाएँ

हमारी बिटिया बालिका हेतू अमानत योजना: यह योजना माता-पिता को बेटी की शिक्षा और शादी में मदद करने के लिए बनाई गई है, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए न्यूनतम अवधि पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष रहेगी, जबकि पुनरावर्ती जमा के लिए न्यूनतम अवधि एक वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष होगी। इस योजना के अंतर्गत कुल 283 खाते खोले जा चुके है, जिसमे 81,34,416 रूपये की राशि जमा हुई।

हमारा लाडला बालक हेतू अमानत योजना: यह योजना माता-पिता को बेटे की शिक्षा में मदद करने के लिए बनाई गई है, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए न्यूनतम अवधि पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष रहेगी,

जबकि पुनरावर्ती जमा के लिए न्यूनतम अवधि एक वर्ष और अधिकतम दस वर्ष होगी। इस योजना के अंतर्गत कुल 191 खाते खोले जा चुके है, जिसमे 6,22,42,866 रूपये की राशि जमा हुई।

आज़ादी का महोत्सव जमा योजना: बैंक ने इस फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को 399 दिनों की अवधि के लिए 7.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.50 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज दर से शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 683 खाते खोले जा चुके है, जिसमे 12,66,51,158 रूपये की राशि जमा हुई।

खजाना एवं लेखा

2.39 वर्तमान में राज्य में 24 जिला स्तरीय खजाने तथा 81 उप खजाने हैं जो कि संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियाँ तथा अदायगियों के खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। खजाना एवं लेखा विभाग अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए.एस.) काडर का नोडल विभाग है तथा इसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हैं। विभाग का लेखा प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला समय-2 पर राज्य सरकार के विभागों, बोर्डो एवं निगमों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 10,635 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य की संचयनिधि से निकासी (व्यय) व जमा (रसीद) का कार्य करते हैं। विभाग कई ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.ए.एस.)

2.40 यह सॉफ्टवेयर प्रणाली दिनांक 01-04-2010 से कार्यान्वित की गई है जो सफलतापूर्वक चल रही है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब, डी.डी.ओ./विभाग व्यय को सुव्यवस्थित करके वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार व्यय कर सकते हैं।

ई-बिलिंग

2.41 ई-बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में दिनांक 01-04-2013 से कार्यान्वित किया गया है। बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप डी.डी.ओ. के साथ-साथ ख़ज़ाना स्तर पर कार्यालयों के कार्य की कुशलता में सुधार हुआ है। 31 जनवरी, 2026 तक लगभग 15,52,435 बिल इस प्रणाली का उपयोग करके डी.डी.ओ. द्वारा तैयार किए गए हैं। सभी प्रकार के बिल तैयार करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की शुरुआत की गई है। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अब भुगतान आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे तौर पर जमा किया जाता है। नकद लेन-देन से परहेज किया जाता है। सभी डी.डी.ओ. को ऑनलाईन ई-टी.डी.एस. रिर्टन चार्टड एकाउटेंट की मदद के बिना ई-बिलिंग प्रणाली के माध्यम से भरने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रधान महालेखाकर (ए.एण्ड ई.) हरियाणा के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 13-08-2020 से राज्य में वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउॅचर शुरू हो चुके है। अन्य प्रकार के बिलों के लिए पेपरलेस वाउॅचर पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

ई-ग्रास

2.42 सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (ई-जी.आर.ए.एस.) नवंबर, 2013 से पूरे राज्य में लागू की गई। सभी प्रकार के ई-चालान विभागों और आम जनता द्वारा इसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग

करके तैयार किये जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.डी.बी.आई. बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने उपरोक्त सभी बैंकों के साथ पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज (पेमेंट गेटवे) लागू किया है। राज्य सरकार ने भुगतान और रसीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर को लागू करने का भी निर्णय लिया है। 31-01-2026 तक इस प्रणाली के माध्यम से 70,539.15 करोड़ रूपये के 1,39,96,947 चालान जनरेट किए गए हैं।

ओटिस (ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली)

2.43 वैब ओटिस सभी खजानों और उप-खजानों में दिनांक 01-07-2013 से लागू किया गया, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी तीनों हितधारकों नामतः खजानों/उप-खजानों, खजाना बैंक शाखाओं तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय का इस प्रणाली के साथ एकीकरण किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से खजानों के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दो बार प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। खजानों में पड़े सभी प्रकार के भौतिक स्टांप पत्रों की ऑनलाइन स्टॉक स्थिति बनाने के लिए ओ.टी.आई.एस. के तहत ई-स्टॉक मॉड्यूल लागू किया गया है।

ई-पोस्ट

2.44 विभिन्न विभागों के स्वीकृत पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में दिनांक 23-05-2014 से ई-पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया। सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है। सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के पदों की संख्या को ई-पोस्ट में डाल दिया गया है।

ई-पैंशन

2.45 ई-पेंशन प्रणाली दिनांक 01-10-2012 से शुरू की गई थी। सभी पेंशनभोगी जिनके पी.पी.ओ. दिनांक 01-10-2012 के बाद प्राप्त हुए हैं, उन्हें हर महीने की पहली तारीख को ई-पेंशन प्रणाली का उपयोग करके पेंशन वितरण सेल (पी.डी.सी.) के माध्यम से उनकी पेंशन मिल रही है और राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। 31-01-2026 तक लगभग 1,70,355 पेंशनभोगी हैं, जिनमें से 1,24,708 साधारण पेंशनभोगी और 45,647 पारिवारिक पेंशनभोगी पी.डी.सी./खजानों/उप-खजानों से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) की शुरुआत के साथ, पेंशनभोगी अब साल में एक बार नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र के लिए किसी भी खजाना/उप-खजाना में जा सकते हैं। पेंशनभोगी अब आयकर उद्देश्यों (पुरानी व्यवस्था) के लिए ई-पेंशन के माध्यम से अपनी बचत/आय जमा कर सकते हैं।

ई-स्टैंपिंग

2.46 ई-स्टैंपिंग प्रणाली दिनांक 01-03-2017 से लागू गई थी। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रूपये से अधिक कीमत का (गैर-न्यायिक) स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। 31-01-2026 तक 11,262.17 करोड़ रूपये के कुल 52,04,081 स्टाम्प पेपर जारी किये गये।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.)

2.47 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण इत्यादि के बारे मे सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। यह प्रणाली जून, 2016 से लागू की गई है। इस प्रणाली को ई-सैलरी से जोड़ दिया गया है। अवकाश का अपडेशन तथा ए.सी.पी. के मामले भी एच.आर.एम.एस. के माध्यम से किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानातंरण के मामलों को भी इस प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली को राज्य के बोर्डों/निगमों आदि में भी लागू किया है।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.)

2.48 भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बजट और व्यय के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना तथा निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। राज्य सरकार ने भी राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सरकार ने राज्य खजानों/उप-खजानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से एकीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार के साथ व्यय की भागीदारी की जा रही है व सभी हितधारकों के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाया जा रहा है। राज्य की कुछ स्कीमों को भी इस प्रणाली के तहत लागू किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 से राज्य द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी/खाता (एस.एन.ए.) मॉडल शुरू किया जा चुका है।

आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा

जी.एस.टी

2.49 आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य का सबसे अधिक राजस्व देने वाला विभाग है। जी.एस.टी. कार्यान्वयन को 8 साल से अधिक समय हो गया है और हरियाणा सफलतापूर्वक जी.एस.टी. कार्यान्वयन के मॉडल-2 मोड में परिवर्तित हो गया है और सभी अधिकारी जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित बो-वेब पोर्टल पर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। 101वें संवैधानिक संशोधन के साथ, छह गैर जीएसटी वस्तुओं को छोड़कर, वस्तुओं की बिक्री पर वैट को जी.एस.टी. में शामिल कर दिया गया था। विभाग मानव उपभोग के लिए इन छह वस्तुओं यानी पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, ए.टी.एफ., प्राकृतिक गैस और अल्कोहलिक शराब के लिए एच.वी.ए.टी. अधिनियम का प्रबंधन करता है। शराब पर आबकारी शुल्क संग्रह भी राज्य सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। राज्य की उत्पाद शुल्क नीतियां इस तरह से बनाई गई हैं कि यह सरकारी राजस्व के साथ-साथ जनता तथा उनके स्वास्थ्य को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। विभाग ने इस दिशा में नियमित रूप से कई कदम उठाये हैं। माल और कर सेवा व्यवस्था 1 जुलाई, 2017 से लागू हुई। हरियाणा राज्य में वित्तीय वर्षवार जी.एस.टी. संग्रह नीचे **तालिका 2.10** में दिया गया हैः

तालिका 2.10: राज्य में जी.एस.टी. का वर्षवार विवरण

(रूपये करोड में)

	वित्तीय वर्ष					वृद्धि/कमी की प्रतिशतता (2024-25)-(2023-24) (6-5)/5X100	2024-25 (31-10-2024 तक)	2025-26 (31-10-2025 तक)	वृद्धि की प्रतिशतता (2025-26)-(2024-25 (9-8)/8x 100
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एस.जी.एस.टी. संग्रह	11960.16	15115.60	18142.48	20334.23	23285.04	14.50	13472.23	14962	11.06
(अन्तिम + उलटा) आई.जी.एस.टी. निपटान+ आई.जी.एस.टी.+ निपटान (उलटा)	6117.18	8470.54	11781.47	14626.67	16535.07	13.04	9500.99	13475.59	41.83
एड-हॉक आई.जी.एस.टी.	1445.15	1501.02	1027.57	-	-	-	-	-	-
नेट एस.जी.एस.टी. संग्रह	19522.49	25087.16	30951.52	34960.90	39820.11	13.90	22973.22	28437.59	23.79
एस.जी.एस.टी. मुआवजा	9417.83	10302.47	2575.90	3505.00	1445.36	-58.76	-	-	-
ऋण के रूप में मुआवजा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विभाग के अनुसार कुल जी.एस.टी. संग्रह	28940.32	35389.63	33527.42	38465.90	41265.47	7.28	22973.22	28432.59	23.79

स्त्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा।

- राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23,285.04 करोड़ रूपये का एस.जी.एस.टी. संग्रह किया है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य का एस.जी.एस.टी. संग्रह 20,334.23 करोड़ रूपये था, जिसमें 14.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 39,820.11 करोड़ रुपये का एस.जी.एस.टी (एस.जी.एस.टी. संग्रह+ अनंतिम निपटान) एकत्र किया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यानि वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्व एस.जी.एस.टी राजस्व 34,960.90 करोड़ रुपये थी, जिसमें कुल 13.90 प्रतिशत वृद्धि हुई।
- राज्य ने अक्टूबर, 2025 तक 14,962 करोड़ रुपये का एस.जी.एस.टी. एकत्र किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 13,472.23 करोड़ रुपये थी, जिसमें कुल 11.06 प्रतिशत वृद्धि हुई।
- राज्य ने समझौते के बाद अक्टूबर, 2025 तक कुल 28,437.59 करोड़ रुपये का शुद्व एस.जी.एस.टी. संग्रह किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 22,973.22 करोड़ रुपये थी, जिसमें कुल 23.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2024-25 के लिए सभी मदों (एस.जी.एस.टी.+सी.जी.एस.टी.+आई.जी.एस.टी.+उपकर) के तहत कुल प्रति व्यक्ति जी.एस.टी. संग्रह 47,082.89 रूपये के आधार पर हरियाणा राज्य प्रमुख राज्यों में प्रथम और समग्र रूप से चौथे (दादरा और नगर हवेली/दमन और द्वीव, सिक्किम और गोवा के बाद) स्थान पर है।

- राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,19,362 करोड़ रूपये का जी.एस.टी. संग्रह किया और पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त की। 2024-25 के संग्रह में, हरियाणा ने जी.एस.टी. संग्रह में अपनी स्थिति मजबूत की है, और देशभर के सभी राज्यों में 2024-25 में पांचवां स्थान प्राप्त किया है।
- राज्य में पंजीकृत करदाताओं की संख्या 31-10-2025 को लगभग 5.95 लाख हो गई है, जो जी.एस.टी. लागू होने की तारीख से 143 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (01-07-2017 को यह संख्या 2.45 लाख थी)।
- **विनियम अनुपालन**: जी.एस.टी. पोर्टल के अनुसार, अप्रैल, 2025 से अक्तूबर, 2025 की अवधि के लिए लगभग 97.95 प्रतिशत जी.एस.टी.आर.-1 रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) जी.एस.टी. सुविधा कक्ष

2.50 उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग ने दिनांक 29-11-2024 को वाणिज्य भवन, पंचकुला में एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा कक्ष का शुभारंभ किया। जिसमें छोटे उद्यमियों को जी.एस.टी. के तहत कर-अनुकूल उपायों और लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह पहल हरियाणा में विभाग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे उन्हें जी.एस.टी. अनुपालन को आसानी से समझने और पूरा करने में मदद मिलेगी। इन सुविधा कक्षों की स्थापना छोटे और नए व्यवसायों को समर्थन देने की हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन कक्षों का लक्ष्य जी.एस.टी. से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए लक्षित समर्थन, मार्गदर्शन और एक मंच प्रदान करके, व्यवसाय विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना है।

स्टार्ट-अप जी.एस.टी. सुविधा सेल

2.51 उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग ने दिनांक 29-11-2024 को संसाधन भवन, गुरुग्राम में स्टार्ट-अप जी.एस.टी. सुविधा सेल का शुभारंभ किया। इस जी.एस.टी. सुविधा सेल का प्राथमिक उद्देश्य स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना है कि स्टार्ट-अप को जी.एस.टी. अनुपालन के लिए पंजीकरण से लेकर रिटर्न फाइलिंग और अन्य जी.एस.टी. से संबंधित मुद्दों के लिए हर तरह से सहायता प्राप्त हो। नए उद्यमियों को जी.एस.टी. के तहत कर-अनुकूल उपायों और लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा। जी.एस.टी. अनुपालन से संबंधित चुनौतियों का समाधान कानून के दायरे में हल किया जाएगा।

संबंधित हितधारकों के साथ नियमित बैठकें

2.52 आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा विश्वास निर्माण, समन्वय और सहयोग बढ़ाने, नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए रेंज और जिला स्तर पर महीने के हर दूसरे शुक्रवार को व्यापार संघों, टैक्स बार एसोसिएशनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशनों और अन्य संबंधित हितधारकों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

कर नीति और अनुसंधान इकाई (टी.पी.आर.यू.)

2.53 विभाग ने 1 जनवरी, 2024 से कर नीति और अनुसंधान इकाई (टी.पी.आर.यू.) स्थापित की है, जिसका उद्देश्य निर्णय निर्माताओं, संचालन और अनुपालन टीम को व्यावहारिक सूझबूझ के साथ सशक्त बनाना और विभिन्न स्रोतों से डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि और विश्लेषण तैयार करना है। यह यूनिट नीति निर्माण, खुफिया जानकारी एकत्र करने और रिपोर्टिंग, ज्ञान बैंक को अपडेट करने, कर चोरी का

पता लगाने, कर अनुपालन सुनिश्चित करने, डेटा विश्लेषण और क्षेत्रीय इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कर मामलों में विभाग को परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है। कर नीति और अनुसंधान इकाई ने विभिन्न जोखिम वाले करदाताओं से संबंधित विवरणों सहित इंटेलिजेंस नोट्स और मासिक/वार्षिक श्रृंखला रिपोर्टें तैयार की हैं। 31 अक्तूबर, 2025 को 49 इंटेलिजेंस नोट्स (लगभग 4,700 करदाता) और 57 श्रृंखला रिपोर्टें (जिसमें 7,359 करदाता शामिल हैं) तैयार की जा चुकी हैं, जिन्हें संबंधित करदाताओं पर जी.एस.टी. कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजा गया है। नीति निर्णय निर्माताओं, संचालन और अनुपालन टीम को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के साथ सशक्त बनाने और विभाग को बी.आई.एफ.ए., बी.ओ. पोर्टल इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध इनपुट के आधार पर डेटा आधारित अंतर्दृष्टि से लैस करने के लिए, कर अनुसंधान इकाई टी.आर.यू. को विभाग ने कर नीति और अनुसंधान इकाई टी.पी.आर.यू. द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अन्सर्ट और यंग एल.एल.पी. को विभाग में कर नीति और अनुसंधान इकाई टी.पी.आर.यू. को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाहकार के रूप में चुना गया है ताकि नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया को बढ़ावा देने, ज्ञान और कौशल स्तर को समृद्ध करने, सभी महत्वपूर्ण कर संबंधी मामलों पर नीति कागजात नियमित रूप से तैयार और अद्यतन करके ज्ञान बैंक का विकास किया जा सके।

2.54 विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण

- विभाग ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को जी.एस.टी. कानून के विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए 12-09-2025 का एन.ए.डी.टी.-आर.सी., लखनऊ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विभाग ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को जी.एस.टी. कानून के विभिन्न विषयों पर जी.एस.टी. कानून के विभिन्न प्रेरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पुनरावलोकन पाठ्यक्रम आदि जैसे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 15-02-2024 को एन.ए.सी.आई.एन., चंडीगढ़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- मई, 2024 के महीने में चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एन.आई.सी. द्वारा जी.एस.टी. प्राइम के लिए एक भौतिक प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा, ए.ई.टी.ओ. और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए जून, 2024 के महीने में एन.आई.सी. द्वारा ई-वे बिल पोर्टल के उपयोग पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था।
- नव.नियुक्त कराधान निरीक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण एनएसीआईएन, फरीदाबाद में आयोजित किया गया। प्रत्येक बैच में 30 कराधान निरीक्षकों के साथ कुल 4 बैचों ने जीएसटी कानून पर 6 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण किया।
- विभाग मॉडल-2 प्रणाली में प्रवास के बाद से समय-समय पर बी.आई.एफ.ए., बी.ओ.-वेब पोर्टल और अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित करता है, जो जी.एस.टी.एन./एन.ए.सी.आई.एन.द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- विभाग एन.ए.सी.आई.एन. के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत "हर बुधवार जी.एस.टी. वार" के तहत अधिकारियों के लिए साप्ताहिक विषय आधारित वेबिनार आयोजित करता है।

हरियाणा राज्य जी.एस.टी. इंटेलिजेंस यूनिट

2.55 बिना बिल के वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति पर अंकुश लगाने और इसी तरह फर्जी चालान के खतरे से निपटने के लिए, विभाग ने दिनांक 22-03-2021 को हरियाणा राज्य जी.एस.टी. इंटेलिजेंस

यूनिट (एच.एस.जी.एस.टी.-आई.यू.) की स्थापना की, जिसमें राज्य के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी शामिल थे। यूनिट को हाल ही में नया रूप दिया गया है और पिछले अधिकारियों को हटाते हुए 11 नए अधिकारियों को शामिल किया गया है। इकाई आबकारी और कराधान आयुक्त के समग्र मार्गदर्शन के तहत अतिरिक्त आयुक्त (आई.यू.) के तत्वावधान में कार्य करती है। एच.एस.जी.एस.टी.-आई.यू. को सौंपें गये कुल 849 मामलों में से मार्च, 2025 तक इकाई द्वारा नकद और इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित 406.63 करोड रूपये की राशि वसूल की जाएगी।

जी.एस.टी. संरचना का युक्तिकरण

2.56 जी.एस.टी. परिषद की 56वीं बैठक की अनुशंसाओं पर चार-स्लैब कर संरचना का युक्तिकरण किया गया। 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत स्लैब हटाकर संरचना को दो स्लैब तक सीमित किया गया। केवल कुछ अवगुण वस्तुएँ जैसे तंबाकू उत्पाद वातित पेय, लग्ज़री कारें आदि पर 40 प्रतिशत तक कर लगाया गया। यह युक्तिकरण 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी हुआ और उपभोक्ताओं पर कर भार में उल्लेखनीय कमी आई। लगभग 315 वस्तुओं पर कर दरें घटाई गईं, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली।

आबकारी नीति में प्रमुख संरचनात्मक सुधार

2.57 प्रदेश में आबकारी नीति में प्रमुख संरचनात्मक सुधार करते हुए आबकारी नीति वर्ष को अब वित्तवर्ष के साथ जोड़ा जायेगा। यह नीति 12 जून, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक यानि 21 महीने व 19 दिन के लिए लागू होगी। जिसके बाद भविष्य की सभी नीतियां अप्रैल से मार्च वित्तवर्ष के अनुसार संचालित होगी। इस नीति के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 14,064 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है व दिनांक 31-10-2025 तक विभाग द्वारा 8,210.64 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित कर लिया है।

- विभाग ने सभी डिस्टिलरी/बॉटलिंग प्लांट और ब्रुअरीज में सी.सी.टी.वी. स्थापित करने की बड़ी पहल की है जो सीधे उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के कार्यालय से जुड़े हुए हैं। सभी डिस्टिलरीज को कवर करने वाला वास्तविक समय रेखा फुटेज 24x7 सक्रिय है।
- उत्पाद शुल्क विभाग ने 01-08-2024 से सभी डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट में और थोक-विक्रेताओ के लिए नियमित आधार पर क्यूआरकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू की है।
- डिस्टिलरीज में फ्लोमीटर की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है जो निर्मित अल्कोहल की वास्तविक मात्रा को मापेगा।

ट्रांजिट स्लिप व्यवस्थाः ट्रांजिट अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शराब ले जाने वाले और हरियाणा राज्य से गुजरने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसे वाहनों को कंसाइनर/कंसाइनी राज्यों के आबकारी विभाग द्वारा जारी अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ट्रांजिट स्लिप ले जाना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था 01-03-2024 से लागू कर दी गई है।

वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वी.एल.टी.डी.)/जी.पी.एसः हरियाणा में मूल या गतव्य (या दोनों) वाली शराब की सभी खेपों के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वी.एल.टी डी)/जी.पी.एस अनिवार्य है।

एक नई उत्पाद शुल्क नीतिः 12 जून, 2025 से राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है इसके अंतर्गत 500 से कम आबादी वाले गांव में कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थानों से 150 मीटर की दूरी पर खुलेंगें शराब के ठेके।

नई उत्पाद शुल्क नीति-2025-27 के अन्तर्गत: गुरूग्राम में अहाता खोलने के लिए लाईसेंस फीस की 4 प्रतिशत, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में 3 प्रतिशत और शेष जिलों में 1 प्रतिशत राशि देनी होगी।

वैट और सी.एस.टी.: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, शुद्ध वैट और सी.एस.टी. संग्रह 11,516.84 करोड़ रुपये था। वर्ष 2025-26 के दौरान, 1 अप्रैल, 2025 से 31 अक्तूबर, 2025 तक एकत्रित शुद्ध वैट कर तथा सी.एस.टी. कर 7,025.40 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान,1 अप्रैल, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 तक एकत्रित शुद्ध वैट कर तथा सी.एस.टी. कर 6,748.78 करोड़ रुपये था। इस वित्तीय वर्ष में अक्तूबर तक पिछले वर्ष की तुलना में संग्रह में कुल 276.62 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.)

2.58 सरकार ने बकाया देय राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना, 2025 शुरू की है, जो 01-04-2025 से शुरू होकर 27-09-2025 को समाप्त हो गई। कुल 1,15,223 डीलरो को इस योजना का लाभ उठाते हुए 1,73,189 बकाया प्रविष्टियों में 1,500.64 करोड़ रूपये की राशि का निपटान किया और कुल 266.95 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई।

कर-भवन का निर्माण

2.59 व्यापारियों व कर-दाताओं की सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपये की लागत से कर-भवन का निर्माण किया गया।

वित्तीय समावेश

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.)

2.60 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लक्षित लाभार्थियों के खातों में बेहतर और समयबद्ध तरीके से लाभ का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में शुरू की गई एक प्रमुख सुधार पहल है। लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करने में चोरी और दोहराव से बचना आवश्यक हो गया था। आधार से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खाते सरकारी डेटाबेस से 'फर्जी/नकली/डी-डुप्लीकेट' लाभार्थियों को हटा दिया गया है क्योंकि बायोमेट्रिक इनपुट अद्वितीय प्रकृति का है। राज्य डी.बी.टी. पोर्टल सितंबर, 2017 से परिचालन में है। वर्तमान में, राज्य में 26 डी.बी.टी. कार्यान्वयन विभागों की 160 सक्रिय डी.बी.टी. योजनाएं हैं। इन 160 सक्रिय योजनाओं में से 61 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सी.एस.एस.) और 99 राज्य योजनाएं हैं। हरियाणा में डी.बी.टी. के कार्यान्वयन के बाद दिनांक 06-01-2026 तक 1, 09,130 करोड़ रूपये (राज्य डी.बी.टी. पोर्टल के अनुसार) की संचयी निधि हस्तांतरित की गयी है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जनवरी, 2026 तक 2.29 करोड़ लाभार्थियों को 9 करोड़ लेनदेन के माध्यम से 11,403 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की गई है। 36.75 लाख 'फर्जी/नकली/डी-डुप्लीकेट' लाभार्थियों को हटाकर प्रति वर्ष वास्तविक बचत 1,182.23 करोड़ रूपये है। हरियाणा राज्य को वित्त वर्ष 2019-20 में 100 में से 88 अंकों के साथ देश में प्रथम स्थान दिया गया है और भारत सरकार से आगे की रैंकिंग की प्रतीक्षा है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

2.61 यह योजना 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई थी। दिसंबर, 2024 तक, राज्य में 1.074 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं और 78.37 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं, जो कि कुल खोले गए खातों का 73 प्रतिशत है जैसा कि **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत खोले गए खाते, आधार सीडिंग और रुपे कार्ड जारी किए गए

विवरण	30-09-2025 तक
खाते खुले	10741222
आधार सीडिंग	9373209
रुपे कार्ड जारी किये गये	7837990

स्रोत: वित्त विभाग हरियाणा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.)

2.62 सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुनर्वित्त एंजेसी (मुद्रा) को 8 अप्रैल, 2015 को बैंकों, एन.बी.एफ.सी. और एम.एफ.आई. आदि जैसे अंतिम मील वित्तीय मध्यस्थों के विकास और पुनर्वित्त के लिए एक नई वित्तीय इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में छोटे सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के व्यवसाय में हैं। उसी दिन ऐसे उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाकर और उन्हें किफायती ऋण प्रदान करके "बिना वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करने" के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। यह महसूस किया गया है कि वर्तमान में औपचारिक ऋण से बाहर रखी गई बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयों तक पहुंचने में भारी कार्य को देखते हुए, मिशन मोड पर बैंक वित्त को विशेष बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस खंड में मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के गैर-कृषि उद्यम शामिल हैं जिनकी ऋण आवश्यकताएं 20 लाख रूपये से कम हैं। मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर, तरूण और तरूण प्लस में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा ऋण की प्रगति **तालिका 2.12** में दी गई है।

तालिका 2.12: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत खातों और वितरित राशि का विवरण

योजना	ऋण सीमा (रूपये)	01-04-25 से 30-09-2025 तक	
		खातों की कुल संख्या	संवितरित राशि (रूपये लाख)
शिशु	50,000 तक	69481	34891
किशोर	50,001–5,00,000	173594	226662
तरूण	5,00,001–10,00,000	22359	152361
तरूण प्लस	10,00,001-20,00,000	482	46116
कुल		**265916**	**460030**

स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

2.63 यह योजना एक साल का कवर है, जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जाता है, दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 2 लाख रूपये का बीमा और दुर्घटना के कारण विकलांगता के लिए विकलांगता कवर की पेशकश करती है। यह योजना 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पी.एस.जी.आई.सी.) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित किया जा रहा है। 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक खाताधारक वर्ष-दर-वर्ष नवीकरणीय 20 रूपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भाग लेने वाले बैंकों में अपना नामांकन करा सकते हैं। दिनांक 30-09-2025 तक, बैंकों ने इस योजना के तहत 1,02,66,138 व्यक्तियों को नामांकित किया।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.)

2.64 यह योजना 1 जून, 2015 से लागू हुई। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमोदन और बैंकों के साथ गठजोड़ के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने की इच्छुक हैं। इस योजना के तहत, 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक खाताधारक 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना का लाभ उठाने के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। योजना के तहत, किसी भी कारण से सदस्य की मृत्यु पर 2 लाख रुपये देय हैं। दिनांक 30-09-2025 तक, बैंकों ने योजना के तहत 39,83,410 व्यक्तियों को नामांकित किया।

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

2.65 कामकाजी गरीबों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के बारे में चिंता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करने, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों का व्याख्यान करना और उन्हें स्वेच्छा से अपने लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने 1 जून, 2015 से अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) शुरू की है। सभी बैंक खाताधारक जो भारत के नागरिक हैं और 18-40 वर्ष की आयु के हैं, ए.पी.वाई. में शामिल हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। ए.पी.वाई. के तहत, ग्राहकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह के बीच है, जो भुगतान किए गए प्रीमियम और ग्राहक द्वारा योजना में प्रवेश की उम्र पर निर्भर करता है। 1,000 रुपये प्रति माह से 5,000 रुपये प्रति माह के बीच एक निश्चित मासिक पेंशन पाने के लिए, यदि ग्राहक 18 वर्ष की आयु में जुड़ता है, तो उसे मासिक आधार पर 42 रुपये से 210 रुपये के बीच योगदान करना होगा। समान निश्चित पेंशन स्तरों के लिए, यदि ग्राहक 40 वर्ष की आयु में शामिल होता है, तो योगदान 291 रुपये से 1,454 रुपये के बीच होगा। दिनांक 30-09-2025 तक, बैंकों ने योजना के तहत 18,19,692 व्यक्तियों को नामांकित किया।

स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एस.जे.एच.आई.एफ.एम.)

2.66 हरियाणा राज्य स्तर पर आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क को अपनाने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान अपनी स्थापना के प्रथम चरण से ही खुले और पारदर्शी आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है जिससे केवल कल्याणकारी व्यय के लिए लेखाकंन की बजाये नागरिक कल्याण सुनिश्चित किया गया।

2.67 स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान राज्य की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मुख्य धारा में लाने और 17 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के आधार पर परिव्यय के साथ-साथ संरचित सैमिनारों/कार्यशालाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमताओं को उन्नत करने में सभी विभागों और हितधारकों की मदद कर रहा है। यह आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क रिपोर्ट, बजट संरेखण रिपोर्ट, राज्य संकेतक रूपरेखा, जिला संकेतक रूपरेखा, एसडीजी हरियाणा सूचकांक, एस.डी.जी. जिला सूचकांक और एसडीजी जिला प्रोफ़ाइल आदि जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

2.68 राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीवनतम संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) द्वारा प्रदान किये

गये आय के सत्यापित डाटा का उपयोग लाभों के वितरण के लिए किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी प्रति परिवार 6,000 रूपये की बीमा राशि से केंद्र सरकार की 5 योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे, जिसका उपयोग उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा स्कीम में नांमाकित होने के उपरान्त विभिन्न योजनाओं के प्रीमीयम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उक्त एस.ओ.पी. के अनुसार राज्य सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, के 12,19,514 लाभार्थियों को 17.82 करोड़ रूपये का प्रीमियम का भुगतान किया है। वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एम.एम.पी.एस.वाई.) के कार्यान्वयन के लिए, एम.एम.पी.एस.वाई. के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, प्रमुख शीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएँ पी-01-06-2075-51-800-88-51-आर-वी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एम.एम.पी.एस.वाई.) से पात्र प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,000 रुपये, दयालू योजना के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए सी.ई.ओ., एच.पी.एस.एन. (दयालु योजना) के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। उपरोक्त प्रस्ताव को दिनांक 28-12-2024 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक मे अनुमोदित किया गया है तथा तदनुसार सी.ई.ओ., एच.पी.एस.एन. के अनुरोध के अनुसार, बजट मद में 350 करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि में से 337.90 करोड़ रुपये (33,79,026 परिवारों को 1,000 प्रति परिवार की दर से) की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि धनराशि उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित की जाए। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दयालु योजना के मुआवजे के भुगतान के लिए सी.ई.ओ., एच.पी.एस.एन. को 261.20 करोड़ रूपये (2.52+258.68=261.20 करोड़ रूपये) की राशि हंस्तातरित की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना (एम.एम.पी.एस.वाई.) के तहत 350 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था। उक्त बजट प्रावधान में से, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 अक्तूबर, 2025 तक दयालु योजना के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए 157.50 करोड़ रूपये की राशि सी.ई.ओ., एच.पी.एस.एन. को हस्तांतरित की गई। उक्त बजट के प्रावधान के तहत उपलब्ध शेष राशि को दयालु योजना के लिए एच.पी.एस.एन. के सी.ई.ओ. को जारी करने का प्रस्ताव है।

आकांक्षी जिला का परिवर्तन कार्यक्रम

2.69 जिला नूंह (मेवात) को नीति आयोग, भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। मार्च, 2018 में जारी बेसलाइन रैंकिंग के अनुसार भारत के इन आंकाक्षी जिलों में हरियाणा नूँह (मेवात) जिला सबसे निचले स्थान पर था। राज्य सरकार ने जिला नूंह की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई पहलें की हैं। परिणामस्वरूप, कुछ मापदंडों में पर्याप्त सुधार हुआ है। नूँह (मेवात) जिले ने जनवरी, 2019 में समग्र रैंक तीसरा और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में पहला रैंक हासिल किया। मार्च, 2022 में नूँह ने समग्र तीसरा रैंक और बुनियादी □ांचें में पहला रैंक हासिल किया। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2022 में जिला नूंह (मेवात) ने जीवन कालान्तर उच्चतम प्रथम ओवरआल रैंक तथा स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जून,

2023 में जिला नूंह (मेवात) ने जीवन कालान्तर उच्चतम द्वितीय ओवरआल रैंक तथा कृषि एवं जल संसाधन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सितम्बर, 2023 में नूँह जिले ने ओवरआल रैंक तृतीय तथा स्वास्थ्य एवं पोषण में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। वर्तमान में, नूंह ने 14 प्रमुख संकेतकों (इंडिकेटर) में उपलब्धि के मामले में राज्य के औसत को पार कर लिया है।

2.70 अंकाक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नूंह (मेवात) जिले के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर, नीति आयोग से धन प्राप्त करने के लिए नूंह जिला पात्र बना। नीति आयोग द्वारा जून, 2025 तक 34 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान की गई है।

2.71 सम्पूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024 तक 6 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में पूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल थी। राज्य सरकार के प्रयास से आकांक्षी जिला नूंह ने माध्यमिक स्तर पर बिजली की सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत व शैक्षणिक सत्र होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों में प्रतिशत जैसे दो संकेतकों में परिपूर्णता हासिल की है। इस दौरान 5 आकांक्षी खण्डों द्वारा मृदा नमूना संग्रह लक्ष्य के विरूद्ध सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत में परिपूर्णता हासिल की है। इन उपलब्धियों के उपलक्ष्य में, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में 1 अगस्त, 2025 को हरियाणा निवास, चण्डीगढ़ में "संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह" का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्तों, ब्लॉक अधिकारियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को "संपूर्णता अभियान 2024" के दौरान उपरोक्त संकेतकों में परिपूर्णता हासिल करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

***

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

मजबूत बुनियादी सुविधाओं कृषि अनुसंधान तथा बेहतरीन कृषि के तरीकों सम्बन्धी जानकारियों का किसानों में उत्कृष्ट प्रसारण होने से कृषि पैदावार में ठोस परिणाम मिले तथा जिससे राज्य एक खाद्य अधिशेष राज्य बन गया है। राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में एक लैंड लाक राज्य है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसम्बर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 3.1 (क तथा ख)** में दिया गया है।

तालिका 3.1(क): जनवरी, 2025 से जून, 2025 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला-वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	14.3	28.3	13.1	35.2	17.7	27.7	3.3	15.2	55.0	29.0	151.6	117.9
भिवानी	7.7	10.7	1.3	12.6	5.0	10.8	4.3	7.6	15.2	19.8	45.8	40.2
चरखी दादरी	7.3	14.4	0.0	16.7	11.3	11.5	7.0	6.9	82.7	22.9	51.0	52.1
फरीदाबाद	14.0	13.0	3.0	14.9	5.1	14.3	0.9	11.6	46.6	22.6	23.4	46.1
फतेहाबाद	7.6	13.7	5.4	11.9	8.4	11.7	6.4	8.5	44.1	16.3	47.5	37.6
गुरूग्राम	11.9	10.8	5.9	15.0	4.7	10.3	2.9	7.8	98.77	22.4	51.8	47.1
हिसार	4.3	9.0	2.9	13.7	6.1	11.4	10.3	10.0	32.4	21.3	56.7	43.4
झज्जर	8.3	9.5	0.0	12.9	2.3	10.9	1.8	7.2	89.4	16.6	37.3	36.7
जींद	3.3	15.6	7.6	22.1	6.4	16.8	14.9	8.0	64.4	19.8	34.7	56.6
कैथल	2.1	16.2	12.4	19.2	7.7	17.3	4.0	8.6	75.9	15.1	32.9	54.5
करनाल	3.7	24.2	11.3	25.01	6.8	18.6	3.8	10.0	72.1	21.1	85.2	79.5
कुरूक्षेत्र	18.5	18.7	17.7	18.6	13.7	17.4	2.3	9.9	96.5	14.9	214.2	61.7
महेन्द्रगढ़	10.4	10.9	4.1	12.5	8.5	9.9	11.0	6.4	39.4	23.1	127.3	58.2
नूंह (मेवात)	16.3	8.8	3.0	11.0	20.7	10.6	2.3	6.2	74.7	17.0	97.0	49.1
पलवल	9.2	8.6	2.0	10.1	21.0	11.0	5.0	13.1	37.0	13.6	33.2	33.2
पंचकूला	14.0	32.9	14.8	34.9	4.4	28.4	4.2	10.7	52.4	24.5	78.1	106.8
पानीपत	6.8	17.8	10.6	20.0	15.6	17.7	13.0	3.6	126.4	14.7	35.6	58.3
रेवाड़ी	9.9	8.7	3.0	12.7	13.9	12.0	3.2	10.7	37.2	22.8	69.8	50.3
रोहतक	7.0	14.2	3.6	16.2	4.0	16.6	9.6	11.2	82.8	25.5	52.2	54.6
सिरसा	18.9	8.7	6.8	12.9	4.8	12.5	2.0	6.9	26.8	14.6	60.6	36.1
सोनीपत	6.8	17.4	7.0	20.4	6.8	19.3	11.8	12.4	52.2	27.8	41.5	57.0
यमुनानगर	11.9	34.1	9.3	39.2	15.6	33.0	7.3	17.6	70.9	29.0	257.3	125.2

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्त्रोतः कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.1(ख): जुलाई, 2025 से नवम्बर, 2025 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला-वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	117.7	293.0	213.0	268.2	208.1	141.6	44.1	15.4	0.3	6.2
भिवानी	128.0	106.1	83.2	98.6	94.2	47.6	12.0	7.6	0.0	2.6
चरखी दादरी	322.3	140.1	143.3	145.9	94.0	62.0	28.3	10.1	0.0	4.2
फरीदाबाद	192.8	188.2	308.9	210.4	103.1	114.4	52.1	13.1	0.0	4.8
फतेहाबाद	215.4	135.6	124.8	155.1	105.4	75.7	39.0	9.0	0.0	2.6
गुरूग्राम	95.5	90.5	364.7	84.9	83.4	49.5	29.3	7.1	7.6	3.2
हिसार	244.0	175.4	277.2	185.0	146.6	81.7	37.3	8.7	0.0	5.2
झज्जर	317.7	151.8	646.8	186.4	89.5	90.6	28.2	10.7	0.0	2.6
जींद	121.8	106.5	161.9	95.3	108.8	54.7	21.4	8.2	0.4	3.0
कैथल	265.4	137.2	208.2	137.1	131.7	69.8	63.8	5.9	0.0	2.7
करनाल	89.5	133.0	140.2	123.4	87.0	81.5	19.7	9.1	1.0	4.4
कुरूक्षेत्र	88.2	125.3	151.4	122.8	119.7	62.7	22.6	7.4	0.1	3.9
महेन्द्रगढ़	104.1	183.1	170.1	162.2	98.6	97.1	7.7	10.3	0.0	4.2
नूंह (मेवात)	161.5	138.5	242.5	137.7	236.7	76.0	31.3	10.2	0.3	3.8
पलवल	391.9	143.5	209.0	137.2	92.2	55.9	51.6	11.1	0.0	3.1
पंचकूला	112.8	299.4	298.0	303.2	341.4	152.2	62.0	12.0	0.0	7.9
पानीपत	176.4	147.4	275.6	158.2	168.8	91.9	10.4	8.5	0.0	3.9
रेवाड़ी	193.7	148.2	153.8	157.8	83.4	75.6	32.6	9.2	0.0	2.5
रोहतक	279.4	163.2	200.4	175.3	103.4	73.0	41.4	10.2	0.0	4.3
सिरसा	92.0	87.3	94.4	55.1	55.0	33.8	17.8	5.3	2.6	3.2
सोनीपत	148.7	163.8	266.0	162.5	153.0	95.9	15.2	12.1	0.0	4.2
यमुनानगर	192.1	323.0	396.1	308.2	195.4	140.1	28.7	17.1	0.0	5.1

वाः वास्तविक, साः सामान्य

स्त्रोतः कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्र **तालिका 3.2 व आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966-67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र 66.83 लाख हैक्टयेर था। वर्ष 2024-25 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, कुल बोये गये क्षेत्र का 65.91 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में गेहूं का रकबा 25.68 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2024-25 के दौरान चावल का रकबा 18.37 लाख हैक्टेयर था। वाणिज्यिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अंतर्गत क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव का रूझान है।

तालिका 3.2: मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास (000 गांठे)	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966-67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970-71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980-81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990-91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000-01	2355	1054	4340	143	555	420	6115
2005-06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2010-11	2504	1243	4702	85	493	521	6499
2020-21	2564	1526	4811	100	720	642	6566
2021-22	2311	1533	4506	107	632	919	6566
2022-23	2377	1661	4671	108	585	912	6565
2023-24	2509	1778	4893	88	578	768	6570
2024-25	2568	1837	5083	72	398	706	6683*

*अनन्तिम स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

आकृति 3.2 : हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

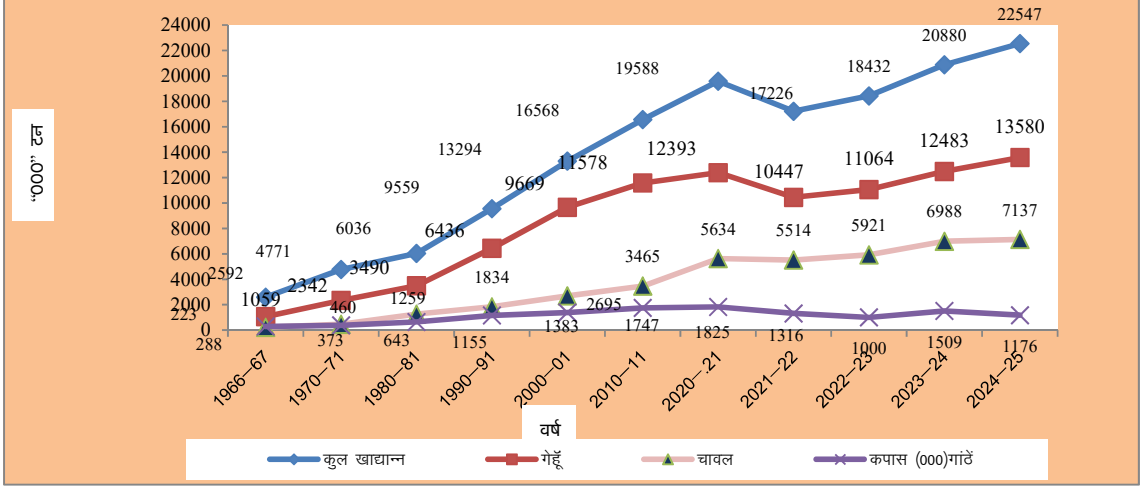

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन **तालिका 3.3 व आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966-67 के दौरान 25.92 लाख टन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2024-25 में 225.47 लाख टन के प्रभावशाली स्तर पर पहुँच चुका है, जोकि आठ गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इस कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2024-25 में 71.37 लाख टन था। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में गेहूं का उत्पादन 135.80 लाख टन था। वर्ष 2024-25 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 15.39 लाख टन तथा 58.30 लाख टन था। वर्ष 2024-25 में कपास का उत्पादन 11.76 लाख गांठ था। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से हो रहा है।

तालिका 3.3: मुख्य फसलों का उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास (000 गांठे प्रत्येक 170 किलोग्राम)	तिलहन
1966-67	1059	223	2592	5100	288	92
1970-71	2342	460	4771	7070	373	99
1980-81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990-91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000-01	9669	2695	13294	8170	1383	571
2005-06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010-11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2020-21	12394	5634	19588	8588	1825	1261
2021-22	10475	5527	17303	8751	1310	1739
2022-23	11064	5922	18535	8914	1021	1570
2023-24	12483	6988	20880	7203	1509	1394
2024-25	13580	7137	22547	5830	1176	1539

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

आकृति 3.2 : हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

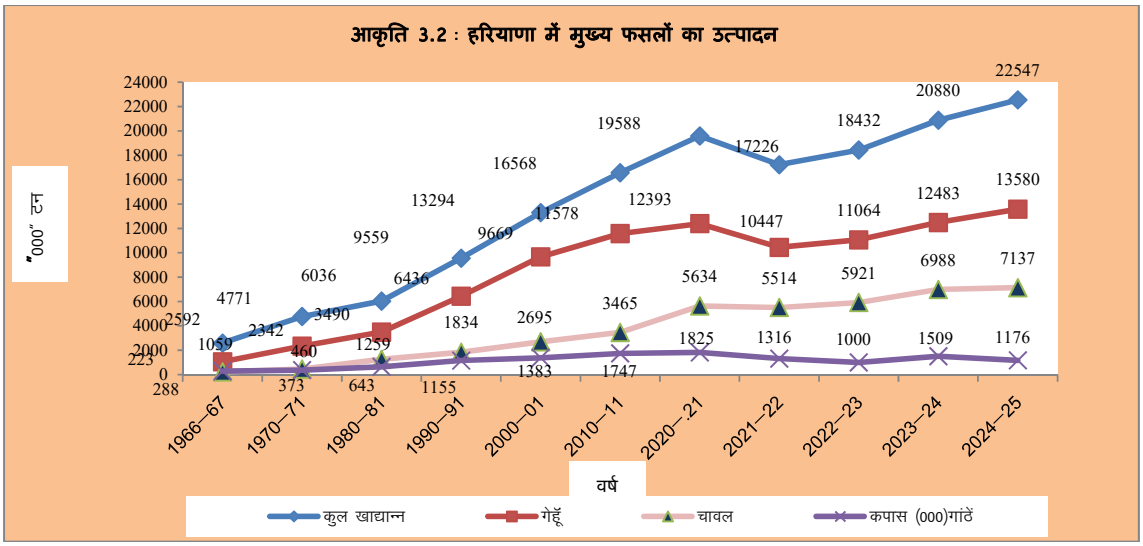

मुख्य फसलों की उपज

3.5 वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 5,287.56 व 3,885.08 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2025-26 में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 5,350 तथा 4,031 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है। **(तालिका 3.4)**

तालिका 3.4: हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000-01	4106	2557	2708	1901
2005-06	3844	3051	2619	2102
2010-11	4624	2788	2988	2239
2016-17	4842	3214	3200	2494
2017-18	4847	3432	3368	2576
2018-19	4924	3118	3533	2638
2020-21	4834	3692	3521	2717
2021-22	4533	3605	3537	2798
2022-23	4655	3564	3521	2838
2023-24	4975	3931	3559	2882
2024-25	5288	3885	3595*	2929*

*अनन्तिम

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2024-25 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 3.5** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.5: वर्ष 2025-26 में मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	औसत उपज (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)
चावल	1397	5631	4031
ज्वार	35	20	571
मक्की	30	108	3600
बाजरा	553	1500	2712
खरीफ दालें	68	73	1073
कुल खरीफ खाद्यान्न	**2083**	**7332**	**3519**
गेहूं	2550	13642	5350
चना	35	63	1800
जौ	20	72	3600
रबी दालें	10	13	1300
कुल रबी खाद्यान्न	**2615**	**13790**	**5273**
कुल खाद्यान्न रबी व खरीफ	**4698**	**21122**	**4496**
गन्ना	127.5	10248	80376
कपास (गांठे)*	559	1775	539
खरीफ तेल बीज	35	25	714
रबी तेल बीज	750	1650	2200
सूरजमुखी	25	52	2100

*कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्रा.।

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

फसल विविधिकरण और जल संरक्षण

3.7 मेरा पानी मेरी विरासत (एम.पी.एम.वी.)- हरियाणा सरकार ने, खरीफ-2020 के दौरान धान की फसल (पानी की खपत वाली फसल) में मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों जैसे वैकल्पिक कम पानी की खपत वाली फसलों द्वारा विविधता लाने के लिए "मेरा पानी मेरी विरासत" की एक अनूठी पहल शुरू की थी। एम.पी.एम.वी. के तहत, उन किसानों को 7,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, जिन्होंने अपनी धान की फसल को वैकल्पिक फसलों के साथ बदल दिया है। खरीफ-2021 में इस योजना को अतिरिक्त वैकल्पिक फसलों जैसे खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली), खरीफ प्याज, खरीफ दलहन (मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन), चारा फसलों के साथ और मजबूत किया गया। खरीफ-2021 में, इस योजना में नई पहल सम्मिलित करते हुए परती भूमि को शामिल किया गया। खरीफ-2021 (खेत खाली फिर भी खुशहाली) में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए धान के स्थान पर अपनी भूमि परती रखने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि की अनुमति दी गई। खरीफ-2021 के दौरान बाजरा की फसल को वैकल्पिक फसलों के दायरे से हटा दिया गया।

- इसलिए, धान की फसल को कम पानी की खपत वाली वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, खरीफ दालें (अरहर, मूंग,मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन), खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली), चारा फसलें, खरीफ प्याज, बागवानी/सब्जियां, कृषि-वानिकी (पॉपलर और यूकेलिप्टस) और यहां तक कि परती भूमि के मामले में भी विविधता लाने के लिए खरीफ 2022, 2023 और 2024 में योजना को और मजबूत किया गया।
- खरीफ 2025 कृषि सीजन के लिए प्रोत्साहन योजना वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। यह कार्यक्रम किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान करता है, जिसके तहत प्रति एकड़ 8,000 रूपये का प्रोत्साहन दिया जाता है। इस पहल का समग्र लक्ष्य 1,00,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करना और अनुमानित 13,500 किसानों या लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार, कुल कवर किया गया क्षेत्र या स्वीकृत आवेदन 19,670.1 एकड़ है। योजना का एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक 15.74 करोड़ रूपये का वर्तमान उपलब्धि मूल्य दर्शाता है। कार्यान्वयन जारी है और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी परिचालन पहलुओं पर काम चल रहा है।

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना

3.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) हरियाणा राज्य में खरीफ-2016 से भारत सरकार के द्वारा जारी परिचालन दिशा निर्देश के अनुसार लागू की जा रही है। योजना के अन्तर्गत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग को शामिल किया जा रहा है और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को शामिल किया जा रहा है। योजना के तहत किसान का प्रीमियम रबी के लिए 1.50 प्रतिशत, खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास के लिए 5 प्रतिशत होगा।

1. स्थानीय आपदाएं

- नुकसान का कारण-जलभराव (धान को छोड़कर), ओलावृष्टि व बादल फटना।
- नुकसान का आंकलन- व्यक्तिगत खेत स्तर पर संयुक्त समिति द्वारा जिसमें खण्ड कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी का हानि निर्धारक व सम्बन्धित किसान होता है।

2. खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक)

- नुकसान का कारण-सूखा, सूखे का मौसम, बाढ़, जलभराव, व्यापक कीट और बीमारी का हमला व तूफान/ओलावृष्टि।
- नुकसान का आंकलन- नुकसान का आंकलन ग्राम स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर।
- फसल कटाई का नुकसान- नुकसान का कारण- ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा और बेमौसमी वर्षा।
- नुकसान का आंकलन- व्यक्तिगत खेत स्तर पर संयुक्त समिति द्वारा खण्ड कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी का हानि निर्धारक व सम्बन्धित किसान। योजना की प्रगति रिपोर्ट **तालिका 3.6** में दी गई है।

तालिका 3.6: प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत फसली सीजनवार प्रगति

(रूपये लाख में)

सीजन	कुल कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसानों की संख्या	एकत्रित प्रीमियम			कुल प्रीमियम	दावा राशि
			किसान का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	केन्द्र सरकार का हिस्सा		
खरीफ-2016	738795	150881	12735.62	8332.42	4616.37	25684.41	23423.05
रबी-2016-17	597298	62606	6994.67	1892.81	1892.81	10780.29	5702.64
खरीफ-2017	632421	242699	12486.67	11435.52	6181.93	30104.12	80499.83
रबी-2017-18	691246	77433	8125.69	3378.75	3378.75	14883.19	8624.74
खरीफ-2018	722953	319454	13908.26	26084.95	18099.61	58092.82	80448.59
रबी-2018-19	774947	90284	10236.94	8526.07	8526.07	27289.08	14277.33
खरीफ-2019	820585	247547	16743.15	39950.81	28969.97	85663.92	59076.10
रबी-2019-20	890453	313145	10162.66	13156.28	13156.28	36475.22	34576.09
खरीफ-2020	887258	354807	26470.96	34953.33	34943.48	96367.77	110981.78
रबी-2020-21	757035	117844	7985.13	13213.25	13202.40	34400.79	15784.25
खरीफ-2021	746606	423450	24249.03	31925.04	31925.00	88099.07	140007.72
रबी-2021-22	733674	220735	7606.53	13639.77	13632.14	34878.44	25372.68
खरीफ-2022	817430	331538	26929.63	34571.89	34570.84	96072.36	201108.00
रबी-2022-23	702253	185323	7673.55	13697.4	13691.7	35062.65	51483.00
खरीफ-2023	249817	74831	14008.35	22433.72	22433.72	58875.8	24186.00
रबी-2023-24	231209	41559	3003.09	4505.261	4505.261	12013.61	4202.00
खरीफ-2024	373740	78576	22389.78	33469.87	33469.87	89329.52	28963.00
रबी-2024-25	354556	20902	5731.35	5478.69	5478.69	16688.73	4622.00
खरीफ-2025	357044	-	20307.72	30468.14	30468.14	81244.00	-
कुल	**12079320**	**3353614**	**257748.8**	**351114**	**323143**	**932005.8**	**913339.5**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19-02-2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में पोषक तत्वों की कमी के समाधान के उद्देश्य से और मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में दो वर्षों के काल चक्र में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने है। यह योजना राज्य में अप्रैल, 2015 से शुरू की गई थी। इस योजना के तृतीय चरण के तहत वर्ष 2019-20 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहां राज्य के ब्लॉकों के चयनित गांवों से भूमि जोत के अनुसार 25,605 मिट्टी के

नमूने एकत्र किए गए और किसानों को 25,605 एस.एच.सी. जारी किए गए। वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार से 6 लाख मृदा नमूनों के संग्रह एवं परीक्षण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसे पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा 6 लाख मृदा नमूनों के एकत्रीकरण का परीक्षण कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सभी 6 लाख नमूने एकत्रित कर लिए गए हैं तथा इनमें से 4.25 लाख मृदा नमूनों के विश्लेषण उपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड वट्सएप के माध्यम से किसानों को वितरित किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

3.10 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात पर आधारित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य है:

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आवश्यक कटाई-पूर्व और कटाई-पश्चात की व्यवस्था के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूत करना, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने में मदद मिले।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों से स्थानीय और किसानों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संसाधनों और अंतराल को भरना।
- उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट समस्याओं को कम करने के लिए समय-समय पर जरूरतों के अनुसार विशिष्ट पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों को बढ़ावा देना। वर्ष 2025-26 के लिए पीएम.आरकेवीवाई सामान्य के डीपीआर अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा 80 करोड़ रुपये और आरकेवीवाई एससीएसपी हेतु 15 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने 106.43 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए पीएम-आरकेवीवाई के डीपीआर घटक के अंतर्गत 114.67 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत सरकार से 53.22 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, जिसके लिए 27-11-2025 तक 9.62 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है और शेष राशि का आवंटन प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

3.11 भारत सरकार ने रबी 2007-08 से राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत दो फसलों गेहूँ और दालों को शामिल किया गया है। उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है, जो अधिक संभाव्यता लेकिन कम उत्पादक वाले हैं। राज्य के सात जिलों अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, रोहतक और झज्जर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ के तहत कवर किया गया है। वर्ष 2010-11 से सभी जिलों को एन.एफ.एस.एम.-दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3.12 भारत सरकार ने पहले से चल रही योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज व ओ.एस. तथा ओ.पी. नाम की दो योजनाओं को शामिल किया। भारत सरकार ने दो नये जिलों पंचकूला व सिरसा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा

अनाज में शामिल किया है तथा दो जिलों नारनौल व रिवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज योजना से बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में 9 जिलों भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, रिवाड़ी तथा रोहतक को शामिल किया गया है।

3.13 भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 में इस योजना का नाम बदल कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (एफ.एन.एस.) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और पाम ऑयल) का नाम बदल कर राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन कर दिया है। योजना के विभिन्न घटक एफ.एन.एस.-गेहूं दलहन, पोषक अनाज, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें (गन्ना और कपास) और एन.एम.ई.ओ.-तिलहन है। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (एफ.एन.एस.) के लिए 4,790.74 लाख रुपये तथा एस.एल.एस.सी. द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के लिए 2,416.67 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

जल भराव और लवणीय भूमि सुधार घोषणा

3.14 हरियाणा राज्य में देश का केवल 1.3 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र है, लेकिन यह राष्ट्रीय खाद्य टोकरी में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। देश की खाद्य सुरक्षा में मुख्य योगदानकर्ता होने के बावजूद, राज्य का 7 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र (6,82,708 एकड़) सेमग्रस्त और लवणता की दोहरी समस्याओं से ग्रस्त है। इन सेमग्रस्त और लवणीय मिट्टी के सुधार का कार्य वर्ष 1996 में शुरू किया गया था। लेकिन, पिछले 24 वर्षों में सतह और वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक के माध्यम से 100.00 करोड़ रूपये के व्यय के साथ राज्य की केवल 28,100 एकड़ भूमि का सुधार किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने सेमग्रस्त और लवणीय भूमि को सुधार करने की घोषणा की थी, जिसे 2021-22 से लागू कर दिया गया था। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान 1,54,985 एकड़ जमीन का सुधार किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,00,000 एकड़ सेमग्रस्त और लवणीय भूमि को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके दृष्टिगत 1,00,000 एकड़ भूमि सुधार के लिए सर्वेक्षण और योजना का कार्य पूरा हो चुका है। सेम एवं लवणीय भूमि के सुधार हेतु 51,585 एकड़ भूमि का सुधार कार्य चल रहा है तथा 24,372 एकड़ भूमि के सुधार हेतु टैंडर प्रक्रिया में है।

प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना

3.15 वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 01-12-2018 से प्रभावी) के दौरान भारत सरकार ने पूरे देश में "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान)" योजना शुरू की। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रूपये प्रति चार माह में एक बार किस्त के आधार पर प्रदान की जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को जारी की जाती है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक भारत सरकार के वेब पोर्टल पर हरियाणा राज्य में 20,17,793 किसानों का पोर्टल द्वारा सत्यापन किया गया है। दिनांक 08-12-2025 तक किसान लाभार्थियों को 21 किश्तें जारी की जा चुकी है।

मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.)

3.16 मेरी फसल मेरा ब्योरा, राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें किसान एम.एस.पी. पर अपनी फसलों को बेचने और कृषि और अन्य सम्बंधित विभागों के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, जो सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकमात्र सिंगल विंडो मंच है। खरीफ-2025 में लगभग 12.80 लाख किसानों ने एम.एफ. एम.बी. पोर्टल पर 73.48 लाख एकड़ से अधिक भूमि का पंजीकरण कराया है तथा रबी-

2025 तक लगभग 9.72 लाख किसानों ने एम.एफ.एम.बी पोर्टल पर 65.56 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण कराया है।

हरियाणा राज्य में **इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम** को **मेरी फसल–मेरा ब्यौरा** पोर्टल के साथ दिनांक 08-10-2025 को एकीकृत करने से उर्वरकों का वितरण अधिक पारदर्शी, किसान-केंद्रित एवं तकनीक-आधारित हो गया है। किसान, भूमि एवं फसल के सत्यापित डाटा से उर्वरक बिक्री को जोड़ने के कारण सब्सिडी वाले उर्वरकों की डायवर्जन, अनावश्यक खपत एवं गैर-कृषि उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

मात्रात्मक प्रभाव एवं बचत (दिनांक 08-10-2025 से 08-01-2026 तक):

यूरिया की खपत में कमी: दिनांक 08-10-2025 से 08-01-2026 की अवधि के दौरान 97,271 मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है, जो कि 10.12 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाती है, जिससे भारत सरकार को लगभग 400.86 करोड़ की सब्सिडी बचत हुई है।

डी.ए.पी. की खपत में कमी: उक्त अवधि के दौरान 26,505 मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है, जो कि 11.58 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 79 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचत हुई और दूसरे प्रोडक्ट यानी एन.पी.के., एस.एस.पी. और टी.एस.पी. से लगभग 116.73 रुपये करोड़ की बचत हुई है।

कुल अनुमानित सब्सिडी बचत: इस प्रकार, दिनांक 08-10-2025 से 08-01-2026 के दौरान भारत सरकार को कुल मिलाकर लगभग 596.59 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचत प्राप्त हुई है।

वित्तीय बचत के साथ-साथ इस एकीकरण से वास्तविक किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, निगरानी एवं प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ हुआ है, खपत कम हुई है तथा यह पहल उर्वरक सब्सिडी के युक्तिकरण हेतु एक प्रभावी एवं अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभरी है।

फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.)

3.17 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजना "पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण का प्रचार" के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों के लिए मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो कि मंहगी और परिष्कृत मशीनों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान की जाती हैं। 2018-19 से 2025-26 तक कुल 1,10,701 मशीनें (6,794 सी.एच.सी. के तहत 31,510 मशीनरी 79,191 व्यक्तिगत) सब्सिडी पर प्रदान की गई हैं। योजना के तहत, विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए धन प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 125 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान किसानों द्वारा कुल 7,919 मशीनें खरीदी गई हैं।

धान की सीधी बुआई

3.18 धान की सीधी बुआई (डी.एस.आर.), पानी और मिट्टी के संसाधनों की बचत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन संरक्षण तकनीक है। राज्य में डी.एस.आर. तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए डी.एस.आर. तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भूजल संरक्षण के लिए 12 जिलों फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद और सोनीपत के लिए डीएसआर के तहत

4,00,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। खरीफ 2024 के लिए, 3.02 लाख एकड़ के मुकाबले 1.56 लाख एकड़ भूमि का सत्यापन किया गया और 17,931 किसानों के खातों में 40.22 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए गए। धान की सीधी बुवाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, राज्य सरकार ने खरीफ 2025 के लिए वित्तीय सहायता को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। खरीफ 2025 के लिए 4 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके मुकाबले 1.74 लाख एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया जा चुका है।

प्राकृतिक खेती

3.19 राज्य सरकार 2022-23 से राज्य योजना स्कीम ''सतत कृषि रणनीतिक पहलों को बढ़ावा देने और किसान कल्याण कोष'' के तहत प्राकृतिक खेती को लागू कर रही है। इसका उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देना, मिट्टी, पर्यावरण और जलीय प्रदूषण में कमी लाना और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कृषक समुदाय में जागरूकता पैदा करना है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जो देसी गाय की खरीद पर 30,000 रूपये, प्लास्टिक ड्रम (कच्चा माल तैयार करने) के लिए 3,000 रूपये और प्रति किसान प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पाद की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए 20,000 रूपये का प्रोत्साहन प्रदान करता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए इस स्कीम के तहत 30 करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया है।

कपास की खेती को बढ़ावा देना

3.20 योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ कपास फसल का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। कपास राज्य की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नकदी फसलों में से एक है। यह योजना राज्य के अन्तर्गत सभी कपास उत्पादक जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जीन्द, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाडी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुरूग्राम और कैथल में कपास फसल की विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियाँ लागू की जाएगी। योजना के तहत खरीफ सीजन के दौरान डी.बी.टी. के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की गई है (देसी कपास पर सहायता, कीट प्रबन्धन एकीकृत विधि, सूक्ष्म पोषक तत्व को बढ़ावा देना, बीटी. कपास हाईब्रिड का मूल्यांकन, किसानों का प्रशिक्षिण, कपास दिवस, किसान मेला, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का टैंक एवं विस्तार अधिकारियों का प्रशिक्षिण इत्यादि)। वर्ष 2025-26 के लिए 3,000 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एस.)

3.21 भारत में गन्ना वाणिज्यिक रूप से दो जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है, अर्थात् उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना उगाने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। लंबी फसल वृद्धि अवधि के कारण देश में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर उच्च बना हुआ है। गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना लागू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- राज्य में गन्ने के क्षेत्र, उत्पादकता, उत्पादन में वांछित वृद्धि प्राप्त करना एवं राज्य में गन्ने का सुधार।
- गन्ना उत्पादकों की आय और गन्ना की स्थिरता में वृद्धि करना।
- सूचना और सामग्री के सहयोगात्मक आदान-प्रदान के लिए चीनी मिलों, अनुसंधान केंद्रों और अन्य संगठनों के साथ संबंध विकसित करना।
- गन्ना उत्पादकों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।

- गन्ना बिजाई के अन्य तरीकों को बढ़ावा देना।
- गन्ने की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
- गन्ने की किस्मों का प्रजाति संतुलन बनाए रखना।
- गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को सब्सिडी प्रदान करना।
- उच्च उपज और उच्च चीनी रिकवरी वाली किस्मों और गन्ने की फसलों की कृषि विज्ञान प्रथाओं के अन्य तकनीकी ज्ञान को लोकप्रिय बनाना।

सभी श्रेणी के किसानों को प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण निम्न प्रकार से हैः

- किसान गोष्ठी का आयोजन 15,000 रूपये प्रति गोष्ठी (50 गोष्ठी)।
- किसान वैज्ञानिक संवाद 20,000 रूपये प्रति गोष्ठी (20 गोष्ठी)।
- सोशल मीडिया/आई.ई.सी. गतिविधियों, मुद्रित पत्रकों आदि और स्थानीय विज्ञापनों के माध्यम से सूचना प्रसार 4 लाख रूपये प्रति जिला (15)।
- खेती की व्यापक पंक्ति अंतराल विधि को बढ़ावा 3,000 रूपये प्रति एकड़ (7,000 एकड़)।
- बुवाई की सिंगल बड विधि 3,000 रूपये प्रति एकड़ (1,000 एकड़)।
- बीज नर्सरी सहायता 5,000 रूपये प्रति एकड़ (6,000 एकड़)।
- टिशू कल्चर पौध के लिए 8 रूपये प्रति पौधा (1.5 लाख पौधे)।
- गन्ना किस्म सी.ओ.-15023 का रोपण 5,000 रूपये प्रति एकड़ (10,000 एकड़)।
- किसान जो गन्ना किस्म सी.ओ.-15023 को बीज के रूप में बेचने पर 5,000 रूपये प्रति एकड़ (1,000 एकड़)।
- किसानों का इन्टर स्टेट एक्सपोजर विजिट जोकि अधिकतम 10 दिन का होगा, जिसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा 1,000 रूपये प्रति किसान (10 एक्सपोजर विज़िट)।
- चीनी मिलों को डेमो के लिए शुगरकेन हारवेस्टर 50 प्रतिशत सब्सिडी पर या (50 लाख रूपये प्रति यूनिट, जो भी कम हो) देना होगा (7 शुगरकेन हारवेस्टर)।
- किसानों/सी.एच.सी. को मिनी शुगरकेन हारवेस्टर 50 प्रतिशत सब्सिडी पर या (1 लाख रूपये प्रति यूनिट, जो भी कम हो) देना होगा (30 मिनी शुगरकेन हारवेस्टर)।
- गन्ना उत्पादकों को राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी.) और उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

3.22 सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। फसलों को बाढ, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान और कीट हमलों के प्रकोप आदि से होने वाले नुकसान के मुआवजे का दायरा भी बढाया गया है।

आपातकालीन राहत

3.23 राज्य में आगजनी से फसल रबी 2025 में हुए नुकसान हेतु e-khastipurti portal पर दर्ज खराबे अनुसार पात्र लाभार्थी किसानों हेतु 43.48 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में भारी वर्षा/ओला वृष्टि से फसल रबी 2025 में हुये नुकसान हेतु 52.14 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2025 में भारी वर्षा जलभराव के कारण मकानों/पशुओं/घरेलू सामान की हानि के लिए पात्र लाभार्थियों को 4.72 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2025 में

खरीफ फसल में भारी वर्षा आपात कालीन राहत जलभराव के कारण हुए नुकसान हेतू सरकार द्वारा दिनांक 10-12-2025 को 116.16 करोड रूपये मुआवजा राशि भी स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन राहत

3.24 सरकार द्वारा कोविड-19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रूपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है तदानुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में 760 लाभार्थियों को 3.80 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 80 लाभार्थियों को 40 लाख रूपये का वितरण किया गया है।

चकबन्दी

3.25 हरियाणा राज्य में चकबन्दी कार्य पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा विखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया जाता है। विभाग का मुख्य उद्धेश्य बे-तरतीब बिखरे पड़े छोटे-2 भूखण्डों को एकत्रित करके बड़े और उचित आकार देना है, ताकि किसानों के प्लाटों की संख्या कम हो सके। समेकित बडे□प्लाट आर्थिक दृष्टि से भी उचित होते हैं, जिनका प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जा सकता है और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायता मिलती है। 104 गांवों में बीघे-बिस्वे को कनाल-मरलों में परिवर्तित करने का कार्य हरसक व एन.आई.सी. के तालमेल से शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष बचे 6,982 गांव, जिनका क्षेत्रफल 1,06,97,381 एकड़ है, चकबन्दी के लिये योग्य हैं। 6,928 गांवों, जिनका क्षेत्रफल 1,05,46,882 एकड़ है अर्थात 98 प्रतिशत का चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में शेष बचे 55 गांवों में चकबन्दी कार्य पूर्ण किया जाएगा। बीघा/बिस्वा माप प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली में बदलने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 22.56 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

शिवालिक विकास एजैन्सी, अम्बाला

3.26 शिवालिक विकास एजैन्सी के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र के विकास को मध्यनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना दिनांक 24-03-1993 को की गई। इस बोर्ड के विकास कार्यो/परियोजनाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय द्वारा लागू व स्थापित करने तथा शिवालिक क्षेत्र के समग्र विकास हेतू शिवालिक विकास एजैन्सी, अम्बाला एक कार्यकारी शाखा है। शिवालिक विकास एजैन्सी, शिवालिक विकास बोर्ड की देखरेख में विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं। यह एजैन्सी प्रत्येक वर्ष शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनाती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर इस एजैन्सी का ध्यान केंद्रित हैं जैसे कि जल संचयन, मिट्टी संरक्षण के उपायो, वनीकरण, जल आपूर्ति में सुधार, पशुपालन, स्वास्थ्य देखभाल आदि विभिन्न विकास कार्यो के माध्यम से वाटरशेड प्रबंधन करना। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में कार्यो और परियोजनाओं को लागू किया जा रहा हैं। 2025-26 के अंतर्गत सरकार द्वारा 1,600 लाख रूपये का बजट (जिसमें 1300 लाख रूपये सामान्य घटक के लिए तथा 300 लाख रूपये एस.सी.एस.पी. घटक के लिए) स्वीकृत किया गया है। शहरी आबादी के लिए 25 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी के लिए 75 प्रतिशत प्रयोगात्मक रूप से तय किया गया है।

मेवात विकास बोर्ड (नूहँ)

3.27 मेवात विकास बोर्ड का गठन क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया। मेवात विकास बोर्ड का उद्देश्य क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को तेज करना व क्षेत्र के लिए विशेष रूप से

तैयार की गई लाभप्रद विकासात्मक गतिविधियों को लागू करना है। मेवात विकास बोर्ड की गतिविधियाँ का केन्द्र बहु सांस्कृतिक रहा है। क्षेत्र के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए मेवात विकास बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य, टीकारण और पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, छात्रवृत्ति और कोचिंग, वर्षा जल संचयन/नवीकरणीय उर्जा विकास आदि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए चल रही गतिविधियों के तहत राशि खर्च की है। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मेवात विकास बोर्ड, नूंह को 1,950 लाख रुपये (सामान्य के लिए 1,800 लाख रुपये और एस.सी.एस.पी. के लिए 150 लाख रुपये) का बजट स्वीकृत किया गया है।

ए.आर.आई.सी. शाखा

3.28 हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित तहसीलों को नई उपमण्डल के रूप में उन्नत किया गया हैः- मानेसर जिला गुरूग्राम, जुलाना (जिला जीन्द), नीलोखेडी (जिला करनाल), नांगल चैधरी (जिला महेन्द्रगढ), इसराना (जिला पानीपत), छछरौली (जिला यमुनानगर) इसके अतिरिक्त, हांसी को नया जिला घोषित किया गया है। यह निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 19-12-2025 को लिया गया।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन

3.29 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राजस्व प्राप्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25, (दिनांक 01-04-2025 से 31-12-2025 तक) हेतू कुल आय 29,79,323.43 लाख रुपये है।

लघु सचिवालय और संबंद्ध भवनों का निर्माण

3.30 राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं उप-मण्डलों के मुख्यालयों पर लघु सचिवालयों/ उपमण्डल/तहसील/उप-तहसील कम्पलैक्स एवं राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये सभी जिलों व उपमण्डल मुख्यालयों पर आवासीय भवनो को बनाने का कार्य आरम्भ किया हुआ है।

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

3.31 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के अधीन की गई थी तथा दिनांक 06-04-1976 को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन आफ सोसाईटिज एक्ट-1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था। दिनांक 01-09-1976 को इस संस्था ने अपना स्वंतत्र कार्य शुरू कर दिया था। संस्था का मुख्यालय पंचकुला में तथा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है।

3.32 इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम-1966 की धारा-5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई किस्मों के बीज को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है। फसलवार निर्धारित मानकों का विवरण केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दिया हुआ है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, हैफेड, एच.एल.आर.डी.सी., उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ.एफ.डी.सी., कृभको एवं अन्य निजी बीज उत्पादकों द्वारा आफर किया जाता है। इन बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण संस्था द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.33 यद्यपि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अपनी गतिविधियों द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है, तथापि राज्य की बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा

प्रमाणीकरण के लिये आफर किया गया क्षेत्र ही संस्था के कार्य का लक्ष्य बन जाता है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विभिन्न फसलों का किया गया निरीक्षण एवं प्रमाणित बीज की मात्रा के साथ-साथ आय एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	लक्ष्य				उपलब्धियां			
	भौतिक		वितीय		भौतिक		वितीय	
	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2020-21	262.50	3375.00	1737.33	1704.27	255.40	3183.19	1242.16	820.51
2021-22	263.00	3395.00	1801.38	1754.67	177.88	2065.24	1067.13	828.05
2022-23	263.50	3400.00	1850.26	1780.40	206.07	2859.28	934.12	781.11
2023-24	264.00	3420.00	1858.48	1790.62	222.27	3378.36	1172.04	771.75
2024-25	264.50	3450.00	1887.93	1837.60	250.52	3756.24	1292.24	1008.03
2025-26	265.00	3800.00	1899.04	1840.19	-	-	-	-

स्त्रोतः हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था।

3.34 वर्ष 2025-26 में विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा 265.00 हजार एकड क्षेत्र प्रमाणीकरण के लिए आफर किये जाने की सम्भावना है जिससे हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का 38 लाख क्विंटल बीज प्रमाणीकरण किये जाने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में अनुमानित आय लगभग 1,899.04 लाख व व्यय लगभग 1,840.19 लाख होने का अनुमान है।

3.35 इस समय राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में 275 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिन पर प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न फसलों के बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। बीजों के संसाधन के उपरान्त प्रत्येक लोट से बीज का एक नमूना लेकर उसे कृषि विभाग के अधीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल, सिरसा तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधीन पंचकूला एवं रोहतक स्थित प्रयोगशाला में आवश्यक जांच के लिये भेजा जाता है, तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लोट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है तो उसको नियमानुसार प्रमाणित कर दिया जाता है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जो कि पी.जी.एस. इंडिया प्रोगाम के तहत एक क्षेत्रीय परिषद है, ने राज्य में जैविक कृषि को बढावा देने हेतू 11 स्थानीय समूहों और 65 व्यक्तिगत किसानों का 543.75 एकड क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत किया है तथा प्राकृतिक कृषि के तहत 5 व्यक्तिगत किसानों के 10 एकड क्षेत्र को पंजीकृत किया है और खरीफ-2025 सत्र के लिए स्कोप प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये है।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड

3.36 हरियाणा बीज विकास निगम किसानोंके कल्याण के लिए कार्य करता है और निगम का मुख्य उद्धेश्य पूरे राज्य में किसानों को गुणात्मक बीज प्रदान करना है। हरियाणा बीज विकास निगम एक मूल्य नियंत्रक के रूप में भी काम करता है ताकि राज्य में बीज की कीमतों पर रोक लगा सके।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.37 किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम के पास मिनी बैंकों और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम जैसी संस्थागत एजैंसियों के बिक्री केन्द्र के अतिरिक्त 80 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। इसके अतिरिक्त निगम अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करवाने के लिए खरपतवारनाशक, कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां भी अपने बीज बिक्री केन्द्रों से किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड के नाम 'हरियाणा बीज' से उपलब्ध करा रहा है, जो कि हरियाणा के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। निगम विभिन्न राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों, थोक बीज खरीददारों और वितरकों को राज्य के बाहर से भी बीज की आपूर्ति भी करवाता है।

3.38 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को रियायती दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान निगम खरीफ-2024 मौसम में 51,707 क्विंटल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, गवार, बाजरा इत्यादि किसानों को उपलब्ध करवाएं। खरीफ-2024 के दौरान 48,747.42 क्विंटल ढांचे का बीज 80 प्रतिशत अनुदान राशि के तहत फसल विविधकरण (राज्य योजना), फसल विविधकरण (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) को बढ़ावा देने के लिए वितरित किया। रबी 2024-25 में बिक्री सीजन के दौरान 2,97,646 क्विंटल बीज सभी फसलों (गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, जई एवं बरसीम आदि) के बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, (दलहन एवं तिलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी.) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना के तहत बिक्री की है।

3.39 निगम ने वर्ष 2025-26 के दौरान खरीफ 2025 मौसम में 3,206 क्विटंल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, ग्वार, बाजरा आदि तथा 509 पैकेट बीटी काटन के भी किसानों को उपलब्ध करवाए। रबी 2025-26 मौसम में अब तक 2,00,910 क्विंटल गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन आदि के बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (रफतार), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी) योजना के तहत किसानों को उपलब्ध करवाये हैं। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रमाणित बीजों की बिक्री की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 3.8** में दिया गया है। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा बीजों की उत्पादकता रबी-2024-25 व रबी-2025-26 का ब्यौरा **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.8: हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल में)

मौसम	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (अनुमानित)**
खरीफ	32988	46332	51707	3206
रबी	171569	212501	297646	200910

तालिका 3.9: हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा बीजों की उत्पादकता

(क्विंटल में)

वर्ष	सत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां
2024-25	खरीफ-2024	6780	3630.92
	रबी-2024-25	309048	29388.00
2025-26	खरीफ-2025	6496	3355.00
	रबी-2025-26	311800	311800.00

स्त्रोतः हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.40 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड को कंपनी अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। निगम का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है। निगम के हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारयणगढ़ और हनुमानगढ़ में सात प्रंबधकीय कार्यालय है, जहां से जिप्सम की खरीद की जाती है और जिप्सम और कृषि के अन्य इनपुट किसानों को इसकी बिक्री केद्रों/डीलर नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। निगम नारायणगढ़ और पानीपत में पैट्रोल पंप और नारायणगढ़, हिसार और फरीदाबाद में गैस एजैसियों का प्रंबधन भी कर रहा है, जहां से एच.एस.डी., एम.एस. और एल.पी.जी. गैस किसानों/उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है।

3.41 निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:

- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अतंर्गत सॉडिक मिट्टी में सुधार और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जिप्सम की व्यवस्था और वितरण के सम्बध में योजनाएं लागू करना। जिप्सम की बिक्री करने के लिए 2024-25 एवं 2025-26 तक का स्कीम वाईस ब्यौरा **तालिका 3.10** में दिया गया है।
- अपने स्वंय के आउटलेट तथा सरकारी विभाग क काउटंर के माध्यम से कृषि इनपुट का वितरण। निगम द्वारा वर्ष 2024-25 और 2025-26 निम्नलिखित कृषि सामग्री की बिक्री का ब्यौरा **तालिका 3.11** में दिया गया है
- गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम।
- पैट्रोल पम्प और गैंस एजैसियों का संचालन करना। 1974 में निगम की स्थापना के बाद से हरियाणा राज्य में दिनांक 31-01-2026 तक लगभग 4,22,713 हैक्टेयर (10,56,782 एकड़) भूमि का सुधार किया है।

तालिका 3.10: जिप्सम की बिक्री का विवरण

(एम.टी. में)

स्कीम का नाम	**लक्ष्य 2024-25**	**उपलब्धियां 2024-25**	**लक्ष्य 2025-26**	**उपलब्धियां 2025-26 (31-01-2026 तक)**
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई-आर.ए.एफ.टी.ए.ए. आर.)	-	-	9382	-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ एवं दलहन)	-	-	-	-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओयल सीड़ एवं ओयल पॉम)	-	-	-	-
लवणीय मिट्टी और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए राज्य योजना पायलट परियोजना	10126.60	10126.60	15189.88	237.50
फुल रेट	0	32.05	0	0
	10126.60	10158.65	24571.88	237.50

स्त्रोतः भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा।

तालिका 3.11: कृषि सामग्री की बिक्री का विवरण

कृषि उत्पाद का नाम	इकाई	कृषि सामग्री 2024-25	कृषि सामग्री 2025-26 (31-01-2026 तक)
डी.ए.पी.	एम.टी.	518	548
युरिया	एम.टी.	717	1236
नैनो युरिया (500 मि.ली.)	मि.ली.	1023	1708
खरपतवार नाशक/कीटनाशक	लीटर/कि.ग्रा./युनिट	949	-
नैनो डी.ए.पी. (500 मि.ली.)	युनिट	326	552
गेहूँ बीज	क्विंटल	20000	30214

स्त्रोतः भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा।

बागवानी

3.42 पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है। भारत में हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ अग्रणी राज्य है। राज्य में अधिकतर सभी तरह के फल सब्जी, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जाते हैं। बागवानी फसलों के कुल क्षेत्र के 80 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फल, मसाले व फूल इत्यादि हैं। वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 का बागवानी बजट 646.21 करोड़ रूपये से बढ़कर 1,068.89 करोड़ रूपये हो गया है। निरंतर आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण के कारण फलों और सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की खपत में बदलाव आ रहा है। हरियाणा में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए फसल विविधीकरण अति आवश्यक है जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आय का स्तर बढ़ाया जा सके।

विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रम

3.43 विभाग द्वारा चलाई जा रही 20 योजनाओं में से 16 राज्य योजना, 4 केन्द्रीय योजना (हिस्सा आधारित) हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.44 राज्य में 4.18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 6.10 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 69.24 लाख मीट्रिक टन था।

फल की खेती

3.45 वर्ष 2024-25 में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 73,153 हैक्टेयर था जिसमें 9.57 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2025-26 में 11.57 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 76,900 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.12)**

तालिका 3.12: फलों की फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	लक्ष्य 2024-25		उपलब्धियां 2024-25		लक्ष्य 2025-26	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
नींबू वर्गीय फसलें	26585	381316	26199	439886	27378	526130
अमरूद	17925	211792	17448	210228	18463	221998
आम	7824	94079	7840	92862	7980	62112
बेर	4435	52190	4388	28566	4488	107925
आंवला	1693	15965	1691	12252	1741	16310
चीकू	1330	12713	1320	12621	1370	13060
अन्य	14208	134530	14267	160519	15480	209703
कुल	**74000**	**902585**	**73153**	**956934**	**76900**	**1157238**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

सब्जी की खेती

3.46 वर्ष 2024-25 में सब्जी की खेती के अन्तर्गत 58.57 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 3,34,281 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2025-26 में 60.38 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 3,46,400 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.13)।**

तालिका 3.13: सब्जी फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	लक्ष्य 2024-25		उपलब्धियां 2024-25		लक्ष्य 2025-26	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
टमाटर	23200	484367	22125	479016	23150	574500
प्याज	26000	613777	22551	602788	26000	572000
आलू	33900	863449	33427	913380	34000	816000
बेल वाली सब्जी	55900	801079	51981	712742	54000	841500
पत्ता गोभी	16300	349977	15184	329589	15900	349800
फूल गोभी	29200	608991	28376	597872	29000	609000
पत्ते वाली सब्जी	43500	550210	42967	535041	43500	522000
मटर	9600	106817	9897	108168	10470	115170
बैंगन	11800	189666	10720	162358	11000	169280
मूली	18800	361208	17766	373601	18500	370000
गाजर	14200	312519	12830	311210	15900	349800
अन्य	69600	793391	66457	731173	64980	749520
कुल	**352000**	**6035451**	**334281**	**5856938**	**346400**	**6038570**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मसाले

3.47 वर्ष 2024-25 में मसाला फसलों के अन्तर्गत 0.68 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 6,574 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2025-26 में 0.51 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 6,600 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.14)**

तालिका 3.14: मसालो का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालो के नाम	लक्ष्य 2024-25		उपलब्धियां 2024-25		लक्ष्य 2025-26	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन(एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
अदरक	82	1230	48	668	82	1230
लहसुन	3785	37850	3986	62880	4040	40400
मैथी	1365	2730	1227	1465	1377	2754
धनिया	650	1300	946	1040	680	1360
अन्य	418	4836	367	1727	421	4856
कुल	**6300**	**47946**	**6574**	**67786**	**6600**	**50600**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.48 वर्ष 2024-25 में औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खेती के अन्तर्गत 4,557 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 2,662 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2025-26 में 5,262 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 2800 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.15)**

तालिका 3.15: औषधीय एवं सुगन्धित पौधो का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगन्धित पौधो के नाम	लक्ष्य 2024-25		उपलब्धियां 2024-25		लक्ष्य 2025-26	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
एलोवेरा	18	540	1	6	18	540
नींबू घास	18	540	0	0	18	540
अन्य	295	2894	2661	4551	2764	4182
कुल	**331**	**3974**	**2662**	**4557**	**2800**	**5262**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

फूलों की खेती

3.49 वर्ष 2024-25 में फूलों की खेती के अन्तर्गत 0.19 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 1,830 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2025-26 में खुले क्षेत्र के फूल 0.30 लाख मीट्रिक टन व कट फलावर 588.25 लाख संख्या उत्पादन के साथ 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.16)**

तालिका 3.16: फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	लक्ष्य 2024-25			उपलब्धियां 2024-25			लक्ष्य 2025-26		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)
गेंदा	3081	30810	-	1520	18060	-	1888	28320	-
ग्लैडि-ओलस	220	-	28000000	55	-	11000000	77	-	11550000
रजनीगंधा	270	-	52000000	177	-	35400000	215	-	4300000
अन्य	326	1837	20375000	78	1091	858850	120	1510	4275000
कुल	3897	32647	100375000	1830	19151	47258850	2300	29830	58825000

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

संरक्षित तथा वर्टिकल खेती पर ध्यान

3.50 रोग रहित पौधशाला उगाने, गैर मौसमी व कीटनाशक अवशेष रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार द्वारा संरक्षित खेती और वर्टीकल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सामान्य जाति के किसानों को 50 प्रतिशत और

अनुसूचित जाति के किसानों को 85 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये वर्ष 2024-25 में 3,660 एकड क्षेत्र में बांस स्टैंकिंग, 306.7 एकड क्षेत्र में संरक्षित संरचनाएं, 1,626.7 एकड क्षेत्र में प्लास्टिक टनल व 1,529.9 एकड क्षेत्र को मलचिंग से कवर किया गया है। इसकी श्रेणी अनुसार प्रगति **तालिका 3.17** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.17: श्रेणी अनुसार संरक्षित/वर्टिकल खेती की प्रगति

श्रेणी	उपलब्धियां 2024-25 भौतिक (एकड)	लक्ष्य 2025-26 भौतिक (एकड)
पोली हाऊस/नेट हाऊस	306.68	487
आवरण सामग्री का प्रतिस्थापन	38.65	70.26
कम सुरंग	1626.73	1104
मलचिंग	1529.95	5558
बास स्टैकिंग	3660	903.5
कुल	**7162.01**	**8122.76**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मशरूम

3.51 वर्ष 2024-25 में खुम्ब का उत्पादन 18,384 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया। वर्ष 2025-26 में 18,500 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सामुदायिक तालाब

3.52 विभाग ने वर्ष 2004-05 से 2024-25 तक लगभग 5,679 जल टैंक बनाए हैं, कृषि क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 151 अन्य जल टैंक बनाए गए हैं जिसमें सामुदायिक जल टैंक (31), व्यक्तिगत जल टैंक (81), वर्षा जल संचय टैंक (39) है। मोरनी क्षेत्र में किसानों के खेत में 0.125 मीटर जल परिवहन पाईप लाईन बिछाई गई। कुल 167 किसानों को 481.07 लाख रूपये की राशि से लाभान्वित किया गया। जल संसाधन जलग्रहण क्षेत्र के तहत 100 प्रतिशत वृक्षारोपण सुनिश्चित करते हैं, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई से पानी की बचत होती है और पौधें की जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है।

बागवानी मशीनीकरण

3.53 बागवानी मशीनीकरण पर 600 रूपये से 12,50,000 रूपये तक की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2024-25 में कुल 819 बागवानी मशीनरी किसानों को दी गई।

गुणवत्ता पूरक सब्जी की पौध: वर्ष 2024-25 में 198.07 लाख संकर सब्जी की पौध तथा 2.40 लाख ग्राफ्टेड फलदार पौध, 7.01 लाख आलू मिनी कन्द तथा 4,800 क्विंटल आलू का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया गया।

फसल कटाई प्रबन्धन: वर्ष 2024-25 में 9 कोल्ड स्टोरेज व 74 छोटे पैकहाउस व 91 प्याज भण्डार स्थापित किए गए।

प्रमुख परियोजनाएं

जाइका परियोजना

3.54 हरियाणा सरकार ने जापान इन्टरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी (जाइका) ओ.डी.ए ऋण के तहत "हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना" जिसकी कुल लागत 2,738.40 करोड़ रूपये और 2,105.40 करोड़ रूपये के जाइका हिस्से और राज्यांश 632.90 करोड़ रूपये को मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 14-11-2023 को हरियाणा सरकार, कृषि और किसान कल्याण

मंत्रालय, भारत सरकार और जाइका के बीच चर्चा के कार्यवृत पर हस्ताक्षर किए गए यह परियोजना नौ वर्षों में दो चरणों में लागू की जाएगी पहला चरण 2024-25 से 2027-28 तक और दूसरा चरण 2028-29 से 2032-33 तक होगा। यह परियोजना खेतों में तकनीकी हस्तक्षेप के साथ हरियाणा में बागवानी में पूर्ण अपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद करेगी और यह हरियाणा में एक नए युग की शुरूआत करेगी।

हरियाणा-पी.एच.एम. पर यू.के.सी.ओ.ई.

3.55 हरियाणा सरकार और बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य में फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सतत कोल्ड चैन (सी.ओ.ई.-सी.पी.एम.सी.) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए बर्मिंघम यू.के. में दिनांक 29-09-2022 को समझौता ज्ञापत किया है। यह केन्द्र आधुनिक कोल्ड स्टोरज और मूल्य श्रृंखला प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा, व्यावहारिक अनुसंधान के द्वारा मूल्य संवर्धन, पैकिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए विचारों के लिए स्टार्ट अप और इन्कूवेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।

शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना

3.56 भारत सरकार ने 20 करोड़ रूपये की लागत से एकीकृत मधुमक्खी पालन केन्द्र रामनगर, कुरूक्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना निश्चित रूप से शहद की गुणवत्ता में सुधार करेगी और गुणवत्ता में परिक्षित शहद की अधिक कीमतें प्राप्त करके हरियाणा में मधुमक्खी पालकों की स्थिति में सुधार करेगी।

हरियाणा आलू नीति-2022

3.57 सरकार ने राज्य में बीज आलू उत्पादन को अगले स्तर तक बढ़ाने की दृष्टि से आलू नीति, 2022 को मंजूरी दे दी है, विभाग ने बीज आलू उत्पादन को आलू टिशु कल्चर आधारित मिनी कंद (पी.टी.सी.एम.टी) तथा प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से आलु प्रौधोगिकी केन्द्र शामगढ, करनाल और पंजीकृत किसान खेतों के एरोपोनिक्स नेट हाउस और समर्पित खुले खेतों में आगे उत्पादन करना है। वर्ष 2030 तक 10,000 मीट्रिक टन से 6 लाख मीट्रिक टन करने के लक्ष्य के साथ 8 साल की कार्य योजना शुरू की है। वर्ष 2024-25 फसल मौसम के दौरान करीब 4,800 क्विंटल बीज आलू और 7.01 लाख मिनी कंद का उत्पादन किया गया है।

हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति-2021

इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न गुणवत्ता हस्तक्षेपों के माध्यम से गुणवत्ता परक शहद उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से 10 वर्षीय कार्य योजना बनाई गई है। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र, रामनगर से मधुमक्खी खरीदने पर 85 प्रतिशत तथा यंत्र, शहद प्रसंस्करण बोतल व शहद गुणवत्ता जांच पर 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में 1,35,257 मधुमक्खी कालोनी, मधुमक्खी बक्से, मधुमक्खी उपकरण उपलब्ध करवाये गये। भारत सरकार ने 20 करोड रूपये की लागत से एकीकृत मधुमक्खी पालन केन्द्र, रामनगर, कुरूक्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

शहद व्यापार केन्द्र की स्थापना

3.58 हरियाणा में शहद के व्यापार के लिए 2.64 करोड़ रूपये की लागत से एक शहद व्यापार केन्द्र की स्थापना की गई है। इससे मधुमक्खी पालकों और व्यापारियों को अपने शहद के विपणन में लाभ होगा।

उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना

3.59 बागवानी तकनीकों के प्रदर्शन हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में हरियाणा राज्य देश में अग्रणी है और अब तक राज्य के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में ग्यारह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके है जहां गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हेतु स्थापित सिद्ध तकनीकों का प्रदर्शन और हस्तांतरण किया जाएगा। खरीफ प्याज, वर्टिकल फार्मिंग और कटाई-पश्चात प्रबंधन के लिए क्रमशः नूंह, कैथल और पंचकूला तीन नए उत्कृष्टता केंद्रों पर कार्य प्रगति पर है। लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए क्रमशः अंबाला, यमुनानगर और हिसार में तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएगें।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.)

3.60 यह योजना कलस्टर विकास कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक राज्य योजना है। दिनांक 2022-23 में लागू हुई इस योजना से किसान की आय का स्तर बढेगा एवं उनका बागवानी फसलों के प्रति रूझान भी बढेगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 534 एकड क्षेत्र के लिए 147 किसानों तथा 39 लाभार्थियों को 47.11 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

नई पहल

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

3.61(क) सरकार ने सिरसा और करनाल में बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं 3.90 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की है। दोनों प्रयोगशालाओं में बागवानी और कृषि उपज, मिटटी और पानी के नमूनों में अवशेष सामग्री के विश्लेषण की सुविधा है। दोनों गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में वर्ष 2024-25 के दौरान 3,241 नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

(ख) फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी.सी.डी.पी.): फसल समूह विकास कार्यक्रम नाम से 510.36 करोड़ रूपये बजट के साथ एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर में विपणन ढांचा और फसल प्रबंधन सुविधाओं जैसे पैक हाउस, प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग-छंटनी सुविधा, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा इनपुट और गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि सुविधाएं बागवानी उत्पादन के प्रभावी विपणन के लिए दी जाएंगी। इसलिए इसके लिए 40 केन्द्र बनाए गए हैं और 44 निर्माणाधीन है।

भावान्तर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.)

3.62 सरकार द्वारा यह योजना दिनांक 01-01-2018 में शुरू की गई है ताकि किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह भारत में एक अनूठी योजना है। यह योजना किसानों को विविधीकरण और बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना की सफलता को देखते हुए अब 21 बागवानी फसलों को योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान 1,30,795 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 62,309 किसानों का पंजीकरण किया गया तथा 4,715.57 लाख रूपये का प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया गया। भावांतर भरपाई योजना के तहत नामांकित किसानों का ब्यौरा **तालिका 3.18** में दिया गया है।

तालिका 3.18: भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की संख्या

वर्ष	किसान नामांकित (संख्या)	नामांकित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रोत्साहन भुगतान राशि (रूपये लाख में)
2020-21	30170	54120	0.00
2021-22	56089	120466	377.00
2022-23	59451	128876	905.24
2023-24	53090	117099	4071.66
2024-25	62309	130795	4715.57

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

3.63 सूचना प्रोद्यौगिकी

- विभाग बागवानी किसानों से जुड़ने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, यूट्युब और इंस्टाग्राम) का उपयोग कर रहा है। बागवानी विभाग हजारों किसानों में विकास ला रहा है और इसके लिये विकास नीतियों, अनुदान, प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी, नये शोध, एफ.पी.ओ. के गठन, वेबिनार, सेमिनार, अधिकारियों के दौरे, वेज एक्सपो और अन्य विभागीय गतिविधियों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। उद्यान विभाग से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार में ये चैनल बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
- अभी तक जैसा कि अब विभाग के पास सभी विभागीय सब्सिडी योजनाओंके लिये केवल एक होर्टनैट पोर्टल है। वर्ष 2024-25 में कुल 30,996 किसानों ने पंजीकरण करवाया जिसमें से 24,780 आवेदनों को सहायता के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- मुख्यालय के साथ-साथ विभाग के जिला कार्यालयों में ई-आफिस का कार्यान्वयन।
- उद्यान विभाग की वेबसाईट पर विभाग की सभी 14 सेवाओं को "खुशहाल बागवानी" नाम से एक छत्र एवं सम्पर्क बिन्दु के रूप में जोड़ा गया है।
- विभाग ने नर्सरी/केन्द्रों से सब्जियों की पौध, आलू के बीज और फलों के पौधों की आनलाईन बुकिंग के लिये एक होटसेलनेट पोर्टल/वेबसाईट विकसित किया है। लाभार्थी यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा आनलाईन भुगतान कर सकता है।
- विभाग ने किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिये समर्पित टोल फ्री नंबर (1800-180-2021) के साथ दिनांक 02-11-2021 को बागवानी निदेशालय में एक 'बागवानी हेल्पलाईन सैंटर' स्थापित किया गया है।

सिंचाई

3.64 हरियाणा उतर भारत में छोटा सा भू-भाग वाला राज्य है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.4 प्रतिशत भू-भाग है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा राज्य का प्रमुख विभाग है जो सतही जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन, भूजल, बा-सजय़ नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य देखता है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा का मुख्य उद्देश्य भागीदार राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न नदियों से अपने हिस्से की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, इसके अतिरिक्त राज्य के सभी भागों में आपूर्ति का समान वितरण करना है। हरियाणा सतही जल के लिए अंर्तराज्यीय समझौतों पर निर्भर है। ये समझौते काफी समय से किए जा रहे हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन एवं तत्पश्चात आवश्यक जल प्राप्त करना अंर्तराज्यीय विवादों के कारण एक चुनौती है। हरियाणा ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु

सिचांई नहरों और पेयजल योजनाओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है और नेशनल फूड बास्केट में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभर कर आया है और 100 प्रतिशत गांवो को पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ **तालिका 3.19** में दी गई है।

तालिका 3.19: योजना-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां **(लाख रूपये में)**

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2023-24	नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	144.5	92070.95	92.63	46958.65	64.10	51.00
	जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	340	19577.77	141	3041.23	41.47	15.53
	नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	12	5050.32	05	786.39	41.67	15.57
	नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	335.23	12543.56	273.64	7936.84	81.62	63.27
	ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	142.49	4232.83	140.36	3088.02	98.5	72.95
	बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	231	40530.00	168	23634	72.72	58.31
	फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	60000	25000	62800	26164.11	104.66	104.65
	पी.एम.के.एस.वाई.- पी.डी.एम.सी. के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई	44900	30798.65	17332	30291.75	78.83	98.35
2024-25	नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	148	89424.13	105.50	54291.29	71.28	60.71
	जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	390	20274.64	182	6733.66	46.66	36.21
	नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	11	24843.06	7	16748.48	63.63	48.06
	नहरों की गाद निकालने/ सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	306.59	11619.75	27008.99	8779.39	88.09	75.55
	ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	124.74	2981.37	11979.49	2361.07	92.02	49.19
	बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	508	90731.93	371	52679.27	73.03	58.06
	फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	42	558.10	42	871.26	100.00	98.43
	पी.एम.के.एस.वाई.- पी.डी.एम.सी. के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई	40400	35599.00	20000.00	10763.00	49.50	30.23

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा।

3.65 राज्य में नहर और जल निकासी नेटवर्क के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा (आई.डब्ल्यू.आर.डी.) की है जिसमें राज्य में सिंचाई, पीने, तालाब भरने, औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति शामिल है। भाखड़ा नहर नेटवर्क और पश्चिमी यमुना नहर नेटवर्क राज्य में दो मुख्य नहर आपूर्ति नेटवर्क हैं। भाखड़ा प्रणाली सतलुज, रावी और ब्यास नदी में हरियाणा का उचित हिस्सा उपलब्ध कराती है, जबकि पश्चिमी यमुना नहर नेटवर्क यमुना नदी में हरियाणा का उचित हिस्सा उपलब्ध कराता है। दोनों नहर नेटवर्क को इस तरह से जोड़ा गया है कि दोनों को एक-दूसरे से आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा, इससे जुड़ी कमान की सिंचाई के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना भी विकसित की गई है। इस योजना के तहत, चैनल में आपूर्ति को 464 फीट तक उठाया जाता है ताकि इसे ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई/पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

विभाग के उद्देश्य

3.66 विभाग का लक्ष्य एक कार्य योजना तैयार करना है, जो कार्य संस्कृति को बदल देगी और विभाग को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी तथा जल संसाधनों के व्यापक, एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक भविष्य की योजना में प्रमुख मुद्दों पर योजनाकारों और उपयोगकर्ताओं दोनों का ध्यान आकर्षित करेगी जो तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ होगी।

सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण कार्य

3.67 राज्य में बाढ़ के प्रकोप और जल जमाव की प्राकृतिक आपदा से राज्य को बचाने के लिए, हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 56वीं बैठक के दौरान 657.99 करोड़ रुपये की लागत वाली 352 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त 1,489.54 करोड़ रूपये की लागत वाली प्रगतिशील 463 योजनाओं को भी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अभी तक वितीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन 815 योजनाओं पर 422.10 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं तथा 383 योजनाएं पूरी की जा चुकी है।

अन्तिम छोर पर आपूर्ति

3.68 100 प्रतिशत टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने टेलों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक अभियान शुरू किया। चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाकर 100 प्रतिशत टेलों तक पानी पहुंचाने के लिए पुलिस बल (सिंचाई एवं बिजली के लिए विशेष) को शामिल कर व्यापक कदम उठाए गए जिसके लिए एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। 2025 के मानसून सत्र में, जे.एल.एन. फीडर में अधिकतम 2,800 क्यूसिक पानी, लोहारू फीडर में 1,150 क्यूसिक, महेन्द्रगढ़ नहर में 1,100 क्यूसिक तथा जे.एल.एन. नहर में 570 क्यूसिक पानी का निष्कासन किया गया।

नाबार्ड परियोजनाएं

3.69 नाबार्ड द्वारा 2024-25 तक लगभग 490.53 करोड़ रुपये की 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 15 पूरी हो चुकी हैं और अन्य प्रगति पर हैं।

रिचार्जिंग कुएं

3.70 डार्क जॉन में खेतों में एकत्रित हुऐ बारिश के पानी से भू-जल की पूर्ण भरपाई के लिए, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 40 करोड़ रुपये की लागत वाले 1,000 रिचार्ज कुओं के निर्माण की

योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना से हर साल लगभग 8,000 एकड़ जलमग्न भूमि लाभान्वित होगी। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा जिलों में 928 रिचार्जिंग कुओं का निर्माण पूरा हो चुका है और 72 किसानों ने अपने खेतों में बोरवेल बनाने से इनकार कर दिया है। इस पर 35 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। इसके अलावा, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार और फतेहाबाद जिलों में 847 रिचार्ज कुओं के निर्माण की योजना है, जिनमें से 761 कुओं के लिए सरकार द्वारा 3,916.81 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 847 रिचार्जिंग कुओं में से 225 रिचार्जिंग कुओं का कार्य पूरा हो चुका है तथा 622 रिचार्जिंग कुओं का कार्य अभी शुरू होना है।

वर्षा जल संचयन

3.71 विभाग द्वारा 158 रेन वाटर हारवेस्टिंग ढांचे लगाये गये, जिससे 286 सरकारी भवनों को जल संचय की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसका कुल क्षेत्र 585 एकड़ है।

3.72 पश्चिमी जमुना नहर प्रणाली की वाहक क्षमता बढ़ाना

- आर.डी. 68220 (हमीदा हैड) से आर.डी. 190950 (इंद्री हैड) तक पश्चिमी जमुना नहर मेन लाईन लॉअर की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 120.19 करोड़ रूपये है, इसमें से 101.48 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है।
- डब्ल्यू.जे.सी. मेन ब्रांच की आर.डी. 0-154000 की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 202.10 करोड़ रूपये है, इसमें से 185.98 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है।
- आवर्धन नहर का कार्य 380 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और 30-06-2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- पी.डी. ब्रांच की आर.डी. 0-145250 की क्षमता बढ़ाने के लिए 304 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पुनर्वास के कार्य नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- दादुपुर से हमीदा हैड तकनई पी.एल.सी. चैनल के निर्माण के लिए तथा पश्चिमी यमुना नहर मेन लोवर लाईन की बुर्जी संख्या 0-68220 का परियोजना प्रांकलन नाबार्ड द्वारा RIDF-XXV स्वीकृत हो चुका है। अब तक 87 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के 31-03-2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

अटल भूजल योजना

3.73 अटल भूजल योजना सतत भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य "हरियाणा के 36 जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना" है। कुल वित्तीय परिव्यय 6,000 करोड़ रुपये है। इस योजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 50:50 के आधार पर वित्तपोषित किया गया था। हरियाणा में यह परियोजना 14 जिलों (भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सिरसा, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाडी, चरखीदादरी, पलवल और यमुनानगर), 36 ब्लॉकों, 1,669 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा इस योजना को 15-10-2025 से बंद कर दिया गया है।

नहर नेटवर्क का आधुनिकीकरण

3.74 नहर नेटवर्क के आधुनिकीकरण के तहत वर्ष 2024-25 व 2025-26 के दौरान लगभग 251 चैनलों के पुनर्वास का कार्य लगभग 1175.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से फतेहाबाद ब्रांच, फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, खैरामपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, चिबडवाल माईनर, बीर माईनर, नारा डिस्ट्रीब्यूटरी, सिसवाल सब माईनर, राजौंद डिस्ट्रीब्यूटरी, जखोली डिस्ट्रीब्यूटरी, शामदो माईनर,

सुदकान डिस्ट्रीब्यूटरी, कसूम्बी माईनर, गिगोनी डिस्ट्रीब्यूटरी, रामपुरा माईनर, कुटयाना डिस्ट्रीब्यूटरी, शेरांवाली डिस्ट्रीब्यूटरी, पीलीमंदोरी डिस्ट्रीब्यूटरी, डबवाली डिस्ट्रीब्यूटरी, लूखी माईनर, बिचपडी माईनर, चिराना माइनर, नारनौल शाखा, महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी आदि का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 200 पुलों का पुनः निर्माण 527 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

3.75 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जल संसाधन सूचना की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पूरे भारत में 49 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। भूजल निगरानी के लिए 269 पीजोमीटर का निर्माण प्रगति पर है। भूजल मापदंडों की वास्तविक समय निगरानी के लिए 345 डी.डब्ल्यू.एल.आर. स्थापित किए गए हैं।

आदि बद्री बांध व सोम्ब सरस्वती बैराज

3.76 हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नदी में पानी छोड़ने के लिए सरस्वती नदी पुर्नउद्धार तथा धरोहर विकास परियोजना (प्रथम चरण) 388.16 करोड रूपये अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के माध्यम से इस परियोजना के बनने से संभावित भूजल पुनर्भरण क्षमता का आंकलन करवाया गया है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि इस परियोजना के तहत भूजल पुनर्भरण की अच्छी संभावना है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना के विभिन्न खण्डों का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। दिनांक 21-01-2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण हेतू हरियाणा सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हो गया है। संबंधित समझौता ज्ञापन क्लॉज के अनुसार विकास कार्य करने के लिए 37.96 करोड़ रूपये हिमाचल सरकार को हस्तांतरित किए गए हैं। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जाना है।

मेवात और गुरूग्राम क्षेत्र में जल आपूर्ति

3.77 जिला नूंह एवं गुरुग्राम के मेवात क्षेत्र में खारे पानी की समस्या को हल करने के लिए पी.एच.ई.डी. ने नई योजनाएं बनाई है, जिसके लिए सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा कच्चा पानी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, एच.एस.वी.पी. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. भी इस क्षेत्र में सेक्टर विकसित कर रहे हैं। इन सेक्टरों को भी कच्चा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पी.एच.ई.डी., एच.एस.आई.आई.डी.सी. और एच.एस.वी.पी. की मांगों को पूरा करने के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए, मेवात फीडर नहर नामक नई वाहक प्रणाली को पाइप लाइन प्रणाली के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। सरकार द्वारा 29 फरवरी, 2024 को 1,161.05 करोड़ रुपये की लगत वाले कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति की गई। निविदा आमंत्रित कर दिए गए थे लेकिन प्रशासनिक कारण से निविदाएं रद्द कर दी गई है। चूँकि यह परियोजना जी.डब्ल्यू.एस. चैनल से पानी लेगा अतः इसके निविदा जी.डब्ल्यू.एस. चैनल के पुनिर्माण के बाद ही दोबारा लगाया जाएगा।

नदी के ऊपर भण्डारण बांध

3.78 हरियाणा सरकार यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों गिरि और टौंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी की ऊपरी पहुंच पर रेणुका जी, किआऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण पर जोर-शोर से काम कर रही है।

रेणुका बांध: जल घटक के लिए राज्यों का कुल योगदान 1,162.6 करोड़ रुपये है। इस लागत में से 555.95 करोड़ रुपये हरियाणा राज्य द्वारा वहन किए जाने हैं। हरियाणा ने पहले ही **चौथी** किश्त के रूप में 265.10 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।

लखवार बांध:-जल घटक के लिए राज्यों का कुल योगदान 1,146.69 करोड़ रुपये है। इस लागत में से 548.33 करोड़ रुपये हरियाणा राज्य द्वारा वहन किए जाने हैं। हरियाणा ने पहले ही पहली किश्त के रूप में 109.66 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण

3.79 हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने हरियाणा एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-26 दिनांक 09-06-2023 को तैयार किया गया। आई.डब्ल्यू.आर.ए.पी. के अनुसार अगले दो वर्षों में पानी की बचत करके जल अंतर को 49.73 प्रतिशत तक कम करने की योजना है। आई.डब्ल्यू.आर.ए.पी. के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए तीन स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, सिंचाई और जल संसाधन विभाग की जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए 38.35 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हरियाणा में एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना के कुशल कार्यान्वयन के कारण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को भूजल प्रशासन और प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ पहल की "श्रेणी में जल डाइजेस्ट जल पुरस्कार" 2022-23 व 2024-25 से सम्मानित किया गया है।

राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एस.एस.ए.पी.)

3.80 हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान (एच.आई.आर.एम.आई.) को राष्ट्रीय जल मिशन (एन.डब्ल्यू.एम.) के तहत जल संसाधनों की सुरक्षा, सतत विकास और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एस.एस.ए.पी. को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एस.एस.ए.पी. की तैयारी की निगरानी के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.) का गठन किया गया है। राज्य विशिष्ट कार्य योजना से संबंधित अधिकांश डेटा हरियाणा के विभिन्न विभागों से प्राप्त हो हैं। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए आई.आई.टी. रोपड़ के साथ सलाहकार के रूप में अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब एस.एस.ए.पी. के पहले चरण की वर्तमान स्थिति यानी स्टेटस रिपोर्ट को संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और एस.एस.पी. की द्वितीय चरण की अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक 19-10-2024 को हिरमी कुरूक्षेत्र में प्राप्त हो गई है।

सतलुज यमुना लिंक

3.81 रावी-ब्यास नदी के अधिशेष जल में हरियाणा का हिस्सा ले जाने के लिए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच जल आवंटन के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 24-03-1976 के आदेश के मद्देनजर 1976 में एसवाईएल नहर का प्रस्ताव रखा गया था।

- सतलुज यमुना लिंक नहर के अपूर्ण रहने के कारण, हरियाणा को वर्तमान में अपने अधिकृत 3.50 एम.ए.एफ. हिस्से के विरुद्ध केवल लगभग 1.62 एम.ए.एफ. जल ही भाखड़ा मुख्य नहर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इस गंभीर कमी के कारण दक्षिणी हरियाणा में पेयजल एवं सिंचाई संकट अत्यधिक बढ़ गया है तथा ग्रीष्मकाल के दौरान कठोर रोटेशन प्रणाली लागू करनी पड़ रही है।
- क्षमता की कमी के कारण अधिशेष 1.88 एम.ए.एफ. पानी नहीं ले जाया जा सका।
- हरियाणा ने एस.वाई.एल.नहर (91 किलोमीटर) का निर्माण 1976 के अंत में शुरू किया और जून, 1980 के दौरान इसे पूरा किया। इस पर एस.वाई.एल. के लिए 55.81 करोड़ रुपये और

इस प्रणाली को विकसित करने के लिए कुल 250 करोड़ रुपये की लागत आई, लेकिन पंजाब ने अपने अधिकार क्षेत्र में 1990 में काम बंद होने से पहले 90 प्रतिशत (121 किलोमीटर में से) काम पूरा कर लिया था।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15-01-2002 के डिक्री तथा दिनांक 04-06-2004 के आदेशों द्वारा पंजाब को नहर के शेष भाग का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उक्त निर्देशों का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है।
- इसके पश्चात, पंजाब राज्य द्वारा पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स अधिनियम, 2004 पारित किया गया, जिसके माध्यम से सभी रावी–ब्यास समझौतों को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति संदर्भ पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10-11-2016 को उक्त अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया।
- वर्ष 2017, 2019 एवं 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन हेतु बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, पंजाब द्वारा अब तक नहर का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04-10-2023 के निर्देशों की अनुपालना में, भारत संघ द्वारा दिनांक 01-04-2025 को भूमि की स्थिति एवं जल उपलब्धता के संबंध में शपथपत्र दायर किया गया। दिनांक 06-05-2025 को हुई सुनवाई में माननीय न्यायालय ने दोनों राज्यों को भारत सरकार के साथ सहयोग कर सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के निर्देश दिए, अन्यथा प्रकरण को दिनांक 13-08-2025 को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव किया
- गया।
- तदनुसार, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा एवं पंजाब के साथ दिनांक 09-07-2025 एवं 05-08-2025 को नई दिल्ली में दो बैठकें आयोजित की गईं। चर्चा के दौरान, भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) के निलंबन के परिप्रेक्ष्य में, पंजाब राज्य ने पूर्वी नदियों के जल के पुनर्निर्देशन का एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तावित पहल से पंजाब में जल उपलब्धता बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई, जिससे साझेदार राज्यों के साथ न्यायसंगत बंटवारे की गुंजाइश बताई गई। हरियाणा राज्य का मत है कि जिस विषय पर न्यायिक डिक्री पारित हो चुकी है, उस पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) की मांग विधिक रूप से अस्थिर है तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विलंब करने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है।
- यह मामला दिनांक 12-01-2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ, जिसमें भारत सरकार द्वारा दायर शपथपत्र के आधार पर यह निर्देश दिया गया कि अगली सुनवाई दिनांक 08-04-2026 से पूर्व पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से समाधान का प्रयास किया जाए।
- अंततः, दिनांक 27-01-2026 को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा एवं पंजाब के मध्य एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु दोनों राज्यों के सचिव स्तर पर नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- हरियाणा पुनः यह दोहराता है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण एवं जल की उपलब्धता दो पृथक विषय हैं। राज्य का दृढ़ मत है कि पंजाब को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री एवं आदेशों का अनुपालन करते हुए सतलुज यमुना लिंक नहर के शेष भाग का निर्माण पूर्ण करना चाहिए, ताकि हरियाणा अपने अधिकृत रावी–ब्यास जल हिस्से को प्राप्त कर उसका वहन कर सके।

मिकाडा से सम्बन्धित मुख्य उपलब्धियां

3.82 काडा का मुख्य कार्य खेतों की सिंचाई हेतू पक्के जलमार्गो का निर्माण करना था। दिसम्बर, 2020 में सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) का नाम बदलकर सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) कर दिया गया। मार्च, 2021 तक सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम प्रति बूंद अधिक फसल, पी.एम.के.एस.वाई. योजना बागवानी और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई थी। अब पी.डी.एम.सी.स्कीम के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने के लिए अप्रैल, 2021 से मिकाडा को अधिकृत किया गया है। हरियाणा राज्य में मिकाडा द्वारा पी.एम.के.एस.वाई. योजना के निम्नलिखित घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा हैः

(क) टपका सिंचाई प्रणाली

(ख) लघु फव्वारा प्रणाली

(ग) पोर्टेबल फव्वारा प्रणाली

(घ) सूक्ष्म सिंचाई के लिए खेत में पानी के तालाब

(ड) नहरी जल मार्गो का एकीकरण (पाईप और सिविल निर्माण), फार्म तालाब, सौर ऊर्जा पम्प व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली।

- यदि किसान/किसान समूह अपने स्तर पर आनॅफार्म टैंक का निर्माण करते है तो उनको आनॅफार्म वाटर टैंक पोलिसी के अनुसार 70 प्रतिशत/85 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार से किसानों को सौर ऊर्जा पम्प स्थापित करने पर कुल लागत का 75 प्रतिशत तथा कुल लागत का 85 प्रतिशत अनुदान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने पर दिया जा रहा है।
- किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना नाबार्ड (एम.आई.एफ.) के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 189.46 करोड़ रुपये है जोकि 28 आउटलैट 12840 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाएगी।
- एक अतिरिक्त परियोजना नाबार्ड (एम.आई.एफ.) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 399.97 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत, 71 आउटलैटों से 27,584 एकड़ भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।
- सहायक बुनियादी ढांचे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा सूक्ष्म सिंचाई का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अभी तक लगभग 377.57 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इन परियोजनाओं से संबंधित शेष कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाऐगा।
- मिकाडा, हरियाणा ने लगभग 6.06 लाख एकड क्षेत्र को कवर करते हुए 1,200 जलमार्गो की पहचान की है। उपरोक्त में से 583 जलमार्गो का पुनर्वास का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 340 जलमार्गो का कार्य प्रगति पर है। शेष जलमार्गो का कार्य आकलन व टैंडर प्रक्रिया में है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 मे उक्त कार्य के लिए 200.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 677 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमे से आर.के.वी.वाई.-पी.डी.एम.सी. घटक के तहत लगभग 1.01 लाख एकड, क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए 355.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के लिए लगभग 2200 आनॅ-फार्म पानी के टैंक (सामुदायिक या व्यक्तिगत) के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। उपरोक्त बजट में से 290.56 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

वन

3.83 हरियाणा सरकार पूरे राज्य में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा को हरा-भरा, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दृष्टि से, सरकार ने 2023 में बीस हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित किया, जिससे राज्य में वृक्ष और वन आवरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। हरियाणा वन विभाग इस प्रयास में वनों, वन्यजीव संसाधनों और इन पारिस्थितिकी तंत्रों में मौजूद समृद्ध जैवविविधता के संरक्षण पर जोर देते हुए, समाज के सभी वर्गों को सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है।

पौधगिरी अभियान और सामुदायिक भागीदारी

3.84 विभाग ने एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्कूली बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। पौधगिरी अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2018 से अब तक कुल 122.29 लाख पौधे उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान विद्यार्थियों को 12.77 लाख पौधे उपलब्ध करवाए गए। इस पहल में बच्चों को वृक्षारोपण करने और उनकी देखभाल करने के लिए शिक्षित करने और प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान'' के तहत, ग्राम पंचायतों को 19.42 लाख पौधे वितरित किए गए। वर्ष 2025-26 के दौरान पूरे राज्य में 151.23 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया।

प्राण वायु देवता पेंशन योजना

3.85 हरियाणा सरकार ने पेड़ों के प्रति सम्मान के रूप में जिन्होंने दशकों तक मानवता की सेवा की है, "प्राण वायु देवता पेंशन योजना'' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पंचायत, सार्वजनिक, निजी, और सरकारी संपत्तियों पर उगे 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के स्वस्थ पेड़ों को सालाना पेंशन के लिए चुना जाता है। इस योजना के तहत, पेड़ के अभिरक्षक को प्रति वर्ष 2,750 रुपए की पेंशन मिलती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, इस योजना ने 3,819 पेड़ों को लाभान्वित किया, जिसमें कुल 105 लाख रुपए उनके अभिरक्षकों को वितरित किए गए। वर्ष 2025-26 में 99.30 लाख रूपये की राशि अभिरक्षकों को प्रदान की गई है। प्राण वायु देवता पेड़ों के चयन और उन्हें पेंशन देने की प्रक्रिया अगले वर्ष भी जारी रहेगी। इस पेंशन राशि में वृद्ध आयु सम्मान भत्ता योजना के समान समय-समय पर वृद्धि की जायेगी।

सड़क के किनारे वृक्षारोपण

3.86 वर्ष 2023-24 के दौरान, सड़कों के किनारे हरियाली लगाने में अथक प्रयास किए गये, विशेष रूप से ट्रांस-हरियाणा एक्सप्रेस वे, 152डी पर जहाँ लगभग 85,000 पौधे लगाए गए। इससे न केवल स्वच्छ हवा मिलेगी, बल्कि ये सड़कों के सौंदर्य को भी बढ़ाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 32,500 पौधे लगाए गए तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इनके रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान

3.87 भारत के माननीय प्रधानमंत्री की भावनात्मक पहल पर मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में ''एक पेड़ मां के नाम" अभियान शुरू किया गया। दिनांक 5 जून, 2025 को चरखी दादरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर उक्त अभियान का शुभारम्भ किया गया। वर्ष 2025-26 में ''एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत विभाग हेतू 90 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 146.98 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

पशुपालन एवं डेयरी

3.88 पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य के 71.26 लाख पशुधन संख्या को 2,884 पशु संस्थाओं (राजकीय पशु चिकित्सालय एवं राजकीय पशु चिकित्सा औषद्यालयो) की सुविकसित संरचना के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को निःशुल्क पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

3.89 हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.1 प्रतिशत है लेकिन 125.93 लाख टन दूध का योगदान है जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.11 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1,128 ग्राम है जबकि राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम के मुकाबले में देश में तीसरे स्थान पर है।

3.90 वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः 11.58 लाख गायों और 28.19 लाख भैंसों और वर्ष 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान 8.85 लाख गायों तथा 20.52 लाख भैंसों का उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः 4.74 लाख गायों और 11.38 लाख भैंसों के बच्चें और 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान 3.47 लाख गायों 9.28 लाख भैंसों के बच्चे पैदा हुए है।

3.91 विभाग ने वर्ष 2024-25 के दौरान 152.32 लाख और वर्ष 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान 110.68 लाख पशुओं को कृमि रहित किया गया जिससे पशुओं में कृमि को कम करने और समग्र उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलती है। विभाग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके परिवारों के पोषण और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कम लागत वाली नस्ल के 10 दिन आयु के 50 चूजे मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना चला रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) में क्रमशः 1,182 और 768 इकाईयां स्थापित की गई हैं और वर्ष 2025-26 के दौरान अभी तक आबंटित बजट 90 लाख रूपये में से 62.34 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया।

3.92 राज्य में अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1,500 (दो/तीन दुधारू पशु) डेयरी और 100 (10 मादा+1 नर) सुअर पालन इकाईयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 1,527 लाभ प्राप्तकर्ताओं (1,472 पशु डेयरी+55 सूअर पालन इकाईयां) व वर्ष 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) में 1,513 लाभ प्राप्तकर्ताओं (1,462 पशु डेयरी+51 सूअर पालन इकाईयां) को लाभाविन्त किया गया है। वर्ष 2025-26 के बजट 5,490 लाख रूपये में से 4,169.72 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

3.93 राज्य में अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इकाई लागत पर 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके (15 मादा+1 नर) भेड़ व बकरी की 800 इकाईयां स्थापित की जानी है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) में क्रमशः 827 एवं 704 लाभान्वित हुए है।

3.94 बेरोजगार युवाओं को 2 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में स्वरोजगार हेतू सहायता प्रदान की जाती है तथा 1 महिला केवल 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) में क्रमशः 720 और 902 इकाईयां स्थापित की गई है, राज्य में हरियाणा, साहीवाल, बेलाही, गिर देशी नस्ल की

गायों और मुर्रा भैंसों को संरक्षण और बढ़ावा देने के अधिक दूध देने वाली गायों/भैंसों के मालिको को 5,000 रूपये से 25,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 1,797 तथा चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (31 दिसम्बर, 2025 तक) 1,466 उच्च नस्लीय पशुओं की पहचान की गई है।

3.95 राज्य में अधिक उत्पादन देने वाले मुर्राह जर्मप्लाजमा को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए, अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 20,000 से 40,000 रूपये तक की नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 782 तथा चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (31 दिसम्बर, 2025 तक) 1,021 उच्च नस्लीय पशुओं की पहचान की गई है।

3.96 पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य के सम्पूर्ण पशुधन मुंहखुर (एफ.एम.डी.) गलघोटूं (एच.एस.), के संयुक्त व स्वाइन फीवर, शीप पोक्स, पी.पी.आर., एंअरोटॉक्सिामिया इत्यादि रोगो के लिए संपूर्ण पशुधन पशुपालकों के घरद्वार पर निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) में क्रमशः 94.15 लाख तथा 74.58 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है।

3.97 सरकार राज्य के बेसहारा मवेशियों के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है और विभाग ने राज्य के विभिन्न गौशालाओं में 58,864 बेसहारा मवेशियों के पुनर्वास में सहायता की है तथा कम फसल क्षति के कारण किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है और निम्न कोटि के जर्मप्लाजम के प्रसार की रोकथाम भी हुई है।

3.98 हरियाणा राज्य में वित वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के अन्तर्गत अब तक 93,868 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 87,767 आवेदन बैंको को प्रायोजित किए जा चुके हैं। अब तक इस योजना से 37,579 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। विभाग और आयोग राज्य की गौशालाओं को चारे की खरीद, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और अकाल, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता कर रहें है। गौसेवा आयोग के साथ कुल 694 गौशालाएँ पंजीकृत हैं और इस वर्ष के दौरान चारा अनुदान के रूप में 165.63 करोड़ रूपये वितरित किये गये है।

3.99 पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न बैंको द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (पी.के.सी.सी.) प्रदान करने का प्रावधान हैं। अब तक कुल 2.20 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए है और 3,449 करोड़ रुपये की राशि राज्य के पशुपालकों को वितरित की जा चुकी है।

3.100 पशुपालन में इच्छुक राज्य के बेरोजगार युवाओं को डेयरी, भेड़, बकरी सूअर और मुर्गी पालन में 11 दिनों का अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) में क्रमशः 2,624 व 2,226 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

3.101 जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और सब-तहसील स्तर पर सभी पशु चिकित्सा संस्थानों के डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4 करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री बजट दिया गया है। डिजिटाइजेशन के काम के लिए जरूरी इक्विपमेंट खरीदने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।

3.102 पंचकूला और सोनीपत में BSL-II प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रक्रियाधीन है। पंचकूला और सोनीपत प्रयोगशालाओं की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए क्रमशः 13.65 लाख और 24.23 लाख रूपये जारी किए गए है।

3.103 राज्य के किसानों को 24X7 पशु स्वास्थ्य और प्रजनन सेवाएँ प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना "मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई" शुरू की गई है, भव्य हेल्थ केयर और धनुष हेल्थ केयर ऐजेंसियां पी.पी.पी. मोड पर इन मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों को चला रहीं हैं। भव्य हेल्थ केयर और धनुष हेल्थ केयर ऐजेंसियां पी.पी.पी. मोड पर इन मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों को चला रहीं हैं, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयां प्रदान की गई हैं, जिसमें प्रत्येक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई में एक पशु चिकित्सक, एक पैरा-वेट और एक ड्राइवर कम परिचारक है। यह सेवाएँ टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से कॉल के आधार पर उपलब्ध हैं।

मत्स्य

3.104 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। सहायक व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन राज्य के मत्स्य पालकों में लोकप्रिय होता जा रहा है।

3.105 वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 23,317.50 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाकर 1,5039.71 लाख मछली बीज संचय करते हुए 2,32,339.70 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 (अक्तूबर, 2025 तक) के अन्तर्गत 21,257.54 हैक्टेयर जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन लाकर 12,400.00 लाख मत्स्य बीज संचय के विरूद्ध 15,769.67 लाख मत्स्य बीज संचय करते हुए 2,48,000.00 मीट्रिक टन लक्ष्यों के विरूद्ध 1,59,321.30 मीट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन किया गया। वर्ष 2021-22 से 2025-26 मछली पालन के तहत जल क्षेत्र के कवरेज का विवरण **तालिका 3.20** एवं **आकृति 3.3** में भी दिया गया है।

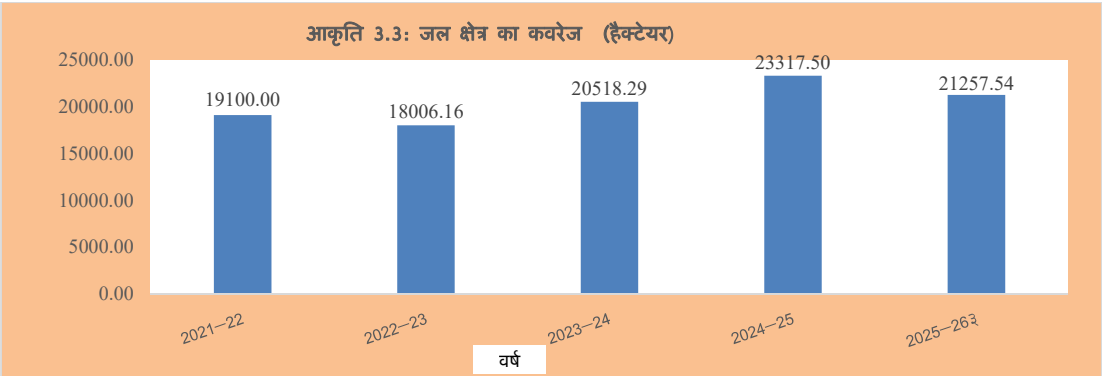

तालिका 3.20: जलक्षेत्र का कवरेज विवरण

जलक्षेत्र का कवरेज (हैक्टयर)	वर्ष				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (अक्तूबर, 2025 तक)
	19100.00	18006.16	20518.29	23317.50	21257.54

स्त्रोतः मत्स्य विभाग, हरियाणा।

3.106 अनुपयोगी लवणीय व जल मग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतू वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एक अग्रणी परियोजना प्रारम्भ की गई है। यह दूरदर्शी परियोजना राज्य के अनुपयोगी लवणीय व जल मग्न क्षेत्र में सफेद झींगा पालन (लिटोपेनियस वन्नामेई) संस्कृति पर केन्द्रीत है। वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत में 2,360.24 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा पालन के अधीन लाया गया। वर्ष 2025-26 (अक्तूबर, 2025) में 2,555.84 हैक्टेयर जलक्षेत्र झींगा पालन के अधीन लाकर 5,388.79 लाख झींगा बीज संचित करते हुए 14,785.30 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन किया गया। वर्ष 2025-26 में औसत मत्स्य उत्पादकता 10,000 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 12,000 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष किया जायेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

3.107 गेहूं खरीद की समय अवधि दिनांक 01-04-2025 से 22-05-2026 तक थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रूपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ खरीद के लिए 418 मण्डियां/खरीद केन्द्र खोले गए थे। गेहूं की कुल 72.89 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई। सरसों खरीद के लिए 117 मण्डियां/खरीद केन्द्र, चने की खरीद के लिए 11 मण्डियां/खरीद केन्द्र, जौ खरीद के लिए 25 मण्डियां/खरीद केन्द्र तथा सूरजमुखी की खरीद के लिए 15 मण्डियां/खरीद खोले गए।

3.108 धान खरीद की समय अवधि दिनांक 23-09-2025 से 15-11-2025 तक निर्धारित की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए 249 मण्डियां/खरीद केन्द्र खोले गए है। खरीफ सीजन के दौरान कॉमन धान 2,389 रूपये प्रति क्विटंल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 62.13 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। मूंग खरीद के लिए 38 मण्डियां/खरीद केन्द्र, मक्का की खरीद के लिए 19 मण्डियां/खरीद केन्द्र तथा मूंगफली की खरीद के लिए 7 मण्डियां/खरीद केन्द्र खोले गए है। पिछले दो वर्षों में रबी और खरीफ फसलों की खरीद **तालिका 3.21** में दी गई है।

तालिका 3.21: रबी तथा खरीफ फसलों की खरीद

वर्ष	गेहूँ (लाख मीट्रिक टन)	चना (लाख मीट्रिक टन)	सरसों (लाख मीट्रिक टन)	धान (लाख मीट्रिक टन)	मक्का (मीट्रिक टन)	सूरजमुखी (मीट्रिक टन)	मूँग (मीट्रिक टन)	बाजरा (लाख मीट्रिक टन)
2024-25	71.50	-	10.74	54.00	-	31661.00	2664.15	4.49
2025-26	72.89	5.30	7.75	62.13	-	46220.00	-	230

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

भण्डार शाखा

3.109 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के पास 123.63 (59.71 स्वामित्व+64.45 किराये पर) लाख मीट्रिक टन की कवर्ड भण्डारण क्षमता है। जिसमें से खाद्य विभाग के पास भंडारण क्षमता 4.83 लाख मीट्रिक टन, हैफेड के पास 27.23 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग की 18.90 लाख मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम के पास 8.75 लाख मीट्रिक टन तथा 63.92 लाख मीट्रिक टन क्षमता के निजी पार्टियों (सभी खरीद एंजेसियों से सम्बन्धित) के स्टील साइलो है। राज्य सरकार भण्डारण के कारण होने वाली हानि को कम करने तथा कवर्ड भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के प्रति सतर्क है।

3.110 हिसार में 40,656 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,695.26 लाख रूपये होगी। नाबार्ड इस राशि का 95 प्रतिशत (2,560.50 लाख रूपये) वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत प्रदान करेगा और

इस राशि का 5 प्रतिशत यानी 134.76 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हरियाणा राज्य भण्डारण निगम नोडल एैजेन्सी है। 17,556 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 23,100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। महुवाला फतेहाबाद में 53,130 मीट्रिक टन क्षमता के विभागीय गोदाम का निर्माण किया जाना है तथा इसके निर्माण में लगभग 28.37 करोड से 30 करोड की राशि का खर्च होगा। इस गोदाम के निर्माण के लिए हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन पंचकूला को नोडल एजैंसी नियुक्त किया गया है।

स्टील साईलों का निर्माण

3.111 भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा राज्य में 18 स्थानों पर हब और स्टील/स्पोक का निर्माण करने का निर्णय लिया है। हब साईलों का निर्माण राजस्व जिले रोहतक, कैथल, जींद, सोनीपत और पानीपत में 4,50,000 मीट्रिक टन किया जाएगा। स्टील साईलों का निर्माण 12 स्थानों (असंध, घरौंदा, समालखा, गोहना, पीलूखेड़ा, उचना, सफीदो, फतेहाबाद, रतिया, भूना, पलवल व होर्डल) पर 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के (25,000 मीट्रिक टन क्षमता प्रत्येक स्थान पर) स्टील साइलों का निर्माण किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम को हब और स्टील/स्पोक बनाने के लिए नोडल एजैंसी नियुक्त किया गया है।

उपभोक्ता मामले

3.112 सशक्तीकरण और जागरूकता के अलावा हेल्पलाईन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान के बारे में भी मार्गदर्शन करती है जोकि 27 सितम्बर, 2013 को लागू किया गया। हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण, मार्गदर्शन करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यरत है। 2013 से दिनांक 31-10-2025 तक 83,988 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 83,974 (99.98 प्रतिशत) शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

पी.डी.एस. के अंतर्गत चीनी का वितरण

3.113 राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से प्रति बी.पी.एल. परिवार को 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति मास की दर से चीनी वितरित की जा रही है। वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार प्रति माह लगभग 12.98 करोड़ रूपये और प्रतिवर्ष 158 करोड़ रूपये वहन कर रही है।

अन्तयोदय आहार योजना के तहत सरसों तेल का वितरण

3.114 राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई, 2023 से राज्य के जिन परिवारों के पहचान पत्र में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रूपये से कम है, उन्हें 20 रूपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार प्रति माह हैफेड और हरहित (एग्रो) के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद उपरोक्त निर्णय की समीक्षा करते हुएए यह मूल्य निर्धारण जून 2025 तक जारी रहा। जुलाई, 2025 से 2 लीटर फोर्टिफाइड सरसों तेल 100 रुपये की संशोधित दर पर वितरित किया जाने लगा। अगस्त, 2025 तक, फोर्टिफाइड सरसों तेल 1 लीटर के लिए 30 रुपये और 2 लीटर के लिए 100 रुपये पर वितरित किया जा रहा है (लाभार्थियों को एक बार में 1 लीटर या 2 लीटर फोर्टिफाइड सरसों तेल प्राप्त करने की अनुमति है। बाद में तेल की किसी भी अतिरिक्त मांग को स्वीकार नहीं किया जायगा)। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में सालाना 1,312 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। आवश्यक वस्तुओं का विवरण **तालिका 3.22** में दिया गया है।

तालिका 3.22: खाद्यान्न का योजनावार वितरण

स्कीम	वस्तु	वितरण 2025-26 (जनवरी, 2026 तक)
एन.एफ.एस.ए.-2013	गेंहू+बाजरा	850769 (एम.टी.)
	चीनी	385450 (क्विं.)
	सरसों का तेल	795245 (एच.ली.)

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का एंड टू एंड कम्पुयट्रीकरण

3.115 टी.पी.डी.एस. आपरेशन के एंड-टू-एंड कंम्यूट्राइजेशन के तहत कॉनफेड फोकल प्वाइंटस सहित 9,297 उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) और 243 गोदामों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। एन.एफ.एस.ए. के तहत 40.68 लाख परिवारों/राशन कार्ड और 2.11 करोड़ सदस्यों/ लाभार्थियों को डिजिटलीकरण किया गया है और 100 प्रतिशत सदस्यों/लाभार्थियों की आधार सीडिंग परिवार आई.डी. डेटा बेस पर आधारित है। राज्य सरकार ने बिल्ड, ओन एंड आपरेट (बी.ओ.ओ.) मॉडल में सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से प्वाइंट आफ सेल डिवाइस (पी.ओ.एस.) स्थापित करने का निर्णय लिया था। 1 नवंबर, 2016 को पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकान का स्वचालन शुरु किया गया था। हरियाणा में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र/टोल फ्री हेल्पलाइन 1967/18001802087 और पारदर्शिता पोर्टल भी स्थापित किए गए हैं।

नामांकित व्यक्ति

3.116 यह देखा गया है कि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो उचित मूल्य की दुकानों पर जा कर राशन को एकत्र करने में असमर्थ हैं, जैसे कि कोढ़ी, बीमार और वरिष्ठ लाभार्थी। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थी हैं जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं जैसे कि वे लाभार्थी जो श्रम में लगे हुए हैं। ये लाभार्थी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन एकत्र करने में असमर्थ हैं। ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ए.ई.पी.डी.एस.) में एक अपवाद संचालन प्रक्रिया प्रदान की गई है। इस तरह के लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण के बाद अपनी ओर से राशन लेने के लिए नामांकित कर सकते हैं।

हर घर हर गृहणी योजना

3.117 विभाग ने अगस्त, 2024 से हर घर हर गृहणी योजना नाम से नई एल.पी.जी. सब्सिडी योजना लागू की है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे 40.66 लाख (बी.पी.एल.)/ए.ए.वाई. परिवारो को 500 रूपये में रिफिल सिलेंडर दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पी.एम.यू.वाई.) परिवारों सहित एल.पी.जी. उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत है लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल https://epds:haryanafood.gov.in विकसित किया गया है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान में 40.66 लाख में से लगभग 17.71 लाख लाभार्थियों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

बेस्ट फिंगर डिटेक्शन

3.118 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की समस्याओं को हल करने के लिए जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन (बी.एफ.डी.) की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही फिंगर प्रिंट को पढ़ने में कठिनाई की समस्या का समाधान करने के लिए फ्यूजन की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें

एक उंगली की पहचान पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में सिस्टम दूसरी उंगली के लिए संकेत देता है। फ्यूजन सफलता की दर लगभग 98 प्रतिशत है, जिसने इस तरह की समस्या को लगभग हल कर दिया है।

एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.पी.डी.एस.)

3.119 एन.एफ.एस.ए. के तहत पंजीकृत लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.-पी.डी.एस.) के एकीकृत प्रबंधन के तहत हर महीने किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से अपना हकदार अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आई.एम.-पी.डी.एस. और राज्य पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन अपडेट किया जाता है। अगस्त, 2022 से 26 नवम्बर, 2025 तक लेनदेन की संख्या 26,99,471 के साथ में हरियाणा राज्य पहले या दूसरे स्थान पर रहा।

विधिक माप विज्ञान

3.120 विधिक माप विज्ञान संगठन हरियाणा सामाजिक न्याय के वादे के साथ-साथ ''ना कम ना ज्यादा'' बस पूरा के आदर्श वाक्य पर काम कर रहा है यह संगठन लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और इससे सम्बन्धित इसके सम्बन्ध नियमों के पूर्वालोकन के तहत निरीक्षण सत्यापन और प्रवर्तन से संबंधित है और वस्तुओं को पैकेज्ड रूप में यह संगठन निरीक्षण भी करता है तथा निर्माता, मुरम्मतकर्ता और विक्रेता का यह संगठन लाईसेंस भी देता है व पैकर्स/आयातकों व निर्माताओं का पंजीकरण भी करता है यह सभी अभ्यास उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए किये जाते हैं। विधिक माप विज्ञान संगठन हरियाणा ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 11.56 करोड़ रूपए का सत्यापन शुल्क और 34.09 करोड़ रूपए (31-10-2025) का कम्पांउडिंग शुल्क एकत्रित किया गया है। इस विभाग का दीर्घकालिक दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को 100 प्रतिशत पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा के साथ प्रदान की जा रही सेवाओं का 100 प्रतिशत डिजीटलीकरण है। सभी नियम तथा अधिनियम जिसमें प्रशिक्षण, कार्यशाला और संगोष्ठी बनाए और आयोजित केन्द्र सरकार द्वारा किए जाते हैं।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.121 हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नबम्वर, 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के गठन के साथ अस्तित्व में आया। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हैफेड का मिशन व्यवहारीय और कुशल सहायता प्रदान करके राज्य के किसानों के आर्थिक हितों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाना है। संघ के मुख्य उद्देश्य:

- कृषि उत्पादन और सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन और प्रंसस्करण के लिए व्यवस्था करना।
- कृषि आदानों की आपूर्ति जैसे खाद, बीज व कृषि रसायनों की व्यवस्था करना।
- सम्बद्ध सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है।

हैफेड का पिछले 3 वर्षों का टर्न ओवर व लाभ **तालिका 3.23** में दिए गए हैं।

तालिका 3.23: हैफेड का बिक्री व लाभ

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	टर्नओवर	लाभ
2022-23	12188.22	6.12
2023-24	17560.00	8.38
2024-25	23270.00	3.89

स्त्रोतः हैफेड।

हैफेड की प्रमुख उपलब्धियां

वित्तीय रिपोर्ट

3.122 वर्ष 2023-24 के लिए कारोबार और लाभ क्रमशः 17,560 करोड़ रुपये और 8.38 करोड़ रुपये था और वर्ष 2024-25 के लिए कारोबार और लाभ क्रमशः 23,270 करोड़ रुपये और 3.89 करोड़ रुपये था। धान की खरीद-खरीफ-2024 सीजन के दौरान हैफेड ने 15.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की व 2025-26 में 19.03 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजैन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग क्रमशः 29 व 30.64 प्रतिशत है।

बाजरे की खरीद: खरीफ 2023-24 में हैफेड ने 3.56 लाख मीट्रिक टन व खरीफ 2024 में 2.15 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है।

गेहूं की खरीद: रबी 2024-25 के दौरान हैफेड ने 35.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जोकि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 49.46 प्रतिशत है व रबी 2025-26 के दौरान 33.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जोकि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 47.28 प्रतिशत है।

सूरजमुखी की खरीद: वर्ष 2024-25 के दौरान 38,903 मीट्रिक टन पी.एस.एस. के तहत व 2025-26 के दौरान 32,036 मीट्रिक टन सूरजमुखी के बीज की खरीद की है।

चीनी मिल असन्ध: वर्ष 2024-25 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध नें 16.97 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की व 7.60 प्रतिशत चीनी की रिकवरी के साथ 85.43 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

प्रमाणित गेहूं बीज का विपणन: वर्ष 2024-25 के दौरान हैफेड ने 46,760 क्विंटल गेहूं के बीज बेचने के साथ 2,327.88 लाख रुपये का कारोबार व 214.49 लाख़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

राइस मिल तरावड़ी: हैफेड राइस मिल तरावड़ी ने वर्ष 2024-25 में 337.05 लाख रुपये का कारोबार किया व वर्ष 2025-26 में दिनांक 31-12-2025 तक 236.37 लाख रुपये का कारोबार किया है।

आटा मिल, तरावड़ी: हैफेड आटा मिल तरावड़ी ने वर्ष 2024-25 में 280.79 लाख रुपये का कारोबार किया व वर्ष 2025-26 में दिनांक 31-12-2025 तक 128.60 लाख रुपये का कारोबार किया है।

हैफेड आयॅल मिल रेवाड़ी एवं नारनौल: वर्ष 2024-25 में हैफेड आयॅल रेवाड़ी एवं नारनौल ने 1,746.12 करोड़ रूपये का कारोबार किया था और 108.50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2025-26 में दिनांक 31-12-2025 तक लगभग 728.60 करोड़ रूपये का कारोबार किया है और 17.50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

हैफेड चारा सयंत्र रोहतक एवं सक्ता खेड़ा: वर्ष 2024-25 में हैफेड चारा संयंत्र रोहतक एवं सक्ता खेड़ा ने 39.81 करोड़ रूपये का कारोबार किया था तथा वर्ष 2025-26 में दिनांक 31-12-2025 तक लगभग 28.22 करोड़ रूपये का कारोबार किया है।

उपभोक्ता उत्पादों का विपणन: हैफेड ने वर्ष 2024–25 के दौरान 1,030.16 करोड़ रुपये का व वर्ष 2025–26 में (दिनांक 31-12-2025 तक) 769.19 करोड़ रुपये का उपभोक्ता उत्पाद बेचा है।

कीटनाशक संयंत्र तरावड़ी: हैफेड कीटनाशक संयंत्र, तरावड़ी ने वर्ष 2024-25 के दौरान 522.32 लाख रुपये का कारोबार अर्जित किया है, जबकि वर्ष 2025-26 में कीटनाशक संयंत्र तरावड़ी ने 31-12-2025 तक 707.26 लाख रुपये का कारोबार किया है।

उपभोक्ता उत्पादों का विपणन: वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान हैफेड ने 31-10-2025 तक 103.09 लाख रुपये मूल्य के उपभोक्ता उत्पाद बेचे हैं। 1,030.16 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 के लिए 31-10-2025 तक 591.80 करोड़ रुपये की बिक्री की है।

3.123 हैफेड की एक नई परियोजनाएं/पहल

- हैफेड ने जाटूसाना (रेवाड़ी) में 13.60 करोड़ रुपये की लागत से 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली एक नई अत्याधुनिक आटोमेटिक आटा मिल स्थापित की है। यह मिल पी.एल.सी. कंट्रोल के साथ पूरी तरह से आटोमेटिक है, जो उत्पादन के हर चरण में सटीकता सुनिश्चित करती है। मिल में सटोरेज के लिए 5,000 एम.टी. क्षमता का साइलो भी है और इसमें मिल की उत्पादन क्षमता के अनुसार पैकेजिंग के लिए एक आटोमैटिक पैंकिंग स्टेशन भी है। आटे की गुणवत्ता और एकरूपता की जांच के लिए एक उन्नत प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
- रोहतक में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। सीपीसी रोहतक का कार्य पूरा हो चुका है और तीन प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों का कार्य प्रगति पर है।
- हरियाणा सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अनुपालन में, हैफेड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत रामपुरा (रेवाड़ी) में एक नई तेल मिल और कुरुक्षेत्र जिले में एक सूरजमुखी तेल मिल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

3.124 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम दिनांक 01-11-1967 को अस्तित्व में आया। यह संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है, जिसके दो उद्धेश्यों किसानों एजैंसियों, सार्वजनिक उद्यमों, व्यापारियों आदि को कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है और गोदामों में जमा माल के बदले क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना के समय, इसके पास अपने गोदामों की केवल 7,000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता थी। वर्तमान में दिनांक 30-11-2025 तक निगम राज्य में 123 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिसमें से 118 स्वामित्व वाले और 05 गोदाम प्रबंधन के आधार पर राज्य भर में 24.35 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ हैं, जिसमें 23.66 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवरड गोदाम और 0.69 लाख मीट्रिक टन क्षमता के खुले प्लिंथ सम्मिलित है। वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और इसका उपयोग **तालिका 3.24** में दिया गया है।

तालिका 3.24: वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और उपयोग

वर्ष	औसत भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	औसत उपयोगिता (मीट्रिक टन)	उपयोगिता की प्रतिशता	गोदामों की संख्या
2024-25	2251850	2032305	90	123
2025-26 (30-11-2025 तक)	2506601	2768174	110	123

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो

3.125 (क) निगम हरियाणा के आयातकों व निर्यातकों और पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्र में लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए रेवाड़ी में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) सह-कन्टेनर फ्रेट स्टेशन संचालित कर रहा है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान आई.सी.डी. की कमाई क्रमशः 120.93 लाख तथा 43.10 लाख रूपये हुई।

गोदामों का निर्माण

(ख) वर्ष 2020-24 के दौरान, निगम ने अपनी भूमि, शुगरफेड भूमि और एच.एस.ए.एम.बी. भूमि पर 18,70,868 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया है। इसके अलावा एच.एस.ए.एम.बी. बावल में 15,246 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है। 5,236 एम.टी.एस., एस.डब्ल्यू.एच. से सेवली 4,928 एम.टी. पुन्डरी का कार्य प्रगति पर है। एच.एस.ए.एम.बी. में 14630 मीट्रिक टन क्षमता का कार्य बाबा लडाना में एजेंसी को आंबटित भूमि और ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका।

3.126 निगम दो विस्तार सेवा योजनाएं चला रहा है, जिनके नाम जैसे कीटाणुशोधन विस्तार सेवा योजना (डी.ई.एस.एस.) और किसान विस्तार सेवा योजना (एफ.ई.एस.एस.) है। किसान विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत निगम किसानों को कृषि उपज के वैज्ञानिक भण्डारण व कीटाणुशोधन उपायों के बारे में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। गोदाम के कर्मचारी वैज्ञानिक भंडारण के लाभों से किसानों को परिचित कराने और प्रमाणित करने के लिए आसपास के गांवों का दौरा करते है। वर्ष 2024-25 के दौरान 157 गांवों में 391 किसानों को शिक्षित किया गया और 4.16 लाभ अर्जित किया गया। वर्ष 2025-26 में दिनांक 30-11-2025 तक निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने इस योजना के तहत 78 गाँवों में 633 किसानों को उनके खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित किया और 4.59 लाभ अर्जित किया गया।

वित्तीय उपलब्धियां

3.127 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निगम ने कर पूर्व 878 लाख रूपये का तथा कर पश्चात (-)1,022 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया है। निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए गेंहू, धान और बाजरा की खरीद के लिए राज्य एजैन्सियों में से एक है। अक्तूबर, 2014 से निगम बाजरा, मूंग, सरसों, सूरजमुखी तथा चना भी खरीदता है। गेंहू और धान के खरीद की 2 वर्षों की स्थिति **तालिका 3.25** में दी गई है।

तालिका 3.25: निगम की खरीद की स्थिति

(लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	गेंहू			धान		
	एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता	एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता
2024-25	16.10	69.75	23.10	8.55	52.19	16.38
2025-26	16.03	72.25	22.50	10.32	59.40	17.37

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड

3.128 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना मार्किट कमेटियों की देखरेख के उद्धेश्य से 1 अगस्त, 1969 को की गई थी। इसकी स्थापना से अब तक अनाज की खरीद के लिए 114 मुख्य यार्ड, 84 सब यार्ड तथा 220 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा 19,189 कि. मी. लम्बाई की 7,454 सड़कों का निर्माण किया गया जिसमें से 8,088 कि.मी. लम्बाई की 3,092 सड़कें जिला परिषदो व अन्य विभागों को स्थान्तरित कर दी गई हैं। वर्तमान में 11,101 कि.मी. लम्बाई की 4,362 सड़कों का रखरखाव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत है।

विकास कार्य

3.129 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने दिनांक 01-11-2024 से 31-10-2025 नई अनाज व सब्जी मण्डियों के विकास/उत्थान, सम्पर्क सड़कों के निर्माण और रख रखाव पर 835 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। चालू वित वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 31-10-2025 तक विकास कार्यों पर कुल 561 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। शीर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः-

मण्डी कार्यः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नई अनाज/सब्जी मण्डियों के विकास तथा मौजूदा मण्डियों के उत्थान के लिए 133 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। वर्तमान में 150 करोड़ रूपये के विकास कार्यों से मण्डियों में उक्त सभी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य प्रगति पर हैं।

नई सम्पर्क सड़कों का निर्माणः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 324 कि.मी. लम्बाई की 125 नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य दिनांक 31-10-2025 तक 150 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर 345 कि.मी. लम्बाई की 142 सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य 188 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर हैं। राज्य के सभी पांच करम के कच्चे रास्ते, जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, को पक्का करने बारे घोषणा की गई।

सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मतः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1,682 कि.मी. लम्बाई की 576 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य 241 करोड़ रूपये 31-10-2025 तक की अनुमानित लागत से विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं/निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 1,300 कि.मी. लम्बाई की 474 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य 288 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं।

मार्किट फीसः वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 900 करोड़ रुपये की मार्किट फीस एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत दिनांक 31-10-2025 तक 716 करोड़ रुपये मार्किट फीस के रुप में एकत्रित किए गए हैं।

3.130 नई पहल

सेब, फल व सब्जी मण्डीः पंचकूला के सैक्टर-20 की मण्डी में सेब मार्किट अक्तूबर, 2016 से कार्यरत है। विभाग द्वारा पिजौर में 78.33 एकड भूमि पर नई सेब, फल एवं सब्जी मण्डी विकसित हो रही है। जिसकी अनुमानित लागत 152.72 करोड़ रूपये है।

फूल मंडी गुरूग्रामः जी.एम.डी.ए. ने फूल मंडी की स्थापना के लिए सैक्टर 52-ए गुरूग्राम में 8.0 एकड़ भूमि देने की सहमति दे दी है। इस मंडी के लिए प्रस्तावित भूमि को "ओपनस्पेश" से "मिक्स लैंड यूज में बदलने हेतू प्रक्रिया नगर योजनाकार विभाग में प्रगति पर हैं।

मसाला मंडी सेरसाः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिल्ली के भीड़-भाड वाले खारी बावली मंडी के मसाले कारोबार को स्थानान्तरित करने के लिए सेरसा, सोनीपत में एच.एस.आई.आई.डी.सी. के सहयोग से मसाला मंडी बनाने की योजना है।

सड़कों की जियो-रेफरेन्शींग

3.131 बोर्ड द्वारा रखरखाव की जा रही सभी 4,362 सम्पर्क सड़कों को यूनिक आईडी जारी कर दी है। प्रत्येक सड़क का जियो-रेफरेन्श सर्वे के साथ जी.पी.एस. फोटोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी सड़कों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सैंटर की सहायता से महारी सडक एप्लीकेशन तैयार की गई है जिसका उद्धेश्य प्रदेश के नागरिकों को गड्ढा मुक्त सड़कें प्रदान करना है। यह पोर्टल राज्य की जनता को सड़कों की खराब स्थिति बारे अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु माध्यम प्रदान करता है।

3.132 ई-खरीद (क) ई-खरीद प्रणाली हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त पहल है। इस स्कीम की शुरूआत दिनांक 27-09-2016 को करनाल से की गई थी। लेन-देन प्रक्रिया दिनांक 01-10-2016 को शुरू की जा चुकी है। सरकार द्वारा ई-खरीद पोर्टल को सूचना व प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा बनाने व संचालित करने का निर्णय लिया गया है। पोर्टल बनाने उपरान्त रबी सीजन 2021 से खरीद आरम्भ की गई व वर्तमान खरीफ सीजन 2021 की खरीद फरोकत इसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के सभी पंजीकृत किसान, राज्य के आढतियों व राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी खरीद एजेंसियों को इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम): राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रुप में मौजूदा मार्केट कमेटियों व मंडियों के लिए वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाने का माध्यम है। ई-नैम योजना को देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की चयनित 585 थोक बाजारों को सार्वजनिक इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया है। देश के 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू की गई है। हरियाणा राज्य की 81 मण्डियों को वर्ष 2020 के दौरान व बकाया 27 मंडियों को दिसम्बर, 2022 के दौरान ई-नैम प्लेटफार्म के तहत जोड़ दिया गया है। हरियाणा राज्य की प्रगति को इस तथ्य द्वारा मापा जा सकता है कि हरियाणा राज्य ने दिनांक 01-04-2025 से 31-10-2025 तक 4,150.56 करोड़ रुपये की 141.97 लाख क्विंटल उत्पाद का व्यापार इस परियोजना के अंतर्गत किया है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य था जिसने चरखी दादरी में ई-नैम पोर्टल के माध्यम से आनलाईन भुगतान किया। अब तक 32.92 करोड़ रुपयें के 1,407 बिल 557 किसानों को जारी किए गए हैं। सभी 108 मार्केट कमेटियों ने ई-नैम के माध्यम से आन लाईन भुगतान जारी कर दिया है। हरियाणा की मंडियों में अच्छी मूलभूत सुविधाएं है। सभी 54 मंडियों में परख प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है जोकि ई-नैम से जुड़ी हुई है। मार्केट कमेटी स्तर पर किसानों, व्यापारियों तथा कमीशन एजेंटों के लिए नियमित रुप से प्रशिक्षण व जागरुकता शिविर लगाए जाते हैं। हरियाणा राज्य का मुख्य ध्यान नॉन एम.एस.पी. उपज पर है जहां वास्तविक मुल्य को खोजा जा सके।

अटल किसान-श्रमिक कैंटीन

3.133 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एक पहल की है और किसानों और श्रमिकों को 10 रूपये में रियायती भोजन दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए पूरे राज्य में 86 स्थानों पर मंडियों में अटल किसान श्रमिक कैंटीन की स्थापना की है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एच.एस.आर.एल.एम. के साथ समन्वय करके यह कैंटीन स्थापित की है। करनाल मंडी में पहली ऐसी कैंटीन का उदघाटन दिनांक 29-12-2019 को किया गया था। अब तक ने 86 ऐसी कैंटिन स्थापित की हैं।

***

4

उद्योग, ऊर्जा, सड़कें एवं परिवहन

औद्योगिकरण किसी भी देश या राज्य के तेजी से विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक राज्य में आर्थिक विकास को तेज करता है और इस तरह राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान को बढ़ाता है और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से एक समाज पूर्व-औद्योगिक स्तर से औद्योगिक स्तर में परिवर्तित होता है। राज्य को पूर्व-प्रचलित निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने और गतिशील शासन प्रणाली द्वारा संतुलित, क्षेत्रीय और सत्त विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरो का सृजन करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के एक व्यापक पैमाने को अपनाया है।

उद्योग और वाणिज्य

4.2 सतत विकास लक्ष्य 2030 को ध्यान में रखते हुए, सरकार राज्य के तेज औद्योगिकीकरण के लिए कई प्रयास कर रही है। सरकार राज्य भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य लेकर चल रही है। राज्य सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा राज्य के व्यापार वातावरण को मजबूत करना है जिससे हरियाणा को पसंद का वैश्विक निवेश गंतव्य बनाया जा सके। सरकार नियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करके इस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है।

4.3 राज्य सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए ''हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लायमेंट पोलिसी-2020 (एच.ई.ई.पी.2020)'' को दिनांक 01-01-2021 से प्रभावी रूप से लागू किया है। यह नीति हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास, निर्यात विविधीकरण और लचीला आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों के लिए आजीविका के अवसरों को बढाने की परिकल्पना करती है। इस नीति का उददेश्य 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना है।

4.4 इसके अतिरिक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने हरियाणा में क्षेत्र के विकास के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया। विभाग ने हरियाणा कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018, विभाग ने हरियाणा राज्य डेटा केंद्र नीति 2022, हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022, एम.एस.एम.ई. नीति 2019, और इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 और हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और पुनर्चरण सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024। वर्तमान में, विभाग नई नीतियां तैयार कर रहा है जैसे हरियाणा लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाऊसिंग पॉलिसी (पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के अनुरूप) ड्राफ्ट हरियाणा आईटी/आईटीईएस, एआई, हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सैंटर (जीसीसी) नीति 2025 और उभरती प्रौद्यागिकी नीति। ये नीतियां विभिन्न आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं और निवेशक पर नियामक बोझ को कम करने के लिए कई उपाय करती हैं।

4.5 परिवहन क्षेत्र को डी-कार्बोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन एक आशाजनक वैश्विक रणनीति है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो वैश्विक ई.वी. 30@30 अभियान का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलैक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) निर्माण में अवसरों की खोज के लिए ऑटोमोटिव निर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना करते हुए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 लॉन्च की है। नीति राज्य में ई-मोबिलिटी के लिए एंड-टू-एंड पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर विशेष जोर देती है और राज्य के भीतर इलैक्ट्रिक वाहन निर्माण और अधिग्रहण लेने के लिए ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना करती है।

4.6 हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के उद्देश्य हैं-

- राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। एक व्यापक और सुलभ चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करके इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सस्ता और आसान बनाना।
- हरियाणा को इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.), ई.वी. के प्रमुख घटकों और ईवी के लिए बैटरी के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना।
- राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- विद्युत गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। ईवी नीति के तहत 13 योजनाएं हैं, जिनमें से 12 योजनाओं की निगरानी उद्योग विभाग द्वारा की जा रही है। सभी 12 योजनाओं को इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर अधिसूचित और डिजिटल रूप से लागू किया गया है। "खरीदारों के लिए प्रोत्साहन" की योजना को भी एनआईसी के माध्यम से अधिसूचित और कार्यान्वित किया गया है। खरीद प्रोत्साहन योजना के तहत 58.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 12-11-2025 तक 1,623 आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

4.7 नियमों को आसान बनाने के अलावा, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपना रहा है। राज्य की ई.ओ.डी.बी. रणनीति को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है, अर्थात 'डिजाइन और विकास', 'कार्यान्वयन और उपयोग' और 'सुधार'। हरियाणा की 3 चरण की रणनीति का अंतिम उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। राज्य सरकार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य कर रही है। हरियाणा ने 11 नवम्बर, 2025 को डी.पी.आई.आई.टी. द्वारा जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 आकलन के तहत तीन सुधार क्षेत्रों (बिजनेस एंट्री, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और सैक्टर-स्पेसिफिक हैल्थकेयर) में ''टॉप अचीवर'' श्रेणी हासिल की। राज्य ने बीआरएपी 2024 के तहत 402 सुधारों को लागू किया, जिसमें उल्लेखनीय 99.50 प्रतिशत स्कोर हासिल किया गया, जो बीआरएपी यात्रा में अब तक का सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त जनवरी, 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ (लीड्स) 2024 रैंकिंग में हरियाणा को ''अचीवर'' राज्य के रूप में स्थान दिया गया था।

4.8 राज्य द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक 2 फरवरी, 2017 को सिंगल रूफ मैकेनिज्म, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर (एच.ई.पी.सी.) की स्थापना है। इंटरएक्टिव पोर्टल www.investharyana.in द्वारा समर्थित सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम को उद्यम संबंधी

क्लीयरेंस/ऑनलाइन सेवाओं के प्रदान करने हेतु स्थापित की गई है। अब तक, इसने क्रमशः 6.74 लाख से अधिक सेवाएँ (सी.ए.एफ.पिन) को संसाधित किया हैं एवं 5 लाख से अधिक सेवाएँ प्रदान की गई हैं। पोर्टल अब 30 विभागों से 140 से अधिक औद्योगिक मंजूरी प्रदान करता है जैसे कि स्थापना के लिए सहमति, भवन योजनाओं की स्वीकृति, बिजली कनेक्शन, संचालन की सहमति, व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि अब समयबद्ध तरीके से एच.ई.पी.सी. के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सभी सेवाएं अधिकतम 15-30 दिनों की समय सीमा के भीतर वितरित की जाती हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत अपने वैधानिक समर्थन के कारण हरियाणा द्वारा विकसित सिंगल रूफ मैकेनिज्म अद्वितीय है। एच.ई.पी.सी. के निर्माण से अनुमोदन प्रक्रियाओं को चैनलाइज करने में मदद मिली है और निवेशकों के लिए कई स्पर्श बिंदु कम हो गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में औसत निकासी समय 22 दिन से घटकर 12 दिन हो गया है। एच.ई.पी.सी. निवेशकों का मार्गदर्शन करने और प्रक्रिया, समय सीमा और औद्योगिक सेवाओं से संबंधित अन्य समान प्रश्नों के बारे में उनके प्रश्नों को हल करने के लिए हेल्पडेस्क संचालित करता है। टिकट (प्रश्न) बनाए जाते हैं जिन्हें समय (5 दिनों) के भीतर बंद करना आवश्यक है। 99 प्रतिशत से अधिक टिकटों को समय सीमा में क्लियर कर दिया गया। अक्तूबर, 2019 में, एच.ई.पी.सी. पोर्टल पर उपलब्ध बीआरएपी के तहत विभिन्न सेवाओं में 765 आवेदनों को डीम्ड क्लीयरेंस प्रदान किया गया है। हेल्पडेस्क ने 1,929 शिकायतों में से 1,923 शिकायतों का समाधान किया, जिसके लिए पीएसजीए अनिवार्य समय सीमा के 15 दिनों के मुकाबले औसत समय केवल 2 दिन है।

4.9 हाल के दिनों में (मार्च, 2022 के बाद) एच.एस.आई.आई.डी.सी. इंडस्ट्रियल एस्टेट में कई बड़ी टिकट परियोजनाओं को जुटाया/आबंटित किया गया है, जो न केवल राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि एम.एस.एम.ई. और सहायक इकाइयों को भी गति प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:-

- मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ कार निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए अल्ट्रा मैगा प्रोजैक्ट श्रेणी के तहत आई.एम.टी. खरखौदा में 800 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से लगभग 11,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कम्पनी ने फरवरी, 2025 में अपने खरखौदा संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और पहले ही 9,413 करोड़ रूपये का निवेश कर लिया है।
- फ्लिपकार्ट समूह पाटली हाजीपुर, मानेसर में 3 मिलियन वर्ग फुट के कवर क्षेत्र के साथ 140 एकड़ भूमि पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है। इस परियोजना से हरियाणा राज्य में 1,389 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश हो रहा है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 16,000 लोगों को प्रस्तावित रोजगार मिलेगा।
- 201 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश के साथ आई.एम.टी.,रोहतक में रेलवे महानगरों के लिए विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए मैसर्स फैवले ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परियोजना।
- पानीपत में, मेसर्स आदित्य बिड़ला समूह को अपनी पेंट विनिर्माण सुविधा के लिए औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में 1,622 करोड़ रुपये के निवेश और 786 लोगों के रोजगार का प्रस्ताव है।

- ए.टी.एल. बैटरी टैक्नोलोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दुनिया की सबसे बड़ी ली-आयन बैटरी निर्माण इकाई में से एक स्थपित करने के लिए आईएमटी सोहना में 178 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। दो चरणों वाली मेगा परियोजना में 7,083 करोड़ रूपये का प्रस्तावित निवेश शामिल है और इससे 6,786 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। परियोजना के पहले चरण का उदघाटन सितम्बर, 2025 में माननीय केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और **इलैक्ट्रॉनिक्स** एवं सूचना प्रौद्यागिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया था।
- आईई पानीपत में लगभग 14 एकड़ क्षेत्र में 596 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पॉलिएस्टर चिप्स के निर्माण के लिए यूफ्लेक्स लिमिटेड परियोजना।
- यूएनओ मिंडा लिमिटेड परियोजना के पहले चरण में यात्री वाहन के लिए मिश्र धातु पहियों के डिजाइन और निर्माण के लिए 94 एकड़ क्षेत्र में आईएमटी खरखौदा में पहले चरण में 1,153 करोड़ रुपये के परियोजना निवेश किया गया है।

4.10 स्टार्टअप नीति के तहत, हरियाणा सरकार ने 23 जुलाई, 2024 को स्टार्टअप्स के लिए छह वित्तीय योजनाओं को अधिसूचित किया, अर्थात् सीड फंड सहायता @ 10 लाख रुपये तक, क्लाउड स्टोरेज प्रतिपूर्ति @ हरियाणा स्थित डेटा केन्द्रों पर किए गए खर्चों की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 5 साल के लिए 2.5 लाख रुपये/स्टार्टअप/वर्ष, लीज़ रैंटल सब्सिडी @ 30 प्रतिशत सब्सिडी सामान्य स्टार्टअप के लिए, महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप के लिए 45 प्रतिशत, 1 वर्ष के लिए 5 लाख रूपये तक, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति @ 25 लाख रूपये तक के पात्र खर्चों की प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय त्वरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स के लिए त्वरण कार्यक्रम में सहायता @ 2.5 लाख रूपये प्रति वर्ष तक, और 7 साल की अवधि के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति @ 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, एफसीआई के 100 प्रतिशत तक सीमित है।

4.11 पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा के तहत लगभग 50,000 हेक्टेयर से प्रत्येक 5 नए शहरों/ टाउनशिप को स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने की संकल्पना की जा रही है। यह तेजी से औद्योगिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा को 25-09-2018 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था और उपरोक्त अवधारणा को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद, दो शहरों, गुरुग्राम से सटे शहर सी और फरीदाबाद से सटे शहर ई को मास्टर प्लानिंग के लिए लिया गया था। कंसल्टेंसी फर्म ए.ई.सी.ओ.एम. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम से सटेसिटी सी के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए उपक्रम के रूप में नियुक्त किया गया था और कंसल्टेंसी फर्म एस.सी.पी. कंसल्टेंट्स (सिंगापुर), फरीदाबाद से सटे सिटी ई के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए उपक्रम के रूप में नियुक्त किया गया था।

4.12 दक्षिण हरियाणा में लगभग 886.78 एकड़ के क्षेत्र में एक एकीकृत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाना है, जिसमें घरेलू कंटेनर कार्गो के भंडारण और हैंडलिंग के लिए निर्यात आयात (एक्जिम)/घरेलू कंटेनर यार्ड और कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित सभी सुविधाएं शामिल होंगी; आटोमोबाईल के भंडारण के लिए आटो जोन; वाणिज्यिक विकास/गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र और सामान्य सुविधाओं के लिए क्षेत्र जैसे-पावर स्टेशन और ट्रांसमिशन, पानी के टैंक और पाईप, सुरक्षा, ट्रक पार्किंग आदि।

दिनांक 30-09-2025 तक 1,18,346.14 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 337 बड़ी औद्योगिक इकाईयां हैं जो 2.97 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं।

4.13 इसके अलावा, हरियाणा सरकार व्यवसाय के संचालन से जुडे जोखिमों का आंकलन करने और इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट सर्वेक्षण कर रही है जहां लागत कम की जा सकती है। हरियाणा 13 सेवाओं के लिए नियामन लागत का आंकलन करने पर केन्द्रीय पहल के अनुरूप काम कर रहा है जो आमतौर पर व्यवसाय को स्थापित करने और चालू करने के लिए आवश्यक है। सर्वेक्षण के लिए 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए 13 सेवाओं के 40,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं का डेटा, मूल्यांकन के लिए एकत्र किया गया तथा जिसे नियामक लागत मूल्यांकन के लिए डी.पी.आई.आई. भारत सरकार के साथ भी सांझा किया गया है।

4.14 प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। वर्ष 1967-68 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ शुरू होकर वित्त वर्ष 2024-25 में, हरियाणा से कुल व्यापारिक निर्यात 1,61,707.86 करोड़ रूपये रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में, 1,46,180 करोड़ रूपये की तुलना में 10.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में, कुल निर्यात लगभग 2,75,245 करोड़ रूपये का था, जिसमें 1,46,180 करोड़ रूपये का व्यापारिक निर्यात और 1,29,065 करोड़ रूपये सेवा निर्यात शामिल थे। राज्य देश में सबसे बड़े सेवा (आई.टी. और आई.टी.ई.एस.) निर्यातकों में से एक के रूप में उभरा है। हरियाणा देश का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक है, जो समग्र निर्यात तैयारी सूचकांक, 2022 में 5वें स्थान पर है और लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी के तहत पहले स्थान पर है।

इकाइयों को प्रोत्साहन

4.15 उद्यम संवर्धन नीति-2015/हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 के अनुसार बड़ी और मेगा इकाइयों और भंडारण इकाइयों को दिए गए प्रोत्साहनों में वैट/एस.जी.एस.टी. पर निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना आदि शामिल हैं। पिछले 7 वर्षों के दौरान मेगा, बृहत और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहनों पर व्यय का ब्यौरा **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: मैगा वृहत तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहन का व्यय

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट आवंटन	संशोधित बजट	व्यय
2019-20	100.00	100.00	100.00
2020-21	100.00	100.00	75.78
2021-22	100.00	50.00	29.98
2022-23	100.00	128.80	89.75
2023-24	350.00	130.10	127.62
2024-25	468.35	412.28	393.80
2025-26 (31-10-2025 तक)	899.11	899.11	301.58

स्त्रोतः उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, हरियाणा।

4.16 अन्य प्रमुख पहल

- पी.एम. गति शक्तिः हरियाणा सरकार ने राज्य में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए पी.एम. गति शक्ति को अपनाया है। हरियाणा ने परियोजना योजना के लिए आवश्यक अनिवार्य 30 डेटा परतों (तटीय विनियमन क्षेत्र परत हरियाणा के लिए लागू

नहीं है) में से 29 अपलोड किए हैं। हरियाणा अनिवार्य परतों के अलावा, राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अतिरिक्त डेटा परतों को अपडेट कर रहा है।

- राज्य ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से 100 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की सभी परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे की योजना को अनिवार्य कर दिया है। .
- हरियाणा ने लगातार तीन वर्षों (2022, 2023 और 2024) के लिए विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज सर्वेक्षण में लैंडलॉक्ड राज्यों के लिए ''अचीवर'' श्रेणी में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है।
- राज्य सरकार ने 26 सितम्बर, 2025 को पीएम गति शक्ति पहल के तहत राज्य विभागों/ संगठनों को डेटा लेयर निर्माण और प्रबंधन सहित जीआईएस सहायता प्रदान करने के लिए एच.ए.आर.एस.ए.सी. को राज्य तकनीकी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया।
- वर्तमान में एच.एस.आई.आई.डी.सी. पीएम गतिशक्ति राज्य मास्टर प्लान पोर्टल का उपयोग करके 7 आगामी औद्योगिक सम्पदाओं की योजना बना रहा है, जिनमें से प्रत्येक में 100 करोड़ रूपये से अधिक का अनुमानित निवेश है।
- उद्योग और वाणिज्य विभाग ने व्यापार अनुपालन से संबंधित छोटे प्रावधानों की पहचान करने और उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिससे राज्य में संचालित व्यवसायों के लिए अनुपालन में समग्र आसानी बढ़ गई है। 22 दिसम्बर, 2025 को हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 17 विभागों में 42 राज्य अधिनियमों में 164 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए अब तक के सबसे व्यापक जन विश्वास विधेयक का प्रतिनिधित्व करता है।

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.17 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 19-02-1969 की धारा-3(1) के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 के अधीन हुई। बोर्ड सामान्य रूप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्चपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्देश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, व्यक्तियों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है। अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है-

- पात्र ऋणियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वितीय सहायता प्रदान करवाना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में सेवारत व इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.18 भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से एक मुश्त मार्जिन मनी असिस्टैंस सब्सिडी कार्यक्रम के साथ खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के तहत उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रूपये के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत की मार्जिन मनी (सब्सिडी) की दर ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत की दर प्रदान की जाती है और साथ ही अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से अपंग/ भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल लक्ष्यों 1,384.87 लाख रूपये में से 1,776.20 लाख रूपये लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई और वर्ष 2025-26 में कुल लक्ष्यों 1,772.78 लाख रूपये में से दिनांक 31-10-2025 तक 2,763.44 लाख रूपये लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई है। जो **तालिका 4.2 (क)** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2 (क): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(रूपये लाख में)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य			बैंकों द्वारा भेजे गए केसों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत केसों की संख्या		वितरित राशि		
	केसों की संख्या	मार्जिन मनी लाखों में	रोजगार		केसों की संख्या	मार्जिन मनी लाखों में	केसों की संख्या	मार्जिन मनी लाखों में	रोजगार
2024-25	505	1384.87	5555	1907	854	5640.55	349	1776.20	3839
2025-26 (31-10-2025)	479	1772.78	5273	429	139	1045.33	430	2763.44	4730

स्त्रोतः हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड।

हर खादी आउटलेट

4.19 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिक्री केन्द्र खोलने बारे कार्यवाही की जा रही है। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यालय, पंचकूला में हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग की वित्तपोषित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बिक्री केन्द्र 1 नवम्बर, 2018 को खोला गया। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ ''हर खादी'' में पंजीकृत इकाईयों के उत्पादों को फिल्पकार्ट व अमेजन के माध्यम से सेल किया जा रहा है। बोर्ड ''हर खादी'' के उत्पादों को हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग में इस्तेमाल करवाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। बोर्ड ''हर खादी'' के उत्पादों को बोर्ड के आनलाईन प्लेटफार्म पर सेल करने के लिए प्रयासरत है। पिछले 2 वर्षों में हर खादी उत्पादों की कुल बिक्री का विवरण **तालिका 4.2 (ख)** में दिया गया है।

तालिका 4.2 (ख): हर खादी उत्पादों की कुल बिक्री

(रूपये लाख में)

वर्ष	कुल बिक्री
2024-25	13.27
2025-26 (31-10-2025 तक)	7.91

स्त्रोतः हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

4.20 खान एवं भू-विज्ञान विभाग राज्य में सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा के व्यवस्थित अन्वेषण व दोहन कार्य के लिये उत्तरदायी है। हरियाणा राज्य को किसी भी प्रमुख खनिजों के महत्वपूर्ण भण्डार के लिए नहीं जाना जाता है तथा इसके खनन कार्य मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि पत्थर, रेत, बजरी आदि जो निर्माण कार्य में प्रयोग होती है, तक ही सीमित है।

4.21 सम्बन्धित विधि व नियम

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957-यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि देश में खनन के सतत विकास एवम् खनिज रियायत के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- खनिज रियायत नियम, 1960-केन्द्र सरकार द्वारा बड़े खनिजों के खनन के लिए रियायत दिये जाने के लिये बनाया गया है।
- हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 दिनांक 20-06-2012 को अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की धारा 15 और 23सी के तहत राज्य के नियम बनाये गये हैं।
- हरियाणा खनिज (अधिकारों का निहितार्थ) अधिनियम, 1973
- हरियाणा क्रशर विनियमन और नियन्त्रण अधिनियम, 1991 (आमतौर पर स्टोन क्रशर अधिनियम, 1991 के रूप में जाना जाता है) और इस अधिनियम के तहत राज्य में स्टोन क्रशर के संचालन को करने के लिये हरियाणा क्रशर विनियमन और नियंत्रण नियम, 1992 बनाया गया।
- हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017

4.22 विभाग का भूवैज्ञानिक विंग कई तरह के कार्य की देख रेख कर रहा है:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समन्वय से नए खनिज युक्त क्षेत्रों की जांच करने के लिए खनिज अन्वेषण कार्य। भूवैज्ञानिक विंग और जीएसआई गांव गोलवा जिला महेंद्रगढ़ में तांबे (प्रमुख खनिज) के आर्थिक रूप से उत्तरदायी भंडार स्थापित करने में सक्षम हैं और 346.913 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल का एक ब्लॉक भूवैज्ञानिक विंग की मदद से तैयार किया गया है।
- राज्य में लघु खनिजों की खाली खदानों का जमीनी सत्यापन भूवैज्ञानिक विंग की मदद से लघु खनिज जैसे कि स्टोन, बोल्डर बजरी और रेत की खाली खदानों के खनन ब्लॉकों की ग्राउंड ट्रूथिंग और सर्वेक्षण कार्य लगातार कर रहा है।
- खान क्षेत्र में उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए परिचालन खानों का आवधिक निरीक्षण किसी भी आवश्यकता के मामले में सीमांकन कार्य।

भूवैज्ञानिक विंग हरसैक की मदद से माइनर मिनरल्स यानी स्टोन, बोल्डर बजरी और रेत की खाली खदानों के खनन ब्लॉकों की ग्राउंड ट्रूथिंग और सर्वेक्षण कार्य लगातार कर रहा है।

खान

उल्लेखनीय उपलब्धियां

4.23 विभाग ने मामूली खनिजों जैसे पत्थर, बोल्डर, बजरी, रेत खनिजों के लिए खनन पट्टों/अनुबंधों के आवंटन के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया को अपनाया है। वर्तमान में केवल 45 खानें चालू हैं, जिनमें से गांव खानक, जिला भिवानी की 01 पत्थर की खान राज्य नियम, 2012 में छूट के आधार पर आवंटन के आधार पर राज्य सार्वजनिक उपक्रम एच.एस.आई.आई.डी.सी. को दी गई है। राज्य में खानों का जिलावार विवरण **तालिका 4.3 (क)** में दिया गया है।

तालिका 4.3 (क): राज्य में खानों का जिलावार विवरण

जिला	खानों की संख्या जिनमें खनन कार्य जारी है।
पंचकुला	07
अंबाला	00
यमुनानगर	05 (1 निलम्बित)
कुरूक्षेत्र	00
करनाल	06
पानीपत	00
सोनीपत	01
फरीदाबाद	00
पलवल	03
भिवानी	03 (1 निलम्बित)
चरखी दादरी	07
हिसार	00
रेवाड़ी	00
महेन्द्रगढ़	10
	42 (संचालन) 02 (निलम्बित)

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

4.24 अवैध खनन

- राज्य में किसी भी खनिज का संगठित अवैध खनन नहीं है, हालांकि खनिज चोरी की छुटपुट घटनायें सामने आती है, जिन्हें कानून अनुसार सख्ती से निपटा जाता है। अवैध खनन मामलों की जांच के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में अवैध खनन रोकने/जांच तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना हेतु संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य हैं।
- इन कार्यबलों को जिलों में अवैध खनन की किसी भी घटना के छुटपुट मामलों पर नियमित निगरानी रखने और उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौपी गई है। इसके अलावा इन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की जाती है।

4.25 खनिजों का अवैध परिवहन

- इस तरह की घटनायें जिनमें साथ लगते अन्य प्रदेशों से बिना वैध बिल/भार पर्ची खनिजों के परिवहन के मामले भी शामिल है, को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अवैध खनन में संलिप्त पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है और आस-पास के राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना ए.पी.आई. सांझा करे ताकि उनके द्वारा जारी किए गए ई-रवाना भी निरीक्षण दल द्वारा पुनः सत्यापित किया जा सके।
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगरानी के अतिरिक्त अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जैसे वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन एवं पुलिस भी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठा रहे है। दिनांक 28-08-2019 से 30-10-2025 के दौरान अवैध खनन/खनिजों के अवैध परिवहन में जब्त गाड़ियों का विवरण **तालिका 4.3 (ख)** में दिया गया है।
- राज्य में कानूनी स्त्रोतों से खनन के वैध प्रमाण के बिना पाए गए अवैध खनन/खनिजों/वाहनों की चोरी की स्थिति के मामले **तालिका 4.4** में दिए गए है।
- हरियाणा राज्य अवैध खनन को शून्य स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश के किसी भी भाग में कोई अवैध खनन ना हो, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह कहना तथात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई भी खनन माफिया फल फूल रहा है।
- पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ई.आई.ए. की पर्यावरण आंकलन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 के अनुसार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से संचालन की सहमति लेने उपरांत ही खनन कार्यों की अनुमति दी जा रही हैं।

तालिका 4.3 (ख): राज्य में जब्त किये गये वाहनों के मामलों की जिलेवार संख्या

जिलों के नाम	पकड़े गए वाहनों की संख्या (30-10-2025 तक)	30-10-2025 तक कुल छोडे गए वाहन	वसूल की गई जुर्माने की राशि (लाख रूपये में)
पानीपत एवं करनाल	1048	562	917.93
फरीदाबाद एवं पलवल	1548	909	1444.35
सोनीपत	1016	910	2674.89
यमुनानगर	3647	3045	2354.19
गुरूग्राम एवं नूह	1867	1482	2858.52
महेन्द्रगढ़	1638	1078	2116.09
अम्बाला	1173	962	1379.22
हिसार एवं फतेहाबाद	183	186	330.30
सिरसा	143	131	234.07
रोहतक एवं झज्जर	445	356	760.24
पंचकुला	1384	1168	1314.63
चरखी दादरी	552	492	1001.18

कुरूक्षेत्र एवं कैथल	431	334	605.16
रेवाड़ी	538	496	756.94
भिवानी	361	318	782.54
जीन्द	161	145	346.21
	16,105	**12,574**	**19,876.46**

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

तालिका 4.4: अवैध खनन के मामले और वसूल किया गया जुर्माना

वर्ष	मामलों की संख्या	जुर्माना वसूल किया गया (लाख रूपये में)
2017-18	1748	480.73
2018-19	2009	484.08
2019-20	2020	2017.15
2020-21	3515	8277.69
2021-22	2192	2940.01
2022-23	1187	1036.81
2023-24	1110	1664.41
2024-25	1412	1198.39
2025-26 (31-10-2025 तक)	1075	1023.33

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

पत्थर की मांग व आपूर्ति

4.26 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित लम्बे मुकद्मेबाजी की वजह से जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम एवं नूंह की अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन कार्य बंद पड़ा है। यद्यपि जिला महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी एवं भिवानी में पत्थर का खनन कार्य जारी है, परन्तु निर्माण सामग्री खासकर पत्थर की कमी के मध्यनजर मांग साथ लगते राज्यों से पूरी की जा रही है। राज्य की पत्थर खादानें निजी एवं सार्वजनिक मांग का लगभग 60 से 65 प्रतिशत जरूरत ही पूरी कर पाती है। राज्य इस बात के सतत प्रयत्न कर रहा है कि और खनन क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू हो सके, ताकि निर्माण सामग्री की जरूरत राज्य की खदानों से ही पूरी हो सके।

राजस्व संग्रह

4.27 वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान खनिजों से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का विवरण **तालिका 4.5(क)** में दिया गया है।

तालिका 4.5(क): वर्षवार खनिज से राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	खनिज से राजस्व प्राप्ति
2015-16	265.42
2016-17	494.16
2017-18	712.87
2018-19	583.20
2019-20	702.25
2020-21	1019.94
2021-22	838.34

2022-23	837.00
2023-24	814.78
2024-25	754.44
2025-26	900.86

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

विभाग की गतिविधियाँ

4.28 पहले विभाग लघु खनिज के रियायत खुली नीलामी द्वारा प्रदान करता था। परन्तु अब विभाग ने ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जोकि अधिक पारदर्शी है। इस उद्देश्य के लिए खनन स्थल की ई-नीलामी के लिए बैंकिंग भागीदार पहले ही चुना जा चुका है। खनन स्थल की ई-नीलामी के लिए पोर्टल पहले ही बनाया जा चुका है।

नई पहल

4.29 विभाग ने खनन क्षेत्रों के सीमांकन और भू-संदर्भित मानचित्रण के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कमांड और संपर्क केंद्र का एक प्रस्ताव प्रक्रिया में है जिसमें हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, राष्टीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सूचना प्रौधोगिकी विभाग के व्यक्ति अपने संबंधित खनन स्थलों में ठेकेदारों की खनन गतिविधियों की निगरानी करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में, ''हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो पुलिस स्टेशनों" की इकाइयों को पूरे हरियाणा राज्य में 22 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान सरकार ने हाल ही में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए DRIISHYA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि ड्रोन के माध्यम से नवीनतम जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएगा। ग्राम पंचायतों को जोहड़ अथवा तालाब बनाने के लिए निकाली गई मिट्टी के निपटान के सरलीकरण हेतु मिट्टी के उत्खनन से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भी विभागीय पोर्टल www.kisanminesharyana.gov.in पर करने का निर्णय लिया गया है।

जिला खनिज प्रतिष्ठान

4.30 केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया। इन संशोधनों के अंतर्गत धारा 9(बी) जोड़ी गई, जिसके अनुसार खनन एवं इससे संबंधित कार्यो की वजह से प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हित के लिए कार्य करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना करना था। तदानुसार हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम बनाऐ गए तथा इन्हें 19-12-2017 को अधिसूचित किया गया। राज्य नियम, 2012 के मौजूदा प्रावधानानुसार कार्यरत खदानों द्वारा 7.5 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि खान एवं खनिज पुर्नस्थापन और पुर्नवास फंड में जमा करवानी होती है, राज्य सरकार भी डैड रैंट, रायल्टी और कान्टैक्ट मनी के कारण सरकार द्वारा अपनी कमाई का 2.5 प्रतिशत हिस्सा इस फंड में प्रदान करती है। उक्त फंड का उपयोग मुख्य रूप से खनन एवं अन्य खनन सम्बधी कार्यो से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के कार्य हेतू किया जाना है। खनन प्रभावित क्षेत्रों/जिलों में सम्बधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में डी.एम.एफ. के सहयोग से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्रियान्वित की जाती है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः

- खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यक्रम लागू करना जो केन्द्र सरकार की वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं की पूरक होगी।

- खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् खनन जिलों के लोगों पर पड़ने वाले पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक असर को कम करना।
- खनन क्षेत्रों में खनन प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।

संबंधित जिलों में फंड खाते खोले जा चुके हैं। विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठान निधियों द्वारा आवंटित/जमा की गई तथा उपयोग की गई राशि का विवरण (31-08-2025 की स्थिति अनुसार) **तालिका 4.5 (ख)** में दिया गया है।

तालिका 4.5 (ख): जिला खनिज प्रतिष्ठानों के द्वारा जमा की गई व खर्च की गई राशि का विवरण

(रूपये में)

जिलों के नाम	**हस्तांतरित राशि (एफडी और ब्याज सहित)**	**31-08-2025 तक व्यय राशि**
पंचकुला	9,13,62,345.00	1,21,41,965.50
सोनीपत	2,19,74,048	1,40,94,000
यमुनानगर	27,64,53,772	17,51,56,000
करनाल	5,61,72,546	2,04,71,410.90
भिवानी	24,16,12,408	10,20,372
महेन्द्रगढ़	29,64,43,860.40	10,00,89,764.83
चरखी दादरी	78,79,70,113	29,82,20,673
रेवाड़ी	6,26,453	-
हिसार	8,94,872	-
अम्बाला	10,750	-
पलवल	6,18,129	-
कुल	**1,77,41,39,296.40**	**62,11,94,186**

स्त्रोतः खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा।

ई-शासन

4.31 विभाग अपनी निम्नलिखित सेवाएं एच.ई.पी.सी. पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रहा है। हारट्रोन को निम्नलिखित सेवाओं के लिए विभागीय पोर्टल/आवेदन तैयार करने के लिए लगाया गया हैः-

- खनिज भण्डारण का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- स्टोन क्रैशर का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- ईंट मिट्टी की खुदाई का परमिट का अनुदान/नवीनीकरण
- साधारण मिट्टी की खुदाई के लिए परमिट
- खनिज के निपटान के लिए अनुमति प्रदान करना।

4.32 विभाग की सभी सेवाएं व्यापारिक हैं। जिस किसी आवेदक को इन सेवाओं की जरूरत है उसे सम्बन्धित सेवा के लिए फार्म सभी दस्तावेजों सहित भरना होता है। सभी आवेदन आनलाईन स्वीकार किए जाते हैं तथा उनका डिस्पोजल भी आनलाईन किया जाता है। जिसमें उनकी मारकिंग, दस्तावेजों की वेरिफिकेशन, नोटिंग, ड्राफटिंग, ऐतराज, रिमार्क व उनका स्वीकृति या मनाही शामिल है। प्रत्येक चीज आनलाईन है तथा बिना किसी कागज के प्रयोग के निपटाई जाती है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 13-09-2023 को ''हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली (एच.एम.जी.आई.एस.) पोर्टल'' नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल विशेष

श्रेणियों अर्थात क्रशर से क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट से स्क्रीनिंग प्लांट आदि द्वारा खनिज खरीद और बिक्री की अनुमति नहीं देता है, जो अवास्तविक बिक्री/खरीद की कुरीति को रोकता है। पुराने ई-रवाना प्रणाली को बदल कर उक्त पोर्टल को दिनांक 25-12-2023 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। 450 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के उत्खनन की अनुमति भी आनलाईन मिलेगी, ई-रवाना बिलिंग की जरूरत नहीं होगी।

निर्माण सामग्री के मूल्य

4.33 वर्तमान सरकार के संघटन/गठन के बाद पूरे राज्य में खनन फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए ताकि आम जनता को उचित दरों पर निर्माण सामग्री मिल सके। खनन फिर से शुरू होने पर अच्छी गुणवत्ता की रोडी/बजरी (यमुना रेत) जिला यमुनानगर में लगभग 14-16 प्रति घन फीट उपलब्ध है। जबकि जिला पानीपत/करनाल में रेत अनुमानत 9-10 रूपये प्रति घन फीट उपलब्ध है। वर्तमान सरकार ने अन्तर-राजीय ट्राजिंट पास (आई.एस.टी.पी.) लागू किया है, जिसके तहत पडोसी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हरियाणा में प्रवेश करने वाले सभी खनिज से लदे वाहनों और राज्य से बाहर के गन्तवयों में खनिजों का परिवहन करने वालों पर क्रमशः 80 रूपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क लागू होगा।

4.34 विभाग की मुख्य नीति खनिज अनुदान पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग लोकहित के सतत विकास हेतु पर्यावरण रक्षित तरीके से करना है। राज्य की खनन क्षेत्र में प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से हैः

- यह सुनिश्चित करना है कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से सतत विकास के सिद्धांतो, अंर्तपीढीय व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि निमार्ण सामग्री विकास कार्यो के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हो;
- राज्य के लिए राजस्व का स्रोत; तथा
- स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांटों इत्यादि जैसे संबंधित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

ऊर्जा (विद्युत)

4.35 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए, सस्ती कीमत की बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो उत्पादन क्षमता बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खानें भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमान पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पावर तथा राज्य के अन्दर स्थापित सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर कर रहा है।

4.36 दिनांक 30-11-2025 को राज्य की कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता 17,003.91 मैगावाट है। इसमें 2,582.40 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 846.14 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं

(बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। वर्ष 2025-26 (नवम्बर, 2025 तक) के दौरान इन स्रोतों से बिजली उपलब्धता 4,38,163.13 लाख किलोवाट थी। वर्ष 2025-26 (नवम्बर, 2025 तक) के दौरान 3,93,366.50 लाख किलोवाट बिजली बेची गई। वर्ष-वार स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2001-02 में 35,44,380 से बढ़कर 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) में 83,40,034 हो गई है। श्रेणी-वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 4.7** में दी गई है।

तालिका 4.6: राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967-68	29.00	343.00	6010.00	5010.00
1970-71	29.00	486.00	12460.00	9030.00
1980-81	1074.00	1174.00	41480.00	33910.00
1990-91	1757.00	2229.50	90250.00	66410.00
2000-01	1780.00	3124.50	166017.00	154231.00
2010-11	4106.00	5997.83	296623.00	240125.00
2015-16	3611.37	11053.30	445111.00	322370.61
2020-21	3428.54	12241.41	495874.00	418352.00
2021-22	3428.54	12201.52	529358.75	458223.04
2022-23	3428.54	13442.77	596678.02	526651.78
2023-24	3428.54	14026.58	613115.23	550264.59
2024-25	3428.54	16019.16	676624.86	609785.60
2025-26 (30-11-2025 तक)	3428.54	17003.91	438163.13 (30-11-2025 तक)	393366.5 (30-11-2025 तक)

* यह राज्य की अपनी परियोजनाओं एवं संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी.,एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पीज. (आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, एम.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं आदि) से बाहर हैं।

स्त्रोतः ऊर्जा विभाग, हरियाणा।

तालिका 4.7: राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर-घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	कुल
2001-02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005-06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010-11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2015-16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170
2019-20	5391944	683042	111569	643588	27466	6857609
2020-21	5606807	717355	113773	650800	28649	7117384
2021-22	5810407	759112	118751	664882	29684	7382836
2022-23	6023446	803128	122372	683480	32449	7664875
2023-24	6220874	846608	128338	690866	35749	7922435
2024-25	6400726	891007	133305	703017	37449	8165554
2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक)	6528941	921494	135984	711517	42098	8340034

स्त्रोतः. ऊर्जा विभाग, हरियाणा।

4.37 वर्ष 1967-68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2024-25 में 2,289 यूनिट हो गई है। 2025-26 के दौरान (अक्टूबर, 2025 तक) डिस्काम में बिजली की खपत 3,93,374.63 लाख यूनिट (एल.यूज.) थी। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बिजली की अधिकतम खपत अर्थात 1,55,837.95 लाख यूनिट तथा घरेलू क्षेत्र में 1,26,633.12 लाख यूनिट थी। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 5,941.17 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। क्षेत्र-वार बिजली की खपत **तालिका 4.**8 में दी गई है।

तालिका 4.8: राज्य में सैक्टर-वार बिजली की खपत

(लाख यूनिट)

सैक्टर	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26** (अक्टूबर, 2025 तक)
औद्योगिक	289108.30	205319.21	281597.40	155837.95
घरेलू	239799.40	157882.01	182713.70	126633.12
कृषि	162616.00	98853.05	105542.13	60271.95
वाणिज्यिक	84556.78	50344.6	-	23884.74
पब्लिक सर्विस (सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल घर)	24048.54	13323.17	15770.91	9260.51
रेलवेज	1660.50	1018.8	-	575.68
विविध	34967.77	23524.6	24161.56	16910.68
कुल	**836757.30**	**550265.44**	**609785.70**	**393374.63**

स्त्रोतः ऊर्जा विभाग, हरियाणा।

4.38 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एच.पी.यू. द्वारा हासिल की गई मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः

ए.टी.एण्ड सी. लासिस में कमी: डिस्काम द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से ए.टी. एण्ड सी. लासिस कम हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ए.टी.एण्ड सी. लासिस 9.48 प्रतिशत तक कम हुए जो वित्त वर्ष 2015-16 में 30.02 प्रतिशत थी।

इंटीग्रेटिड रेटिंग: वर्ष 2023-24 के 13वीं इंटीग्रेटिड रेटिंग में हरियाणा डिस्काम उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ए+ एवं ए+ रेटिंग प्राप्त की है।

डिस्काम का टर्नअराउंड: डिस्काम ने वित्तीय टर्नअराउंड हासिल किया तथा 2017-18 से एक निवल लाभ दर्ज किया है। वर्ष-वार निवल लाभ **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: राज्य में वर्ष-वार निवल लाभ

वित्त वर्ष	**लाभ (रूपए करोड में)**
2012-13	-3649.25
2013-14	-3553.66
2014-15	-2116.73
2015-16	-807.94
2016-17	-193.05
2017-18	412.33
2018-19	280.94
2019-20	331.38

2020-21	634.67
2021-22	263.04
2022-23	238.43
2023-24	164.64
2024-25	85.76

स्त्रोतः ऊर्जा विभाग, हरियाणा।

म्हारा गांव जगमग गांव योजना- इस योजना के तहत जनवरी, 2016 में 105 गांवों में 24X7 बिजली सप्लाई की जो अक्टूबर, 2025 में बढकर 6,017 गांवों तक पहुंच गई है।

मुख्य कदम

4.39 नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिस्काम द्वारा भी मुख्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे:

- मीटर रीडिंग एवं स्पॉट बिलिंग में आटोमेशन।
- लगभग 80 प्रतिशत से अधिक राजस्व ऑनलाईन है ।
- नागरिकों की सेवाओं की ऑनलाईन डिलीवरी।
- कार्यात्मक टोल फ्री नंबर 1912
- वाणिज्यिक बैंक कार्यालय की स्थापना
- उप-विभागीय कार्यालयों को आई.टी. क्षमता
- 8.73 लाख स्मार्ट मीटरों को करनाल, पंचकूला, पानीपत, घरौंडा, कालका, पिंजौर, फरीदाबाद तथा गुरूग्राम में लगाना शुरू किया गया है।

एच.वी.पी.एन.एल. की उपलब्धियां

4.40 (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. ने 5 नए सब-स्टेशन चालू किए और मौजूदा सब-स्टेशनों में 50 ट्रांसफार्मर लगा कर, एच.वी.पी.एन.एल. की ट्रांसफोरमेशन क्षमता में 2970 एम.वी.ए. की वृद्धि की गई। 194 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछाई गई। इन ट्रांसमिशन कार्यों पर 591.61 करोड़ (लगभग) रुपये का खर्च किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. ने 02 नए सब-स्टेशन चालू किए, 44 ट्रांसफार्मर लगा कर, एच.वी.पी.एन.एल. की ट्रांसफोरमेशन क्षमता में 2505 एम.वी.ए. तक की वृद्धि की गई। 264.97 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछाई गई। इन ट्रांसमिशन कार्यों पर कुल 654 करोड़ रुपये का खर्च किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. ने एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित 99.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 99.60 प्रतिशत की ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता (टी.एस.ए.) और 2.00 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 1.99 प्रतिशत की इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन हानियाँ हासिल की। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. ने एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित 99.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 99.46 प्रतिशत (नवम्बर, 2025 तक) की ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता (टी.एस.ए.) और 1.95 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 1.87 प्रतिशत (नवम्बर, 2025 तक) की इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन हानियां हासिल की।

(ख) एच.पी.जी.सी.एल. की उपलब्धियां

- पी.टी.पी.एस. पानीपत की 250 मेगावाट यूनिट.7 ने 14-06-2024 से 27-02-2025 तक 258 दिनों का निरंतर संचालन पूरा करने के बाद 90 दिनों के निरंतर संचालन का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
- आर.जी.टी.पी.पी., खेदड़ की 600 मेगावाट यूनिट-1 दिनांक 27-06-2024 से 26-09-2024 तक 91 दिनों तक निरंतर संचालन में रही तथा इसने वर्ष 2014-15 के दौरान 87 दिनों के निरंतर संचालन के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर की 300 मेगावाट यूनिट-2 ने दिनांक 10-07-2024 से 03-12-2024 तक 146 दिनों का निरंतर संचालन पूरा करने के पश्चात 144 दिनों के निरंतर संचालन के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- आर.जी.टी.पी.पी. की 600 मेगावाट इकाई-2, खेदड़ ने 04-06-2025 को 78 दिनों के निरंतर संचालन को पूरा करने के बाद 72 दिनों के निरंतर संचालन के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- पी.टी.पी.एस. की 250 मेगावाट इकाई-8, पानीपत ने 06-04-2025 को 292 दिनों के निरंतर संचालन को पूरा करने के बाद 122 दिनों के निरंतर संचालन के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- पी.टी.पी.एस. पानीपत ने 2024-25 के दौरान 91.04 प्रतिशत के अनुमानित पीएलएफ, 0.39 मिली/किलोवाट घंटा की विशिष्ट तेल खपत और 2498 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा की स्टेशन ताप दर को प्राप्त करके पीएलएफ (85 प्रतिशत), विशिष्ट तेल खपत (0.65 मिली/किलोवाट घंटा) और स्टेशन ताप दर (2515 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा) के एच.ई.आर.सी. मानदंड को को प्राप्त किया।
- डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर ने 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 97.92 प्रतिशत के डीम्ड पी.एल.एफ. और 0.29 एम.एल./के.डब्ल्यू.एच. की विशिष्ट तेल खपत को प्राप्त करके पी.एल.एफ. (85 प्रतिशत) और विशिष्ट तेल खपत (0.50 एम.एल./के.डब्ल्यू.एच.) का एच.ई.आर.सी. मानदंड हासिल किया।
- डब्ल्यू.वाई.सी.हाइडल यमुनानगर ने 2024-25 के दौरान 43.74 प्रतिशत का पी.एल.एफ. और 0.71 प्रतिशत का सहायक बिजली खपत हासिल करके पी.एल.एफ. (43 प्रतिशत) और सहायक बिजली खपत (1.0 प्रतिशत) के एच.ई.आर.सी. मानदंड को प्राप्त किया।
- डब्ल्यू.वाई.सी. हाइडल यमुनानगर ने 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 0.74 प्रतिशत की सहायक बिजली खपत को प्राप्त करके सहायक बिजली खपत (1.0 प्रतिशत) का हर्क मानदंड हासिल किया।
- एच.पी.जी.सी.एल. ने अपने सभी बिजली स्टेशनों पर कोयले के साथ-साथ कृषि अवशेष आधारित बायोमास छर्रों (मुख्य रूप से धान के पुआल) का उपयोग शुरू कर दिया है, जो कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
- डिस्काम के साथ अनुनय के परिणामस्वरूप, हरियाणा की परिधि के बाहर से व्यवस्थित की जा रही बिजली की तुलना में एच.पी.जी.सी.एल. की बिजली सस्ती सिद्ध करके एच.पी.जी.सी.एल. इकाइयां अब शेड्यूल की जा रही हैं और बेकिंग डाउन की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके

परिणाम स्वरूप बेकिंग डाउन प्रतिशत जो वित्त वर्ष 2020-21 में 52.03 प्रतिशत था, वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 6 प्रतिशत हो गया है।

- राख के निपटान के लिए ईंट निर्माताओं, सरकारी सड़क निर्माण एजेंसियों (जैसे एन.एच.ए.आई.) और सीमेंट कंपनियों के साथ नियमित रूप से अनुसरण के माध्यम से, एच.पी.जी.सी.एल. ने 100 प्रतिशत राख का उपयोग हासिल किया है।
- डी.सी.आर.टी.पी.पी., यमुनानगर में 1X800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट की स्थापना का काम बी.एच.ई.एल. को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ई.पी.सी.) आधार पर लगभग 7,272 करोड़ रुपये की लागत से दिया गया है।
- हरियाणा सरकार ने हिसार स्थित आरजीटीपी में 1×800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी.एफ.आर.) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर ली गई है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 09-01-2026 को बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. से कोयला आपूर्ति का अधिकार सुरक्षित कर लिया गया है।
- हरियाणा सरकार ने पानीपत स्थित पी.टी.पी.एस. में 2×800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विस्तार इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी.एफ.आर.) को 17-10-2025 को मंजूर किया गया है। विस्तृत विचार-विमर्श और विभिन्न बाधाओं के कारण, मौजूदा भूमि पर 800 मेगावाट की एक इकाई उपयुक्त पाई गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसकी समीक्षा की जा रही है। इस परियोजना के लिए कोयला लिंकेज सुरक्षित करने हेतु आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

4.41 सौर जल तापन प्रणाली-हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और राष्ट्रीय खाद्यान भंडार में योगदान दे रहा है, इसलिए इसे अपने किसानों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है । किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करने डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलने के लिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजना के घटक बी के तहत राज्य में सिंचाई उद्देश्यों के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी (केन्द्रीय +राज्य) के साथ 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के ऑफ-ग्रिड सौर जल पंप प्रदान करने के लिए एक योजना चला रहा है। 2020-21 से 2024-25 तक 1,81,391 सोलर पंप लगाए गए। इन 1,81,391 सौर पंपों के परिणाम स्वरूप् राज्य में लगभग 1,026.54 मेगावाट की सौर क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप् सालाना लगभग 1,016.27 मिलियन यूनिट (एम.यू.) बिजली की बचत हुई है और सालाना लगभग 8.42 लाख टन कार्बन-डाइ-आक्साइड के उत्सर्जन में बचत होगी। इसके अलावा, कृषि पंपों के लिए इलेक्ट्रिक (आर.ई.) सब्सिडी में 678.20 करोड़ रूपये की वार्षिक वित्तीय बचत होगी। 2025-26 के लिए, 39,641 सौर पंप आबंटित किए गए हैं। जिसमें से 28,467 पंप स्थापित किए जा चुके हैं, और 11,174 सोलर पंप लगाने का काम प्रगति पर है। हरियाणा इस कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है।

बायोमास पावर प्रोजैक्टस

4.42 हरियाणा सरकार ने बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं के लक्ष्य के साथ हरियाणा जैव-ऊर्जा नीति 2018 को अधिसूचित किया है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए और राज्य में धान की पराली आधारित बायोमास बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुरूक्षेत्र (15 मेगावाट), कैथल (15 मेगावाट), जीन्द (9.90 मेगावाट) और फतेहाबाद (9.90 मेगावाट) में 49.8 मेगावाट क्षमता की धान की पराली आधारित बायोमास बिजली योजनाएं आबटिंत की गई है। इन परियोजनाओं में सालाना ईंधन के रूप में लगभग 5.50 लाख टन धान की पराली की खपत होगी। सभी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, और राज्य ग्रिड को बिजली निर्यात कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग

4.43 विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने और राज्य में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से 'ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग' योजना लागू कर रहा है। इस योजना के लिए प्रस्ताव इच्छुक ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों, पात्र गैर-व्यावसायिक संस्थानों/संगठनों आदि से संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य परियोजना अधिकारी के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत स्टैंडअलोन एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम में 75 वाट का सोलर पैनल, 12.8 वॉट 30 ए.एच. की लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी, 12 वॉट एल.ई.डी. ल्यूमिनेयर, 5 मीटर ऊंचाई के पोल पर और हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम में कुल क्षमता 440 वॉट के सोलर पैनल, 12.8 वॉट 200 ए.एच. लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी और 4x22 वाट एल.ई.डी. ल्यूमिनेयर, 7 मीटर ऊंचाई के पोल पर अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। राज्य सब्सिडी 4,000 रूपये प्रति सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और 20,000 रुपये प्रति सोलर हाई मास्ट लाइट प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान 20,000 सोलर लाईट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

4.44(क) 1 किलोवाट से 500 किलोवाट (बैटरी के साथ/बिना) के सौर ऊर्जा संयंत्र कैपेक्स मोड में स्थापित किए जाते हैं और संबंधित विभाग लागत वहन करता है। सौर संयंत्रों की खरीद डीएसएंडडी द्वारा आयोजित दर अनुबंध के माध्यम से की जाती है। 2025-26 के दौरान कुल 7.7 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। सब्सिडी पैटर्न:

- सरकारी भवन (1-500 किलोवाट): कोई सब्सिडी नहीं
- सामाजिक क्षेत्र के संस्थान (1-50 किलोवाट): 50 प्रतिशत सब्सिडी (नई योजना)
- एससी-बीसी धर्मशालाएं (1-5 किलोवाट): 75 प्रतिशत सब्सिडी (नई योजना)
- सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयत्र लगाने के लिए, इन भवनों के साईट सर्वे का कार्य प्रगति पर है। पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुसार 31-12-2025 तक सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने हैं।

(ख) गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना: हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं में उनकी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 80 प्रतिशत राज्य अनुदान (बैटरी बैकअप के बिना बिजली संयंत्र के लिए) और 85 प्रतिशत अनुदान (बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए) के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। शेष राशि गौ सेवा आयोग द्वारा वहन की जाएगी। अब तक 330 गौशालाओं में 2.00 मेगा वाट की कुल क्षमता वाले 331 सौर ऊर्जा

संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 150 गौशालाओं में लगभग 900 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

4.45 हरियाणा सरकार ने ऊर्जा दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। 15 जुलाई, 2025 को पानीपत में माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा ADEETIE योजना (औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की तैनाती हेतु सहायता) का शुभारंभ किया गया जोकि राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण रहा। यह योजना विशेष रूप से हरियाणा के विविध एम.एस.एम.ई. क्षेत्रों-जैसे वस्त्र, आटोपार्ट्स, खाद्य प्रसंस्करण, सिरेमिक, फार्जिंग, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के लिए लाभकारी है। राज्य में लगभग 56 एम.एस.एम.ई. कलस्टर हैं जिनमें 18,000 से अधिक इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से 4 कलस्टर इस योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 100 किलोवाट या उससे अधिक लोड वाले सभी वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा सरंक्षण भवन संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया है। 20 भवन ऊर्जा सरंक्षण भवन संहिता अनुरूप बनाए जा चुके हैं। 450 से अधिक भवनों ने ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली अपनाई है, जो जन-जागरूकता और प्रचार प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। सरकार सरकारी भवनों के लिए निःशुल्क ऊर्जा आडिट कराती है और औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक 500 से अधिक ऊर्जा आडिट पूरे किए जा चुके हैं। ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिनमें सात प्रमुख श्रेणियां और पंद्रह उप-श्रेणियां शामिल हैं। कुल 30 पुरस्कारों में शील्ड और 25 लाख रूपये की नकद राशि दी जाती है।

वास्तुकला

4.46 वास्तुकला विभाग, हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अत्यधिक अल्पव्ययी, कलात्मक और आकर्षक शैली के सरकारी भवनों के वास्तुकला डिजाईन पर कार्य करने की हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है। यह विभाग एक सेवा विभाग होने के कारण राज्य की महत्वपूर्ण जनसंरचनाकी योजना व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुकला संबंधी सेवाएं प्रदान करता है एवं संबधित विभाग से प्रतिपुष्टी प्राप्त करके सभी परियोजनाओं में नवीन डिजाईन समाधानों को विकसित करने का प्रयास करता है। भवनों के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल डिजाईन बनाने में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा भवन संहिता-2017 और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अपनाया जा रहा है।

4.47 विभाग द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि नव प्रशासकीय खण्ड, न्यायिक परिसर, नागरिक अस्पताल जिसमें सी.एच.सी., पी.एच.सी. तथा एस.एस.सी. भी शामिल है, बस अड्डे, नव लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियांत्रिक महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय खेल स्टेडियम, कार्यालय परिसर, स्मारक भवन जिसमें विभिन्न तीर्थ स्थल भी शामिल है, पर कार्य किया है। विभाग विभिन्न अन्य विभागों और निगमों के आउटसोर्सिंग/तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकारों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए विशाल विकास कार्यों में उनकी तकनीकी मत/इनपुट के उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों में भाग लेकर सहायता करता है।

सड़कें

4.48 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतू प्रमुख साधन है। भविष्य में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों/सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने पर जोर दिया गया है। **तालिका 4.10** राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अन्तर्गत सड़कों का नेटवर्क दिया गया है।

तालिका 4.10: राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अन्तर्गत सड़कों का नेटवर्क

सड़क का प्रकार	**लम्बाई कि.मी. में (31-03-2024 तक)**	**लम्बाई कि.मी. में (31-12-2025 तक)**
राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.- 330 एन.एच.ए.आई.- 3061	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.- 314 एन.एच.ए.आई. - 3100
राज्य उच्च मार्ग	1638	1638
मुख्य जिला सड़कें	1405	1405
अन्य जिला सड़कें	27069	27360
कुल	**33503**	**33817**

4.49 वर्ष 2025-26 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुनर्निर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। दिसम्बर, 2025 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: सड़क सुधार कार्यक्रमों के तहत प्रगति

(क) वित्तीय प्रगति **(रूपये करोड़ में)**

लेखा शीर्ष	**बजट आबंटन 2025-26**	**खर्चा (दिसम्बर, 2025 तक)**
प्लान-5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित	3248.60	1087.62
नान प्लान-3054	585.00	331.46
केन्द्रीय सड़क कोष	150.00	148.09
राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	300.00	147.41
डिपोजिट कार्य (सड़कें तथा पुलों के कार्य)	220.00	83.07
कुल	**4503.60**	**1797.65**

(ख) भौतिक प्रगति

मद	**लम्बाई कि.मी. में (दिसम्बर, 2025 तक)**
नई सड़कों का निर्माण	68.00
प्रिमिक्स कारपेट (राज्य सड़कें)	1637.53
चौडा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	3958.56
सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	337.77
पुर्ननिर्माण तथा ऊंचा उठाना	133.27
(क) **चौडा** }राष्ट्रीय उच्च मार्ग (ख) मजबूत	0.00 15.00

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

मुख्य पहल

4.50 वर्ष 2025-26 के दौरान अनेक सड़कों/पुलों के कार्य स्वीकृत किये गए हैं। स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा **तालिका 4.12** में दिया गया है। भवनों की मरम्मत, अनुरक्षण तथा मूल कार्यों हेतू आंबटन का विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है। विभाग द्वारा यात्रियों की देरी को कम करने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुलों की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 4.14** में दिया गया है।

तालिका 4.12: वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत हुए सड़क/पुल कार्य

(रूपये करोड़ में)

लेखा शीर्ष	**कार्यों की संख्या**	**राशि (दिसम्बर, 2025 तक)**
प्लान-5054	1980	2978.44
नान-प्लान-3054	120	190.83
नाबार्ड - सड़कें - पुल	70	332.93
केन्द्रीय सड़क कोष	0	0.00
राष्ट्रीय उच्च मार्ग	03	322.00

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.13: भवनों के मरम्मत तथा मूल कार्यों के लिए आबंटन

(रूपये करोड़ में)

लेखा शीर्ष	**बजट आबंटन 2025-26**	**खर्चा 2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)**
राजस्व भवन	157.07	133.84
पूंजीगत भवन	510.92	383.90
डिपोजिट भवन	630.38	313.98
कुल	**1298.37**	**831.72**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.14: पूर्ण और पूर्ण होने वाले रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों की प्रगति

विवरण	**2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)**
ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 7= (3 एच.एस.आर.डी.सी.+4पी.डब्ल्यू.डी.) 28=(14एच.एस.आर.डी.सी.+14 पी.डब्ल्यू.डी.राज्य योजना)
पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	2= (2 नाबार्ड योजना) 3= (3 पी.डब्ल्यू.डी.राज्य योजना) 23= (23 पी.डब्ल्यू.डी.राज्य योजना)

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

4.51 वित्तीय वर्ष 2025-26 के 3 सड़क परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 61.302 कि.मी. है, 346.38 करोड़ रुपये की लागत से और दो फलाईआवॅर जिसकी लागत 92.35 करोड़ रूपये है तथा 1 आरओबी का कार्य जिसकी लागत 70.42 करोड़ रूपये है, प्रगति पर हैं। एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के अंर्तगत कार्य प्रगति पर है। 14 आर.ओ.बी./आर.यू.बी./एफ.ओ.बी. की परियोजनाएं राज्य हैड 5054 आर एंड बी (योजना) के तहत 464.41 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं। 30.28

करोड़ रूपये की 6 नम्बर कार्य नागरिक उडडयन की परियोजना प्रगति पर है। सड़क परियोजना चार मार्गीय सड़क रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा) नांगल चौधरी-नारनौल-महेंदगढ़-दादरी रोड़ (पुराना एन.एच.148बी) जिसकी लंबाई 65.38 कि.मी. है, लागत 396.51 करोड़ रूपये है जिसमें से 31-01-2025 तक 93.41 करोड़ रूपये व्यय हुआ है।

4.52 डिपॉजिट हैड के तहत 1 भवन परियोजना 663.86 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं, जिसमें सरकारी मैडिकल कॉलेज जींद का कार्य भी शामिल है एजैंसी को 13-01-2021 को कार्य आबंटित किया गया था और इस कार्य पर दिनांक 31-12-2025 तक 549.71 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया जा चुका है।

4.53 हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) ने वर्ष 2025-26 में पहले ही 31-12-2025 तक 105.92 करोड़ रुपये की लागत का व्यय एन.सी.आर.पी.बी. सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत सड़क और पुल के कार्यों के लिए खर्च कर दिया है। राज्य हैड आर एंड बी (योजना) के तहत 58.46 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया गया है।

4.54 इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं आबंटित किए जाने की संभावना हैः

- आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की 3 परियोजनाएं 306.94 करोड़ रुपये की लागत से, 5 सड़क की परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 204.27 कि.मी, 1,644.25 करोड़ रुपये की लागत से एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत आबंटित किए जाने की संभावना है।
- 4 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. राज्य हैड के तहत 100.94 करोड़ रुपये की लागत के।
- नागरिक विमानन पर 6 परियोजनाओं का परिव्यय 6.49 करोड़ रूपये है।
- लगभग 47.53 करोड़ रूपये की राशि के जमा शीर्ष 8443 सिविल जमा (पुरातत्व और विरासत परियोजनाएं) के तहत 11 परियोजनाएं।
- 18.99 करोड़ रूपये की सीएसआर शीर्ष (उच्च शिक्षा विभाग) के तहत एक परियोजना है।

नाबार्ड योजना

4.55 वर्ष 2025-26 में नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.XXX के अंतर्गत 332.93 करोड़ रूपये की लागत से 646.58 किलोमीटर की लंबाई वाली 70 सड़को की परियोजना को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 38.04 करोड़ रुपये की लागत से 30-09-2025 तक 36.80 कि.मी. लंबाई में सुधार किया गया है।

परिवहन

4.56 परिवहन विभाग, हरियाणा के 2 अंग है, जैसे कि वाणिज्यक अंग विनियामक अंग है।

वाणिज्यक अंग

4.57 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है।

4.58 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन संस्थाओं में से एक है। हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा 5,300 बसों का है। वर्तमान में (30-11-2025 तक) हरियाणा राज्य परिवहन के पास 4,068 बसें हैं, जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा

राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 11.15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 5.96 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक और परिचालक का नॉरम 1:1.4 है।

4.59 हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ व वाहन उत्पादकता, व इंधन की खपत इत्यादि और दुर्घटना दर सबसे कम रही है। हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2012-13 तथा 2013-14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। ए.एस.आर.टी.यू. द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008-09 के लिए मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए विजेता घोषित किया गया है।

4.60 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। विभाग का प्लान बजट वर्ष 2004-05 में 56 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2025-26 में 393.25 करोड रूपये किया गया है, जिसमें से अप्रैल से दिसम्बर, 2025 के दौरान 259.03 करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां **तालिका 4.15** में दी गई है।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

4.61 विभाग के स्वीकृत बेड़े के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेड़े में नई बसें शामिल की जा रही हैं। आर्डर की गई 500 नई बीएस-6 बसों में से, 469 नई बीएस-6 बसें प्राप्त हो चुकी हैं और 2024-25 व 2025-26 के दौरान विभिन्न डिपो को वितरित कर दी गई हैं। उपरोक्त के अलावा, 150 एचवीएसी बसें खरीदी गईं और वर्ष 2024-25 व 2025-26 में वितरित की गईं।

4.62 प्लान बजट वर्ष 2025-26 के दौरान बस बेड़े के अधिग्रहण के लिए वार्षिक योजना में 210 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से दिनांक 31-12-2025 तक 204.33 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

4.63 परिवहन विभाग की दोनों शाखाओं हेतू परिवहन भवन निर्माण के लिए अनुमानित लागत 77 करोड़ रूपये का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ है, पिपली (कुरुक्षेत्र), करनाल, बल्लभगढ़ और सेक्टर 12, गुरुग्राम और सोनीपत (जाट जोशी) में नए बस अड्डों का निर्माण पीपीपी मोड के तहत किया जाना है। जनसुई हेड (अंबाला), नांगल चौधरी (नारनौल), टोहाना (फतेहाबाद), चीका (कैथल), मोहना (फरीदाबाद), बरवाला (हिसार), दारुहेड़ा (रेवाड़ी), रेवाड़ी, खेडी चोपटा (हिसार) में नए बस अड्डों का निर्माण कार्य और कुरूक्षेत्र, बहादुरगढ़, अम्बाला और पलवल में कार्यशालाएँ प्रगति पर हैं। बस स्टैंड अम्बाला शहर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी प्रगति पर है।

तालिका 4.15: पिछले 5 वर्षों के कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियां **(रूपये लाख में)**

वर्ष	योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां
2020-21	1) भूमि और भवन	14500.00	6171.15	42.55
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	2547.32	25.47
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	0.00	0.00
	4)सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	0.00	0.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	24.94	49.88
2021-22	1) भूमि और भवन	13000.00	3504.64	26.95
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	1549.81	15.49
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	33.96	67.92
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	30.39	60.78
2022-23	1) भूमि और भवन	13000.00	8525.85	65.58
	2) बेड़े का अधिग्रहण	48000.00	36172.65	75.35
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	15.01	30.02
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	169.34	84.67
2023-24	1) भूमि और भवन	7200.00	7474.14	100.00
	2) बेड़े का अधिग्रहण	29000.00	29653.08	100.00
	3) कार्यशाला सुविधायें	10.00	4.85	48.50
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	1.00	1.00
2024-25	1) भूमि और भवन	12000.00	11684.11	97.36
	2) बेड़े का अधिग्रहण	3000.00	1536.14	51.20
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	99.99	99.99
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश-एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	20.00	9.96	49.80

स्त्रोतः परिवहन विभाग, हरियाणा।

4.64 विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2025-26 के लिये 170 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गये हैं जिसमें से 52.53 करोड रुपए 31-12-2025 तक खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीरण

4.65 बसों के अच्छे रख-रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2025-26 के लिए 13 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 2 करोड़ रूपये दिनांक 31-12-2025 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

सडक सुरक्षा

4.66 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/बरेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा रोडवेज नए भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने और प्रमाणित करने के लिए 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है। अप्रैल से दिसम्बर, 2025 के दौरान 17,503 उम्मीदवारों को अपने कौशल में सुधार करने और आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारी वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए नए शुरू किए गए बैचो में महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। वार्षिक योजना 2025-26 के लिए 20 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से दिनांक 31-12-2025 तक 10.43 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं। अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कोरपोरेशन को नया रूप देना

4.67 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2025-26 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जोकि हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन को स्थानान्तरित कर दिये गये है।

कम्पयूट्रीकरण

4.68 विभाग के भिन्न-भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हरियाणा रोड़वेज डिपो/कार्यालयों में पुरानी व्यवस्था प्रणाली को बदलने के साथ-साथ कम्पयूटर हार्डवेयर एवं उससे संबंधित उपकरणों और अतिरिक्त आवश्यकताओं को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी हारट्रोन के माध्यम से खरीदा जाता है।

4.69 तकनीकी का प्रयोग

- एच.के.सी.एल. द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से 8 संवर्गो (ड्राइवरों, कंडक्टरों, स्टोर कीपर, मैकेनिक, यार्ड मास्टर, निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और क्लर्कों) की ऑनलाइन स्थानान्तरण ड्राइव प्रक्रिया शुरू की गई थी।
- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। 5 वर्षों की अवधि में प्रयोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित व्यय 100 करोड़ रूपये हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के साथ राज्य परिवहन हरियाणा प्रति वर्ष 80 करोड़ रूपये की सीमा तक अधिक राजस्व अर्जित करेगा।
- हरियाणा 100 प्रतिशत ई-टिकटिंग लागू करने वाला पहला बड़ा राज्य है।
- नई योजना के कार्यान्वयन के तहत हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी से 1 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारो को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल

1,000 कि.मी. तक मुफत यात्रा का लाभ मिलेगा। स्मार्ट कार्ड प्रबंधन के संदर्भ में हरियाणा रोडवेज डिपों में कुल 1975602 हैप्पी कार्ड वितरित किए गए है।

- विभाग पर्यावरण को प्रदूषकों के नकारात्मक प्रभाव से बचाने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बस शुरू करने का इरादा रखता है।

4.70 मुफ्त/रियायती परिवहन सुविधायें

हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत समाज के पात्र लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान कर रहा है, जैसे:

- 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा।
- रक्षा बंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों को 36 घण्टे मुफ्त यात्रा सुविधा।
- दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
- हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- पैरालम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा।
- कैंसर से पीड़ित मरीजों के साथ एक परिजन को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैंसर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्राओं को अपने घरो से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और यात्रा की दूरी सीमा में 60 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की बढ़ौतरी कर दी गई है।
- आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा वोल्वो बसों में पति/पत्नी को किराए में 75 प्रतिशत की छूट व विधवा/विधुर पीड़ित होने की अवस्था में एक सहायक सहित यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर पूर्व विधायकों के साथ आने वाले एक व्यक्ति को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।
- एन सी सी कैडेटस को उनके प्रशिक्षण में भाग के लिए हरियाणा के अन्दर सामान्य किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
- पुरूष विद्यार्थियों के लिए रियायती यात्रा सुविधा हेतु मार्ग की सीमा भी बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी गई है जो पहले 60 किलोमीटर थी।
- हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना हैप्पी के अंतर्गत नागरिकों को एक वर्ष में एक हजार कि.मी. तक मुफ्त यात्रा की सुविधा।

परिवहन विभाग की रैगुलेटरी विंग

4.71 परिवहन विभाग के नियामक शाखा (रैगुलेटरी विंग) को मोटर वाहन अधिनियम-1988, कैरिज बाई रोड एक्ट-2007 तथा हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम-2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 5,403.60

करोड़ रूपए की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया जिसके मुकाबले में 5,164.72 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त की गई। चालू वित वर्ष 2025-26 में 6,000 करोड़ रूपये की राशि का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुकाबले में दिनांक 30-11-2025 तक 3,570.54 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है।

चालक कौशल में सुधार

4.72 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में संचालित हैं। 13 और चालक कौशल खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केन्द्र गुरूग्राम में हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कार्पोरेशन परिसर, गुरूग्राम में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में 13 स्थानों करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, नूहँ, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, रोहतक, बहादुरगढ़, पलवल व भिवानी में स्वचालित ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक (एडीटीटी) स्थापित किए जाने हैं। इन 11 स्थानों में से 2 स्थानों रोहतक और बहादुरगढ़ में एडीटीटी मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 22 चालक प्रशिक्षण स्कूल पहले ही स्थापित किए हुए हैं तथा भारी वाहन ड्राईविंग की ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 247 ड्राईविंग ट्रेनिंग चालक स्कूल प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन) हेतू राज्य में चलाए जा रहे हैं।

मोटर वाहनों की सड़क पात्रता में सुधार

4.73 रोहतक में पूरी तरह से स्वचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र (आई.एस.सी. सैंटर) स्थापित किया गया है। यह केन्द्र को परिवहन की फिटनेस सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्वचालित प्रशिक्षण केन्द्र (ए.टी.एस.) के रूप में उन्नत किया जा रहा है।

4.74 नागरिक सेवाओं का वितरण

रोड टैक्स का ई-भुगतानः रोड टैक्स का आनलाईन भुगतान ई-ग्रास के माध्यम से किया जा रहा है और जमा किए गए कर/अन्य शुल्क की राशि बताते हुए एस.एम.एस. भी आवेदक को भेजा जा रहा है।

डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशनः नए गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों का पंजीकरण अधिकृत डीलरों के स्तर पर किया जा रहा है।

फेसलेस सेवाएं: वर्तमान में 58 सेवाएं जैसा कि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है, जो फेसलेस तरीके से प्रदान की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित 36 फेसलेस सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। 36 सेवाओं को आम जनता द्वारा फेसलेस तरीके से उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर में लागू कर दिया गया है।

58 परिवहन संबंधित सेवाएं (वाहन और सारथी): बिना किसी व्यक्ति के सामने आए आधार-आधारित तरीके से दी जा रही है, जिनमें से 35 सेवाएं विभाग द्वारा प्रदान की जा रही हैं। आवेदकों को उक्त सेवाओं के लिए पंजीकरण और लाइसैंसिंग अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

सड़क सुरक्षा उपाय और जागरूकता

4.75 मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में 02 जून, 2025 को फण्ड प्रबंधन समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और सभी जिला सड़क सुरक्षा समितियों को सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 20 करोड़ रूपये की राशि आबंटित

की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 को दिनांक 05-05-2025 को अधिसूचित किया है जो तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू की गई। रोड़ एक्सीडेंट डेटा के विश्लेषण के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरूग्राम जिल को जीरो फेटैलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत भारत के 100 सबसे गंभीर जिलों में से एक के रूप में पहचाना है, जिस पर जिला रोड़ सेफ्टी कमेटी गुरूग्राम के जरिए एक डेटा-ड्रिवन रोड़ सेफ्टी एक्शन प्लान अक्टूबर, 2025 से लागू किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग, एनफोर्समैंट और ट्रोमा केयर में टारगेटेड इंटरवेंशन शामिल है।

एनफोर्समैंट

4.76 वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 92,315 वाहनों को चुनौती दी गई है और 129.52 करोड़ रूपये का कंपोजीशन शुल्क एकत्र किया गया है। चालू वित वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 52,703 वाहनों को चुनौती दी गई है और दिनांक 30-11-2025 तक 111.82 करोड़ रूपये का कंपोजीशन शुल्क एकत्र किया गया है।

अधिमान्य अंकों की ई-नीलामी

4.77 राज्य सरकार ने गैर परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य/पसंद पंजीकरण चिह्नों की ई-नीलामी की व्यवस्था स्थापित की है। परिवहन वाहनों को अधिमान्य अंक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे तथा इससे संबंधित सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है। राज्य द्वारा सरकारी वाहनों को जीवी श्रृंखला के तहत पंजीकरण चिह्न आबंटित किए गए हैं।

स्टैज कैरिज स्कीम, 2016

4.78 आम जनता को अधिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण मार्गो पर स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने हेतू मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 5 के अन्तर्गत एक प्रावधान प्रस्तुत किया है। उक्त योजना की अनुसूची में उल्लेखित 362 मार्गों पर परमिट देने के लिए संशोधित स्टेज कैरिज योजना 2016 को दिनांक 07-03-2024 को अधिसूचित किया गया है।

नई पहल

4.79 गैर-परिवहन वाहनों के लिए पसंदीदा नंबरों की ई-नीलामी शुरू की गई है। **35** पंजीकरण और ड्राईविंग लाइसैंस से संबंधित सेवाएं बिना किसी व्यक्ति के सम्पर्क के प्रदान की जा रही है। ये सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर वाहन और सारथी के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जो आटो अपील सिस्टम **(**ए.ए.एस.**)** से भी जुड़ हुआ है। राज्य में **22** पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा **(**आर.वी.एस.एफ.**)** स्थापित की गई है। राज्य में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाईस परियोजना लागू की जा रही है।

नागरिक विमानन

4.80 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा का नागरिक हवाई अड्डा हिसार में स्थित है तथा चार नागरिक हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, भिवानी, नारनौल तथा एक घरेलू हवाई अड्डा अम्बाला में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के दो फंलाईग प्रशिक्षण केन्द्र, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जहां लड़के तथा लड़कियों को फ्लांईग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसैंस (पी.पी.एल.), कमर्शियल पायलट लाईसैंस (सी.पी.एल.) तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग (आई.आर.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य में उडान हवाई जहाज और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या **तालिका 4.16** में दी गई है।

तालिका 4.16 राज्य में वर्षवार उडान केन्द्रों एवं प्रशिक्षिण प्राप्त व्यक्तियों का विवरण

वर्ष	उडान केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1966-67	2	21
1970-71	2	53
1980-81	2	52
1990-91	3	66
2000-01	3	19
2010-11	3	36
2019-20	3	100
2020-21	2	70
2021-22	2	86
2022-23	2	108
2023-24	2	76
2024-25	2	86
2025-26 (31-10-2025 तक)	2	53

स्त्रोतः सिविल विमानन विभाग, हरियाणा।

***

5

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक हैं।

मौलिक शिक्षा

कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतू नकद पुरस्कार योजना

5.2 इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना तथा सरकारी विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थियों के नामांकन एवं निरंतरता को बढ़ावा देना है। यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की ड्रॉप-आउट दर को कम करती है तथा उन विद्यार्थियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि वे ज्योमेट्री बॉक्स, रंगीन पेंसिल आदि स्टेशनरी सामग्री क्रय कर सकें, विभिन्न कक्षाओं के लिए यह राशि 740 रूपये से 1,250 रूपये तक निर्धारित है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 5,000 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31-10-2025 तक 4,418.34 लाख रूपये का व्यय हो चुका है, जिससे 4,02,062 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतू मासिक (छात्रवृत्ति)

5.3 इस योजना के अंतर्गत मासिक छात्रवृत्ति का वितरण सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। इस योजना के तहत सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 12 माह के लिए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसे 4 त्रैमासिक किश्तों में वितरित किया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्रों को 150 रूपये प्रति माह एवं छात्राओं को 225 रूपये प्रति माह तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए छात्रों को 200 रूपये प्रति माह एवं छात्राओं को 300 रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 13,500 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31-10-2025 तक 7,831.09 लाख रूपये का व्यय हो चुका है जिससे 3,91,929 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के विद्यार्थियों हेतू मासिक (छात्रवृत्ति)

5.4 इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) श्रेणी के परिवारों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना तथा हरियाणा सरकार के विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों के नामांकन एवं निरंतरता को बढ़ावा देना है, जिससे बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों के विद्यार्थियों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए, हरियाणा सरकार के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विधालयों में अध्ययनरत बी.पी.एल. श्रेणी के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है, बशर्ते उनकी उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम न हो। यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी बी.पी.एल. श्रेणी के विद्यार्थियों को 12 माह के लिए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसे 4 त्रैमासिक किश्तों में वितरित किया जाता है।

कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए छात्रों को 75 रूपये प्रति माह एवं छात्राओं को 150 रूपये प्रति माह तथा कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए छात्रों को 100 रूपये प्रति माह एवं छात्राओं को 200 रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 550 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31-10-2025 तक 436.75 लाख रूपये का व्यय हो चुका है जिससे 40,735 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

कक्षा 1 से 8वीं तक अध्यनरत बी.सी.-(ए.) श्रेणी के विद्यार्थियों हेतू मासिक छात्रवृत्ति

5.5 इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी बी.सी.-(ए.) के परिवारों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना तथा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों के नामांकन एवं निरंतरता को बढ़ावा देना है, जिससे बी.सी.-(ए.) श्रेणी के परिवारों के विद्यार्थियों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बी.सी.-(ए.) श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी बी.सी.-(ए.) श्रेणी के विद्यार्थियों को 12 माह के लिए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसे 4 त्रैमासिक किश्तों में वितरित किया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्रों को 75 रूपये प्रति माह एवं छात्राओं को 150 रूपये प्रति माह तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए छात्रों को 100 रूपये प्रति माह एवं छात्राओं को 200 रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना हेतू 5,000 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31-10-2025 तक 1,534.43 लाख रूपये का व्यय हो चुका है जिससे 2,05,693 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन (ईईई)– माध्यमिक विधालयों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति

5.6 इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राएं) को शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 750 रूपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने ये कक्षाएं प्रथम श्रेणी में उतीर्ण की है व न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 31-10-2025 तक) 150 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

कक्षा 6वीं में अध्यनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) को निःशुल्क साइकिल प्रदान करना

5.7 इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) को साइकिल प्रदान की जाती है, जिनके गांव में सरकारी मिडल स्कूल न हो जो अन्य गाँव से विद्यालय आते हैं तथा इन गांवों की विद्यालय से दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्यार्थी पहले स्वयं साइकिल खरीदेंगे। संबंधित मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा नए खरीदे गए साइकिलों के बिलों का निरीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत, ये बिल संबंधित जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) को भेजे जायेंगे। इसके पश्चात डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) पद्धति के माध्यम से संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि जमा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत साइकिल की राशि साइज (20 इंच) के लिए 2,800 रूपये तथा साइज (22 इंच) के लिए 3,000 रूपये की दर से प्रदान की जाती

है। वित्त वर्ष 2025-26 हेतू 190 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है और दिनांक 31-10-2025 तक जिसमें से 14.96 लाख रूपये का व्यय हो चुका है जिससे 515 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

कक्षा 6वीं से 8वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना

5.8 कक्षा 6वीं से 8वीं तक के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से राज्य में पूर्णतः मेरिट आधार पर छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च उपलब्धि प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,500 विधार्थी शामिल है। मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के बाद पोर्टल पर आमंत्रित किए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतू 140 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। छात्रवृत्ति के लिए छठी कक्षा में विद्यार्थियों की शॉर्टलिस्टिंग का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका 5.1: कक्षा 6वीं से 8वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना

कक्षा	विद्यार्थियों के चयन की शर्तें	छात्रवृत्ति का विवरण	छात्रवृत्तियों की संख्या	राशि (प्रति वर्ष)
कक्षा 6वीं	चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी– **चरण-I:** कक्षा 5वीं के एसएटी (SAT) अंकों के आधार पर चयन **चरण-II:** चरण-I में उत्तीर्ण विद्यार्थी हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित विशेष प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसमें शीर्ष 1500 रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी	छात्रवृत्ति परीक्षा में शीर्ष 1,500 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं से 8वीं तक 3 वर्षों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, बशर्ते कक्षा 6वीं एवं 7वीं की एसएटी परीक्षा में लगातार 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करें	सर्वोच्च 500	6000
			अगले 500	3000
			अगले 500	1500
कक्षा 7वीं	निम्न शर्तें पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी– (क) कक्षा 6वीं में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण की हो (ख) कक्षा 6वीं एवं 7वीं की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों		सर्वोच्च 500	6000
			अगले 500	3000
			अगले 500	1500
कक्षा 8वीं			सर्वोच्च 500	6000
			अगले 500	3000
			अगले 500	1500

स्रोत: मौलिक शिक्षा, हरियाणा।

कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) को निःशुल्क वर्दी प्रदान करना (आर.टी.ई. अधिनियम, योजना के अंतर्गत)

5.9 इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 600 रूपये की राशि हरियाणा स्कूल शिक्षा एवं विज्ञान प्रोत्साहन (एच.एस.एस.पी.पी.) द्वारा "समग्र शिक्षा अभियान योजना" के तहत प्रदान की जाती है और शेष राशि राज्य सरकार की ओर से अपने संसाधनों से व्यय की जाती है। जैसा कि हरियाणा राज्य में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम/नियमों में प्रावधान है। कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वर्दी की राशि 800 रूपये की दर से है और कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए 1,000 रूपये की दर से प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 12,608.41 लाख रूपये (6,700 लाख रूपये राज्य + 5,908.41 लाख रूपये एस.एस.ए. योजना के तहत) के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 31-10-2025 तक 8,411.66 लाख रूपये (2,503.25 लाख रूपये राज्य + 5,908.41 लाख रूपये एस.एस.ए. योजना के तहत) का व्यय हो चुका है जिससे 9,44,469 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत सभी गैर-अनुसूचित जाति (छात्र एवं छात्राओं) के लिए निःशुल्क स्टेशनरी एवं स्कूल बैग प्रदान करना (आर.टी.ई. अधिनियम, योजना के अंतर्गत)

5.10 मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी गैर-अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी और स्कूल बैग प्रदान किया जाता है। यह राशि राज्य संसाधनों से प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है, जैसा कि हरियाणा राज्य में छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम/नियमों में प्रावधान है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 31-10-2025 तक 2,000 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

मध्यान्ह भोजन योजना

5.11 प्राथमिक शिक्षा में पोषणात्मक सहायता का राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम, जिसे मध्यान्ह भोजन योजना कहा जाता है, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी राजकीय, शहरी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं (बाल वाटिका-3, कक्षा पहली से पांचवी) और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा छठी से आठवीं) के विद्यार्थियों को गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। यह योजना पूरे राज्य में 15 अगस्त, 2004 को लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना है, जिसमें नामांकन, निरंतरता और उपस्थिति बढ़ाई जाती है और साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा "भारतीय खादय निगम" के माध्यम से मुफ्त अनाज (गेहूं/चावल) प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति विद्यालय प्रति दिन प्राथमिक कक्षाओं के लिए 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 150 ग्राम प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए बजट प्रावधान 60:40 (केंद्रीय अंश : राज्य अंश) अनुपात में 66,565 लाख रूपये है। यू.डी.आई.एस.ई. के अनुसार, राज्य में 14,210 सरकारी विद्यालययों में कुल 14,85,551 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

17 मिड-डे-मील मेन्यू में व्यंजन

5.12 सभी विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विधार्थियों को 17 व्यंजन वितरित करें, जिनमें प्राथमिक स्तर के विधार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के विधार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन सभी विधालय कार्यरत दिवस में उपलब्ध करवाये जायें। बाल वाटिका-III से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन दूध हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के सहयोग से वितरित किया जाता है और प्रोटीन मिल्क बार 2 दिन, इंस्टेंट खीर 1 दिन और पीनट पिन्नी 1 दिन (सप्ताह में) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड के सहयोग से प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां:

- मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार 25-05-2022 से कुक-कम-हेल्पर्स को मासिक 7,000 रूपये (केंद्र अंश 600 रूपये + राज्य अंश 6,400 रूपये) दे रही है।
- राज्य सरकार के बजट से सभी कुक-कम-हेल्पर्स को प्रति वर्ष 2 यूनिफ़ॉर्म के लिए 600 रूपये दिए जा रहे हैं।

5.13 सरकारी विद्यालय

- आर.टी.ई. अधिनियम (कार्यालय व्यय एवं अन्य शुल्क): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 9,300 लाख रूपये, जिसमें से 545 लाख रूपये जारी किए गए।
- केंद्रीय प्रायोजित योजना सामान्य सहायता अनुदान योजना के लिए 55,000 लाख रूपये (राज्य और केंद्र अंश) का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एच.एस.एस.पी.पी. को इस राशि में से 10,295.73 लाख रूपये जारी किये गये।
- 793-स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17,120 लाख रूपये, का प्रावधान अनुसूचित जाति के लिए किया गया था। जिसमें से एच.एस.एस.पी.पी. को 2,519.75 लाख रूपये तक जारी किये गये।

खेल-कूद

5.14 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर के स्कूलों में खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं हेतू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 250 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया व कुल 245 लाख रूपये जारी किये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर की प्रतियोगिताओं हेतू कक्षा 1 से 8वीं तक के प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए खेल किट एवं आहार भत्ते की दरों में संशोधन कर दिया गया है, जिसका विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: विद्यार्थियों के लिए खेल किट एवं आहार भत्ते की दरों में संशोधन का विवरण राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतू

विवरण	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
खिलाड़ियों के लिए आहार भत्ता	200 रूपये प्रति दिन	250 रूपये प्रति दिन
खिलाड़ियों के लिए (ट्रैक किट एवं प्लेइंग किट)	1200 रूपये	2500 रूपये
अधिकारियों के लिए आहार भत्ता	200 रूपये प्रति दिन	250 रूपये प्रति दिन
अधिकारियों के लिए ट्रैक सूट	1000 रूपये	2500 रूपये

राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु

विवरण	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
खिलाड़ियों के लिए आहार भत्ता	125 रूपये प्रति दिन	200 रूपये प्रति दिन
खिलाड़ियों के लिए खेल किट (ट्रैक किट एवं प्लेइंग किट)	700 रूपये	1500 रूपये
अधिकारियों के लिए आहार भत्ता	125 रूपये प्रति दिन	200 रूपये प्रति दिन
अधिकारियों के लिए ट्रैक सूट	700 रूपये	1500 रूपये

स्रोतः मौलिक शिक्षा, हरियाणा।

आई.टी. सेल

उद्देश्य और लक्ष्य

5.15 प्राथमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण और स्वचालन करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें निदेशालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों (डी.ई.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ.) का कंप्यूटरीकरण और कार्यालय उपयोग के लिए निदेशालय को क्षेत्रीय कार्यालयों से जोड़ना शामिल है। सभी सरकारी मिडिल स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना मुख्य लक्ष्य है ताकि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और विभाग के कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारी को डिजिटल रूप से पोर्टल, मोबाइल ऐप और अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सके।

उपलब्धियां:

- विभिन्न एडवेंचर शिविर (ग्रीष्मकालीन शिविर प्रकृति अध्ययन शिविर आदि) के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतू ऑनलाइन मॉड्यूल संचालित किए गए।
  ऑनलाइन चाइल्ड केयर लीव के प्रसंस्करण हेतू जिसमें पूरी तरह से कागज रहित अवकाश आवेदन प्रक्रिया शामिल है, मॉड्यूल विकसित किया गया है, परन्तु इसका अधिकारिक शुभारम्भ नहीं किया गया है।
- आर.टी.ई. के अंतर्गत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा-I में प्रवेश हेतू आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लगभग 11,800 प्रवेश इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।

समग्र शिक्षा

5.16 इस योजना का लक्ष्य है कि 2030 तक प्री-नर्सरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है, जैसा कि शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में निर्धारित है। योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। इसका उद्देश्य कक्षा प्री-नर्सरी से कक्षा-12वीं तक स्कूली शिक्षा तक शिक्षा पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में राज्यों की सहायता प्रदान करना भी है।

समग्र शिक्षा के उद्देश्य

5.17 समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करना है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना तथा विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता एवं समावेशन सुनिश्चित करना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट हेतू (स्पिल ओवर सहित) कुल 1,77,454.55 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति के छात्रों एवं बीपीएल श्रेणी के छात्रों को वर्दी उपलब्ध कराने हेतू 600 रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल 6,459.63 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि प्राथमिक शिक्षा विभाग को डी.बी.टी. माध्यम से योग्य विद्यार्थियों को वर्दी अनुदान प्रदान करने हेतू स्थानांतरित की गई। राज्य सरकार वर्दी के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 800 रूपये प्रति विद्यार्थी तथा कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 1,000 रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से प्रदान करती है। 14.57 लाख विद्यार्थियों के लिए 4,505.86 लाख रूपये की राशि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत की गई हैं। इस मद के अंतर्गत 3,562.02 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। सभी 14,019 विद्यालयों में एस.एम.सी. प्रशिक्षण आयोजित करने हेतू 420.57 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मीडिया एवं सामुदायिक सशक्तिकरण

5.18 योजना के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने तथा विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच, समानता एवं सीखने के तरीके में सुधार सुनिश्चित करने हेतू सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मीडिया एवं सामुदायिक सशक्तिकरण गतिविधियों के आयोजन हेतू 14,019 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1,500 रूपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 210.28 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

विद्यालय से बाहर बच्चों (ओ.ओ.एस.सी.) के लिए विशेष प्रशिक्षण

5.19 वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए सर्वेक्षण में कुल 33,164 विद्यालय से बाहर बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.) चिन्हित किए गए हैं, जो प्रबंध पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतू पीएबी द्वारा 6 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। सर्वेक्षण में चिन्हित विद्यालय से बाहर के बच्चों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण (जैसा कि इस वर्ष स्वीकृत किया गया है) प्रदान करने हेतू 667 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एस.टी.सी.) में नामांकित किया जाएगा। इसी प्रकार, 489 बच्चों (आयु वर्ग 16–19 वर्ष)

को भी चिन्हित कर प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तथापि, 200 बच्चों (आयु वर्ग 16–19 वर्ष) हेतू 4 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसे विस्तृत दिशा-निर्देशों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है।

विद्यालयों की ट्विनिंग

5.20 वर्ष 2025-26 के दौरान इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतू 2,380 सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक +उच्च+वरिष्ठ माध्यमिक) के लिए 3,000 रूपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 71.4 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि विस्तृत दिशा-निर्देशों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी कर दी जायेगी।

युवा एवं ईको-क्लब (वाई.ई.सी.)

5.21 वर्ष 2025-26 के लिए इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतू प्राथमिक विद्यालयों के लिए 173.08 लाख रूपये, प्रारम्भिक स्तर के लिए 111 लाख रूपये तथा माध्यमिक स्तर के लिए 314.50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा

5.22 एन.ई.पी. 2020 की परिकल्पना के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने तथा कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों तक इसकी पहुंच सुनिशिचत करते हुए, हरियाणा एन.एस.क्यू.एफ. के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में एक अग्रणी राज्य बना हुआ है। यह कार्यक्रम वर्ष 2012–13 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत सहायता के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 "शैक्षणिक सत्र में 15 उद्योग क्षेत्रों से सम्बन्धित" 1,398 सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। कक्षा-9वीं से कक्षा-12वीं तक छात्र नामांकन में वर्ष 2012–13 के 4,840 छात्रों से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 2,03,557 छात्रों तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनमें 1,07,927 छात्राएँ एवं 95,630 छात्र शामिल हैं, जो बालिका सहभागिता की सशक्त स्थिति को दर्शाता है। कुल 2,784 व्यावसायिक शिक्षक पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,052 व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत हैं। व्यवहारिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने हेतु 2,238 कौशल प्रयोगशालाएँ कार्यशील हैं। कक्षा-6वीं से कक्षा-8वीं के लिए पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी 1,382 विद्यालयों में प्रदान की गई, जिससे 1,58,785 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। एनएसक्यूएफ के अंतर्गत वर्ष 2024–25 के बोर्ड परिणाम निरंतर उच्च स्तर पर रहे हैं, जिनमें कक्षा-10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.69 प्रतिशत तथा कक्षा-12वीं का 99.07 प्रतिशत रहा है। जिला स्तर पर आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक 536 विद्यार्थियों को प्रस्तावित पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

5.23 उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025–26 के दौरान कुशल बिज़नेस चैलेंज (के. बी.सी.2.0) का आयोजन किया गया, जिसमें 1,18,867 विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा 23,815 टीमों का गठन किया गया। राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलन (स्टेट-लेवल समिट) जनवरी, 2026 में प्रस्तावित है, जिसमें 66 शीर्ष टीमें निवेशकों एवं इनक्यूबेटर्स के समक्ष अपने व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करेंगी। समग्र रूप से, हरियाणा में एन.एस.क्यू.एफ. के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संतोषजनक प्रगति पर है

तथा यह स्कूली विद्यार्थियों के कौशल विकास, रोजगार योग्यता एवं उद्यमशीलता उन्मुखीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

5.24 राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

उदाहरणात्मक पुस्तकें: पीएबी द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए 5,000 रूपये की दर से कुल 12.5 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है, ताकि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित उदाहरण समस्याओं से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। ये पुस्तकें राज्य के 250 पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 9वीं –10वीं के छात्रों के लिए विज्ञान एवं गणित विषय में प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक विद्यालय को छात्रों के लाभ हेतू इन 7 सेट पुस्तकों को खरीदने के लिए 5,000 रूपये का बजट प्रदान किया गया है।

विज्ञान प्रदर्शनियाँ: कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विद्यालय, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। विषय, दिशा-निर्देश एवं समय-सीमा एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार निर्धारित की जाती है। इन प्रदर्शनियों के आयोजन हेतू कुल 22 लाख रूपये का बजट प्रत्येक जिले को 1 लाख रूपये की दर से प्रदान किया गया है।

विज्ञान एवं गणित के सहयोग हेतू गतिविधियाँ (प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय): वर्ष 2025–26 के लिए पी.ए.बी. द्वारा 5,556 प्राथमिक विद्यालयों हेतू 375.5 लाख रूपये तथा 3,268 माध्यमिक विद्यालयों हेतू 314.5 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है। इस योजना के तहत उन गतिविधि-सामग्री का प्रावधान किया जाता है जो शैक्षिक पाठ्यक्रम और सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप हों, छात्रों की भागीदारी और अन्तःक्रियाशीलता को बढ़ावा दें, व्यवहारिक गतिविधियाँ, सतत अनुकरण और परस्पर संवाद अभ्यास अवधारणाओं की गहरी समझ और सीखने के उद्देश्य को बढ़ावा देना है।

राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण: वर्ष 2025–26 के लिए पी.ए.बी. द्वारा राज्य के बाहर वैज्ञानिक मूल्य वाले स्थलों पर छात्रों के भ्रमण हेतु 55 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं (विज्ञान स्ट्रीम) के शैक्षणिक सत्र 2024–25 के उत्कृष्ट छात्रों ने जयपुर और तिलोनिया (राजस्थान) का भ्रमण किया।

समग्र/संयुक्त विद्यालय अनुदान

5.25 समग्र/संयुक्त विद्यालय अनुदान हेतू 5,331.55 लाख रूपये की राशि 14,019 विद्यालयों को प्रदान की गई। यह अनुदान विद्युत एवं जल शुल्क, स्टेशनरी, वार्षिक दिवस समारोह, उपकरणों की मरम्मत, तथा स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत गतिविधियों को संचालित करने जैसे दैनिक खर्चों के लिए प्रदान किया गया है।

कला और संस्कृति में प्रतिभा खोज

5.26 कला और संस्कृति में प्रतिभा खोज हेतू 31.90 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कला और संस्कृति को ब□ावा देने हेतू विद्यालय, खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। तत्पश्चात राज्य स्तर के विजेता "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम में भाग लेंगे।

समावेशी शिक्षा

5.27 प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 445.89 लाख रूपये और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 869.51 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं: चिकित्सा मूल्यांकन शिविर, खेल एवं अध्ययन भ्रमण, एस्कॉर्ट भत्ता, अध्ययन भत्ता, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, ग्रह आधारित शिक्षा, विशेष शिक्षकों का सेवा-कालीन प्रशिक्षण, पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम, सहायता एवं सहायक उपकरण, ब्रेल पुस्तकें एवं बड़े आकार के अक्षरों की पुस्तकें आदि। यह सभी गतिविधियाँ 15,562 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही हैं, जो प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में दाखिल हैं। इन गतिविधियों का संचालन 360 विशेष शिक्षकों के माध्यम से किया जा रहा है, जो समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा संसाधन केंद्रों में संविदा आधार पर कार्यरत हैं। उपरोक्त गतिविधियों के आयोजन हेतू 838 दिव्यांग विद्यार्थियों जो पीएम श्री विद्यालयों में इस योजना के तहत नामांकित है हेतू 191.39 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

5.28 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत 34 विद्यालय और 31 छात्रा छात्रावास शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए गए हैं, ताकि उच्च प्राथमिक स्तर से लेकर छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। इन के.जी.बी.वी. में कुल 5,325 छात्राएँ नामांकित हैं।

माध्यमिक शिक्षा

पेंशन (सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय)

5.29 हरियाणा सरकार सहायता प्राप्त विद्यालय (विशेष पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001 तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत देय मानदेय हेतू, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा 115 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, 3,199 पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ तथा 90 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार मानदेय के रूप में 43.88 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है।

बजट

5.30 माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,21,380.62 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 3,97,047.83 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

खेल

5.31 हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 3 आयु समूहों जैसे अंडर 14 वर्ष, अंडर 17 वर्ष तथा अंडर 19 वर्ष (छात्र एवं छात्राएं) के अंतर्गत 32 स्कूल खेलों का आयोजन ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा इसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय खेल चैंपियनशिप का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अक्टूबर माह से किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्यालय खेल चैंपियनशिप 2025-26 के लिए 2 करोड़ रूपये का वित्तीय आंबटन किया गया है। हरियाणा राज्य 30 खेलों में भाग लेगा।

आई.डी.एम.आई. एवं एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना

5.32 यह योजना आई.डी.एम.आई. एवं एस.पी.क्यू.ई.एम. के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थानों (माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतू औपचारिक सुविधाओं के विस्तार तथा अवसंरचना को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने में सहायक है।

प्रशिक्षण एवं निगरानी योजनाएँ

टी.पी.एम.सी. के उद्देश्य, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

5.33 हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति-2020 के प्रावधानों के अंतर्गत "सभी के लिए प्रशिक्षण" के उद्देश्य के साथ टी.पी.एम.सी. को शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत किया गया है। टी.पी.एम.सी. विद्यालय शिक्षा के दोनों विभागों (माध्यमिक एवं प्राथमिक) के लिए कार्य कर रहा है। हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति (एच.एस.टी.पी.) 2020 के अंतर्गत वेतन के लिए बजट का 2.5 प्रतिशत बजट का प्रावधान किया है। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग हेतू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित बजट 7.17 करोड़ रुपये है। वर्ष 2025-26 के दौरान 31-10-2025 तक 21,071 प्रतिभागियों को एस.सी.ई.आर.टी. तथा डी.आई.ई.टी. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। राज्य में प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी माडल संस्कृति विधालय एवं प्रत्येक जिले के एक विधालय में कौशल के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण

5.34

- राज्य प्रशिक्षण नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुरुग्राम तथा राज्य के सभी डी.आई.ई.टी. को इन-सर्विस प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है।
- एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुरुग्राम तथा 21 डी.आई.ई.टी. के माध्यम से निष्ठा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एन.एस.क्यू.एफ.), ई-अधिगम, मिशन कर्मयोगी, योग, एफ.एल.एन., विशिष्ट विषय, साइबर सुरक्षा, इंडक्शन तथा पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा 5 डी.आई.ई.टी. को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चयनित किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार राज्य के 12 डी.आई.ई.टी. को एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी.) के लिए चयनित किया गया है।

आरोही मॉडल स्कूल

5.35 आरोही मॉडल स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 65 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

5.36 कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और लैब अटेंडेंट्स को समय-समय पर पुनः नियोजित किया गया। इनकी वर्तमान नियुक्ति अवधि 31-03-2026 तक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इस योजना के तहत 1,904 कंप्यूटर शिक्षक और 2,121 कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स के

मानदेय तथा दिवंगत कंप्यूटर शिक्षक और लैब अटेंडेंट्स के आश्रितों को सहानुभूतिपूर्ण वित्तीय सहायता के रूप में कुल 44.09 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यक्रम/योजनावार बजट, लक्ष्य व व्यय का विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया हैः

छात्रवृत्ति एवं अन्य वित्तीय सहायता

तालिका 5.3: वर्ष 2025-26 के दौरान योजनावार बजट, लक्ष्य व व्यय का विवरण

कार्यक्रम/योजना का नाम	बजट प्रावधान (रूपये लाख में)	भौतिक लक्ष्य	व्यय (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धियां
i) राजीव गांधी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे मेधावी छात्रों/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करना।	195.00	20000	23.55	2355
ii) पंजाब दूसरी भाषा	0.54	60	0.10	12
iii) हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना	45.00	1064	19.15	1064
iv) एक मुश्त भत्ता स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार योजना।	12000.00	275048	2972.35	205030
v) मासिक छात्रवृति स्कीम कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृति।			2412.32	256968
vi) नैशनल-मीन्स-कम मैरिट छात्रवृति योजना।	50.00	-	-	-
vii) कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी.पी.एल. वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृति।	1000.00	63047	406.93	59586
viii) कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी.सी.ए. वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृति।	3500.00	151189	916.93	140059
ix) राज्य में स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र-पौत्रियों एवं दौहता-दौहतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	1.00	1	0.05	1
x) कक्षा 9वीं से 11वीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मुफ्त साईकिलें और मुरम्मत लागत प्रदान करना।	300.00	10000	300.00	10000
xi) मुफ्त लैपटाप प्रदान करना।	200.00	500	-	-
xii) छात्र परिवहन सुरक्षा नीति	3800.00	32205	1673.16	32205
xiii) एस.सी. छात्रों का प्रतिपूर्ति	4200.00	101069	1079.62	101069
xiv) बी.सी. छात्रों का प्रतिपूर्ति	1701.00	85186	1105.65	85186

स्त्रोत: माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

निजी विद्यालय

5.37 "मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान" (चिराग) योजना, जिसे 2022-23 शैक्षणिक वर्ष में शुरू किया गया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाई का अवसर प्रदान करती है। पात्र सरकारी स्कूल के छात्र जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक

सत्यापित है, उनकी सहमति से उनका कक्षा 2 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में प्रवेश कराया जा रहा है। निजी विद्यालयों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक छात्र के लिए मासिक 1,100 रूपये का भुगतान किया जाता है।

बुक बैंक

5.38 राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालयों का सुधार किया जाएगा। पहले चरण में 14,456 विद्यालयों (जिनमें 235 पीएम श्री स्कूल शामिल हैं) के पुस्तकालयों में लगभग 13.80 करोड़ रूपये मूल्य की 436 प्रकार की नई पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँगी। पुस्तकें कक्षा 1 से 12वीं तक पांच श्रेणियों में विभाजित की गई हैं। यदि किसी विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है, तो पुस्तकों के आगमन के बाद एक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

5.39 युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना राज्य सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है। राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस प्रवृत्ति की आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहने की संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा की क्षमता और गुणवत्ता का विस्तार और सुधार करने के लिए कई उपाय किये हैं। सरकार का दृष्टिकोण उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट, गुणवत्ता, समानता और स्थिरता के मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित होने के साथ-साथ मानव संसाधन क्षमता को पूरी तरह से समानता और समावेशन के साथ साकार करना है।

5.40 वर्ष 2025-26 में हरियाणा राज्य में 374 महाविद्यालय हैं जिनमें से 186 राजकीय महाविद्यालय, 96 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा 92 निजी महाविद्यालय संचालित है।

5.41 हरियाणा में पुस्तकालयों के विस्तार हेतू संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरिज़" शुरू किया गया है, जिसकी नोडल एजेंसी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। इस परियोजना के लिए कुल बजट 3.07 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2.15 करोड़ रूपये पहले चरण के अंतर्गत जारी किए जा चुके हैं।

5.42 राज्य सरकार ने वित्त् वर्ष 2025-26 में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 69,000 लाख रूपये का प्रावधान किया है। जिनमें से राज्य विश्वविद्यालयों को 31,175 लाख रूपये दिनांक 03-11-2025 तक जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों के परिसर में स्थित कॉलेजों में बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रही छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ कर दी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने "हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड" नामक योजना शुरू की है। एच.एस.आर.एफ. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च-गुणवत्ता, शिक्षकों और छात्रों द्वारा स्थानीय रूप से प्रासंगिक बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह पहल क्षेत्रीय मुद्दों की व्यावहारिक पहचान व समाधान विकसित करने को प्रोत्साहित करेगी, राज्य विकास, स्थिरता और ज्ञान अर्थव्यवस्था के व्यापक उद्देश्यों का समर्थन करेगी। वर्ष 2025-26 में "छात्राओं के सशक्तिकरण" की योजना हेतू 62 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत लगभग 75,000 छात्राओं को लाभ मिलेगा। वर्ष 2025-26 में "मानव संसाधन विकास (शिक्षक और शिक्षित)" योजना हेतू 80,000 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 2,500–3,000 छात्र और 2,500

शिक्षक लाभान्वित होंगे। वर्ष 2025-26 में "मानव संसाधन विकास" (सीखते हुए कमाएं) योजना हेतू 150 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 7,000 छात्र लाभान्वित होंगे। वर्ष 2025-26 में "प्रयोगशालाओं का संवर्धन" योजना हेतू 66 लाख रूपये आवंटित किए गए। वर्ष 2025-26 में "विज्ञान प्रदर्शनी सहायता" योजना हेतू 34 लाख रूपये आवंटित किए गए। वर्ष 2025-26 में "छात्राओं के लिए शैक्षणिक और भ्रमण यात्रा" योजना हेतू 3 लाख रूपये आवंटित किए गए। वर्ष 2025-26 में "छात्रों के लिए शैक्षणिक और भ्रमण यात्रा" योजना हेतू 50 लाख रूपये आवंटित किए गए। इस योजना के तहत लगभग 3,000 छात्र लाभान्वित होंगे।

5.43 राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत 2025-26 शैक्षणिक सत्र में कुल 3,51,210 विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया।

तकनीकी शिक्षा विभाग

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

5.44 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सोनीपत जिले के किलोहड़ गांव में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना की जा रही है और आई.आई.आई.टी. की अतिथि कक्षाएं एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र के परिसर में शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शुरू की गई। शैक्षणिक सत्र 2019-20 से आई.आई.आई.टी. सोनीपत के प्रथम वर्ष की कक्षाएं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सोनीपत के टेक्नो.पार्क परिसर में शुरू की गई हैं। आई.आई.आई.टी. सोनीपत की स्थापना के लिए भूमि की लागत ग्राम पंचायत किलोहड़ (सोनीपत) को 579.83 लाख रुपये की 5वीं किस्त का भुगतान किया गया है। आई.आई.आई.टी. सोनीपत का निर्माण भारत सरकार द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से आई.आई.आई.टी. सोसाइटी सोनीपत द्वारा किया गया है। वर्तमान में परियोजना का 85 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.)

5.45 राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्वेश्य अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से उनके पोस्ट मैट्रिक/माध्यमिक पाठयक्रमों के शिक्षण हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (हरियाणा निवासी) के छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से आय 2.50 लाख रूपये तक है वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति योजना में निम्न मद शामिल हैं:

(क) शैक्षणिक भत्ता

(ख) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ते

(ग) सभी अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क शामिल हैं।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

5.46 कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग वर्तमान में एक वर्ष और दो वर्ष अवधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, यह प्रशिक्षण राज्य के 197 सरकारी औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान, 154 सह-शिक्षा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 36 महिला सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 7 सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 190 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

5.47 वर्ष 2025-26 के दौरान, 197 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 89,408 स्वीकृत सीटों की क्षमता के साथ चल रहे हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है। 197 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त, 190 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनकी संचालित क्षमता 29,188 है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षुओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की वर्षवार संख्या **तालिका 5.4** में दी गई है।

तालिका 5.4: वर्ष-वार सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

शैक्षणिक सत्र	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	कुल
2021-22	187	225	412
2022-23	192	225	417
2023-24	195	195	390
2024-25	196	197	393
2025-26	197	190	387

स्त्रोत: कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

फ्लैगशिप योजना

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के तहत 1,396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार

5.48 प्रशिक्षण को प्रासंगिक और उपयोगकर्ताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए 34 उद्योग भागीदारों द्वारा इस योजना के तहत 57 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को अपनाया गया है। 78 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 71 सोसाइटियों का गठन किया गया है।

5.49 राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोमोशन योजना

- मंत्रालय ने देश में मांग-संचालित और उद्योग-सम्बद्ध कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की हैं। प्रशिक्षुता मांग-आधारित मॉडल का मूल है। प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 भारत में प्रशिक्षुता को नियंत्रित करता है और यह कौशल विकास और उधमिता मंत्रालय के फोकस क्षेत्रों में से एक है।
- प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लागू की गई है। भारत सरकार ने 19-08-2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोमोशन योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में प्रशिक्षु और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण www.apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और प्रशिक्षु के अनुबंध बांड ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकृत किए जाते हैं।

- हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोमोशन योजना के कार्यान्वयन में पहल करके देश में अग्रणी भूमिका निभाई और 2017 में 'चैम्पियन ऑफ चेंज' पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें प्रति लाख आबादी पर 76 प्रशिक्षुओं की उच्चतम भागीदारी के लिए सम्मानित किया गया था।
- प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए अपनी कुल मानव शक्ति का 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत सरकार की हिदायत अनुसार प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान प्रशिक्षु को 6,800 रूपये से 14,145 रूपये तक वजीफा देता है।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोमोशन योजना 2.0 के तहत, प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम प्रशिक्षु के बैंक खातों में प्रतिमाह 1,500 रूपये प्रति प्रशिक्षु सीधे प्रदान करता है। प्रशिक्षुता में भाग लेने वाले प्रशिक्षु और पंजीकृत प्रतिष्ठानों की वर्षवार स्थिति **तालिका 5.5** में दी गई है।

तालिका 5.5: वर्षवार प्रशिक्षुता की स्थिति

वर्ष	पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	पोर्टल पर नियुक्त प्रशिक्षु (निर्धारित ट्रेड)	कुल प्रशिक्षु (वैकल्पिक ट्रेड)
2020-21	1244	24571	13685
2021-22	78	14387	19894
2022-23	1071	10806	34616
2023-24	790	9725	40077
2024-25	678	8990	24524
2025-26	747	11453	12200
कुल	4608	79932	144996

स्रोत : कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

दोहरी प्रशिक्षण पद्धति

5.50 प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग से सम्बन्धित व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए, हरियाणा राज्य में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत एक वर्ष के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम में 3-6 माह और दो वर्ष के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम में 6-12 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण संबंधित उद्योगों से दिलवाया जा रहा है। सत्र 2025-26 और 2026-27 में प्रवेश (एक वर्ष एवं दो वर्ष पाठ्यक्रम) में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली मॉडल के तहत प्रवेश कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के द्वारा संचालित 104 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 47 ट्रेड के 464 इकाईयों में 246 उद्योगों के साथ "समझौता ज्ञापन" के अनुसार किया जा रहा है।

प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण संस्थान

5.51 राजकीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक ने कार्य आरम्भ करने पर अगस्त, 2015 में 3 ट्रेड में प्रवेश किये। संस्थान की सीटिंग क्षमता 300 है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण राशि का उपयोग किया जा चुका है और अब यह संस्थान राज्य योजना के तहत संचालित हो रहा है।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की कल्याण योजनाएँ

(क) केंद्र प्रायोजित योजना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के प्रशिक्षुओं के लिए

5.52 केंद्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सरकारी/निजी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के प्रशिक्षुओं को मासिक 208 रूपये के छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति के साथ-साथ ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, स्टूडेंट फंड, पहचान पत्र और हॉस्टल शुल्क भी अनुसूचित जाति के प्रशिक्षुओं को भुगतान किए जाते हैं। वर्षवार छात्रवृत्ति लाभ की सूची **तालिका 5.6** में दी गई है।

तालिका 5.6 : अनुसूचित जाति प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति लाभ का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	योजना का नाम 40 प्रतिशत (राज्य अंश)	वितरित राशि (लाख रूपये में)	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
2022-23	पी.एम.एस.-एस.सी. – वितरित	128.57	6224
2023-24	पी.एम.एस.-एस.सी. – वितरित	195.79	6737
2024-25	पी.एम.एस.-एस.सी. – वितरित	195.50	7256
2025-26	पी.एम.एस.-एस.सी. – वितरित	295.48	8246
कुल		**815.34**	**28463**

स्रोत: कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्र प्रायोजित योजना अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षुओं के लिए

5.53 केंद्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के प्रशिक्षुओं को शैक्षणिक भत्ता के रूप में प्रति वर्ष 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में 72.07 लाख रूपये की राशि 1,585 अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों को वितरित की गई।

(ख) राज्य प्रायोजित योजना

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

5.54 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के लिए प्रशिक्षु का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है और वह राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी.) द्वारा जारी ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहा हो। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को 200 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा 15 रूपये शिक्षा शुल्क प्रदान किया जा रहा है। यह सहायता बिना किसी आय सीमा के दी जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में 39.87 लाख रूपये की राशि 1,576 अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को वितरित की गई।

गरीबी और मेरिट आधार पर प्रशिक्षुओं के लिए योजना

5.55 "गरीबी और मेरिट आधार पर" एक अन्य योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की जा रही है, कुल प्रवेशित प्रशिक्षुओं के 25 प्रतिशत को प्रति माह 200 रूपये छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस योजना के

तहत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (व्यवसाय-वाईज) में कुल प्रवेशित प्रशिक्षुओं के 25 प्रतिशत को मेरिट-कम-मीन्स आधार पर प्रति माह 200 रूपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रशिक्षु का वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम होनी चाहिए, प्रशिक्षु हरियाणा का निवासी होना चाहिए और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी ट्रेड में प्रशिक्षण लिया होना चाहिए।

फ्री-टूल-किट योजना

5.56 यह योजना हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी छात्राओं और केवल अनुसूचित जाति के छात्र प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान एक बार 1,000 रूपये प्रदान किया जाता है।

छात्रा प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना

5.57 छात्रा प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा सत्र 2023-24 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत सभी श्रेणियों की छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुश्त 2,500 रूपये प्रदान किया जाता है, जो सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/महिला सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक होनी चाहिए। वर्ष 2025-26 में, छात्रा प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के तहत 2,600 लाभार्थियों पर 65 लाख रूपये खर्च किया गया।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय

5.58 श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 54 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कृषि, मानविकी और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। सत्र 2025-26 के लिए कुल 2,627 छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित किया गया।

5.59 सुपर-30 और उद्यमिता विकास कार्यक्रम बैचों के 25 उम्मीदवारों ने अपनी उद्यम पंजीकरण पूरा कर लिया है, जबकि शेष उम्मीदवार अपने उद्यमों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में एस.वी.एस. विश्वविद्यालय में 49 पी.एच.डी. शोधार्थी नामांकित हैं।

5.60 वर्ष 2024 में, एस.वी.एस. विश्वविद्यालय ने छात्रों के ऑन-जॉब प्रशिक्षण के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 31 "समझौता ज्ञापन" किए। विश्वविद्यालय के अब 200 से अधिक उद्योग भागीदारों के साथ समझौता हैं, जिनमें कोनसेंट्रिक्स, हीरो मोटर कोर्प व मारूति सुजुकी आदि शामिल हैं।

गुरु-शिष्य कौशल सम्मान योजना

5.61 गुरु-शिष्य कौशल सम्मान योजना के तहत अब तक 219 गुरु और 270 शिष्य पंजीकृत हैं, जिनमें से 126 गुरु सफलतापूर्वक प्रमाणित किए जा चुके हैं। सभी प्रशिक्षण और क्रियान्वयन गतिविधियाँ हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, ऐलनाबाद, होडल और पंचकुला जिलों में आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, दूसरे चरण के तहत 60 शिष्य पंजीकृत किए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

अंत्योदय-सरल पोर्टल

5.62 अंत्योदय सरल पोर्टल ने हरियाणा में सरकारी सेवाओं के वितरण को डिजिटल समाधान के माध्यम से समग्र और एकीकृत रूप से रूपान्तरित कर दिया है। वर्तमान में नागरिक इस एकल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 70 से अधिक विभागों, बोर्डों और निगमों की 1,000 से अधिक सेवाओं तक सहज रूप से पहुँच सकते हैं।

5.63 हरियाणा सरकार ने समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल को 9 जून, 2024 को शुभारम्भ किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का समय पर प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत समाधान प्रकोष्ठ राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय और सब-डिवीजन कार्यालयों में शिकायत निवारण शिविर आयोजित कर रहा है। ये शिविर प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 9:00 से 11:00 बजे तक आयोजित होते हैं। अब तक कुल 1,47,461 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,18,067 शिकायतें (80.54 प्रतिशत) सफलतापूर्वक हल की गई हैं।

सूचना एवं प्रौधोगिकी सक्षम युवा योजना

5.64 सूचना एवं प्रौधोगिकी सक्षम युवा योजना को हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई, 2024 में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग और सूचना एवं प्रौधोगिकी पृष्ठभूमि वाले स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थी या बेरोज़गार युवा हरियाणा सूचना एवं प्रौधोगिकी प्रोग्राम के तहत न्यूनतम तीन महीने की अवधि वाले विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अल्पकालिक पाठयक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये पाठयक्रम हारट्रोन, हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पहले चरण में, योजना का लक्ष्य राज्य भर में 5,000 युवाओं को सूचना एवं प्रौधोगिकी कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित करना है। इस प्रशिक्षण हेतू नवंबर, 2025 तक कुल 137 आवेदन प्राप्त हुए है।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

5.65 हरियाणा आधार आधारित "जियो-फेंस्ड उपस्थिति ऐप" हरियाणा सरकार की डिजिटल गवर्नेंस उपलब्धियों में महत्वपूर्ण है। इस योजना का नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा सितंबर, 2024 में शुभारम्भ किया गया। इस ऐप ने पारंपरिक और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणालियों की जगह वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली "जियो-फेंसिंग" और आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित "मोबाइल-आधारित समाधान" ने ले ली है। इसने पारदर्शिता बढ़ाई, अनुपस्थिति घटाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खेल और आयुष विभागों में कर्मचारियों की वास्तविक समय निगरानी सक्षम की। इस पहल ने जवाबदेही, कार्यबल प्रबंधन एवं बेहतर सेवा वितरण प्रणाली को अनुकूलित किया और जो राज्य सरकार की मजबूत एवं बेहतर सुशासन प्रणाली को प्रदर्शित करती है ताकि नागरिकों को शिकायत समाधान हेतू समर्पित एवं सुलभ मंच उपलब्ध हो।

सूचना एवं संचार अवसंरचना (सी.सी.आई.पी.)

5.66 सूचना एवं संचार अवसंरचना हरियाणा में निवेश हरियाणा पोर्टल के प्रमुख मॉड्यूल की प्रगति को दूरसंचार अवसंरचना विस्तार एवं प्रौधोगिकी के साथ इसकी वर्तमान स्थिति 4G/5G कनेक्टिविटी का

आंकलन करता है। यह प्रणाली सर्वेक्षण कार्यप्रवाह, आवेदन कार्यप्रवाह, प्रदर्शन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) कार्यप्रवाह, मांग पत्र और शुल्क गणना, अस्थायी टावर, टावर हटाना, अप्रत्याशित घटना और केंद्रीय सरकारी योजनाओं से संबंधित मॉड्यूल के प्रवाह को प्रदर्शित करती है। इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण सेवा प्रदाता और प्रशिक्षण प्रदाता के लिए व्यापार करना आसान बनाना और दूरसंचार एवं फाइबर अवसंरचना को स्थापित करना है।

भारत-नेट सेवा विस्तार परियोजना

5.67 "भारत-नेट" परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी 6,222 ग्राम पंचायतों को संचार सुविधा प्रदान करना और 62,220 एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन प्रदान करना है (लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 कनेक्शन)। यह परियोजना प्रमुख सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाएं, डाकघर और पुलिस थानों को मुफ्त एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन प्रदान करेगी। वर्तमान में राज्य की 5,086 ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल किया गया है।

केंद्रीकृत सम्पर्क केन्द्र (कॉल सेंटर)

5.68 नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ करने तथा शिकायत निवारण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतू हरियाणा सरकार द्वारा 50 सीटों वाला केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जो विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को एकीकृत करते हुए, एक स्थान पर ही क्रियान्वयन करेगा। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न विभागीय हेल्पलाइनों का एकीकरण कर समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करना, शिकायतों का सुचारु निपटान, त्वरित प्रश्न समाधान तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह प्रणाली एआई-आधारित विश्लेषण, क्लाउड दूर संचार सेवा, स्वतः शिकायत निगरानी तथा वास्तविक डाटा प्रदर्शन पटल जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगी, जिससे दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अन्य राज्यों के मोडयूल से प्रेरणा लेते हुए यह पहल सार्वजनिक सेवा वितरण का आधुनिकीकरण, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, रोजगार अवसर सृजन तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डिजिटल रूप से सशक्त, "नागरिक-प्रथम" शासन के हरियाणा के दृष्टिकोण को सार्थक करेगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी.पी.एन., आई.पी.एस. और यू.पी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

5.69 हरियाणा सरकार राज्य की नेटवर्क एवं संचार अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि सुरक्षित, विश्वसनीय एवं निरन्तर संचार उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतू हरियाणा सिविल सचिवालय (सेक्टर-1, चंडीगढ़), न्यू सिविल सचिवालय (सेक्टर-17, चंडीगढ़), हरियाणा राजभवन, हरियाणा भवन (नई दिल्ली), अतिथि गृह (चाणक्यपुरी, नई दिल्ली) तथा सभी जिला लघु सचिवालयों में एकीकृत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क–(एस.डब्ल्यू.ए.एन.) और एल.ए.एन. आधारित डिजिटल संचार परिवेश स्थापित किया गया है। इस सुविधा में सुधार करते हुए राज्य-व्यापी सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीपीएन तथा घूसपैठ रोकथाम सक्षम सुरक्षा □ांचा के साथ निर्बाध रूप से स्वीकृत किया जायेगा। यू.पी.एस. आधारित विधुत आपूर्ति सम्भव होने की वजह से राज्य मुख्यालय से लेकर जिलों एवं खंड स्तर तक सम्पर्क स्थापित कर पाना सम्भव हो सका। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू एकीकृत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन) व्यवस्था को आई.पी.एस. से जोडा गया है

ताकि राज्य एवं जिला स्तर पर साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य जिला एवं खंड स्तर पर निर्बाध संचार सुनिश्चित करने हेतू यू.पी.एस. की सुविधा प्रदान की है ताकि शासकीय संचार सुद्द एवं निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

हरियाणा स्टेट डेटा सेंटर में गैर-सूचना एवं प्रौधोगिकी अवसंरचना विस्तार

5.70 राज्य ने अपने डेटा केंद्र को आधुनिक बनाया है, पुराने पी.ए.सी. सिस्टम को इन-रो कूलिंग से बदलकर 24 टन से 36 टन तक कूलिंग क्षमता बढ़ाई है और सर्वर फार्म क्षेत्र के साथ नेटवर्क प्रबंधन केंद्र को एकीकृत कर आठ सर्वर रैक जोड़े हैं।

ऑटो अपील सिस्टम

5.71 जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ऑटो अपील सिस्टम पोर्टल में जोड़ा गया। इसके तहत यदि सक्षम प्राधिकारी सेवा अधिकार अधिनियम के तहत समयसीमा में आवेदन निपटान नहीं करता, तो सिस्टम स्वतः ही आवेदनकर्ता की ओर से अपील दर्ज कर देता है। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों को विभिन्न विभागीय वेबसाइटों या आवेदन की विभिन्न प्रक्रियाओं में भटकने की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे राज्य सरकार की सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय, हरियाणा

5.72 विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। पहले इसके अन्तर्गत दो संस्थाएं काम कर रही थी, हरियाणा राज्य विज्ञान एवम प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। दिनांक 25 अगस्त, 2020 से हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र हिसार को नागरिक संसाधन सूचना विभाग हरियाणा के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौधोगिकी निदेशालय ने हरियाणा में मौलिक विज्ञान को बढ़ावा देने तथा मेधावी छात्रों को विज्ञान को कैरियर के रूप में अपनाने हेतू प्रेरित करने के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैः

विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति योजना (पी.ओ.एस.ई.): इस योजना के अन्तर्गत विभाग मूल विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में बी.एस.सी./एम.एस.सी. में पढ़ाई करने वाले 250 छात्रों को आकर्षित छात्रवृति प्रदान की जाती है। स्नातक तक छात्रों को 4,000 रूपये प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर छात्रों को 6,000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2009-10 में आरम्भ की गई थी तथा अब तक 2,868 विद्यार्थियों को लगभग 3,117.87 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई है।

हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजनाः इस योजना के तहत हरियाणा मे स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10वीं में पढ़ रहे मेधावी छात्रों को 1,500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। 10वीं कक्षा के बाद उनके लिए हरियाणा या चंडीगढ़ में स्थित विधालयों में प्रवेश लेना और 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान विज्ञान स्ट्रीम (मैडीकल या नोन मैडीकल) का चयन करना अनिवार्य है। छात्रों का चयन पूरी तरह से हरियाणा बोर्ड और सी.बी.एस.ई. या आई.सी.एस.ई. बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा योग्यता के आधार पर 1,500 मेधावी छात्रों के चयन के लिए एक सूची तैयार की जाती है जिसमें 1,250 छात्र हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन सरकारी और निजी दोनों से सबंधित विद्यालयों से, 230 छात्र सी.बी.एस.सी. से होंगे एवं 20 छात्र

आई.सी.एस.ई. पाठयक्रम सें उत्तीर्ण हों। कक्षा 11वीं व 12वीं के दौरान विज्ञान का अध्ययन करने वाले प्रत्येक चयनित छात्र को 1,000 रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

पी.एच.डी. छात्रों के लिए फेलोशिप योजना: यह फेलोशिप कार्यक्रम संयुक्त रूप से सी.एस.आई.आर.-यू.जी.सी. पर आधारित है और लेक्चरशिप की परीक्षा एन.टी.ए. द्वारा आयोजित की जाती है। जिन उम्मीदवारों ने जे.आर.एफ./नेट (सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी.) में उत्तीर्ण किया है उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी.के समकक्ष फेलोशिप दी जाएगी, यदि वे किसी वैध कारण से सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी.से फेलोशिप नहीं ले रहे है, उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 31,000 रूपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 35,000 रूपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने लेक्चरशिप-नेटक्वालिफाईड किया है, उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी. की मौजूदा दरों पर जिसमें सी.एस.आई.आर. के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 18,000 रूपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 21,000 रूपये प्रतिमाह। फेलोशिप में 20,000 रूपये का वार्षिक आकस्मिकता अनुदान देय होगा जो विश्वविद्यालय/संस्थान को प्रदान किया जाएगा।

5.73 आमजन और विद्यार्थियों में खगोलशास्त्र के प्रति जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उदेश्य से, कल्पना चावला स्मारक तारामण्डल, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के अधीन कार्य कर रहा है। तारामण्डल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डा. कल्पना चावला की याद में 24 जुलाई, 2007 को किया गया था। तारामण्डल का गुम्बद 12 मीटर व्यास में 120 व्यक्तियों के एकदिशीय साथ बैठने की क्षमता के लिए बनाया गया है। तारामण्डल में आगुन्तकों हेतू अग्रेंजी और हिंदी में खगोल विज्ञान से संबधित कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाता है। दीर्घा व एस्ट्रोपार्क, तारामण्डल के दो अन्य आकर्षण हैं जिनमें खगोल से संबधित प्रदर्शनी लगाई जाती है।

तालिका 5.7: वर्ष-वार भौतिक और वितीय उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	कुल दर्शक	कुल राजस्व (लाख रूपये में)
2015-16	1,39,845	31,92,755
2016-17	1,42,443	32,91,595
2017-18	1,35,293	30,97,405
2018-19	1,35,490	28,59,765
2019-20	1,29,361	26,17,945
2020-21	14,829	3,88,690
2021-22	44,341	5,49,685
2022-23	86,453	9,06,630
2023-24	84,893	8,01,500
2024-25	62,289	5,81,975
2025-26 (31-10-2025 तक)	25,768	3,16,325

स्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा।

***

6

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, एवं दवाओं को निरंतर तरीके से उपलब्ध करवाने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा प्रदेश के बीमार और आपातकालीन रोगियों के अलावा शिशुओं, बच्चों, युवाओं, माताओं, योग्य दम्पतियों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, संचारी व गैर-संचारी रोगों की भी सावधानीपूर्वक जांच तथा रिकार्डिंग, रिपोर्टिंग और योजना की मजबूत प्रणाली बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, राज्य के स्वास्थ्य बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2,646 करोड़ रूपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,540 करोड़ रूपये हो गया है, जो इस अवधि में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है।

6.2 स्वास्थ्य अवसंरचना

- वर्तमान में 22 जिला सिविल अस्पताल, 52 उपमण्डलीय अस्पताल, 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 530 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2,738 उप-स्वास्थ्य केंद्र, पूरक सुविधाएँ जैसे 33 सिविल डिस्पेंसरी, 13 पॉलीक्लिनिक, 107 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 92 प्रथम रेफरल इकाईयां, 29 विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ और 62 नवजात स्थिरीकरण केन्द्रो के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 58 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण और अग्निशमन प्रणाली स्थापित करने के लिए 584.81 करोड़ रूपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 169 मौजूदा संस्थानों की मरम्मत के लिए 43.99 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, नए निर्माण के लिए 380.43 करोड़ रूपये और मरम्मत के लिए 81 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।
- 15वें वित्त आयोग के तहत, विकास और पंचायत विभाग को 328 एस.एच.सी., 12 पी.एच.सी, 2 सी.एच.सी. और 41 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ इकाईयों का निर्माण करने के लिए लगभग 245 करोड़ रूपये जारी किए गए।
- निदान संबंधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, मरीजों के भार के आधार पर जिला चिकित्सा केंद्रों और सब-डिविजनल अस्पतालों में पूर्ण स्वचालित बायोकेमिस्ट्री एनालाईजर और 5-भाग स्वचालित हेमेटोलॉजी एनालाईजर जैसे उच्च स्तरीय प्रयोगशाला उपकरण लगाए गए हैं। जमीनी स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को 640 स्वचालित हेमेटोलॉजी एनालाईजर (3-भाग) और 291 नए बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, सभी जिलों में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और ब्लॉक जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और नवीनीकरण के लिए लगभग 37 करोड़ रूपये मूल्य के उपकरणों के लिए ऑर्डर दिए गए हैं।

- रेफरल परिवहन योजना (राष्टीय एम्बुलेंस सेवा), जो 14 नवंबर, 2009 से शुरू की गई थी, इस योजना के तहत हरियाणा के सभी जिले शामिल है। विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए बेड़े को विविधीकृत और विस्तारित किया गया है, उपलब्ध सेवाओं का विवरण **तालिका 6.1** में इस प्रकार है:

तालिका 6.1: रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत उपलब्ध सेवाओं का विवरण

सेवाओं का प्रकार	2014 से पहले	वर्तमान स्थिति
उन्नत जीवन समर्थन	49	51
बेसिक लाइफ सपोर्ट	282	239
रोगी परिवहन एम्बुलेंस	36	212
किलकारी एम्बुलेंस	40	45
नवजात शिशु देखभाल एम्बुलेंस	-	5
मेडिकल मोबाइल इकाईयां	-	58
कुल	**407**	**610**

स्रोत: स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

6.3 सुपर-स्पेशलिटी और उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए, राज्य ने पीपीपी मॉडल का उपयोग किया है। चार जिला अस्पतालों में पीपीपी के तहत कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स स्थापित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कार्डियक ओपीडी में लगभग 83,798 मरीजों की जाचं की गई व 6,012 एंजियोग्राफी की गई, और 3,802 मरीजों में स्टेंटिंग की गई। वित्त वर्ष 2025-26 (अब तक) ओपीडी में, 57,791 मरीजों की जाचं की गई, 5,813 एंजियोग्राफी और एंज्योप्लास्टी की गई। सीटी स्कैन सेवाएं 18 जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं, एक और जिला (बहादुरगढ) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, 1.5 लाख से अधिक सीटी स्कैन किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में 31-12-2025 तक 1.05 लाख सीटी स्कैन किए गए।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक

6.4 हरियाणा अपने स्वास्थ्य संस्थानों में भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। यह चेकलिस्ट-आधारित कार्यक्रम व्यवस्थित गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से है। अब तक, राज्य में 1,479 सुविधाओं को एन.क्यू.ए.एस. के तहत प्रमाणित किया जा चुका है, जिसमें 21 जिला अस्पताल, 9 उप-क्षेत्रीय अस्पताल, 6 सी.एच.सी., 124 पी.एच.सी., 35 यू.पी.एच.सी. और 1,284 ए.ए.एम. उप-केन्द्र शामिल है। इनमें से, 343 को वित्त वर्ष 2024-25 में और 907 को 31 जनवरी, 2026 तक प्रमाणित किया गया। राज्य ने गुणवत्ता प्रमाणन में राष्ट्रीय स्तर पर कई बार प्रथम स्थान पाया है। जिला नागरिक अस्पताल पंचकुला राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होने वाला देश का पहला जिला अस्पताल था, जबकि जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के अनुकूल सेवाओं के लिए मुस्कान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया। कुरूक्षेत्र का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णा नगर गामरी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होने वाला देश का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर-उपकेंद्र रायपुर, सोनीपत देश में वर्चुअली मूल्यांकन करने वाला पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर-उपकेंद्र है। इसके

अलावा, विशेषज्ञ क्षमता विकसित करने के लिए, 11 जिलों में 14 विशिष्टाओं में पोस्ट ग्रेजुएट डीएनबी डिग्री/डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें कुल 94 सीटें उपलब्ध हैं। अम्बाला, पंचकूला व फरीदाबाद सहित विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में यह कोर्स करवाये जा रहे है। पोस्ट एम.बी.बी.एस./डी.एन.बी.व पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा को **तालिका 6.2 व 6.3** में क्रमशः दिखाया गया हैः

तालिका 6.2: पोस्ट एम.बी.बी.एस./डी.एन.बी. सीटों के लिए सीटों का विवरण

एन.बी.ई.एम.एस. मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्था	विशेषता	कुल पोस्ट एम.बी.बी.एस./ डी.एन.बी. सीटें	सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के कोटा के लिए आरक्षित सीटें	सैंट्रल पूल (ऑल इंडिया कोटा) के लिए योगदान किए गए सीटें
जिला नागरिक अस्पताल, अम्बाला सिटी	नेत्र विज्ञान	1	-	1
सिविल अस्पताल, फरीदाबाद	प्रसूति एवं स्त्री रोग	2	1	1
जनरल अस्पताल, सेक्टर-6, पंचकुला	जनरल मेडिसिन	2	1	1
	ऑर्थोपेडिक्स	2	1	1
	रेडियो डायग्नोसिस	1	1	0
	प्रसूति एवं स्त्री रोग	6	3	3
	ई.एन.टी.	3	2	1
	बाल रोग	2	1	1
	त्वचा रोग	2	1	1
	अस्पताल प्रशासन	2	1	1
	नेत्र रोग	3	1	2
	पैथोलॉजी	4	2	2
	जनरल सर्जरी	2	2	1
		32	**16**	**16**

स्त्रोतःस्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।

तालिका 6.3: पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा सीटों के लिए सीटों का विवरण

एन.बी.ई.एम.एस. मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्था	विशेषता	कुल पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा सीटें	सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के कोटा के लिए आरक्षित सीटें	सैंट्रल पूल (ऑल इंडिया कोटा) के लिए योगदान किए गए सीटें
सिविल अस्पताल अंबाला कैंट	ई.एन.टी.	2	1	1
	नेत्रविज्ञान	2	1	1
	रेडियो डायग्नोसिस	2	1	1
सिविल अस्पताल, फरीदाबाद	प्रसूति एवं स्त्री रोग	2	1	1
सिविल अस्पताल सेक्टर-10, गुरुग्राम	परिवार चिकित्सा	4	2	2
	गर्भवती और स्त्रीरोग	4	2	2
	नेत्र विज्ञान	2	1	1
जिला सिविल अस्पताल महाराजा आगर्सेन, हिसार	ई.एन.टी.	2	1	1
	फैमिली मेडिसिन	4	2	2
	बाल रोग	2	1	1
सिविल अस्पताल बहादुरगढ़, झज्जर	आंख विभाग	2	1	1

ए.आई.-अ-आफिया सिविल अस्पताल, मंडीखेड़ा, जिला नूह	गर्भवती और स्त्री रोग	2	1	1
सिविल अस्पताल, पलवल	नेत्र रोग	2	1	1
	बाल रोग	1	1	0
जनरल अस्पताल, पानीपत	प्रसूति एवं स्त्री रोग	4	2	2
जनरल अस्पताल सेक्टर-6, पंचकुला	परिवार चिकित्सा	4	2	2
	गर्भावस्था और स्त्रीरोग	4	2	2
	नेत्र विज्ञान	2	1	1
	बालरोग	2	1	1
	रेडियो डायग्नोसिस	2	1	1
	क्षय रोग और फेफड़ों की बीमारियाँ	2	1	1
	एनेस्थेसिया	4	2	2
सिविल अस्पताल, रेवाड़ी	टी.बी.	1	0	1
सिविल अस्पताल, रोहतक	नेत्ररोग विभाग	2	1	1
	गर्भवती और स्त्रीरोग विभाग	1	1	0
	बालरोग विभाग	1	0	1
कुल		**62**		

स्त्रोतः स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।

कायाकल्प कार्यक्रम

6.5 कायाकल्प पहल स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और इन दिशानिर्देशों के तहत मूल्यांकन करने पर अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाने वाले स्वास्थ्य संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। हरियाणा इन दिशानिर्देशों को अपनाने का प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 838 स्वास्थ्य संस्थाओं (19 जिला नागरिक अस्पताल, 38 उप जिला अस्पताल, 78 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 196 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 69 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 438 उप स्वास्थ्य केंद्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर) को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए गए। इन संस्थाओं को अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगभग 5.09 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए। वित्त वर्ष 2025-26 में आन्तरिक और पीअर मूल्यांकन पूरे होने के बाद जिला सिविल अस्पताल, उपमण्डल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का बाहरी मूल्यांकन पूरा हो चुका है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

निरोगी हरियाणा

6.6 निरोगी हरियाणा 29 नवंबर, 2022 को शुरू की गई हरियाणा की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य अंत्योदय (सर्वाधिक आर्थिक रूप से कमजोर) आबादी को हर दो वर्ष में एक बार व्यापक स्वास्थ्य जांच और अनिवार्य प्रयोगशाला जांच प्रदान करना है। 5 फरवरी, 2026 तक, इस

योजना के तहत लगभग 98.58 लाख लाभार्थियों की जांच की जा चुकी है, और लगभग 5.73 करोड़ प्रयोगशाला परीक्षण किए गए हैं।

एनसीडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

6.7 गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को हरियाणा में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक और पुरानी श्वसन तथा गुर्दे की बीमारियों से लड़ने के लिए सख्ती से लागू किया जा रहा है। वर्ष 2024 में 30 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 48 लाख व्यक्तियों की सामान्य गैर संचारी रोगों के लिए जांच की गई और 2025 में लगभग 40 लाख व्यक्तियों की जांच हुई। आज तक लगभग 8.5 लाख रोगी उच्च रक्तचाप के लिए और 5.25 लाख रोगी मधुमेह के लिए उपचाराधीन हैं। पात्र स्टेज 3 और 4 के कर्क रोगियों को भी सेवा विभाग से 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता भी मिलती है, जिससे नवंबर, 2025 तक लगभग 5,807 रोगियों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, सभी जिला अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कॉर्नर और फिजियोथेरपी इकाईयां संचालित हैं।

अटल कैंसर केयर सैंटर

6.8 सिविल अस्पताल, अंबाला कैंट में 50 बिस्तरों वाला कैंसर देखभाल केंद्र अर्थात् अटल कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र नवीनतम उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों जैसे मैमोग्राफी, सी.टी. सीमूलेटर और लीनीअर ऐक्सीलेटर से सुसज्जित है। हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों के रोगियों को व्यापक कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2024 में, इसमें 19,459 ओ.पी.डी. रोगियों की देखभाल की गई, 659 मैमोग्राफी, 378 एंडोस्कोपी, 483 आनकोर्सजरी की गई और 2,695 रोगियों को कीमोथेरेपी दी गई। जनवरी, 2026 तक, लगभग 20,016 ओ.पी.डी. रोगियों की देखभाल की गई, 396 मैमोग्राफी, 379 एंडोस्कोपी, 483 आनकोर्सजरी की गई और 2,743 रोगियों को कीमोथेरेपी प्रदान की गई है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आश्वासन योजना

6.9 आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सेवा की पहुँच का बहुत विस्तार किया है। यह लगभग 15.52 लाख पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जिसमें लगभग 1.29 करोड़ लाभार्थी को शामिल है। जनवरी, 2026 तक, 1,348 सूचीबद्व अस्पतालों (571 सार्वजनिक, 777 निजी) ने लगभग 32 लाख लोगों की सेवा की है, जिसके लिए लाभार्थियों को 3,741 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं। राज्य की "चिरायु योजना'' अंत्योदय परिवारों (वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये) को आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदान करती है। इसने लगभग 16.9 लाख दावों को संसाधित किया है, जिनमें दिसम्बर, 2025 तक 2,083 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से 3 लाख रूपये के बीच है, वे मामूली वार्षिक योगदान 1,500 रूपये देकर इन लाभों का फायदा ले सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 36,148 दावे और कुल दावों के लिए दिसम्बर, 2025 तक लगभग 21.6 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। महत्वपूर्ण विस्तार में, आयुष्मान भारत/प्रधानमत्रीं जन आरोग्य योजना के लाभ सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक बढा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 10,81,515 परिवार शामिल है, जिनकी अनुमानित राज्य देयता 365 करोड़ रूपये है।

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम

6.10 हरियाणा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रयासों को तेज कर रहा है और सभी 22 जिलों में निक्षय शिविर आयोजित कर रहा है। 1 जनवरी से नवंबर, 2025 तक लगभग 34.5 लाख संवेदनशील व्यक्तियों की जांच की गई, जिससे 2.82 लाख छाती की एक्स-रे और 3.72 लाख बलगम परीक्षण (एन.ऐ.ऐ.टी.) मशीनों पर किए गए। वर्ष 2024 में लगभग 87,000 टीबी मामले अधिसूचित किये गये और वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2025 तक लगभग 88,710 मामले अधिसूचित किये गये। निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को वित्तीय सहायता 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रूपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक मरीजों के खातों में कुल 167 करोड़ रूपये सीधे जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

6.11 मरीजों के जेब खर्च को कम करने के लिए, (पी.एम.बी.जे.पी.) स्टोर सभी 22 जिला सिविल अस्पतालों और एस.डी.एच. बहादुरगढ़ में स्थापित किए गए हैं। ये स्टोर रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयाँ प्रदान करते हैं। वर्ष 2024 में, 102 नए स्टोर लाइसेंस दिए गए, इसके बाद चालू वर्ष में 94 लाइसेंस दिए गए। इस प्रकार, मरीज अस्पताल फार्मेसियों से मुफ्त दवाइयाँ या स्टोर से अत्यधिक छूट वाली दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम और सेवाएँ

निशुल्क डायलिसिस सेवाएँ

6.12 राज्य सरकार 17 अक्टूबर, 2024 से हरियाणा के सभी निवासियों को निशुल्क डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.78 लाख डायलिसिस सत्र आयोजित किए गए, जिनमें से 92,064 नि:शुल्क थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, 31 जनवरी, 2026 तक लगभग 1.96 लाख नि:शुल्क डायलिसिस किए गए।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

6.13 राज्य वेक्टर जनित रोगों के निगरानी और नियंत्रण में सतर्क है। दिसम्बर, 2025 तक 205 मलेरिया, 2,624 डेंगू, 70 चिकनगुनिया और 0 जापानी एन्सेफलाइटिस मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2024 में, कुल मलेरिया के मामले 170, डेंगू के मामले 6,469 (9 मौतें), और चिकनगुनिया के मामले 51 थे। 31 जुलाई, 2025 तक 36.26 लाख से अधिक मलेरिया परीक्षण और दिसम्बर, 2025 तक 1.16 लाख डेंगू परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में मुफ्त कराए गए। समर्पित बुनियादी ढांचे में सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 255 आरक्षित वार्ड व 1,091 बिस्तर शामिल होने के साथ साथ हरियाणा के निवासियों को मुफ्त प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.14 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत करके स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। इसके प्राथमिक घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, संचारी और गैर-संचारी रोग नियंत्रण और व्यापक प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। एन.एच.एम. रणनीतिक रूप से स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पेयजल जैसे प्रमुख स्वास्थ्य निर्धारकों को एकीकृत करता है। एन.एच.एम. के तहत हरियाणा के लिए प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक

तालिका 6.4 में प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि वर्षवार बजट और व्यय विवरण **तालिका 6.5** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 6.4: हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य संकेतक (भारत की तुलना में)

स्रोत के साथ संकेतक	हरियाणा		भारत
	2013-14	2020-25	
नवजात मृत्यु दर	26 (एस.आर.एस.2013)	19 (एस.आर.एस. 2023)	19 (एस.आर.एस.2023)
शिशु मृत्यु दर	41 (एस.आर.एस.2013)	26 (एस.आर.एस. 2023)	25 (एस.आर.एस.2023)
मातृ मृत्यु दर	127(एस.आर.एस.2011-13)	89 (एस.आर.एस. 2021-23)	88 (एस.आर.एस.2021-23)
प्रथम रेफरल इकाई	40 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू. सहित)	87 (2024-25 में 57 एफ.आर.यू. और दिसम्बर, 2025 तक 30 नए नामित एफ.आर.यू)	–
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु	45 (एस.आर.एस. 2013)	30 (एस.आर.एस. 2023)	29 (एस.आर.एस.2023)
जन्म के समय लिंगानुपात	868 (सी.आर.एस. 2013)	923 (दिसम्बर,2025 तक)	–
संस्थागत वितरण (एच.एम.आई.एस.)	90.37 प्रतिशत (2017)	98.8 प्रतिशत (अक्टूबर, 2025 तक स्रोत: एच.एम.आई.एस.)	97.1 प्रतिशत एच.एम.आई.एस. जनवरी, 2024 तक
पूर्ण टीकाकरण (स्रोत-	85.7 प्रतिशत	105.8 प्रतिशत (2024-25) भारत सरकार के लक्ष्य के विरुद्ध	99 प्रतिशत
आशा	16861 (92.67 प्रतिशत)	20549 (98.30 प्रतिशत) (30 नवम्बर, 2025 तक)	–
विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ	15	29 (2024-25, 31-12-2025 तक)	
नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ	52	62 (2023-24, 31-12-2025 तक)	–
नवजात देखभाल कॉर्नर	192	439 (2023-24, 31-12-2025 तक)	–

स्रोतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग, हरियाणा।

तालिका 6.5: अंक बजट और व्यय का वर्षवार विवरण

(करोड़ में रूपये)

वर्ष	आर.ओ.पी.एस./ अनुमोदन बजट	प्राप्त बजट (नकद अनुदान + आईएम अनुदान)	व्यय (नकद अनुदान + आईएम अनुदान)	प्रतिशत प्राप्त बजट पर उपयोग
2012-13	413.8	388.60	368.00	95
2013-14	514.74	416.05	468.27	113
2014-15	531.65	379.75	486.13	128
2015-16	573.46	482.94	488.16	101
2016-17	523.65	508.49	488.17	96
2017-18	635.66	494.19	534.25	108
2018-19	815.81	743.10	659.65	89
2019-20	999.96	768.77	747.21	97
2020-21	1139.78	921.20	806.05	88
2021-22	1331.90	903.98	880.82	97

2022-23	1443.14	938.65	990.28	105
2023-24	1440.26	858.49	1025.02	119
2024-25	1790.17	860.39	1094.85	127
2025-26 (09-10-2025)	1480.03	314.55	284.02	90

स्रोतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।

6.15 मातृ स्वास्थ्य

- हरियाणा में वर्तमान मातृ मृत्यु दर 89 (एस.आर.एस. 2021-23) है राज्य ने 24X7 डिलीवरी सुविधाओं को संचालित करके संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है, जिससे सितंबर, 2025 तक यह 97.5 प्रतिशत से बढकर 98.8 प्रतिशत तक हो गया है। सी-सेक्शन सेवाओं सहित व्यापक आपातकालीन प्रसूति देखभाल प्रदान करने के लिए, 87 प्रथम रेफरल इकाइयों को चालू कर दिया गया है।
- प्रसव-पूर्व देखभाल सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, जुलाई और अगस्त, 2024 के महीनों को राज्य भर में सुरक्षित जननी माह के रूप में मनाया गया। इस अवधि के दौरान, 76,400 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिनमें से 22,800 को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के रूप में पहचाना गया।
- अतिरिक्त प्रमुख हस्तक्षेपों में गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया के इलाज के लिए मुफ्त इंजेक्शन आयरन सुक्रोज की उपलब्धता और विशेष मातृ एंव बाल स्वास्थ्य शाखाओं की स्थापना शामिल है। पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल और मेडिकल कॉलेज नूंह के सिविल अस्पतालों में ऐसी नौ शाखाओं की योजना बनाई गई है, जिनका निर्माण पंचकूला और पानीपत में चल रहा है। सिरसा और कैथल (आर.ओ.पी. 2023-24) और महेंद्रगढ़ (नारनौल) (आर.ओ.पी. 2025-26) में नए एम.सी.एच. शाखा के लिए आगे मंजूरी दी गई है।
- गंभीर प्रसूति मामलों के प्रबंधन के लिए, आठ प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन देखभाल इकाइयों को मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेज अग्रोहा (हिसार) मेडिकल कॉलेज सोनीपत, पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक, मेडिकल कॉलेज नूंह, जिला सिविल अस्पताल फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम सेक्टर-10 में 7 अब चालू है।

बाल स्वास्थ्य

6.16 हरियाणा ने बाल स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। शिशु मृत्यु दर उल्लेखनीय रूप से 41 (एस.आर.एस. 2013) से घटकर 26 प्रति 1,000 जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2023) हो गई है इसी तरह, इसी अवधि के दौरान पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 45 से घटकर 30 हो गई है। राज्य ने अपने नवजात और बाल देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिसका विवरण **तालिका 6.6** में दिया गया है।

तालिका 6.6: कार्यात्मक नवजात, पोषण और स्तनपान देखभाल सुविधाओं की स्थिति

सुविधा का प्रकार	कार्यात्मक इकाइयों की संख्या
कंगारू मदर केयर यूनिट के साथ विशेष नवजात देखभाल इकाई	29
नवजात शिशु स्थिरिकरण इकाई	62
नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर	439
पोषण पूर्नवास केन्द्र	11
व्यापक स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र	1 सी.एल.एम.सी. पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में स्थापित और कार्यरत है।
स्तनपान प्रबन्धन इकाई	5 एल.एम.यू. स्थापित किए गए हैं। 3 नए एल.एम.यू. की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है।

स्रोतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) में 18,602 नवजात शिशुओं को एसएनसीयू में भर्ती कराया गया। राज्य ने सक्रिय रूप से एनीमिया मुक्त माह अभियानों का आयोजन किया है, मार्च, 2025 में लगभग 7.5 लाख और जुलाई, 2025 में 10 लाख लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 100-दिवसीय एनीमिया प्रसार में कमी अभियान में लगभग 4 लाख लाभार्थियों की एनीमिया के लिए जांच की गई।
- डायरिया रोको अभियान (15-06-2025 से 31-07-2025) ने पांच साल से कम उम्र के लगभग 10.09 लाख बच्चों को रोगनिरोधी ओआरएस पैकेट वितरित किए और डायरिया के 21,542 रोगियों का इलाज किया। मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम जल्दी और विशिष्ट स्तनपान को बढ़ावा देना जारी रखता है।
- गुणवत्तापूर्ण बाल चिकित्सा देखभाल के लिए मुस्कान पहल के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 में चार स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिनमें से चार का राष्ट्रीय मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज के तहत 21 जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा एच.डी.यू./आई.सी.यू. स्थापित किए जा रहे हैं, जिनकी इकाइयां पंचकूला और गुरुग्राम में पहले से ही काम कर रही हैं।

नियमित टीकाकरण

- टीकाकरण भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा ने अपने पूर्ण टीकाकरण कवरेज लक्ष्यों को लगातार पार किया है, वित्त वर्ष 2024-25 में 105 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में सितंबर, 2025 तक 103 प्रतिशत हासिल किया है।
- राज्य छूटे हुए या संकोच करने वाले बच्चों तक पहुंचने के लिए उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और त्रैमासिक विशेष टीकाकरण सप्ताह सहित कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गहन अभियान चलाता है। एसएनएसपीए अभियान (सितंबर-अक्टूबर, 2025) के दौरान लगभग 1.47 लाख बच्चों (0-5 वर्ष) और 26,622 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
- हरियाणा वैक्सीन-रोगथाम योग्य रोगों के लिए वैश्विक निगरानी मानकों को पूरा करता है जिसने डिजिटल पहलों को अपनाया है। यू.डब्लू.आई.एन. प्लेटफॉर्म, वैक्सीनेटरों उपयोग में 97

प्रतिशत उपयोग के साथ, टीकाकरण की ट्रैकिंग और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जबकि ई.वी.आई.एन. सिस्टम वास्तविक समय में वैक्सीन स्टॉक और तापमान की निगरानी सुनिश्चित करती है।

रेफरल परिवहन योजना

6.17 नवंबर, 2009 में शुरू की गई और अब राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं, के रूप में ब्रांडेड, यह योजना प्रसव पूर्व आपातकालीन देखभाल और परिवहन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ाना और स्वास्थ्य सुविधाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना है। सभी जिलों को 555 एम्बुलेंस के बेड़े द्वारा कवर किया गया है, जिसमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट पेशेंट ट्रांसपोर्ट, किलकारी (बैक-टू-होम) और नवजात एम्बुलेंस शामिल हैं। ई.आर.एस.एस.-112 के साथ एकीकृत, अप्रैल से अक्टूबर, 2025 तक औसत प्रतिक्रिया समय 14 मिनट और 5 सेकंड था। जिले के भीतर निजी सुविधाओं के लिए परिवहन बीएलएस के लिए 7 रूपये किमी और ए.एल.एस./ नवजात एम्बुलेंस के लिए 15 रूपये किमी का शुल्क लिया जाता है। यह योजना रखरखाव के लिए एक रेफरल ट्रांसपोर्ट रिपेयर मॉनिटरिंग प्रणाली का उपयोग करती है और वित्त वर्ष 2025-26 में 300 आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

6.18 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों (10-19 वर्ष) के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। प्रमुख कार्यो में शामिल हैं:

- साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट कवरेज चुनिंदा जिलों में निजी स्कूलों में विस्तार के साथ स्कूल में 88 प्रतिशत और स्कूल से बाहर 91 प्रतिशत किशोरियों (अप्रैल-सितंबर, 2025) तक पहुंच गया।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस फरवरी, 2025 में लगभग 97.19 लाख बच्चों (1-19 वर्ष) और 6.23 लाख प्रजनन आयु की महिलाओं और अगस्त, 2025 में लगभग 97.60 लाख बच्चों और 7.05 लाख डब्लू.आर.ऐ. को सफलतापूर्वक कर्मी मुक्त किया गया।
- किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक/मित्रता क्लीनिक 204 क्लीनिक परामर्श, नैदानिक और रेफरल सेवाएं प्रदान करते हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख से अधिक किशोरों को लाभ पहुंचाएंगे।
- स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम 11,270 शिक्षकों एवं 5334 प्रधानाचार्यों को एक संरचित स्वास्थ्य पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
- सामुदायिक स्तर पर सेवाए: 16,794 प्रशिक्षित सहकर्मी शिक्षकों और नियमित किशोर स्वास्थ्य दिवसों के आयोजन के माध्यम से सेवाओं का विस्तार किया जाता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

6.19 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हर वर्ष जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 4 डी (जन्म के समय दोष, कमियां, बीमारियां और विकास में देरी) के लिए स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए कवर करता है। आंगनवाड़ियों के अर्धवार्षिक दौरे और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के वार्षिक दौरे के माध्यम से प्रचलित स्वास्थ्य स्थितियों की घर-घर जाकर जांच करने के लिए 211 समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीमें तैनात की गईं। सिविल अस्पतालों में स्थापित 21

समर्पित प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डी.ई.आई.सी.) जरूरतमंद बच्चों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक और ऑडियोलॉजिस्ट सह स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम से व्यापक बहुस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। आर.बी.एस.के. लाभार्थियों को समय पर मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए 4 सरकारी और 13 निजी अस्पतालों को शामिल किया गया। कटे होंठ और तालु के मामलों की निःशुल्क सर्जरी के लिए स्माइल ट्रेन एनजीओ के साथ गठजोड़। क्लबफुट बच्चों को उपचार सेवाओं के लिए क्योर क्लबफुट इंटरनेशनल और अनुष्का फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वित्त वर्ष 2025-26 में उपलब्धियां (अप्रैल से जुलाई, 2025 तक)

- लगभग 15.8 लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई।
- लगभग 2.14 लाख बच्चों ने विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उपचार सेवाओं का लाभ उठाया।
- सरकार में क्लबफुट के लिए लगभग 359 मामलों का प्रबंधन किया गया। अनुष्का फाउंडेशन और क्योर क्लबफुट इंटरनेशनल के सहयोग से डी. ई. आई. सी. में स्वास्थ्य सुविधाएं और क्लबफुट क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।
- क्लैफ्ट लिप और पेलेट से पीड़ित लगभग 65 बच्चों को स्माइल ट्रेन, एनजीओ के सहयोग से शल्य चिकित्सा द्वारा प्रबंधित किया गया था।
- 21 डी.ई.आई.सी. में लगभग 0.50 लाख नए और अनुवर्ती मामलों ने सेवाओं का लाभ उठाया।
- 190 बच्चों को माध्यमिक/तृतीय स्तर (अप्रैल से अगस्त, 2025 तक) पर प्रबंधित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

6.20 एन.यू.एच.एम. को मई, 2013 में एन.एच.एम. की प्रस्तुति के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली शहरी गरीब आबादी और अन्य सभी कमजोर आबादी (बेघर, कूड़ा बीनने वाले, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, सेक्स वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, सड़क पर रहने वाले बच्चे आदि) पर अधिक ध्यान दिया गया था। सभी सेवाएँ शहरी पी.एच.सी. और ए.ए.एम. के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में, हरियाणा में 107 शहरी पी.एच.सी. चालू हैं। प्रत्येक यू.पी.एच.सी. में 1 एम.ओ., 1 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 लैब तकनीशियन, 1 सूचना सहायक, 1 चतुर्थ श्रेणी सह-स्वीपर और 4-5 ए.एन.एम. (जनसंख्या के आधार पर, 1 ए.एन.एम.@ 10,000 जनसंख्या) और 1,500-2,000 झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी पर 1 शहरी आशा कार्यरत हैं। 15वें वित्त् आयोग के तहत यू.ए.ए.एम. की लागत से 201 यू.ए.ए.एम.को मंजूरी दी गई है। इनमें से 165 यू.ए.ए.एम. चालू हो गए हैं और बाकी प्रक्रियाधीन हैं।

एन.यू.एच.एम. के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं

- चिकित्सा देखभाल ओ.पी.डी. सेवाएं, नियमित टीकाकरण, प्रसवपूर्व पंजीकरण और देखभाल, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, प्रसवोत्तर देखभाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सेवाएं, रेफरल सेवाएं, बुनियादी प्रयोगशाला सेवाएं, परामर्श, गैर-संचारी रोग प्रबंधन, सामाजिक गतिशीलता, सामुदायिक स्तर की गतिविधियां और आउटरीच सेवाएं।

- 12 व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी यू.पी.एच.सी. को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया गया है। ई-संजीवनी टेली-परामर्श सेवाएं भी सभी यू.पी.एच.सी. में काम कर रही हैं।

प्रमुख गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

- **शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवसः** झुग्गी-झोपड़ियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी जिलों में ए.एन.एम. द्वारा महीने में दो बार आयोजित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 16,277 यू.एच.एन.डी. आयोजित किए गए थे, और अप्रैल से अक्टूबर, 2025 तक 9,340 आयोजित किए गए।
- **विशेष आउटरीच शिविरः** विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं प्रदान करने के लिए यू.पी.एच.सी. जलग्रहण क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 752 ऐसे शिविर आयोजित किए गए और अप्रैल से अक्टूबर, 2025 तक 266 कैम्प लगाए गए।
- **शहरी स्थानीय निकाय अभिविन्यासः** आवास, सुरक्षित जल पहुंच, जल निकासी और स्वच्छता सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रत्येक यू.पी.एच.सी. के तहत महिला और बाल विकास, श्रम और शिक्षा विभागों के साथ यू.एल.बी. के साथ वार्षिक अभिसरण बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, 203 यू.एल.बी. बैठकें आयोजित की गईं और 60 वित्त वर्ष 2025-26 में आयोजित की गईं।
- **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणनः** 23 यू.पी.एच.सी. को भारत सरकार से एन.क्यू.ए.एस. प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यू.पी.एच.सी कृष्णा नगर गामरी (कुरुक्षेत्र) 91.2 प्रतिशत के समग्र स्कोर के साथ एन.क्यू.ए.एस. के तहत राष्ट्रीय बाहरी मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला यू.पी.एच.सी. है। दो अतिरिक्त यू.पी.एच.सी. राज्य-प्रमाणित हैं, और 39 अन्य को हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा जिला-स्तरीय मूल्यांकन के लिए लिया गया है।
- **कायाकल्प कार्यान्वयनः** इस स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण पहल के तहत, 71 शहरी सुविधाओं को वित्त वर्ष 2024-25 में कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2025-26 में, 99 सुविधाओं ने सहकर्मी मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें बाहरी मूल्यांकन चल रहा है। यू.पी.एच.सी. में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनीकरण के लिए अनुमोदित 36 यू.पी.एच.सी. में से 30 वर्तमान में ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाएं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

6.21 30 सितंबर, 2025 तक, हरियाणा में कुल 20,538 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नामांकित किया गया है, जो 20,905 के लक्ष्य का 98.24 प्रतिशत प्राप्त करते हैं, जिससे 367 आशा का अंतर रह गया है। लगभग 100 प्रतिशत नामांकित आशा को अनिवार्य मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें मॉड्यूल I-VII, युवा बच्चे के लिए घर-आधारित देखभाल गैर-संचारी रोग मॉड्यूल और भारत सरकार निर्धारित प्रशिक्षण शामिल हैं। अपने काम का समर्थन करने के लिए, सभी आशा कार्यकर्ताओं को 30 जीबी डेटा और असीमित टॉक टाइम के साथ एंड्रॉइड स्मार्टफोन, कलोज्ड युजर ग्रुप सिम कार्ड प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आशा को एन.एच.एम. फंड से 1,500 रूपये का ड्रेस भत्ता और 200 रूपये प्रति माह का यात्रा भत्ता प्राप्त होता है। जबकि आशा राष्ट्रीय एनएचएम मानदंडों के अनुसार कार्य क्षमता आधारित प्रोत्साहन के हकदार

हैं, हरियाणा सरकार ने उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य ने नवंबर, 2023 से निर्धारित मासिक मानदेय को 4,000 रूपये से बढ़ाकर 6,100 रूपये कर दिया है। इसके अलावा, आशा को अपनी मासिक कार्य क्षमता आधारित एन.एच.एम. कमाई पर राज्य बजट से 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिससे हरियाणा आशा पारिश्रमिक में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में स्थापित होता है।

राज्य में व्यापक सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना

- मृत आशा के परिवार को (अप्रैल, 2018 से प्रभावी) राज्य बजट से 3 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 60 वर्ष की आयु उपरान्त सेवानिवृत पर आशा कार्यकर्ताओं को राज्य बजट से 2 लाख रूपये का सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाता है (नवंबर, 2023 से प्रभावी)।
- भारत सरकार की गोल्डन हैंडशेक योजना के तहत, एन.एच.एम. बजट से आशा को 20,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है यदि आशा 10 वर्ष के उपरान्त सेवानिवृत्ति लेते है।
- केंद्रीय बजट 2023-24 घोषणा के अनुपालन में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आशा को कवर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारत सरकार के बी.आई.एस. पोर्टल के अनुसार, 20,353 आशाओं में से, 14,165 को पात्र घोषित किया गया है, 4,964 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी है और 1,199 को अपात्र घोषित कर दिया गया क्योंकि वे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित हैं।
- वर्ष 2024-25 में राष्टीय मुक्त विधि विद्यालय शिक्षण संस्थान आशा प्रमाणन परीक्षा में, हरियाणा ने देश में सबसे अधिक 11,164 आशा उम्मीदवारों को दर्ज किया। इनमें से 10,373 को सफल घोषित किया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कुल आंबटित राशि 5.19 करोड रूपये में से प्रत्येक को 5,000 रूपये से पुरस्कृत किया गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

6.22 आयुष्मान भारत पहल के तहत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सार्वभौमिक, मुक्त और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, कल्याण पर जोर देते हैं और सेवाएं विस्तारित श्रृंखला को समुदाय को प्रदान करते है। 6 नवंबर, 2025 तक, हरियाणा में कुल 2,728 ए.ए.एम. संचालित हैं। इसमें 2,055 उप-केंद्र, 401 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 107 शहरी पी.एच.सी. और 165 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शामिल हैं। विशेष रूप से, मेवात के आकांक्षी जिले में, सभी 18 ग्रामीण पी.एच.सी. और 111 उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में तबदील कर दिया गया है। उप-केंद्र स्तर पर सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए, आयुष्मान भारत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को बढाने हेतू ये अधिकारी या तो आयुर्वेदिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्नातक या नर्सिंग डिग्री में विज्ञान स्नातक के साथ योग्य हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य में छह महीने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वर्तमान में, राज्य भर में उप-केंद्र स्तर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कुल 1,429 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं।

ई-संजीवनी टेली-परामर्श

6.23 हरियाणा के सभी जिलों में ई-संजीवनी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र टेली-परामर्श सेवाएं शुरू की गई हैं। 6 नवंबर, 2025 तक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से लगभग 9,34,515 टेली-परामर्श उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत कॉल का प्रबंधन

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में एक विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जहां 10 विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। क्षमता का और विस्तार करने के लिए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान रोहतक में एक नई कमेटी का गठन किया जा रहा है। टेली-परामर्श सेवा में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें औसत दैनिक कॉल वित्त वर्ष 2023-24 में 0.13 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2,200 हो गई है, जो कि एक मजबूत बढत दर्शाता है।

आयुष

6.24 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा प्रणाली भारत के विभिन्न समुदायों में लंबे समय से प्रचलित है। इन प्रणालियों का समय-समय पर परीक्षण किया गया है, जो कि हजारों वर्षों से असाध्य रोगों के निवारण में ज्यादा कारगर सिद्ध हुई, जिसके लिए आधुनिक चिकित्सा अक्सर कम साबित हुई है। बदलते जीवन शैली व परिवेश में देश विदेशों में आयुष चिकित्सा प्रणाली के प्रति फिर से रूचि उत्पन्न हुई है।

6.25 हरियाणा का आयुष विभाग विशेष रूप से हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आयुष प्रणालियों के माध्यम से चिकित्सा राहत, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए, यह निम्नलिखित सुविधाएं संचालित करता है:

अस्पताल: 4 आयुर्वेदिक अस्पताल (कुरुक्षेत्र में 100-बिस्तर, भिवानी में 25-बिस्तर, इमलोटा (चरखी दादरी) में 10-बिस्तर, और नारनौल में 100-बिस्तर), सिहोल (पलवल) में 1 यूनानी अस्पताल, चांदपुरा (अंबाला) में 1 होम्योपैथिक अस्पताल, और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मय्यड (हिसार) में 1 एकीकृत आयुष अस्पताल।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: 6 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र (कैथल में 2, और पानीपत, रोहतक, सिरसा व जींद, प्रत्येक में 1)।

पंचकर्म केंद्र: राज्य के तहत 6 (अंबाला और पंचकूला प्रत्येक में 2, और करनाल व झज्जर प्रत्येक में 1) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 21।

औषधालय: 497 आयुर्वेदिक औषधालय, 16 यूनानी औषधालय और 24 होम्योपैथिक औषधालय।

विशेष सुविधाएं: पंचकूला में 1 भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान प्रणाली संस्थान। इसके अतिरिक्त, 4 आयुर्वेदिक औषधालयों को विशेष क्लीनिक (जींद, हिसार, गुरूग्राम और अंबाला) के रूप में स्थानांतरित और अपग्रेड किया गया है, रोहतक में 1 विशेष चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है।

एकीकृत इकाइयां: जिला अस्पतालों में 21 आयुष शाखायें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 102 आयुष ओ.पी.डी., और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 106 आयुष ओ.पी.डी.। ये संस्थान जनता को स्वास्थ्य सुविधाए प्रदान करने के साथ साथ राज्य में सक्रिय भूमिका अदा करते है। अधिकांश आयुष संस्थान रणनीतिक रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा, विभाग हरियाणा में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, 1 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और राज्य के भीतर संचालित 12 निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है।

6.26 राज्य में आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना ग्राम पट्टिकरा, नारनौल में की गई थी, जिसमें 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए 30 बी.ए.एम.एस. सीटों के तीसरे बैच के लिए प्रवेश सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इसके साथ ही, गांव चांदपुरा, जिला अंबाला में 55.85 करोड़ रुपये से एक नए राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और

अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है जहां बाह्य रोगी विभाग सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। अन्य विशिष्ट आयुष संस्थानों में भी महत्वपूर्ण प्रगति स्पष्ट है।

6.27 वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय में योजना, (गैर-आवर्ती) योजनाओं के तहत 303.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए और आयुष विभाग के लिए योजना (आवर्ती/गैर-योजना) योजनाओं के तहत 6.86 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, योजना (गैर-आवर्ती) योजनाओं के तहत 447.37 करोड़ रुपये और योजना (आवर्ती/गैर-योजना) योजनाओं के तहत 8.48 करोड़ रुपये को मंजूर किए गए।

ई.एस.आई. हेल्थ केयर

6.28 हरियाणा में ई.एस.आई. स्वास्थ्य सेवाएं "कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948" के तहत 29,24,310 बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। 7 ई.एस.आई. अस्पतालों (4 ई.एस.आई. राज्य अस्पताल और 3 ई.एस.आई. निगम अस्पतालों) और 93 ई.एस.आई. औषधालयों, 3 आयुर्वेदिक औषधालयों और 1 मोबाइल औषधालय के माध्यम से राज्य भर में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जबकि तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं राज्य बीमा निगम के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

6.29 ई.एस.आई. संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले व उनके आश्रितों बीमित कर्मचारियों को स्वास्थ सुविधाए प्रदान करता है। ई.एस.आई. अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं। 21,000 रुपये प्रति माह नियोक्ता मजदूरी का 3.25 प्रतिशत योगदान देता है और कर्मचारी मजदूरी का 0.75 प्रतिशत योगदान देता है, यह मजदूरी का 4 प्रतिशत बन जाता है जो बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और अन्य लाभ देने के लिए ई.एस.आई. निगम में जाता है।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

6.30 चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा की स्थापना 4 सितंबर, 2014 को चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और तृतीयक श्रेणी की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना से ही विभाग ने नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल विज्ञान में कार्यक्रमों को बढ़ाने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है। वर्तमान में, राज्य में 17 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। जिसमें आठ राजकीय मेडिकल कॉलेज नामतः (के.सी.जी.एम.सी. करनाल; बी.पी.एस.जी.एम.सी. खानपुर कलां, सोनीपत, पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक, एस.एच.के. एम.जी. एम.सी. नालहार, एन.यू.एच., एस.ए.बी.वी.जी.एम.सी. छानसा, फरीदाबाद, एन.आर.एस. जी.एम.सी., भिवानी; एम.सी. जी.एम.सी., नारनौल; और केंद्र द्वारा संचालित ई.एस.आई.सी.एम.सी., फरीदाबाद), एक राजकीय सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज (एम.ए.एम.सी. अग्रोहा, हिसार), और आठ निजी मेडिकल कॉलेज। तृतीयक श्रेणी चिकित्सा सेवा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। नतीजतन, विभिन्न जिलों में 12 अतिरिक्त राजकीय चिकित्सा संस्थान और एक चिकित्सा विश्वविद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य अनेक दंत चिकित्सा, नर्सिंग कॉलेजों चलाने के साथ साथ एम.पी.एच.डब्ल्यू. (एम) प्रशिक्षण स्कूलों को सफलतापूर्वक चलाता है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,559.12 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, जिसमें से

17-12-2025 तक 1,713.13 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। विभाग के तहत संस्थानों की वर्तमान स्थिति **तालिका 6.7** में प्रदान की गई है।

तालिका 6.7: राज्य में चिकित्सा संस्थानों की वर्तमान स्थिति

संस्थान	राजकीय	राजकीय सहायता प्राप्त	निजी	कुल	कुल सीटें	
विश्वविद्यालय	2	-	-	-	-	-
मेडिकल कॉलेज	8	1	8	17	एम.डी./एम.एस.	1077
					एम.बी.बी.एस.	2710
					डिप्लोमा/डी.एन.बी.	154
डेंटल कॉलेज	1	-	9	10	बी.डी.एस.	950
					एम.डी.एस.	250
फिजियोथेरेपी कॉलेज	5	-	17	22	बी.पी.टी.	1576
					एम.पी.टी.	494
नर्सिंग स्कूल	13	-	167	180	ए.एन.एम.	3153
					जी.एन.एम.	4980
नर्सिंग कॉलेज	6	-	109	115	बी.एस.सी.	4135
					पी.बी.बी.एस.सी	1735
					एम.एस.सी.	593
					एन.पी.सी.सी.	55
एम.पी.एच.डब्ल्यू. (एम.)	2	-	24	26	एम.पी.एच.डब्ल्यू. (एम)	1560
पैरा मेडिकल	5	-	1	6	बी.एस.सी. (एम.एल.टी.)	105
					बी.एस.सी. (ओटी)	90
					बी.एस.सी. (ऑप्टोमेट्री)	90
					बी.एससी (रेडियोथेरेपी)	10
					बी.एस.सी. (परफ्यूजन प्रौद्योगिकी)	50
					बी.एससी (रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी)	80

स्रोत: चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

पं. दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटेल करनाल

6.31 पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटेल करनाल में 144.02 एकड़ ग्राम पंचायत भूमि पर "उत्कृष्ट" केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। 761.51 करोड़ रुपये की प्रारंभिक परियोजना लागत को संशोधित कर 805.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है, निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में उपकरण की खरीद का कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय में 750 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सुविधा होगी। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ सदस्यों कि नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज, भिवानी

6.32 केंद्र सरकार की 'जिला अस्पतालों की उत्थान योजना के तहत स्थापित, भिवानी में पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज का 535.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण किया गया है। 57.53 करोड रूपये के बायो-मेडिकल उपकरण और अस्पताल फर्नीचर की

खरीद पूरी हो चुकी है और स्थापना का कार्य प्रगति पर है। कुल 1,527 संकाय और स्टाफ पदों की मंजूरी दी गई थी। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

महर्षि च्यवन राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गाँव कोरियावास, नारनौल

6.33 नारनौल में ग्राम पंचायत कोरियावास की भूमि पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु दीर्घकालिक पट्टे पर 76 एकड़, 2 कनाल और 11 मरला का क्षेत्र लिया गया है। कॉलेज के लिए निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क), हरियाणा को प्रदान किया गया था। मेडिकल कालेज का निर्माण 725.90 करोड रूपये की लागत से पूर्ण हो चुका है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गाँव हैबतपुर, जींद

6.34 राज्य सरकार जिला जींद में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही है। इस संस्थान का निर्माण जींद जिले के हैबतपुर गांव में स्थित ग्राम पंचायत भूमि के 24 एकड़, 3 कनाल और 3 मरला भूखंड पर किया जा रहा है। निर्माण कार्य हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम को सौंपा गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

श्री गुरु तेगबहादुर साहब राजकीय मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर

6.35 राज्य सरकार यमुनानगर में एक व्यापक चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना कर रही है, जिसमें एक राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और एक पैरामेडिकल कॉलेज शामिल है। संस्थान का निर्माण पंजुपुर में 20 एकड़ और 12 मरला की ग्राम पंचायत भूमि पर किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,122.71 करोड रूपये है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज, कैथल

6.36 जिला कैथल के गांव सापन खेडी की ग्राम पंचायत की 20 एकड़ और 6 मरला भूमि पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 935 करोड रूपये है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जिला सिरसा में राजकीय मेडिकल कॉलेज

6.37 जिला सिरसा में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज, के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ये संस्थान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की उपलब्ध 21 एकड़ और 13 मरला की भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,010.37 करोड़ रुपये है।

कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल-चरण-II

6.38 कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल में मरीजों की बढ़ती संख्या, शैक्षणिक आवश्यकताओं तथा अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों की आवश्यकता के कारण, चरण-II के तहत कॉलेज और अस्पताल का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा पुलिस आवास निगम को इस परियोजना को पूरा करने का कार्य भार सौपा गया है, दूसरे चरण में निम्नलिखित दो मदों पर कार्य चल रहा है:

- **आवासीय क्वार्टर और छात्रावास:** एच.पी.एच.सी. द्वारा एच.एस.आर. (हरियाणा दरों की अनुसूची) पर निष्पादित किया जाना है।
- **अस्पताल विस्तार कार्यः** सी.पी.डब्ल्यू.डी. (प्लिंथ एरिया रेट) दरों पर एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आ.ई.) लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जाना है।

आवासीय घटकों हेतू एच.पी.एच.सी. ने मार्च, 2024 में मैसर्ज बालाजी दुरो बिल्ड, नई दिल्ली को 169.58 करोड रूपये की लागत से पैकिज-I (छात्रावास और आवास) के लिए कार्य आबंटित किया गया। निर्माण कार्य प्रगति पर है और लगभग 30 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुका है। पैकिज-II के तहत शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। अस्पताल के विस्तार के लिए निष्पादन एजैंसी मैसर्ज ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई.) लिमिटिड, द्वारा प्रस्तुत 404.95 करोड रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार द्वारा अनुमोदित हो चुकी है और वर्तमान में स्थाई वित्त समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन है।

भगतफूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज, खानपुरकलां, सोनीपत फेज-III

6.39 भगतफूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज, खानपुरकलां, सोनीपत का विस्तार चरण-III में किया जा रहा है। इस चरण के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- एक माँ और बाल अस्पताल ब्लॉक (जी+5)
- एक नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कॉलेज (जी+7)
- एक नर्सिंग और एम.बी.बी.एस. छात्र छात्रावास (जी + 4)
- एक पी.जी. डॉक्टर का सुइट ब्लॉक (एस+7), (2 टॉवर शामिल)
- आवास प्रकार डी 1 (एस +7), (8 टॉवर शामिल)
- आवास प्रकार डी 2 (एस + 7) में (1 टॉवर शामिल)
- मौजूदा मेडिकल कॉलेज (जी+4) का विस्तार
- व्याख्यान थिएटर ब्लॉक (जी) का विस्तार
- चरण-III के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 419.13 करोड रूपये है व इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना

6.40 राज्य सरकार ने 6 जिलों नामतः फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला जिलों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करने का ऐलान किया। जिसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। सरकार द्वारा 194.30 करोड रूपये की प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी, इसके बाद 276.24 करोड रूपये की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी गई। सभी नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एंव सभी कालेज सुचारू रूप से संचालित है।

सफीदो, जींद में राजकीय नर्सिंग कॉलेज

6.41 सरकार ने जींद के सफीदो में एक नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की, जिसे राजकीय महिला महाविद्यालय, सफीदो के परिसर में शुरू किया गया है। इस महाविद्यालय में ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एस.सी. नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कार्यक्रम की कक्षाएं लगेगी प्रत्येक कोर्स में 60 सीटों का प्रावधान है। इस परियोजना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है एवं इसका निर्माण कार्य हरियाणा पुलिस आवास निगम को दिया गया है।

6.42 रेवाड़ी में एम्स और विभिन्न जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव इस प्रकार है:

- सरकारी मेडिकल कॉलेज, फतेहाबाद।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज, चरखी दादरी।

- सरकारी मेडिकल कॉलेज, पलवल।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज, पंचकुला।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज, गुरुग्राम।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय का कार्यालय भवन

6.43 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के लिए कार्यालय भवन प्लॉट नंबर आई.पी. 1 पी., सेक्टर-6, एम.डी.सी., पंचकुला, हरियाणा में 1.16 एकड़ भूमि पर निर्माणाधीन है। यह निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को सौपा गया है जिसकी अनुमानित निर्माण लागत 38.36 करोड़ रूपये है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

खाद्य विंग

6.44 खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा, 2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करता है: जिनमें से एक चंडीगढ़ में और दूसरा करनाल में स्थापित है। दोनों प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) संस्था से मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, दोनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 (1) के तहत अधिसूचित एवं मान्यता प्राप्त है। अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, एफ.डी.ए., हरियाणा ने सर्वोतम उपकरणों के साथ राज्य खाद्य प्रयोगशाला, चंडीगढ़ का नवीनीकरण किया है। इस नवीनीकरण को एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रदान किए गए 8.45 करोड़ रूपये की अनुदान राशि से किया गया है। इसके अलावा, राज्य खाद्य प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के भीतर एक समर्पित माइक्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना पूरी हो चुकी है।

खाद्य प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण

6.45 जिला खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, करनाल के नवीनीकरण के लिए राज्य बजट से 90.29 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी। इसके अलावा पूर्व में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पहले 50 लाख रूपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई जिसे जारी किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग ने उपरोक्त नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया है। प्रयोगशाला की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल के लिए 47 बुनियादी प्रयोगशाला उपकरण वस्तुओं की खरीद के लिए 4.63 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है।

हरियाणा राज्य में स्ट्रीट फूड हब का आधुनिकीकरण/निर्माण

6.46 हरियाणा सरकार चार जिलों नामतः अंबाला, करनाल, हिसार और गुरुग्राम में स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के आधुनिकीकरण और निर्माण के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस नवीनीकरण के लिए भारत सरकार के राष्ट्र स्वास्थ मिशन से प्राप्त अनुदान राशि का प्रयोग किया जा रहा है।

मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

6.47 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा कुल 5 "मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन (वैन)" प्रदान किए गए है। इन वाहनों को हरियाणा के विभिन्न जिलों में सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए घुमाया जाता है। ये वाहन 20 रूपये प्रति नमूने की मामूली दर पर खाद्य नमूना विश्लेषण प्रदान करते हैं।

गुटका, पान मसाला पर प्रतिबंध

6.48 हरियाणा राज्य में गुटका और पान मसाला का निर्माण, बिक्री और भंडारण निषेध है। यह निषेध मूल रूप से खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा द्वारा दिनांक 15-08-2012 से लागू किया गया था। प्रतिबंध को हर साल बढ़ाया जाता है।

तरल नाइट्रोजन पर प्रतिबंध

6.49 हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ में तरल नाइट्रोजन का उपयोग, बहाव या मिश्रण करने पर दिनांक 27-07-2017 से रोक लगा रखी है।

ड्रग विंग

खाद्य और औषधि प्रशासन

6.50 विभाग का अधिदेश किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं और खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है एवं निम्नलिखित प्रमुख विधानों को विनियमित करने और लागू करने के लिए हरियाणा में प्राथमिक संस्था है:

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995
- औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954
- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008
- जहर अधिनियम, 1919

6.51 प्रमुख प्रवर्तन कार्रवाई 1 अप्रैल, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक, विभाग के ड्रग विंग ने व्यापक प्रवर्तन गतिविधियों व कार्यवाहियों का सारांश इस प्रकार है:

निरीक्षण और नमूनाकरण

- 12,488 बिक्री इकाइयों का निरीक्षण किया गया।
- 3,019 दवा के नमूने एकत्र किए गए।
- 4,474 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 5 को उप-मानक घोषित किया गया।

कानूनी कार्यवाही

- 48 अभियोजन शुरू किए गए।
- न्यायालय के 15 मामलों का फैसला किया गया है (जिसके परिणामस्वरूप 8 दोषसिद्ध और 7 बरी हुई हैं)।
- 413 अदालती मामले लंबित हैं।

अनुपालन और लाइसेंसिंग

- 260 संयुक्त प्रवर्तन छापे मारे गए।
- 496 औषधि विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया।
- 663 ड्रग सेल लाइसेंस निलंबित कर दिए गए; 15 लाइसेंस रद्द कर दिए गए; 57 लाइसेंस आंशिक रूप से रद्द कर दिए गए।
- 3,570 खुदरा/थोक दवा बिक्री लाइसेंस दिए गए।

विनिर्माण और संस्थागत अनुमोदन

- 48 दवा इकाइयों, चिकित्सा उपकरणों रक्त केंद्रों और कॉस्मेटिक इकाइयों के लिए विनिर्माण लाइसेंस दिए गए।
- 6 चिकित्सा संस्थानो को मान्यता दी गई।
- 7 विनिर्माण इकाइयों को डब्ल्यू.एच.ओ.-जी.एम.पी. मानकों के अनुसार नवीनीकरण किया गया।

विशेष अधिनियम प्रवर्तन

- एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत पुलिस या एफडीए और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त छापेमारी के दौरान 2 प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के तहत 60 प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई।

जन स्वास्थ्य

6.52 हरियाणा राज्य ने 31 मार्च, 1992 तक प्रत्येक गांव में कम से कम एक सुरक्षित पेयजल स्रोत का प्रावधान सुनिश्चित किया। तत्पश्चात सभी बस्तीयों में पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्तमान में, राज्य उन गांवों में जलापूर्ति स्तरों में सुधार करने में लगा हुआ है जिनमें जलापूर्ति अपर्याप्त है, जहां प्रति व्यक्ति जलापूर्ति 55 लीटर प्रतिदिन के मानक से नीचे गिर गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का पूंजी परिव्यय 2,361.31 करोड़ रूपये था, जिसे बाद में संशोधित कर 2,342.82 करोड़ रूपये कर दिया गया था। राजस्व परिव्यय प्रारम्भ में 2,448.48 करोड़ था और जिसे बाद में संशोधित कर 2,553.63 करोड़ रूपये कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी परिव्यय शुरू में 2,303.69 करोड़ रूपये था जिसे बाद में बढ़ाकर 3,003.11 करोड़ रूपये कर दिया गया है। वर्ष के लिए राजस्व परिव्यय 31-12-2025 तक 2,699.35 करोड़ रूपये है।

6.53 संवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को बेहतर और मजबूत करना है ताकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 या 70 लीटर की आपूर्ति मानक को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत आमतौर पर अतिरिक्त ट्यूबवेल खोदना, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं को बढ़ाना, नई नहर आधारित जलापूर्ति केन्द्रों का निर्माण करना, बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करना और मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत करना शामिल होता है। वर्ष 2024-25 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय प्रावधान शुरू में 200 करोड़ रूपये किया गया, जिसे बाद में संशोधित कर 645 करोड़ रूपये कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2025 तक 643.44 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। वर्ष 2025-26 के दौरान इस कार्यक्रम हेतु 255 करोड़ रूपये के प्रावधान को संशोधित कर 855 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम पर 15 दिसंबर, 2025 तक 603.06 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

6.54 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संवर्धन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य वर्ष 2000-2001 से विभिन्न परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से वित्त प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में ग्रमीण अवसंचना विकास निधि प्रयोजना के तहत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित खण्ड XXVII से XXXI तक 80 परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत कुल 1,356.88 करोड़ रूपये हैं का कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रावधान शुरू में 170

करोड़ रूपये, जिसे बाद में संशोधित कर 330 करोड़ रूपये कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2025 तक 322.05 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रारंभिक प्रावधान 400 करोड़ रूपये था, जिसे विशेष रूप से नाबार्ड योजनाओं के लिए 373.50 करोड़ रूपये तक संशोधित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर, 2025 तक 204.84 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

6.55 विशेष घटक उप योजना के तहत, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों और बस्तियों में पेयजल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं एवं इनका विस्तार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आमतौर पर अतिरिक्त ट्यूबवेल खोदना, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं को बढ़ाना, नई नहर आधारित जलापूर्ति केन्द्रों का निर्माण करना, बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करना और मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत करना शामिल होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत शुरू में 3 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसे बाद में घटाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2025 तक 1 करोड़ रूपये का व्यय हुआ था। वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में एस.सी.एस.पी. घटक के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

6.56 विकास और पंचायत विभाग ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से महाग्राम योजना शुरू की। सीवरेज बुनियादी ढांचे के प्रभावी कार्य क्षमता को सुनिश्चित करने हेतू, इन गांवों में जलापूर्ति को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर तक बढ़ाना एंव इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत तक के हिसाब से बढ़ाना आवश्यक है। प्रारंभ में, इस कार्यक्रम के लिए 155 गांवों का चयन किया गया था। हालांकि, 20 गांवों को बाद में गैर-व्यवहार्य या शहरीकृत, जिनके लिए आवश्यकता नहीं, पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 132 महाग्राम गांवों की प्रभावी सूची तैयार की गई। वर्तमान स्थिति के अनुसार, 43 गांवों में सीवरेज का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को राज्य के निम्न 19 गांवों में संचालित कर दिया गया है:

- फरीदाबाद जिला: सोताई, तिगांव
- गुरुग्राम जिला: नाहरपुर, बहोराकलां
- कैथल जिला- क्यौंरक, पाई
- करनाल जिला: कछवा, कोहंड
- पानीपत जिला: सिवाह
- यमुनानगर जिला: मुस्तफाबाद।
- सोनीपत जिला: खानपुरकलां, भैंसवालकलां
- पलवल जिला: धीगोट, सौंधाद, औरंगाबाद, भिदुकी, खंबी
- महेंद्रगढ़ जिलाः सतनाली।
- नूह जिला: साकरस

वर्ष 2024-25 के दौरान सीवरेज प्रणाली के लिए 50 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, पेयजल आपूर्ति के विस्तार हेतू 25 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए थे, जिसे बाद में संशोधित कर 43 करोड़ रूपये कर दिया गया था। इस 93 करोड़ रूपये के इस संशोधित आवंटन में से, 31 मार्च, 2025 तक 92.39 करोड़ रूपये का व्यय हो गया था। वित वर्ष 2025-26 के दौरान सीवरेज प्रणाली के लिए 60 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है और जल आपूर्ति विस्तार

हेतू 28 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। जिसे बाद में संशोधित कर 31 दिसंबर, 2025 तक 61 करोड़ रूपये कर दिया गया। इस कुल 101 करोड़ रूपये के संशोधन आवंटन में से 15 दिसंबर, 2025 तक 68.07 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

जल जीवन मिशन

6.57 भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य-2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) प्रदान करना है। राज्य ने इस विशाल कार्य को एक चुनौती के रूप में लिया और एक व्यापक रोडमैप और अथक निगरानी की सहायता से दिनांक 06-04-2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 30.41 लाख परिवारों को 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) प्रदान किए गए। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के हिस्से सहित जे.जे.एम. (बुनियादी ढांचे और संबधित गतिविधियों को कवर करते हुए) के लिए वित्तीय प्रावधान शुरू में 569 करोड़ रूपये था जिसे बाद में संशोधित कर 819 करोड़ रूपये कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2025 तक 279.80 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रारंभिक प्रावधान 31 दिसंबर, 2025 तक 577.64 करोड़ रूपये था जिसे राज्य की हिस्सेदारी सहित जे.जे.एम. (कवरेज और संबधित गतिविधियों) के लिए संशोधित कर 465.17 करोड़ रूपये किया गया है।

6.58 सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग राज्य के 95 शहरों में से 88 शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं को सुविधाजनक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सभी 88 कस्बों में पाइप से पानी की आपूर्ति की गई है। जल आपूर्ति में सुधार एंव जलापूर्ति को अनुसूचित जाति-बहुल इलाकों तक सुनिश्चित करने के लिए, प्रारंभिक प्रावधान 63 करोड़ रूपये था, जिसे बाद में संशोधित कर 93 करोड़ रूपये कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2025 तक 91.87 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका था। वर्ष 2025-26 में इस कार्य हेतू 68.50 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जिसे संशोधित कर 31 दिसंबर, 2025 तक 84.50 करोड़ रूपये कर दिया गया। इस कार्य पर 15 दिसंबर, 2025 तक 64.71 करोड़ रूपये का खर्च हो चुका है।

6.59 शहरी कस्बों में सीवरेज प्रणाली में महत्वपूर्ण विकास देखा गया है, राज्य भर के 79 शहरी कस्बों मे अब सीवरेज सुविधा मे सुधार देखा गया है। इन प्रणालियों का विस्तार करने का कार्य शेष 9 शहरों में सक्रिय रूप से प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कार्य हेतू 245 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था एवं 31 मार्च, 2025 तक 243.10 करोड़ रूपये का खर्च हो चुका था। वर्ष 2025-26 के दौरान इस कार्य अप्रत्याशित तेजी आई व इसके लिए अधिक राशि का प्रावधान करते हुए इसे बढाकर 169.50 करोड़ रूपये कर दिया। 15 दिसंबर, 2025 तक, शहरी स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विस्तार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस राशि में से 132.65 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

6.60 राष्ट्रीय राजधानी से जनसंख्या के दबाव को कम करने की दिशा में राज्य अपने शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसका उद्देश्य इन आवश्यक सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी के समान बनाना है ताकि दिल्ली की ओर पलायन की प्रवृत्ति कम हो सके। वर्ष 2005 से इन शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतू महत्वपूर्ण निवेश जारी है। गन्नौर, खरखौदा, झज्जर, होडल, कलानौर, सांपला, सोहना, बेरी और समालखा शहरों में सीवरेज सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 9 शहरों में विशेष प्रयोजनाओ को राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 14-11-2017 को 72.11 करोड़ रूपये की लागत से मंजूरी दी गई थी। इन सभी शहरों में निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रारंभिक प्रावधान 15 करोड़ रूपये था जिसे बाद में घटाकर 5 करोड़ रूपये कर दिया गया व 31 मार्च, 2025 तक 4.90 करोड़ रूपये खर्च हो चुके थे। वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ रूपये का संशोधित प्रावधान किया गया हैं जिसमें से अब तक 2.66 करोड़ रूपये खर्च हो चुके है।

6.61 मानसून के दौरान विभिन्न शहरों में निचले इलाकों में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त वर्षा जल निकासी बुनियादी ढांचे का निर्माण आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बाढ़ रोकथाम कार्यों हेतू 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। जिसे बाद में संशोधित कर 125 करोड़ रूपये कर दिया गया, इस राशि में से 31 मार्च, 2025 तक 124.85 करोड़ रूपये व्यय हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, 40 करोड़ रूपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 75 करोड़ रूपये कर दिया गया एवं 15 दिसंबर, 2025 तक, इस राशि में से 59.86 करोड़ रूपये खर्च हो चुके है।

6.62 हरियाणा के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य भर में 128 सीवरेज् ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया है, जिसमें घग्गर और यमुना नदियों के जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल हैं। इन सीवरेज् ट्रीटमेंट प्लाटों में सुविधाओं की मौजूदा कमियों की पहचान कर ली गई है, और विभाग अब 31 दिसंबर, 2027 तक नए एस.टी.पी. के निर्माण एवं मौजूदा एस.टी.पी. के विस्तार हेतू ठोस प्रयास कर रहा है। उपरोक्त प्रयासों के साथ-साथ स्वीकृत आवासीय कालोनियों में नई सीवरेज लाईन बिछाई जा रही है।

उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग

6.63 भूजल संसाधनों पर अत्याधिक दबाव होने के कारण, हरियाणा सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर एक व्यापक नीति अधिसूचित की है। यह नीति शुद्व पानी की उपलब्धता की कमी को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नीति को व्यापक और समावेशी दोनों बनाया गया है, इसमें उपचारित अपशिष्ट जल के विशिष्ट अनुप्रयोगों, मानक संचालन प्रक्रियाओं और इसकी सफलता के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे सहित विचारों का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है। इसमें परियोजना के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ का निर्माण, केंद्रीकृत डेटाबेस भंडार की स्थापना और निगरानी व क्रियान्वन हेतू मजबूत प्रणालियों का गठन शामिल है। तेजी से घटते जल संसाधनों की चुनौती का सामना करने हेतू, हरियाणा सरकार ने औपचारिक रूप से 05-11-2019 को "उपचारित अपशिष्ट जल नीति का पुनः उपयोग" अधिसूचित किया था। जिसका मुख्य उद्वेश्य प्रत्येक बूंद पानी का संरक्षण करना एवं पीने के अलावा अन्य कार्य के लिए सुनिश्चित करना है। इसका अनुमान है कि उपचारित बहिःस्राव की हर संभव बूंद को थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक प्रक्रियाओं, निर्माण गतिविधियों, बागवानी और सिंचाई में उपयोग के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

6.64 एक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, राज्य ने उपचारित अपशिष्ट जल के व्यवस्थित उपयोग के लिए एक व्यापक नीति बनाई है। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से 208 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटो का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। इन सुविधाओं की संयुक्त उपचार क्षमता 2472.80 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। वर्तमान में, 1725.57 मिलियन लीटर उपचारित अपशिष्ट जल उत्पन्न हो रहा है। इस मात्रा में से, 464.30 मिलियन लीटर

उपचारित जल का उपयोग किया जा रहा है। उम्मीद है कि दिसंबर, 2028 तक, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग 100 प्रतिशत हो जाएगा।

6.65 सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने पहले चरण में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग हेतु एक विशेष प्रयोजना के तहत 500 करोड़ रूपये का निवेश किया है। इस पहल में 35 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो को शामिल किया गया है जिनकी सामूहिक क्षमता 399.10 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। विभिन्न जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति के लिए इन 35 एस.टी.पी. में से 27 की पहचान तकनीकी की गई है जो व्यहवारिक है। इनमें से 15 एस.टी.पी. के लिए सहायक बुनियादी सुविधाएं पहले ही पूरी हो चुकी है। विशेष रूप से, तीन एस.टी.पी. से उपचारित अपशिष्ट जल पहले से ही कृषि उद्देश्यों के लिए लाडवा में 7 एम.एल.डी. संयंत्र, पेहोवा में 8 एम.एल.डी. संयंत्र और शाहबाद में 11.50 एम.एल.डी. संयंत्र सक्रिय है।

6.66 अमरूत (ए.एम.आर.यू.टी.) 2.0 योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बुनियादी सुविधाओं का राज्य जल कार्य योजना के तहत विस्तार कर रहा है।

राज्य जल कार्य योजना-I: राज्य जल कार्य योजना के तहत कुल 57 परियोजनाएं सितंबर, 2023 से स्वीकृत है। इस योजना में 1,443.74 करोड़ रूपये की लागत से पेयजल आपूर्ति की 48 परियोजनाएं और 283.62 करोड़ रूपये की लागत वाली 9 सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। अब तक इनमें से 56 परियोजनाओं के लिए काम आवंटित किया जा चुका है जिनमें 44 जलापूर्ति योजनाएं और सभी 8 सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं, का कार्य प्रगति में है तथा 4 कार्य (3 परियोजनाएं पेयजल आपूर्ति की तथा 1 परियोजना सीवरेज प्रणाली की) पूर्ण हो चुके है। भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण एक परियोजना को छोड़ दिया गया था।

राज्य जल कार्य योजना-II: शीर्ष समिति ने अपनी बैठक दिनांक 17-04-2025 में राज्य जल कार्य योजना-II को स्वीकृति दी। इस योजना में 21 जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाएं सम्मिलित हैं जिनकी संयुक्त लागत 2,134.76 करोड़ रूपये है। इसमें 1,064.94 करोड़ रूपये की लागत वाली 14 जलापूर्ति परियोजनाएं तथा 1,069.82 करोड़ रूपये की लागत वाली 7 सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई इन योजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं परियोजना प्रबंधन में सक्रिय रूप से आंकलन कर रही है ताकि सुदृढ़ एवं मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार हो सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पेयजल परियोजनाओं हेतू 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जिसे संशोधित कर 360 करोड़ रूपये तक बढा दिया ताकि इस कार्य में तेजी लाई जा सके। इसी प्रकार सीवरेज व्यवस्था हेतू 63.50 करोड़ रूपये था जिसे संशोधित करके 240 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इन सामूहिक 67 परियोजनाओं पर 15 दिसंबर, 2025 तक 371.37 करोड़ रूपये का परिव्यय हुआ।

महिला एंव बाल विकास

6.67 महिला एंव बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न समर्पित योजनाए चलाई जा रही है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। विभाग का प्राथमिक उद्देश्य लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा, पोषण, संस्थागत समर्थन और अन्य आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। इस प्रतिबद्धता के तहत, विभाग के बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1,113.49 रूपये

करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 2,101.56 करोड़ रूपये हो गई है। चालू वित्त वर्ष में, दिसंबर, 2025 तक विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों पर 978.93 करोड़ रूपये का पर्याप्त व्यय हुआ है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।

6.68 माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व, शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से उत्साह जनक परिणाम मिले हैं, जिससे हरियाणा अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्त्रोत के रूप में स्थापित हुआ है। राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात जो 2011 की जनगणना के अनुसार 833 था, ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, जो नवंबर, 2025 तक 915 तक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना

6.69 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 1 जनवरी, 2017 से हरियाणा के सभी जिलों में प्रधान मंत्री मातृवंदना योजना लागू की गई है। प्रारंभ में, इस योजना के अंतर्गत पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए 5,000 रूपये का लाभ तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है। इस योजना की शुरूआत से मार्च, 2025 तक कुल 9,13,411 लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया था, जिसमें 409.86 करोड़ रूपये का व्यय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे गए। 1 अप्रैल, 2022 से महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, महिलाएं अब अपने पहले दो जीवित बच्चों के लिए लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते दूसरा बच्चा एक लड़की हो। पहले बच्चे के लिए, दो किश्तों में 5,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। दूसरे बच्चे के लिए, जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस शर्त के अधीन कि बच्चा एक लड़की है। इस व्यवस्था के तहत जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में योगदान मिला। अप्रैल से दिसंबर, 2025 की अवधि में, इस योजना से 2,30,027 महिलाओं को लाभ हुआ, जिसमें डी.बी.टी. मोड के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में 86.51 करोड़ रूपये का व्यय हुआ।

वन स्टॉप सैंटर सखी

6.70 एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना की स्थापना की गई है। ये केंद्र तत्काल चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सहित सेवाओं की एक व्यापक सेवा तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच प्रदान करता हैं। हरियाणा के सभी जिलों में वन स्टॉप केंद्र स्थापित किए गए हैं। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण समर्थन और सहायता सुनिश्चित करने हेतु महिला हेल्पलाइन (181) के साथ मिलकर काम करते हैं। अप्रैल से दिसंबर, 2025 तक, राज्य भर में वन स्टॉप केंद्रों द्वारा कुल 57,615 मामलों का निपटान किया गया।

आपकी बेटी-हमारी बेटी

6.71 वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना शुरू की गई ताकि लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधान किया जा सके और बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदला जा सके। इस योजना के तहत, एस.सी. और बी.पी.एल. परिवारों में पहली जन्मी

लड़की के खाते में 21,000 रूपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा, सभी परिवारों में दूसरी बालिका के जन्म पर 21,000 रूपये भी जमा किए जाते हैं। परिपक्वता पर जब लड़की 18 वर्ष की आयु तक पहुंचती है यह निवेश लगभग 1 लाख रुपये हो जाता है, जिसे तब लाभार्थी के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया है। अब तक इस योजना के तहत कुल 5,89,867 लाभार्थियों को यह लाभ प्रदान किया गया है। चालू वित्त वर्ष (2025-26) में, दिसंबर, 2025 तक 57,615 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

हरियाणा कन्याकोष

6.72 हरियाणा कन्याकोष की स्थापना मार्च, 2015 में राज्य में लड़कियों और महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु की गई थी। यह कोष महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। हरियाणा कन्याकोष बैंक खाते में 69.88 लाख रूपये की अक्षय निधि जमा की गई है। कोष को आधिकारिक तौर पर आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत एक 'धर्मार्थ सोसायटी' के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा जिसे आयकर विभाग द्वारा धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्रदान की गयी है। अब तक दान के माध्यम से कुल 64.27 लाख रूपये अर्जित किए जा चुके हैं। इस निधि में से 54.22 लाख रूपये कल्याण उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गए हैं।

सुकन्या समृद्धि खाता

6.73 बालिकाओं के पक्ष में एक सकारात्मक सामाजिक मानसिकता को बढ़ावा देकर लिंग असंतुलन को दूर करने के लिए 22 जनवरी, 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, एक बालिका के जन्म के समय से लेकर 10 वर्ष की आयु तक के लिए एक समर्पित बचत खाता खोला जा सकता है। नवंबर, 2025 तक, राज्य भर के डाकघरों में कुल 9,45,537 खाते खोले गए हैं।

पोषण अभियान

6.74 पोषण अभियान की शुरूआत 8 मार्च, 2018 से हुई थी। इस अभियान का मुख्य उदेश्य प्रमुख जनसांख्यिकीय समूहों किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे की पोषण स्थिति में सुधार करना है। यह मिशन हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतू प्रत्येक वर्ष अप्रैल से नवंबर तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अप्रैल से नवंबर, 2025 तक कुल 4,15,258 सीबीई आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत को शामिल करते हुए एक अभिसरण प्रयास में हर महीने की 15 तारीख को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। अप्रैल से नवंबर, 2025 तक 2,07,695 वी.एच.एस.एन.डी. सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय अभिसरण समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां अपने संबंधित प्रशासनिक स्तरों पर एक व्यापक अभिसरण कार्य योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना

6.75 समेकित बाल संरक्षण योजना एक व्यापक एम्ब्रैला संस्था के रूप में कार्य करती है जिसमें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून के विरोध में बच्चों के लिए

विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। यह योजना हरियाणा स्टेट बाल संरक्षण सोसाइटी के द्वारा लागू की जा जा रही है। जिला स्तर पर, संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों को राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में, राज्य भर में 62 बाल देखभाल केन्द्र संचालित हैं, जिनका प्रबंधन सरकार, अर्ध-सरकार और निजी संगठनों द्वारा किया जाता है। ये केन्द्र सभी जिलों में स्थित हैं, जो लगभग 1,911 बच्चों को आश्रय और सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियां, जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय हैं, हरियाणा के हर जिले में पूरी तरह से कार्यात्मक हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी और सामाजिक कल्याण ढांचे को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

6.76 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु समूह के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मनोवैज्ञानिक कल्याण और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके उद्देश्यों में बाल मृत्यु, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना शामिल है। वर्तमान में, हरियाणा में आई.सी.डी.एस. के तहत, 148 स्वीकृत परियोजनाएं (127 ग्रामीण और 21 शहरी परियोजनाएं) और 25,962 स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 512 मिनी-ए.डब्ल्यू.सी. शामिल हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए औसत पोषक मात्रा के साथ एक पूरक पोषण कार्यक्रम प्रदान करती है:

- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 600 कैलोरी और 22 से 25 ग्राम प्रोटीन।
- बच्चे (6 महीने से 1 वर्ष): 200 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन।
- बच्चे (1 वर्ष से 6 वर्ष): 400 कैलोरी और 15-20 ग्राम प्रोटीन।

गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे

- 6 महीने से 1 साल तक: 400 कैलोरी और 15-20 ग्राम प्रोटीन।
- 1 वर्ष से 3 वर्ष: 700 कैलोरी और 25-30 ग्राम प्रोटीन।
- 3 साल से 6 साल तकः 800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन।

कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, एस.एन.पी. दैनिक दरें 7 रूपये से बढ़ाकर 9.50 रूपये प्रति गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिला, 6 रूपये से बढ़ाकर 8 रूपये प्रति बच्चा, और 9 रूपये से 12 रूपये प्रति कुपोषित बच्चे कर दी गई हैं। वर्तमान में, एस.एन.पी. के तहत 8.60 लाख बच्चों और 2.52 लाख गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को कवर किया गया है। पूरक पोषण की पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं:

- भोजन तैयार करने के लिए सभी आंगनवाड़ियों में डबल फोर्टिफाइड साल्ट का उपयोग किया जा रहा है।
- गुरूग्राम और घरौंडा (करनाल) में समर्पित संयंत्रों के माध्यम से गुरूग्राम और नूंह (मेवात) जिलों में फोर्टिफाइड पंजीरी की आपूर्ति की जा रही है। अन्य सभी जिलों में हरियाणा एग्रो के माध्यम से इसकी आपूर्ति की जाती है।
- हैफेड के माध्यम से सभी जिलों में फोर्टिफाइड गेहूं के आटे की आपूर्ति की जा रही है।

- हैफेड और हरियाणा एग्रो के माध्यम से सभी जिलों और दोनों पंजीरी संयंत्रों में फोर्टिफाइड तेल की आपूर्ति की जा रही है।

आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

6.77 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 23.60 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया गया था। यह आवंटन पिछले वर्षों में स्वीकृत केंद्रों के निर्माण को पूरा करने के साथ-साथ मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यक मरम्मत करने के लिए जारी किया गया है।

***

7

पंचायती राज , ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वित की देखरेख करने और पंचायत राज संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों को विनियमित और समन्वयित करने के लिए उत्तरदायी है। शहरी क्षेत्र में विकास गतिविधियों को मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों के माध्यम से चलाया जाता है।

15वां वित्त आयोग अनुदान/केंद्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.)

7.2 15वां वित्त आयोग अनुदान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्रीय वित्त आयोग/ केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 75:15:10 के अनुपात में धन राशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय वित्त आयोग दो श्रेणियों में अनुदान प्रदान करता है: मूल अनुदान (संयुक्त अनुदान) और बंधित अनुदान, 60:40 के अनुपात में।

- **मूल अनुदान:** ये अछूते अनुदान हैं जिनका उपयोग संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं, वेतन या अन्य स्थापना व्यय के लिए किया जा सकता है।
- **बंधा हुआ अनुदान:** ये अनुदान विशिष्ट बुनियादी सेवाओं के लिए हैं:

1. स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) स्थिति बनाए रखना।
2. पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

- स्थानीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे जहां तक संभव हो, इन दोनों सेवाओं में से प्रत्येक के लिए निर्धारित अनुदान का आधा हिस्सा निर्धारित करें। हालाँकि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से प्रबंधित कर लिया है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान का प्रावधान पेश किया गया है। इन अनुदानों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करना है। पहले, ये अनुदान स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थान को वितरित किए जाते थे। हालाँकि, अब यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के तहत धनराशि भी पंचायत विभाग द्वारा वितरित की जाएगी। इसलिए, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक हो जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रावधान व खर्च तालिका 7.1 मे दर्शाया गया है।

तालिका 7.1: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रावधान व खर्च

(लाख रूपये में)

घटक	बजट अनुमान 2025-26	आज तक का खर्च
खुला	40440.00	19512.90
बंधा हुआ	60660.00	52218.57
कुल	**101100.00**	**71731.47**

स्त्रोत: 15वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार।

राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.)

7.3 73वें संवैधानिक संशोधन के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 213 के साथ पठित अनुच्छेद 243-I के तहत नियमित रूप से राज्य वित्त आयोग का गठन किया है।

राज्य वित्त आयोग उन सिद्धांतों पर भी सिफारिशें करता है जिन्हें नियंत्रित करना चाहिए:

- राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, जिसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच उनका आवंटन भी शामिल है।
- करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपा या विनियोजित किया जा सकता है।
- राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक उपाय।

हाल ही में पुरस्कार अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए छठे वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसकी सिफारिशों (संशोधित व्याख्यात्मक ज्ञापन) के अनुसार, 80 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों (जी.पी.) को पंचायतों की पी.पी.पी. (परिवार पहचान पत्र) जनसंख्या के आधार पर वितरित/जारी की जाएगी, जबकि 20 प्रतिशत धनराशि राज्य वित्त आयोग अनुदान के तहत क्षेत्र के आधार पर वितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए धनराशि केवल संबंधित पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए परिवार पहचान पत्र जनसंख्या के आधार पर जारी की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रावधान व खर्च तालिका 7.2 मे दर्शाया गया है।

तालिका-7.2 चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रावधान व खर्च

(लाख रूपये में)

घटक	**बजट अनुमान 2025-26**	**आज तक का खर्च**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान सामान्य	162100.00	81050.00
पूंजीगत संपत्ति एस.सी.एस.पी. के निर्माण के लिए अनुदान	29000.00	20365.00
कुल	**191100.00**	**101415.00**

स्त्रोत: छठा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा सरकार।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

7.4 यह एक राज्य की योजना है जो वर्ष 1970-71 में प्रारंभ की गई थी। इसे वर्ष 1991-92 में सामाजिक कल्याण विभाग से विकास एवं पचायत विभाग को स्थानातरित किया गया था। चौपालों को बढ़ाने का उद्देश्य समुदायों को एक सांझा मंच प्रदान करना है, ताकि वे विवाह एवं त्योहार जैसे सामुदायिक समारोह मना सकें और सामूहिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा कर सकें। गांवों के विकास के कार्य जैसे सड़कों की पक्कीकरण, नालियों का निर्माण, सामुदायिक केंद्र, श्मशान घाट, बाउंड्री तालाबों की मरम्मत तथा खेत रास्तों का निर्माण मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 24219 के अंतर्गत मुख्यमन्त्री किसान खेत खलिहान सड़क योजना में किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक की सडकों को बनाया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विकास

कार्यों से संबंधित अन्य सीएम कोड के अंतर्गत घोषित कार्य भी किए जा रहे हैं। उक्त स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 में बजट प्रावधान व खर्च **तालिका 7.3** मे दर्शाया गया है।

तालिका: 7.3: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रावधान व खर्च

(लाख रूपये में)

घटक	बजट अनुमान 2025-26	आज तक का खर्च
हरियाणा ग्रामीण विकास योजना	100000	46400.00
कुल	**100000**	**46400.00**

स्त्रोत: छठा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा सरकार।

स्टाम्प शुल्क

7.5 हरियाणा राज्य ने दिनाक 10 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना तथा समय.समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के माध्यम से, राज्य के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को यह अधिसूचित किया है कि वे संपत्ति के प्रत्येक हस्तांतरण साधन पर निर्दिष्ट राशि के दो प्रतिशत की दर से शुल्क (डयूटी) लगाएगी, जोकि 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए शुल्क पर अधिभार (सरचार्ज) के रूप में होगा। यह अधिभार विक्रय, उपहार, बंधक तथा अन्य अचल संपत्तियों के हस्तातरण से संबंधित साधनों पर लागू होगा, जो सभा क्षेत्र में स्थित है। यह शुल्क राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वसूल किया जा रहा है तथा इसे क्रमश 50:25:25 के अनुपात में सबंधित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को प्रेषित किया जा रहा है। उक्त शुल्क से प्राप्त निधि का प्रयोग पंचायती राज संस्थाएँ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार ग्राम फंड के रूप में कर सकती है।

खंड कार्यालय भवन योजना

7.6 राज्य स्तर पर पंचायत विभाग से संबंधित सरकारी संस्थानों हेतू बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतू इस योजना का आरंभ किया गया था। वर्तमान में ग्राम स्तर पर ग्राम सचिवालय, खंड स्तर पर खंड कार्यालय भवन, जिला स्तर पर जिला परिषद् भवन व मुख्यालय हेतू इस योजना के तहत इन भवनों के निर्माण, नवीनीकरण व मरमम्त हेतू बजट उपलब्ध करवाया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले में आवश्यकता अनुसार ग्राम सचिवालय खंड कार्यालय व जिला परिषद भवनों के निर्माण नवीनीकरण व मरमम्त हेतू प्राकलन सक्षक तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति उपरांत प्राकलन निदेशालय में प्रशासनिक स्वीकृति हेतू भिजया सकते है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 70.10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। अब तक इस राशि में से लगभग 14.01 करोड़ रूपये की राशि को पहले से चालू कार्यों हेतू जारी किया गया है। वर्तमान में इस योजना के तहत 162 कार्य प्रगति पर है।

विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना

7.7 राज्य सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर दिनांक 6 जुलाई, 2015 से विधायक आदर्श ग्राम योजना लागू की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना किया गया। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र के चयनित गांवों व शहरों के विकास कार्यों के लिए एक वित्त वर्ष में 2 करोड़ रूपये की धन राशि उपलब्ध करवाई जाती है ताकि माननीय विधायको की अनुशंसा अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्रों में

विकास कार्य करवाऐ जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक की अनुशंसा उपरान्त उनके निर्वाचन क्षेत्र के चयनित गांवों व शहरों के विकास कार्यों के लिए एक वित्त वर्ष में 2.00 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाना है। 15वीं विधानसभा के गठन उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 15वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित सभी विधायको को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 100 की राशि के कार्यों को करवाने बारे निर्णय लिया गया। जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 15वीं विधानसभा के दौरान 7,834.85 लाख रूपये के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त वित वर्ष 2024-25 में 14वीं विधानसभा के दौरान भी 2,028.79 लाख रूपये के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 9,850 लाख रूपये के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान गई तथा अब तक 8,977 लाख रूपये की राशि खर्च गई।

राजस्व आय योजना

7.8 राज्य सरकार द्वारा राजस्व आय योजना की शुरुआत दिनांक 21-09-1971 को की गई थी इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतो की आय बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतो को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करना है। कोई भी ग्राम पंचायत अपनी आय को बढाने के लिए राजस्व आय योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकती है। वित वर्ष 2025-26 में राजस्व आय योजना के तहत 43,77,000 रूपये के ऋण को अनुमोदित किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना के तहत किसी भी ग्राम पंचायत को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)

7.9 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 385.47 करोड रूपये की राशि व्यय करके 67.76 लाख मानवदिवसों का सृजन किया जा चुका है। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान 150 लाख मानवदिवसों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वार्षिक योजना 2026-27 के लिए 300 करोड़ रूपये का परिव्यय केन्द्र (75 प्रतिशत) व राज्य (25 प्रतिशत) सरकार के हिस्से के रूप में सामग्री तथा प्रशासनिक व्यय के लिए प्रस्तावित किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना

7.10 प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना राज्य के 8 जिलों में लागू की जा रही है। वाटरशैड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 9 केन्द्रीय प्रयोजित परियोजनाएं जिनका 31,221 लाख हेक्टेयर क्षेत्र व कुल बजट 80.59 करोड़ रूपये के लगभग है को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्कीम राज्य के 5 जिलों नामतः भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेन्द्रगढ व यमुनानगर में अगामी 5 वर्षो के लिए क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 71.13 करोड़ रुपये की पी.एम.के.एस.वाई.-डब्ल्यू.डी.सी.1.0 बैच-VI (100 प्रतिशत राज्य वित्त पोषित) परियोजना को भी मंजूरी दी गई है और इसके तहत 13 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के अंबाला, हिसार, भिवानी, रेवाडी, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर जिलों में 0.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 2.64 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2026-27 के लिए वाटरशैड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 29 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

7.11 दीन दयाल अन्तोदया योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में 4,331 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं व कुल 66.33 करोड़ रूपये की राशि परिक्रामी निधि सामुदायिक राशि के रुप में स्वयं सहायता समूहों को दी गई।

दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना

7.12 दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। यह योजना पीपुल प्रोजेक्ट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है और यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 17.02 करोड़ रूपये की राशि खर्च करके 4,663 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

7.13 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना युवाओं में उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के उद्देश्य से की गई है ताकि वे बैंक ऋण की सहायता से या उसके बिना अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकें। वर्तमान में हमारे पास 21 आर.एस.ई.टी.आई.एस. है, जिनमें से 17 पी.एन.बी. द्वारा, 3 केनरा बैंक द्वारा और 1 एस.बी.आई. द्वारा स्थापित किए गए है। बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित संस्थान डिजाइन किए गए है। आर.एस.ई.टी.आई. से अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं का चयन बी.पी.एल. श्रेणी से करें। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित कार्यक्रम है। वितिय वर्ष 2025-26 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंर्तगत कुल 13,497 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए गए है व कुल 3.44 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। दीन दयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्ट-अप विलेज एन्टरप्रीन्योरशिप प्रोग्राम व दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना के अतंर्गत वार्षिक योजना 2026-27 के लिए 216.38 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र (60 प्रतिशत) व राज्य (40 प्रतिशत) सरकार द्वारा डी.ए.वाई.एन.आर.एल.एम., एम.के.एस.पी., एस.वी.ई.पी. और डी.डी.यू.- जी.के.वाई. तथा आर.सेटी. के अतंर्गत 8 करोड़ रूपये की राशि 100 प्रतिशत केन्द्र के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

7.14 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 13.74 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है व 267 कार्य पूर्ण किये गये।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

7.15 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम राज्य के 7 जिलो के 15 खण्डो नामतः सिरसा (ओडान, डबवाली, बारागुढा, ऐलनाबाद), मेवात (नूह, फिरोजपुर झिरका, नगीना, पुन्हाना), यमुनानगर (छछरौली), कुरुक्षेत्र (पेहवा), कैंथल (गुहला, सिवान), फतेहाबाद (रतिया, जाखल) व पलवल (हथिन) में लागू की जा रही है, जिनमें अल्पंसख्यक आबादी 25 प्रतिशत और उससे अधिक है। वर्ष 2025-26 में कुल 4 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई व 25 कार्य पूर्ण किये गये। इस योजना के तहत कुल

60 करोड़ रूपये की राशि केंद्र और राज्य (60:40) के हिस्से के रुप में वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

7.16 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान फरीदाबाद और पलवल जिलों के 12 गांवों में पी.एम.ए.जी.वाई. की शुरूआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय द्वारा 15 जून, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार चुने हुए गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत चयनित गांवों के एकीकृत विकास के लिए प्रति गांव 20 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 (दिसंबर, 2018) से, यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है और मंत्रालय द्वारा अब तक 690 गांवों की पहचान की गई है। कुल चिन्हित गांवों में से 671 गांवों की ग्राम विकास योजना तैयार की गई है। सभी जिलों के 345 गांवों को (प्रथम व द्वितीय चरण) में आदर्श घोषित किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी.) के तहत राज्य स्तरीय टास्कफोर्स

7.17 एस.बी.एम.-जी. के तहत राज्य स्तरीय टास्कफोर्स का गठन माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के अनुमोदन के अनुसार किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी दोनों की गतिविधियों की देखभाल करेगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 आधिकारिक सदस्य और 10 गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा दो अन्य शिक्षाविदों/पेशेवर को अलग से नामांकित किया जाना है। एस.एल.टी.एफ. का व्यय स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2026-27 के लिए 116.20 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित की गई है। ताकि विभिन्न कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन बनाया जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी.)

7.18 भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय ने एस.बी.एम.-जी. चरण-II को मंजूरी दे दी है जिसे 2020-21 से 2026-27 तक लागू किया जाएगा। एस.बी.एम.-जी. चरण-II का मुख्य उद्देश्य गांवों की ओ.डी.एफ. स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है, जिस से गांवों को ओ.डी.एफ.प्लस बनाया जा सके। स्कीम के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 12,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान हैं जबकि ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.) के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.) 3 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 5,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए 280 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय राशि का प्रावधान हैं जबकि 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 45 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए 660 रुपये प्रति व्यक्ति प्रदान किए जाएंगे। स्कीम के तहत गोबर-धन परियोजना के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान हैं जबकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (पी.डब्लू.एम.यू.) के लिए 16 लाख रुपये का प्रावधान हैं

(प्रत्येक ब्लॉक में एक इकाई)। फीकल स्लज मैनेजमैंट के लिए स्कीम के तहत 230 रुपये प्रति व्यक्ति अनुमेय है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के मौजूदा 89 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) में सह-उपचार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मलकीचड़ का प्रबंधन कर रहा है। सिंगल पिट/सेप्टिकटैंकों से कीचड़ हटाने की नीति दिनांक 23-06-2023 को जारी की जा चुकी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) को 10.80 करोड़ रुपये सह उपचार की पूर्ण संरचना के निर्माण के लिए हस्तारित किये जा चुके है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत 14 जिलो अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, पंचकूला, कुरूक्षेत्र, कैथल, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, सिरसा, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में मॉडल गोबर-धन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4 जिलो, नूंह, फतेहाबाद, सोनीपत व करनाल में गोबर-धन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2025-26 में कुल 9.55 करोड़ रूपये खर्च किए गए है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्राधिकरण (एच.आर.डी.ए.)

7.19 बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत, खरीदी या बेची गई कृषि उपज की बिक्री आय पर या मूल्य आधार पर शुल्क लगाया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 258 करोड़ रूपये और 31 अक्तूबर, 2025 तक 90.34 करोड़ रूपये की राशि एकत्र की गई है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि एच.आर.डी.ए. शुल्क के रूप में एकत्र की गई धनराशि सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए और पंचायती राज संस्थानों के स्थानीय प्रतिनिधियों की सिफारिश/ग्राम पंचायतों की मांग पर स्वीकृत/जारी की जाती है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,243.92 करोड़ रूपये और 31 अक्तूबर, 2025 तक 181.13 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों जैसे गलियों और नालियों/ फिरनी/शिव धाम की बांउडी वाल, शेड, रास्ते व पार्क-सह-व्यायामशालाओं आदि का निर्माण के लिए जारी की है।

शहरी स्थानीय निकाय

7.20 शहरी स्थानीय निकाय स्व-शासन की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, जो शहरी क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढाँचा और नागरिक सुविधाएँ प्रदान करती हैं। हरियाणा का मुख्य रूप से शहरी समाज में निरंतर परिवर्तन अब एक जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 35 प्रतिशत से अधिक लोगों के साथ, राज्य भारतीय संघ में सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में से एक है। किसी भी शहरीकृत और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरह, शहरी केंद्र, आर्थिक गतिविधियों और विकास के केंद्र हैं। राज्य भर में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, विकास पैटर्न प्रमुख गलियारों के साथ एक सन्निहित शहरी विकास का है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण-शहरी विभाजन कम हो रहा है। इन गलियारों में इतने बड़े पैमाने पर क्लस्टर किए गए विकास के प्रभाव के परिणामस्वरूप शहरी विकास और सेवा वितरण की चुनौतियों का जवाब देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों पर वास्तविक दबाव पड़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह एक बड़ी चुनौती होगी। इस प्रकार, इसकी शहरी जनसंख्या 1991 में 24.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 28.93 प्रतिशत और वर्ष 2011 में 34.8 प्रतिशत हो गई है जो औसत राष्ट्रीय स्तर 31.16 प्रतिशत से अधिक है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग नगर निगम अधिनियम, 1994/नगरपालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों

(यूएलबी) के माध्यम से पूरे राज्य में शहरी आबादी को बुनियादी नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में, राज्य में 87 नगर पालिकाएँ हैं जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 53 नगर समितियाँ शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बजट प्रावधान में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि की गई है और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के सृजन और उन्नयन पर जोर देते हुए राज्य बजट में 5,666.28 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन-(शहरी)

7.21 स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को पाने के लिए हरियाणा सरकार कम्युनिटी को अच्छी सैनिटेशन सर्विस देने के लिए प्रतिबद्व है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 71,000 (आई.एच.एच.एल.) के बदले हुए टारगेट के मुकाबले 66,662 (93.89 प्रतिशत) इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन (आई.एच.एच.एल.) बनाए गए हैं। 4,081 सीटों के टारगेट के मुकाबले 2,319 (56 प्रतिशत) कम्युनिटी टॉयलेट (सी.टी.) सीटें बनाई गई हैं। 6,313 सीटों के टारगेट के मुकाबले 6,871 (108 प्रतिशत) पब्लिक टॉयलेट (पी.टी.) सीटें बनाई गई हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में उपलब्धिः करनाल को 50,000 से 3,00,000 की आबादी वाली कैटेगरी में तीसरा रैंक पाने के लिए प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड दिया गया है। सोनीपत को 50,000 से 3,00,000 आबादी वाली कैटेगरी में होनहार स्वच्छ शहर अवॉर्ड, दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल को ''थ्री स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़' के लिए अवॉर्ड दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोनीपत को "थ्री स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़" के लिए अवॉर्ड दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोहतक को "वन स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़" के लिए अवॉर्ड दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत को "वन स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़" के लिए अवॉर्ड दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गन्नौर को "वन स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़" के लिए अवॉर्ड दिया गया है। नगर निगम समालखा को "कचरा मुक्त शहरों के लिए वन स्टार रेटिंग" के लिए सम्मानित किया गया है। कुल 07 यू.एल.बी.को ओ.डी.एफ.+,29 यू.एल.बी.को ओ.डी.एफ.++और 13 यू.एल.बी. को वाटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है, बाकी यू.एल.बी.को ओ.डी.एफ.के रूप में प्रमाणित किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में उपलब्धिः हरियाणा राज्य ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 14वां स्थान प्राप्त किया है। रोहतक को 1.00 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में हरियाणा के भीतर "स्वच्छ शहर पुरस्कार" के लिए सम्मानित किया गया है।गोहाना को 1.00 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में हरियाणा के भीतर "स्वच्छ शहर पुरस्कार" के लिए सम्मानित किया गया है। नगर निगम सोनीपत को कचरा मुक्त शहरों के लिए वन स्टार रेटिंग के लिए सम्मानित किया गया है। कुल 39 यूएलबी को ओ.डी.एफ.+के रूप में प्रमाणित किया गया है, 14 यू.एल.बी. को ओ.डी.एफ.++ के रूप में प्रमाणित किया गया है और 2 यूएलबी को वाटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है। शेष यू.एल.बी. को ओ.डी.एफ. के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.)

7.22 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (डोर-टू-डोर कलेक्शन, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान) के तहत प्रदेश के 31 नगर निकायों को 4 कलस्टरों में विभाजित कर कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा एक नए कलस्टर (अम्बाला-यमुनानगर-पंचकूला) का गठन किया गया है व इस कलस्टर के लिए लेनदेन सलाहकार को नियुक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अन्य नगर निकायों में कूड़े के

डोर-टू-डोर कलेक्शन, पृथक्करण व परिवहन के लिए एजेंसी नियुक्त करने बारे व इकट्ठे किये गये कूडे के प्रसंस्करण के लिए एजेंसी नियुक्त करने बारे अलग-अलग मानक बोली दस्तावेज बना कर प्रसारित कर दिए गए हैं। नगर निकाय इन मानक बोली दस्तावेजों के अनुसार एजेंसी को नियुक्त कर रहे हैं।

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

7.23 भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 1.0 (अमृत) (वर्ष **2015)** के तहत 18 स्थानीय निकायों के लिए 2,565 करोड़ 74 लाख रुपये का राज्य वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गई थी।

- राज्य सरकार द्वारा कन्वरजैंस के तहत 238.57 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया था।
- अमृत मिशन के तहत भारत सरकार तथा राज्य सरकार से 2,804.31 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।
- अमृत मिशन के तहत जलापूर्ति, सीवरेज तथा बरसाती नालों से सम्बन्धित 55 कार्य आबंटित किये गये थे जिनमें से 45 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 10 कार्य प्रगति पर हैं।
- विभिन्न कार्यों पर 2,950 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

नगर निगमों में सीवरेज, जलापूर्ति एवं जल निकासी की सेवाएं

7.24 जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की सेवाएं वर्ष 1979 से नगर निगम फरीदाबाद तथा वर्ष 2013 से नगर निगम गुरुग्राम द्वारा देखी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22-06-2017 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की सेवाएं शेष 08 नगर निगमों को समय रहते लेकिन अमृत परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इस निर्णय के अनुपालन में प्रथम चरण में जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की सेवाएं दिनांक 16-09-2018 से नगर निगम सोनीपत एवं करनाल द्वारा अपने अधीन ले ली गई हैं। नगर निगम पानीपत ने दिनांक 01-09-2022 से इन सेवाओं को अपने अधीन ले लिया है। वित्त विभाग ने नई योजना अर्थात नगर निगमों में सीवरेज, जलापूर्ति एवं जल निकासी की सेवाएं" शुरू करने की स्वीकृति दे दी है।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य बजट में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 72.35 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

7.25 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित है और केंद्र सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी को राज्य के हिस्से के रूप में इतनी ही राशि दी जा रही है। शहरी विकास मंत्रालय की शर्तों के अनुसार, हरियाणा में दो शहरों नामतः फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। फरीदाबाद का चयन दिनांक 21-05-2016 को फास्ट ट्रैक के तहत किया गया था और करनाल को दिनांक 28-06-2017 को स्मार्ट सिटी के रूप में तीसरे दौर में चुना गया था।

(i) फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी: विशेष उद्देश्य वाहन नामतः फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिनांक 20-09-2016 को स्थापित किया गया था, जो कि कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। जिस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पहली बार दिनांक 19-10-2016 को नियुक्त किया गया था व परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) को दिनांक 19-05-2017 को नियुक्त कर दिया गया है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 980 करोड़ रुपये, जिसमें 490 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप मे व 490 करोड़ रुपये राज्य सरकार के भाग के रुप में शामिल है, जारी किए गए है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दो घटक शामिल है, अर्थात विकासात्मक प्रस्तावों पर आधारित क्षेत्र और पैन सिटी प्रस्ताव। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 48 परियोजनाएं है जिनकी कुल लागत 930.04 करोड़ रुपये है।

उपलब्धि- फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 48 परियोजनाओं में से 727.39 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं (निर्माण चरण पूरा हो चुका है। संविदात्मक प्रावधान के अनुसार निर्माण चरण पूर्णता प्रमाणन का मुद्दा विचाराधीन है। डी.एल.पी. के पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा) जबकि, 153.77 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाएं निष्पादन के तहत हैं। इसके अलावा, 56.13 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाएं अन्य विभागों के माध्यम से जमा कार्य के आधार पर निष्पादित की जा रही हैं।

(ii) करनाल स्मार्ट सिटी: विशेष उद्देश्य वाहन नामतः करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिनांक 08-12-2017 को स्थापित किया गया था, जो कि कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। जिस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पहली बार दिनांक 26-08-2017 को नियुक्त किया गया था व परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी) को दिनांक 01-10-2018 को नियुक्त कर दिया गया है। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 980 करोड़ रुपये जिसमें 490 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप मे व 490 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए है। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दो घटक शामिल है, अर्थात विकासात्मक प्रस्तावों पर आधारित क्षेत्र और पैन सिटी प्रस्ताव। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 122 परियोजनाएं है जिनकी कुल लागत 930.00 करोड़ रुपये है।

उपलब्धि- करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 122 परियोजनाओं में से 304.83 करोड़ रुपये की 83 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 186.56 करोड़ रुपये की कुल 06 परियोजनाएं निष्पादन के तहत हैं। इसके अलावा, 403.80 करोड़ रुपये की 30 परियोजनाएं अन्य विभागों के माध्यम से जमा कार्य के आधार पर निष्पादित की जा रही हैं और 34.81 करोड़ रुपये की 03 परियोजनाएं निविदा चरण में हैं।

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

7.26 माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना नामक नई योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जलापूर्ति, सीवेज, सेप्टेज, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क, सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, गलियाँ, रात्रि आश्रय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) दूध डेयरियों (एस.एम.डी.) का स्थानांतरण नगर निगम कार्यालय के लिए भवन का निर्माण, आवारा पशुओं के लिए पशु तालाब का निर्माण एवं प्रबंधन और घोषणा के माध्यम से यू.एल.बी.को सौंपे गए अन्य कार्य शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, नई स्वीकृत/ नियमित कॉलोनियों में विकास कार्यों की देखभाल के लिए

यू.एल.बी. को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य बजट में 705.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 205.16 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न नगर पालिकाओं को जारी की गई है।

अदेयता प्रमाणपत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) और संपत्ति कर प्रबंधन प्रणाली

7.27 नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने और प्रॉपर्टी ड्यूज की रसीद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें नागरिक अपनी प्रॉपर्टी के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं। किसी भी बकाया भुगतान के मामले में भुगतान का विवरण पोर्टल पर दिखाई देता है और नागरिक ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

- पोर्टल को वेब एच.ए.एल.आर.आई.एस. से जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर प्रॉपर्टी पर कोई बकाया है, तो सेल डीड के पंजीकरण के लिए टोकन जेनरेट न हो।
- सर्च को आसान बनाने के लिए, एक GIS इंटरफ़ेस भी प्रदान किया गया है।
- इसके अलावा, अगर प्रॉपर्टी अनधिकृत है, तो सिस्टम सेल डीड के पंजीकरण के लिए टोकन जेनरेट करने की अनुमति नहीं देता है।
- सिस्टम में प्रॉपर्टी/बकाया/स्वामित्व से संबंधित कोई भी विवरण गलत होने पर नागरिकों द्वारा आपत्ति उठाने का प्रावधान भी है।
- पोर्टल 3 अगस्त, 2020 को लॉन्च किया गया था।

दिव्य नगर योजना

7.28 माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के विकास के लिए दिनांक 08-03-2022 को हरियाणा विधानसभा में बजट भाषण के दौरान दिव्य नगर योजना नामक एक नई योजना की घोषणा की है। योजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:-

- पर्यटक अवसंरचना।
- खेल अवसंरचना का विकास।
- शहर के पार्कों और हरित स्थानों का विकास।
- शहर का सौंदर्यीकरण, सड़क जंक्शनों का पुनः डिजाइन और सौंदर्यीकरण।
- एकीकृत नियंत्रण और कमांड आधारित अवसंरचना।
- सीसीएमएस के साथ ऊर्जा कुशल स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रणाली।
- ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक अवसंरचना का विकास।
- नागरिक सुविधा सहित नगरपालिका प्रशासन में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप।
- निधि जारी करना:-निधि राज्य सरकार और संबंधित नगर पालिका के बीच निम्नलिखित अनुपात में साझा की जाएगी।

तालिका 7.4: राज्य सरकार और सम्बन्धित नगरपालिका के बीच साझा धनराशि

(प्रतिशत में)

नगरपालिका	राज्य हिस्सा	नगर पालिका हिस्सा
निगम	50	50
परिषद	65	35
समिति	75	25

स्त्रोतः शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।

यह धनराशि केवल उन्हीं नगर पालिकाओं (नगर निगम, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर) को जारी की जाएगी जो उपरोक्त अनुपात में परियोजना की लागत वहन करेंगी। इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए, डी.पी.आर. को न्यूनतम परियोजना लागत के साथ तैयार किया जाना आवश्यक है।

तालिका 7.5: दिव्य नगर योजना के अन्तर्गत न्यूनतम परियोजना लागत

(रूपये में)

नगरपालिका	न्यूनतम परियोजना लागत
निगम	5 करोड़
परिषद	2 करोड़
समिति	1 करोड़

स्त्रोतः शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।

योजना के तहत सहायता प्राप्त करने से पहले शहरी स्थानीय निकायों को चिन्हित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने और विकसित करने की आवश्यकता होगी।

बजट प्रावधान- वित्त वर्ष 2023-24 हेतु 40.00 करोड़ रुपये, तथा वित्त वर्ष 2024-25 हेतु 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा 220 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रगति और उपलब्धि- दिव्य नगर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 454.6 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 225.65 करोड़ रुपये की लगभग 40 परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

आवंटित/जारी की गई निधि- संबंधित नगर निकायों को अब तक 149.40 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

सॉलिड वेस्ट एक्टिविटी पोर्टल

7.29 सॉलिड वेस्ट एक्टिविटी की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। यह पोर्टल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियों की रियल टाइम लोकेशन भी देता है। यह पोर्टल अलग-अलग नगर पालिकाओं में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट और उन्हें किए गए पेमेंट भी दिखाता है।

डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट

7.30 डिपार्टमेंट के लिए एक नई वेबसाइट नए डिज़ाइन और फीचर्स के साथ बनाई गई है। यह वेबसाइट भारत सरकार के इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए गाइडलाइंस के निर्देशों के मुताबिक है।

शिकायत निवारण सिस्टम और ई-समाधान ऐप का अपग्रेडेशन

7.31 स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों के अलावा, नागरिक दूसरी ऑनलाइन सेवाओं जैसे PID से जुड़ी समस्याएं, पानी और सीवरेज कनेक्शन, पानी बचाना, पानी/सीवरेज/ड्रेनेज नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं, जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट से जुड़ी शिकायतें भी दे सकते हैं। मोबाइल ऐप– ई-समाधान भी बनाया गया है। अब नागरिक मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर 1800-8900-929 या वेब पोर्टल (https://grs.ulbharyana.gov.in/) के ज़रिए शिकायत दे सकते हैं।

ऑनलाइन सर्विसेज़ और अर्बन कनेक्ट ऐप के लिए यूनिफाइड इंटरफ़ेस

7.32 नागरिकों के लिए डिपार्टमेंट की सभी ऑनलाइन सर्विसेज़ के लिए लिंक/रीडायरेक्शन वाला सिंगल पोर्टल (https://online.ulbharyana.gov.in/) बनाया गया। इससे नागरिकों को एक ही पोर्टल पर

डिपार्टमेंट की सभी ऑनलाइन सर्विसेज़ ढूंढने में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप–अर्बन कनेक्ट, DULB हरियाणा भी बनाया गया।

जी.आई.एस.बेस्ड म्युनिसिपल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम

7.33 म्युनिसिपल लैंड और बिल्डिंग्स को कैप्चर करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल जी.आई.एस. के साथ इंटीग्रेटेड है, ताकि एसेट्स की सही लोकेशन कैप्चर की जा सके और एसेट्स का स्पेटियल एनालिसिस किया जा सके। ज़मीन की अवेलेबिलिटी और उसके आगे इस्तेमाल के प्रपोज़ल को भी इसी पोर्टल के ज़रिए प्रोसेस करने का प्लान है।

केंद्रीय वित्त आयोग

7.34 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 534 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से 139.36 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं को जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 544 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 512.62 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं को जारी किए जा चुके हैं।

राज्य वित्त आयोग

7.35 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2,286.49 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। इसमें से 2,286.48 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं को जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 3,114.28 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक नगर पालिकाओं को 1,706.43 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम.)

7.36 दीनदयाल अंत्योदय योजना में शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थानों में संगठित करने एवं कौशल विकास के लिए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाता है जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त होता है तथा आसानी से ऋण सुनिश्चित करके स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता मिलती है। मिशन का लक्ष्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त मिशन में शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका संबंधी मामलों पर भी ध्यान दिया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 55 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 6.45 लाख रूपये की राशि का उपयोग करके राज्य में मौजूदा रैन बसेरों में बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की गई। स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 50.68 लाख रूपये की ब्याज अनुदानित राशि 1,408 लाभार्थियों तथा 98 समूहों को पैसा पार्टल के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। 1,547 स्वयं सहायता समूह बनाए गये तथा 1,180 समूहों को रिवाल्विंग फंड प्रदान किया जा चुका है जिसमें 131.52 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना (एन.यू.एल.एम.) को संशोधित किया जा रहा है तथा योजना का नाम बदलकर दीनदयाल जन आजीविका योजना.शहरी (डी.जे.ए.वाई.एस.) किया गया है जो कि राज्य में जल्द ही अमल में लाई जाएगी।

पी.एम.-स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर (पी.एम.-स्वनिधि) योजना

7.37 पी.एम.स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को विशेष रूप से उन पथ विक्रेताओं के लिए शुरू की गई जिनका कोरोना के दौरान रेहड़ी फड़ी व्यवसाय प्रभावित हुआ है। रेहड़ी पटरी वालो को फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रथम चरण में 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी दी जाती है एवं इसी क्रम में समय पर ऋण राशि का भुगतान करने के उपरान्त रेहड़ी फड़ी विक्रेता द्वितीय चरण में 20,000 व तृतीय चरण में 50,000 कार्यशील पूंजी ऋण का पात्र हो जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेता को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा भी अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दिया जाना स्वीकृत किया है। शहरी स्थानीय निकायों में टाउन वेंडिग समितियों का गठन किया जा चुका है। हरियाणा में 87 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 1,04,680 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गई है। 87 निकायों में 95,404 पथ विक्रेताओं को सर्टिफिकेट आफ वेंडिग वितरित किये जा चुके हैं। 55 निकायों में 27,034 स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट पहचान पत्र भी जारी कर दिये हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में योजना के अन्तर्गत 33,456 स्ट्रीट वेंडर्स को विभिन्न बैंक द्वारा 57.81 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है तथा 31.46 लाख रूपये की अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वितरित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 (31-01-2026) में योजना के अन्तर्गत 32,623 स्ट्रीट वेंडर्स को विभिन्न बैंक द्वारा 77.35 करोड रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है तथा 91.37 लाख रूपये की अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वितरित की जा चुकी है।

आवास बोर्ड, हरियाणा

7.38 हरियाणा आवास बोर्ड वर्ष 1971 के दौरान हाउसिंग बोर्ड हरियाणा (अधिनियम संख्या 20, 1971) के अधीन अस्तित्व में आया। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के निवासियों के लिए आवासीय योजनाओं का निर्माण करना है। मुख्यतया: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना बोर्ड का ध्येय है। राज्य-स्तर पर जारी योजनाओं के अंतर्गत बोर्ड द्वारा मकानों के निर्माण किए जाते हैं। साथ ही बोर्ड अपनी नीतिगत योजनाओं द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, दक्षता एवं पारदर्शिता को मुख्य उद्देश्य मानते हुए कार्य करता है।

- हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने वर्ष 1971 में अपनी स्थापना के बाद से 31-10-2025 तक कुल 1,002,47 मकानों का निर्माण किया है, जिनमें से 76,025 मकान बी.पी.एल., ई.डब्लयू.एस. और एल.आई.जी. वर्ग के लिए है, 12,143 मकान एम.आई.जी. वर्ग के लिए है, 4,006 मकान एच.आई.जी. के लिए तथा 8,073 अन्य वर्गों के लिए है, जिनका विवरण **तालिका 7.6** में दिया गया है।

तालिका 7.6: श्रेणी-वार मकान पूरे होने का विवरण

श्रेणी	घरों की संख्या	प्रतिशत
ई.डब्लयू.एस.,बी.पी.एल. के लिए	28117	28.05
ई.डब्लयू.एस.	13181	13.15
एल.आई.जी.	34727	34.64

एम.आई.जी.	12143	12.11
एच.आई.जी.	4006	3.99
अन्य	8073	8.08
कुल	**100247**	**100.00**

स्त्रोतः हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा।

- वर्ष 01-04-2023 से 31-03-2024 के दौरान 340 मकान पूर्ण हो चुके हैं और इन मकानों के निर्माण पर 15.89 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 01-04-2024 से 31-10-2025 के दौरान 914 मकान पूर्ण हो चुके हैं और इन मकानों के निर्माण पर 53.26 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 01-04-2025 से 31-10-2025 के दौरान 284 मकान पूर्ण हो चुके हैं और इन मकानों के निर्माण पर 6.64 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।
- विभिन्न स्थानों पर विभिन्न श्रेणी के 2,400 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 2,064 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हैं तथा 336 मकान हरियाणा के सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों एवं अर्ध सैनिक कर्मियों के लिए हैं।

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा

वर्तमान में, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रहा हैः-

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पी.एम.ए.वाई.-यू.)

7.39 प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी) - लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण घटक के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतू आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत 33,535 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतू 689 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पी.एम.ए.वाई.-यू. 2.0)

7.40 भारत सरकार ने ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./एम.आई.जी. परिवारों को पक्के घर के निर्माण/ खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 01-09-2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पी.एम.ए.वाई.-यू. 2.0) शुरू की है। जिसके अंतर्गत1,62,608 (बी.एल.सी.94,464 और ए.एच.पी. 68,144) आवेदकों द्वारा भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से आवासीय मांग पंजीकृत की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा 17,430 लाभार्थियों को उनके पक्के मकानों के निर्माण हेतू स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एम.एम.एस.ए.वाई.)

7.41 राज्य द्वारा एक नई आवासीय योजना "मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना" शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रूपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) तक है, को एक मरला (30 वर्ग गज) प्लाट मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण हेतू प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 2.50 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। शुरूआत में, 14 शहरों के 15,256 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत एक मरला (30 वर्ग गज) प्लाट आबंटित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, 16 कस्बों/शहरों में 15,251 प्लाट की बुकिंग प्रक्रिया दिनांक 16-04-2025 से 15-08-2025 तक रखी गई, जिसमें कुल 7,796 आवेदकों द्वारा 10,000 रुपये

की बुकिंग राशि जमा करवाई गई। अतः इन 16 शहरों में ड्रा के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को भूखंडों के आवंटन के संबंध में आगे की कार्यवाही की जा रही है। हाउसिंग फार आल विभाग ने ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन की नीति, दिनांक 23-10-2025 के तहत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में ड्रा के माध्यम से सोनीपत शहर के एम.एम.एस.ए.वाई आवेदकों को 509 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट आवंटित किए हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 (एम.एम.जी.ए.वाई.-2.0)

7.42 राज्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज तथा नियमित ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत, प्रथम चरण में 62 ग्राम पंचायतों के 4,532 पात्र परिवारों को तथा दूसरे चरण में 143 ग्राम पंचायतों के 8,029 पात्र परिवारों को ड्रा के माध्यम से 100/50 वर्ग गज के प्लाट आबंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण हेतू प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 1.38 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.)

7.43 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 98,726 घरों के लक्ष्य के विरूद्ध, 75,572 घर स्वीकृत किये जा चुके हैं। 28,882 घरों का निर्माण हो चुका है तथा 40,795 घर निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2016-17 से अब तक लाभार्थियों को 654 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई के साथ मानव विकास है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतः वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनायें लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

8.3 यह योजना राज्य की बालिकाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों की विभिन्न श्रेणियों को 41,000 रूपये से 71,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:

- समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/तलाकशुदा/बेसहारा/अनाथ के पुर्नविवाह पर (बेशर्ते उन्होंने पहली शादी के अवसर पर इस योजना का लाभ न लिया हो) तथा उनकी लडकियों की शादी के अवसर पर 51,000 रूपये अनुदान (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो)
- अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टप्परीवास जाति के लोगों की लडकियों की शादी हेतू 71,000 रूपये अनुदान (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो)
- महिला खिलाडी (किसी भी वर्ग की जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो) को उनको स्वयं की शादी हेतू 51,000 रूपये अनुदान।
- सामान्य वर्ग व पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लडकियों की शादी हेतू क्रमशः 41,000 रूपये व 51,000 रूपये अनुदान (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो)
- दिव्यांगजन के विवाह के लिए 51,000 रूपये अनुदान यदि पति या पत्नी दोनों विकलांग हैं और 51,000 रूपये अनुदान दिव्यांगजन के लिए यदि पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है। (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 45,307 शादियां करवाने में 24,931.24 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 18,450 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 32,049 शादियां करवाने में 17,517.28 लाख रूपये दिनांक 31-12-2025 तक खर्च किये गये हैं । वर्तमान में यह योजना shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर सक्रिय है। अब आवेदक सर्वप्रथम इस पोर्टल पर अपने विवाह का पंजीकरण करते हैं तत्पश्चात इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

8.4 डा. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक हो उनके घर की मरम्मत के लिये 80,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान 1,509.20 लाख रुपये की राशि 1,950

लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2025-26 के लिये 13,900 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना

8.5 सभी वर्गों के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत 6909.98 लाख रुपये की राशि 86,111 छात्रों पर खर्च की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान 7,500 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है जिसमें से पिछले वर्ष की लम्बित आवेदन पत्रों सहित 4,705.55 लाख रुपये की राशि, दिनांक 31-12-2025 तक 58,533 छात्रों पर खर्च की जा चुकी है। हिदायतें दिनांक 20-07-2021 के अनुसार हरियाणा राज्य के अनुसचित जाति व पिछडे वर्ग के छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त अन्य वर्गों के छात्र/छात्राओं को भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ देने हेतू शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री सामाजिक-समरसता अन्तर्राजातीय विवाह शगुन योजना

8.6 इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के साथ अन्तर्राजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। किसी गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के साथ विवाह करने पर उनको प्रोत्साहन के रूप में 2.50 लाख रूपये की राशि दी जाती है, जिसमें से 1.25 लाख रूपये उनके तुरन्त प्रयोग हेतु बैंक खाते में जमा करवाये जाते हैं और शेष राशि 1.25 लाख रूपये सवाधि बैंक खाते में 3 साल की लॉक-इन अवधि जिसमें समय से पूर्व राशि निकालने की अनुमति नहीं है के लिए जमा किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 2,350 विवाहित जोड़ों पर 5,871 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2025-26 के लिए 5,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान है, जिसमें से दिनांक 31-12-2025 तक 1,265 विवाहित जोड़ों पर 3,162.50 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.7 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह योजना 60:40 शेयर (केन्द्रीय व राज्य) आधार पर है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को 2,500 रूपये से 13,500 रूपये प्रतिवर्ष शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है, इसके अलावा विधार्थियों को अनिवार्य गैर वापिसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, बेशर्त की उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक न हो। सरकार की हिदायतो अनुसार, राज्य सरकार के हिस्से के स्थानान्तरण उपरान्त केन्द्रीय हिस्सा भारत सरकार द्वारा छात्रो के बैंक खाते में सीधे तौर पर स्थानान्तरित की जाती है। वर्ष 2024-25 में 8,447.88 लाख रूपये की राशि 68,948 लाभार्थियों पर खर्च की गई थी। वर्ष 2025-26 के दौरान 10,778.38 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 4,747.43 लाख रूपये की राशि 26,809 छात्रों पर दिनांक 31-12-2025 तक खर्च की जा चुकी है।

पिछडे वर्गों के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.8 भारत सरकार की अन्य पिछडे वर्गों के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना (पी.एम. यशस्वी घटक-II) के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछडे वर्गो के छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह योजना 60:40 शेयर (केन्द्रीय व राज्य) आधार पर है। छात्रों को 5,000 रूपये से 20,000 रूपये तक शैक्षणिक भत्ते के साथ टयूशन फीस प्रदान की जाती है। वर्ष

2024-25 में 344.31 लाख रूपये की राशि 3,607 लाभार्थियों पर खर्च की गई है। वर्तमान में छात्रों हेतू वर्ष 2025-26 के दौरान 6,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 568.06 लाख रूपये की राशि 8,286 छात्रों पर दिनांक 31-12-2025 तक खर्च की जा चुकी है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.9 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। वर्तमान में निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों नामतः बैंक टाई-अप योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजनाओं का परिचालन कर रहा है।

8.10 हरियाणा सरकार की निर्देशानुसार निगम बैंक टाई-अप व एन.एस.एफ.डी.सी. की योजनाओं में अनुसूचित जाति के उन चिन्हित परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय 3 लाख रुपये (प्राथमिकता 2.50 लाख रुपये वाले को) तक हो उनको विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे भैंस पालन, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमडा□तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरी, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, आटो-रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंक टाई-अप योजना

8.11 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं, जिनकी कुल लागत 1.50 लाख रुपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त निगम योजना का 50 प्रतिशत अनुदान राशि या अधिकतम 50 हजार रूपये (जो भी कम) के रूप में उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.12 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी.सी. तथा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है।

एन.एस.एफ.डी.सी. की सहायता से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है।

(क) सावधि ऋण योजना

- ऋण राशि 1.50 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक
- ऋण की समय अवधि 5 वर्ष

(ख) सूक्ष्म वित्त योजना

- ऋण राशि 1.40 लाख रूपये तक
- ऋण की समय अवधि 3 वर्ष

(ग) शैक्षणिक ऋण योजना

- ऋण राशि भारत में 40 लाख रूपये व विदेश में 40 लाख रूपये तक।
- इन योजनाओं में प्राथियों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए आसान शर्तों व कम ब्याज पर 3 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

(घ) अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि परियोजना लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 50,000 रूपये (दोनों में से जो भी कम हो) प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.13 निगम, एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी., तथा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. की सहायता से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है।

(क) सूक्ष्म ऋण योजना

- ऋण राशि 1 लाख रूपये तक
- ऋण की समय अवधि 3 वर्ष

(ख) महिला समृद्वि ऋण योजना

- ऋण राशि 1 लाख रूपये तक
- ऋण की समय अवधि 3 वर्ष

(ग) शैक्षणिक ऋण योजना

- ऋण राशि भारत में 10 लाख रूपये व विदेश में 20 लाख रूपये तक

(घ) सावधि ऋण योजना

- ऋण राशि 15 लाख रूपये तक
- ऋण की समय अवधि 5 वर्ष

(ड) महिला अधिकारिता ऋण योजना

- ऋण राशि 2 लाख रूपये तक
- ऋण की समय अवधि 5 वर्ष

(च) हरित व्यवसाय योजना

- ऋण राशि 30 लाख रूपये तक
- ऋण की समय अवधि 5 वर्ष
- इन योजनाओं में प्राथियों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए आसान शर्तों व कम ब्याज पर 3 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

(छ) अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत निगम (एच.एस.एफ.डी.सी.) कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रूपये) अनुदान प्रदान करता है। यह अनुदान केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रूपये तक हो।

वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां (दिसम्बर, 2025 तक)

8.14 निगम द्वारा वर्ष 2025-26 में 1,092 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार हेतु 1,075.42 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 354.03 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ **तालिका 8.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 8.1: वर्ष 2023-24 से 2025-26 के कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

क्षेत्र/स्कीम का नाम	2023-24		2024-25		2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)	
	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)
1. कृषि एवं सहायक क्षेत्र						
क) पशुपालन	919	685.02	412	333.55	198	160.15
ख) मुर्गी पालन	-	-	-	-	-	-
ग) भेड़ पालन	68	64.08	18	17.82	9	8.90
घ) सुअर पालन	9	10.40	4	4	8	8.00
ड़) झोटा बुग्गी/ऊँट गाड़ी/ रेहड़ा खच्चर गाडी	2	2.00	1	1	-	-
च) मधुमक्खी पालन	-	-	-	-	-	-
2. औद्योगिक क्षेत्र	233	84.30	57	21.95	370	317.37
3. वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र	964	884.34	319	256.21	-	-
4. व्यवसायिक एवं स्वरोजगार क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
क) ब्यूटी पार्लर	20	14.70	17	17.50	-	-
ख) ई-रिक्शा	34	50.20	12	17.50	-	-
ग) कानूनी पेशा	1	1.30	-	-	-	-
घ) फोटाग्राफी	-	-	-	-	-	-
5. एन.एस.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	1021	925.90	-	7.70	478	548.00
6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	43	42.10	23	23	29	33.00
कुल	**3314**	**2764.34**	**863**	**700.23**	**1092**	**1075.42**

स्त्रोतः- अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.15 हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतू भिन्न-भिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सस्ते वार्षिक ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़े वर्ग के 5,000 व्यक्तियों को 25 करोड़ रूपये, अल्पसंख्यक समुदाय के 3,000 व्यक्तियों को 15 करोड़ रूपये एवं दिव्यांग वर्ग के 2,000 व्यक्तियों को 10 करोड़ रूपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों और विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थियों को वितरित ऋण के पिछले 3 वर्षों का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2: ऋण वितरण की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	पिछडे वर्ग		अल्पसंख्यक समुदाय		विकलांग व्यक्ति		कुल	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2023-24	804	7.09	560	6.22	1033	11.32	2397	24.63
2024-25	422	4.39	277	3.26	597	6.93	1296	14.58
2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)	736	8.06	240	2.92	473	5.59	1449	16.58
कुल	**1962**	**19.54**	**1077**	**12.40**	**2103**	**23.84**	**5142**	**65.79**

स्त्रोत: पिछडे□वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा।

8.16 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़े वर्ग के 422 व्यक्तियों को 4.39 करोड़ रूपए, अल्पसंख्यक समुदाय के 277 व्यक्तियों को 3.26 करोड़ रूपए एवं दिव्यांगजन समुदाय श्रेणी के 597 व्यक्तियों को 6.93 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए जा चुके है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 (31-10-2025 तक) में पिछड़े वर्ग के 719 व्यक्तियों को 7.85 करोड़ रूपए, अल्पसंख्यक समुदाय के 240 व्यक्तियों को 2.92 करोड़ रूपए एवं दिव्यांगजन समुदाय श्रेणी के 471 व्यक्तियों को 5.57 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए जा चुके है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना

8.17 ऐसे वृद्ध व्यक्ति, जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रारम्भिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय दिनांक 01-04-1964 से वृद्धावस्था पैंशन योजना शुरू की गई थी। पैंशन की दर, जो योजना प्रारम्भ होने के समय 15 रूपये मासिक थी, जिसमें समय-समय पर बढ़ौतरी की गई। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना दिनांक 01-11-1966 से अपनाई गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पैंशन का उदारीकरण करते हुए 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को दिनांक 17-06-1987 से 100 रुपये मासिक दर से पैंशन की अदायगी की गई थी।

8.18 राज्य सरकार ने इस योजना को और उदार बनाया और वृद्धावस्था पेंशन योजना वर्ष 1991 में शुरू की, जिसका नाम बदलकर अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कर दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से लागू हुई। पात्रता की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों और विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों जैसे कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जातियों/पिछड़ों, छोटे/सीमांत किसानों आदि को वृद्धावस्था भत्ते का लाभ सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 से अक्टूबर, 1999 तक 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी जिसे नवंबर, 1999 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया और नवंबर, 2004 से 300 रुपये प्रतिमाह, 1 मार्च, 2009 से 500-700 रुपये प्रतिमाह, दिनांक 01-01-2014 से 1,000 प्रतिमाह, दिनांक 01-01-2015 से 1,200 रुपये प्रतिमाह। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की दरें दिनांक 01-01-2016 से बढ़ाकर 1,400 रुपये प्रतिमाह, दिनांक 01-11-2016 से 1,600 रुपये, दिनांक 01-11-2017 से 1,800 रुपये, दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रुपये, दिनांक 01-04-2023 से 2,750 तथा अब दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में 7,173.70 करोड रूपये की राशि व्यय की गई। वर्षवार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन

8.19 वर्ष 1980-81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पैंशन योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसी महिलाओं को जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये प्रतिमास थी, जो कि समय-समय पर बढ़ाई गई। पैंशन की दर दिनांक 01-01-2014 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई। दिनांक 01-01-2015 से पैंशन 1,200 रुपये प्रतिमास की गई थी। दिनांक 01-01-2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,400 रुपये, दिनांक 01-11-2016 से पैंशन 1,600 रुपये, दिनांक 01-11-2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है। दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रूपये, 01-04-2023 से 2,750 रूपये प्रतिमास तथा दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रूपये प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

दिव्यांगजन पैंशन योजना

8.20 दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981-82 में हरियाणा दिव्यांगजन पैंशन योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये मासिक थी, दिनांक 01-11-1999 से बढ़ौतरी करते हुए 300 रुपये प्रतिमास की गई। सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निःशक्त की पैंशन 01-01-2006 से बढ़ाकर 300 रुपये से 600 रुपये प्रतिमास की गई तथा पैंशन की दरों में और बढौतरी करते हुए 60 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 500 रुपये एवं 100 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 750 रुपये प्रतिमास की गई है। दिनांक 01-01-2014 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01-01-2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01-01-2016 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई थी। दिनांक 01-11-2016 से दरों को बढाते हुए पैंशन 1,600 रुपये तथा दिनांक 01-11-2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है। दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रूपये, 01-04-2023 से 2,750 रूपये प्रतिमास तथा दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रूपये प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार दिव्यांगजन पैंशन योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

तालिका 8.3: विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना		विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना		दिव्यांगजन पैंशन योजना	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2021-22	1862773	5159.46	804585	2261.03	184103	520.82
2022-23	1846897	5284.33	827634	2394.51	189724	543.72
2023-24	1922847	6024.40	850627	2757.72	194261	628.15

2024-25	2129312	7173.70	876976	3231.99	204987	721.09
2025-26 (31-12-2025 तक)	2219533	6312.11	896076	2830.65	211449	617.17

स्त्रोत- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

8.21 यह योजना 1 जनवरी, 2006 से शुरू की गई वृद्धावस्था भत्ता योजना की तर्ज पर है, जिसमें केवल बालिकाओं वाले परिवारों को भत्ता दिया जाता है। शुरू में प्रति परिवार 300 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। इस योजना के तहत परिवारों का नामांकन माता या पिता के 45वें जन्मदिन से शुरू होता है, यानी 15 साल तक। माता-पिता में से किसी की मृत्यु होने पर जीवित माता-पिता को यह भत्ता मिलेगा। सरकार ने भत्ते की दर 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दी है और पात्रता आयु दिनांक 01-04-2007 से 55 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष कर दी है, दिनांक 01-04-2014 से 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है, तथा दिनांक 01-01-2015 से 1,200 रुपये प्रतिमाह कर दी है। सरकार ने योजना के तहत दरें दिनांक 01-01-2016 से प्रति लाभार्थी 1,400 रुपये, दिनांक 01-11-2016 से 1,600 रुपये, दिनांक 01-11-2017 से 1,800 रुपये, दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रुपये, दिनांक 01-04-2023 से 2,750 रुपये और अब दिनांक 01-01-2024 से इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वर्षवार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.4** में दिया गया है।

निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना

8.22 यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 21 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो विभिन्न कारणों से योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित हैं, जिसकी शुरुआत दिनांक 1-3-2009 से प्रति बच्चे 200 रुपये प्रति माह की दर से की जा रही है, जो योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की दर जनवरी, 2014 से प्रति बच्चे 500 रुपये, दिनांक 1-11-2016 से 700 रुपये, दिनांक 1-11-2017 से 900 रुपये, दिनांक 1-11-2018 से 1,100 रुपये, दिनांक 1-11-2018 से 1,350 रुपये है। दिनांक 1-1-2020 से 1,600 रुपये, दिनांक 1-4-2021 से, दिनांक 1-4-2023 से 1,850 रुपये तथा अब दिनांक 1-1-2024 से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्षवार निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.4** में दिया गया है।

तालिका 8.4: विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम**		**निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता**	
	लाभार्थियों की संख्या	**खर्चा**	**लाभार्थियों की संख्या**	**खर्चा**
2021-22	33787	92.84	163210	448.35
2022-23	37121	100.70	169618	476.67
2023-24	36906	118.56	163813	574.13
2024-25	40858	139.36	170442	669.02
2025-26 (31-12-2025 तक)	43483	125.21	173056	570.58

स्त्रोत- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना

8.23 जम्मू-कश्मीर से हरियाणा में आकर बसे कश्मीरी परिवारों को राज्य के विभिन्न भागों में रहने के लिए प्रति परिवार 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो अधिकतम 7,500 रुपये प्रति परिवार होगी। यह योजना 01-04-2006 से लागू है। वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख रूपये की राशि आबंटित की गई, जिसमें से 0.72 लाख रूपये व्यय किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 (दिनांक 31-12-2025 तक) के लिए 1 लाख रूपये की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 0.60 लाख रूपये व्यय किये गये।

किन्नरों को भत्ता

8.24 राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले किन्नरों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा उन्हें किन्नर होने के समर्थन में सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह योजना दिनांक 01-06-2006 से लागू की गई है तथा प्रारंभ में भत्ता 300 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। भत्ते की दर दिनांक 01-01-2016 से प्रति लाभार्थी 1,400 रुपये प्रतिमाह, दिनांक 01-11-2016 से 1,600 रुपये, दिनांक 01-11-2017 से 1,800 रुपये, दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये, दिनांक 28-04-2021 से 2,500 रुपये प्रतिमाह थी। दिनांक 01-04-2023 से 2,750 रुपये प्रतिमाह तथा वर्तमान में दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 20 लाख रूपये की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 15.87 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2025-26 (दिनांक 31-12-2025 तक) के लिए 20 लाख रूपये की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 14.18 लाख रूपये व्यय किये गये।

बौनों को भत्ता

8.25 राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले बौनों को भत्ता दिया जा रहा है। 3 फीट 8 इंच या इससे कम लंबाई वाले पुरुष और 3 फीट 3 इंच या इससे कम लंबाई वाली महिला (60 प्रतिशत विकलांग के बराबर) मासिक पेंशन की हकदार हैं। यह योजना दिनांक 01-06-2006 से लागू की गई है और शुरू में भत्ता 300 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। भत्ते की दर दिनांक 01-01-2016 से प्रति लाभार्थी 1,400 रुपये, दिनांक 01-11-2016 से 1,600 रुपये, दिनांक 01-11-2017 से 1,800 रुपये, दिनांक 01-11-2018 से 2,000 रुपये और दिनांक 01-01-2020 से 2,250 रुपये है। दिनांक 01-04-2021 से 2,500 रुपये, दिनांक 01-04-2023 से 2,750 रुपये तथा अब दिनांक 01-01-2024 से 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता

8.26 यह योजना वर्ष 2008-09 से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत मानसिक रूप से विकलांग और बहु विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो 0-18 वर्ष की आयु के हैं और अपनी विकलांगता के कारण औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में भाग नहीं ले पाते हैं। वे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर होते हैं और उन्हें अपने परिवार की निरंतर देखरेख और देखभाल की आवश्यकता होती है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार के प्रत्येक विकलांग बच्चे को जनवरी, 2024 से 2,400 रुपये प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। वर्ष 2024-25 के लिए 27 करोड़ रूपये की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 25.63 करोड़ रूपये व्यय किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 (दिनांक 31-12-2025 तक) के लिए 30 करोड़ रूपये की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 20.84 करोड़ रूपये व्यय किये गये।

विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

8.27 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2023 से "विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" नामक एक योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पेंशन की दर 3,000 रुपये प्रति माह है। इस योजना का उद्देश्य विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने स्वयं के स्रोतों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना का बजट और व्यय विधवा और निराश्रित महिला योजना के अंतर्गत किया जाता है।

चरण-III और IV के कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता

8.28 यह योजना पूरे हरियाणा राज्य में सभी आयु समूहों, चरण-III और IV के कैंसर रोगियों के लिए लागू होगी। हरियाणा के राज्य चरण-III और IV के कैंसर रोगियों को मासिक वित्तीय सहायता/पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त लाभ के अतिरिक्त होगी। यह योजना दिनांक 8-12-2023 से लागू है तथा प्रारम्भ में भत्ते की दर 3,000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए 2.5 करोड की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 1.97 करोड रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2025-26 (दिनांक 31-12-2025 तक) के लिए 18.30 करोड रूपये की राशि आबंटित की गई, जिसमें से 14.98 करोड रूपये व्यय किये गये।

दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

8.29 यह योजना हरियाणा के मूल निवासियों के उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी, जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, और जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त लाभ के अतिरिक्त होगी। यह योजना दिनांक 12-12-2023 से लागू की गई है। शुरुआत में भत्ता 3,000 प्रतिमाह दिया गया था।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

8.30 यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत अगर किसी मुख्य कमाने वाले (पुरुष या महिला) की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु में होती है, यानी 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही शामिल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5,192 लाभार्थियों को 1,069.65 लाख रूपये की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 31-12-2025 तक) के दौरान 4,057 लाभार्थियों को 835.79 लाख रूपये की राशि वितरित की गई।

तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता

8.31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2019 से तेजाब हमले से पीड़ित शरीर के किसी भी हिस्से की विकृति का सामना करने वाली महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। हरियाणा राज्य में रहने वाला कोई भी पीड़ित इस योजना में वित्तीय लाभ के लिए पात्र है। वर्ष 2024-25 के लिए 20 लाख रूपये की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 18.54 लाख रूपये व्यय किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 (दिनांक 31-12-2025 तक) के लिए 20 लाख रूपये की राशि आंबटित की गई, जिसमें से 15.45 लाख रूपये व्यय किये गये।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना

8.32 पंडित दी दयाल उपाध्याय के जन्म दिन पर दिनांक 25-09-2025 को राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढावा देने, उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीन नाम की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के समग्र कल्याण और सामाजिक भागेदारी को प्रोत्साहित करना है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनोखी और दूरदर्शी पहल है। इस योजना के तहत हर योग्य महिला को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के पहले महीने में पूरी राशि 2,100 रूपये सीधे लाभार्थी के बचत खाते में स्थानन्तरित की जाती है। दूसरे महीने से मरसिक सहायता दो हिस्सों में दी जाती है। 1,100 रूपये सीधे लाभर्थी के बचत खाते में जमा किये जाते है।, जबकि बाकी 1,000 रूपये सरकार द्वारा आवर्ती जमा या सावधि जमा खाते में जमा किये जाते है। आवर्ती जमा के तहत जमा की गई राशि लागू ब्याज के साथ मेच्योरिटी पर सम्बन्धित लाभार्थी को दी जाती है। आवर्ती जमा की अवधि सरकार द्वारा तय की जाएगी और संशोधित योजना लागू होने की तारीख से 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सरकार ने 110.80 करोड रूपये की राशि का आवर्ती जमा किया है और लाभार्थियों के बचत खातों में 313.60 करोड रूपये की राशि बांटी गई है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ तुरन्त वित्तीय सहायता देना नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए लम्बे समय की वित्तीय सुरक्षा भी पक्का करना है। यह संतोष की बात है कि 8,63,918 लाभार्थियों को 181 करोड रूपये की राशि जारी की गई। यह योजना राज्य में महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सम्मन और आत्म विश्वास बनाने अहम भूमिका निभाएगी।

रक्षा कर्मियो का कल्याण

8.33 यह एक गर्व का विषय है कि देश में हर 10वां सैनिक हरियाणा राज्य से है। राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम बलिदान को मान्यता देते हुए उनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को, जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 8.5** में दर्शाया गया है।

8.34 राज्य सरकार दिनांक 05-10-2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी प्रतिवर्ष वीरता पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि (19-02-2014 से लागू) को **तालिका 8.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.5: वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	**युद्ध के समय वीरता पुरस्कार**	**एक मुश्त नकद पुरस्कार**
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना पदक (वीरता)	21,00,000
5	मैन्शन-इन डिस्पैच (वीरता)	10,00,000
शान्ति के समय वीरता पुरस्कार		

1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना पदक (वीरता)	10,00,000
5	मैन्शन-इन डिस्पैच (वीरता)	7,50,000

तालिका 8.6 (क): वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

क्र.स.	**वीरता पुरस्कार**	**वार्षिक पुरस्कार (राशि रूपये में)**
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना पदक (वीरता)	50,000
8	मैन्शन-इन डिस्पैच (वीरता)	30,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.6 (ख): युद्ध सेवा मैडल विजेताओं को वीरता पुरस्कार (19-02-2014) को या उसके बाद

क्र.स.	**युद्ध सेवा मैडल**	**वार्षिक पुरस्कार (राशि रूपये में)**
1	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल	4600
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	4200
3	युद्ध सेवा मैडल	3800

8.35 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को **तालिका 8.7** में दर्शाया गया है।

8.36 राज्य सरकार द्वारा रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को एक मुश्त नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 8.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.7: रक्षा बल कर्मियों को वित्तीय सहायता

क्र. सं.	**रक्षा बल कर्मियों के प्रकार**	**(राशि रूपये में)**
1	भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी) द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता	6600 10000
2	पैरा/टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी नवम्बर महीने से की जायेगी)	6600
3	भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी नवम्बर महीने से की जायेगी)	6600
4	अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी नवम्बर महीने से की जायेगी)	6600
5	अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी नवम्बर महीने से की जायेगी)	6600
6	आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान तथा	50000

	कैडेट/ अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता	100000
7	युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है। (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी नवम्बर महीने से की जायेगी)	6600

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.8: रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम एक	मुश्त नकद पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	सर्वोतम युद्ध सेवा पदक	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा पदक	4,00,000
3	युद्ध सेवा पदक	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा पदक	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा पदक	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा पदक	1,25,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.37 राज्य सरकार रक्षा बल कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेना पदक उनके विशिष्ट सेवा/कार्य के प्रति सम्पर्ण के लिए प्रदान करती है जिसे **तालिका 8.9** में दर्शाया गया है।

8.38 राज्य सरकार द्वारा आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को दिनांक 19-02-2014 से मौद्रिक अनुदान/पैंशन दी जाती है जिसे **तालिका 8.10** में दर्शाया गया है।

8.39 राज्य सरकार अर्ध सैनिक बलों और पुलिस कर्मियों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को दिनांक 01-01-2006 से एक मुश्त नगद पुरस्कार की राशि प्रदान करती है। वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को **तालिका 8.11** में दर्शाया गया है।

8.40 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के किसी एक आश्रित को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुगृह राशि भी प्रदान करती है।

तालिका 8.9: रक्षा बल के सेना पदक विजेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार दिनांक 31-03-2008 के बाद और दिनांक 19-02-2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना पदक, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार दिनांक 19-02-2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	-

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.10: आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन

क्र.स.	पुरस्कार का नाम	राशि (रूपये में)
1	विक्टोरिया क्रोस	15,000
2	मिलीटरी क्रोस	10,000
3	मिलीटरी पदक	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा पदक	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.11: अर्ध सैनिक बलों और पुलिस कर्मियों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र.स.	वीरता पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि (रूपये में)
1	अशोक चक्र	17,00,000
2	कीर्ति चक्र	10,00,000
3	वीरता चक्र	7,00,000
4	सेना पदक (वीरता)	3,50,000
5	पुलिस पदक (वीरता)	1,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.41 यह अनुग्रह अनुदान राशि नीति/निर्देशों के तहत उन सभी युद्ध में घायल मामलों में जैसा कि रक्षा अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया है चाहे आपरेशन कहीं भी हो अथवा आपरेशन का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ हो जो कि 24-03-2016 को अथवा उसके बाद हुआ हो। यह अनुग्रह अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये (50 लाख रुपये से बढाकर) दी जाती है तथा विकलांगता की स्थिति में, विकलांगता की प्रतिशतता के आधार पर 35 लाख रुपये, 25 लाख रूपये व 15 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि जाती है, जो युद्ध, आई.ई.डी., विस्फोट इत्यादि के कारण आपरेशन क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपरेशन का विशेष क्षेत्र में हुई हो। यह राशि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.42 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के सदस्यों को भी अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जा रहा है जो विषम परिस्थितियों में शहीद हुए अथवा युद्ध परिचालन क्षेत्र में सेवा करते हुए अथवा आंतकवादी हमलों के कारण निःशक्त हुए है। अनुग्रह अनुदान राशि 1 करोड़ रुपये है (50 लाख रुपये से बढाकर) तथा निःशक्ता की स्थिति में यह राशि 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक है जो प्राकृतिक आपदा, चुनाव, बचाव कार्य, आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान निःशक्त हो जाते है।

8.43 अक्तूबर, 2014 से अब तक अनुकम्पा आधार पर सशस्त्र बलों/सी.ए.पी.एफ. कर्मिकों के शहीदों के परिजनों को कुल 418 नौकरियां दी गई हैं।

- झज्जर जिले के मातनहेल गांव में सैनिक स्कूल खोलने का मामला प्रक्रियाधीन है।
- रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों को अपनाया गया है और इस विभाग के सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
- सैनिक विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधा सेवानिवृत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को भी प्रदान की जाती है।

- सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा के लिए वित्त विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 14,048.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार

8.44 रोजगार निदेशालय, हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उन्हें रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करता है। युवाओं को करियर सम्बन्धी मार्ग दर्शन देने के लिए करियर पर चर्चा आयोजित की जाती है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना

8.45 हरियाणा सरकार युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करवाने और उन्हें उपयोगी कार्यों से जोडने के महत्व को समझती है। इस उद्वेश्य से 1 नवम्बर, 2016 को हरियाणा स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर शिक्षित युवा भत्ता एवं मानदेय योजना-2016, जिससे सामान्यता सक्षम युवा योजना कहा जाता है, शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत पात्र शिक्षित युवाओं को 100 घन्टे के मानदेय कार्य के बदले बेरोजगारी भत्ता एवं मानदेय दिया जाता है। पहले ये योजना केवल स्नात्कोत्तर युवाओं के लिए थी, बाद में इसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, समकक्ष पाठयक्रम, वाणिज्य कला स्नातकों तक बढाया गया। अगस्त, 2019 से 10+2 पास युवाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के रूप में स्नातकोत्तर, स्नातक एवं 10+2 उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को क्रमशः 3,500, 2,000 एवं 1,200 रूपये की राशि बेराजेगारी भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है तथा पात्र पंजीकृत स्नातकोतर, स्नातक एवं 10+2 उतीर्ण अभ्यार्थियों को मानदेय कार्य हेतू 6,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 2,20,568 योग्य आवेदकों को 293.13 करोड रूपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए गए हैं । इसी दौरान, 919 आवेदकों को 4.39 करोड रूपये मानदेय के रूप में दिए गए। इसी अवधि में, कुल 2,610 सक्षम युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया वर्तमान वित्त वर्ष में 2025-26 में दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक कुल 2,00,704 योग्य आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 238.57 करोड रूपये दिए गए हैं। इसी दौरान 646 आवेदकों ने मानद कार्य किया और उन्हें 0.73 करोड रूपयें मानदेय के रूप में दिए गए। इसी अवधि में कुल 695 सक्षम युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया

रोजगार इच्छुकों की संख्या

8.46 दिनांक 31-12-2025 तक विभागीय पोर्टल www.hrex.gov.in पर कुल 3,99,396 रोजगार प्रार्थियों का पंजीकरण किया गया।

रोजगार मेले/नियुक्ति के अवसर

8.47 रोजगार निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस अवधि में कुल 461 रोजगार मेले/प्लेसमेंट ड्राईव आयोजित की गई। रोजगार मेले जिनके माध्यम से 4,232 उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये। निदेशालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में दिनांक 31-12-2025 तक कुल 4,796 युवाओं को 367 रोजगार मेलों/प्लेसमैंट ड्राइवस के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

बेरोजगारी भत्ता स्कीम

8.48 विभाग 10+2 व उससे अधिक योग्यता वाले प्रार्थियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जोकि सक्षम योजना के अधीन पात्र नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में 5,838 लाभार्थियों को कुल 7.22 करोड़ रूपये तथा वित्त वर्ष 2025-26 में मास अप्रैल 2025 से दिसंबर, 2025 तक में 5,838 लाभार्थियों को कुल 5.01 करोड़ रूपये बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा चुका है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

8.49 वित्त वर्ष 2024-25 में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,605 व्यावसायिक प्रवचनों के माध्यम से 75,965 प्रार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में दिनांक 31-12-2025 तक 1285 व्यावसायिक प्रवचनों के माध्यम से 61,818 प्रार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा चुका है। रोजगार निदेशालय हरियाणा और अधीनस्थ कार्यालयों को वित्त वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 452.41 करोड़ का बजट दिया गया है।

श्रम कल्याण

8.50 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है।

न्यूनतम मजदूरी

8.51 श्रम विभाग श्रमिकों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की दरें सशोधित करता है। राज्य में अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01-01-2015 को 7,600 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी तथा वर्तमान में दिनांक 01-01-2025 से श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी निम्नानुसार हैः- अकुशल, अर्धकुशल(ए), अर्धकुशल (बी), कुशल (ए) कुशल (बी) एवं अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 11,274.60 रूपये, 11,838.29 रूपये, 12,430.18 रूपये, 13,051.71, रूपये, 13704.31 रूपये तथा 14,389.52 रूपये प्रतिमाह।

पंजाब दुकान एवं व्यवसायिक स्थापना एक्ट-1958 तथा कारखाना अधिनियम,1948

8.52 कारखाना अधिनियम, 1948 तथा पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की शर्तों को सरल बनाया गया है। रात्रि पाली में महिलाओं को रोजगार की अनुमति अब स्वप्रमाणन के आधार पर स्वत- दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब कारखाना नियम, 1952 में संशोधन किया है। अब नियम 112 के अन्तर्गत महिलाओं को कुछ खतरनाक उधोगों में कार्य करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं को खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाता है।

लैंगिक समावेशन को बढावा

8.53 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुधारों के अनुरूप, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने हेतु कारखानों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिला ठेका श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 के अन्तर्गत दी गई है।

प्रमाण-पत्रों को आनॅलाईन स्वतः नवीनीकरण

8.54 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुधारों के अनुरूप, हरियाणा सरकार द्वारा मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन स्वतः नवीनीकरण प्रणाली शुरू की गई है।

हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन

8.55 हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अध्यादेश लाया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैः-

क) अधिनियम की लागू सीमा 0 से बढ़ाकर 20 श्रमिक।

ख) दैनिक कार्य अवधि 9 से बढ़ाकर 10 घंटे।

ग) प्रत्येक 6 घंटे के कार्य के बाद 30 मिनट का विश्राम।

घ) ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे प्रति तिमाही।

ङ) सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य।

च) सभी श्रमिकों (ठेका श्रमिक सहित) को पहचान पत्र जारी करना।

नान-रैकरिंग योजना के तहत बजट

8.56 नान-रैकरिंग योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए विभाग का स्वीकृत बजट 957 लाख रूपये है जिसमें से अक्टूबर, 2025 तक 153.04 लाख रूपये (16 प्रतिशत) खर्च किये जा चुके है।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

8.57 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों के लिए 21 कल्याणकारी योजनाएं तथा 4 गतिविधियां/पुरस्कार चलाये जा रहे हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों एवं उनके परिवारों का सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करना है।

कल्याणकारी योजनाओं की सूची:

क्रम संख्या	योजना का नाम	क्रम संख्या	योजना का नाम
1	साईकल खरीदने हेतू वित्तीय सहायता।	12	दन्त चिकित्सा हेतू वित्तीय सहायता।
2	सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता।	13	कृत्रिम अंगों हेतु वित्तीय सहायता।
3	एल.टी.सी. हेतू वित्तीय सहायता।	14	श्रवण यंत्र हेतू वित्तीय सहायता।
4	किताबें/वर्दी हेतू वित्तीय सहायता।	15	तिपहीया साईकल हेतू वित्तीय सहायता।
5	छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता।	16	दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता।
6	श्रमिकों के बच्चों हेतू खेल कूद के लिए वित्तीय सहायता।	17	मानसिक विकार हेतु वित्तीय सहायता।
7	श्रमिकों के बच्चों हेतू सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता।	18	विधवाओं को वित्तीय सहायता।
8	चश्मा खरीदने हेतू वित्तीय सहायता।	19	मुख्यमन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता।
9	कन्यादान हेतू वित्तीय सहायता।	20	शगुन योजना
10	मातृत्व सहायता हेतू वित्तीय सहायता।	21	यू.पी.एस.सी. एवं एच.पी.एस.सी. कार्यक्रमों हेतू कोंचिंग शुल्क
11	दुर्घटना में श्रमिकों हेतू वित्तीय सहायता।		

गतिविधियां/अवार्डस

क्रम संख्या	गतिविधियां/अवार्डस के नाम
1.	खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
2.	मुख्यमन्त्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत आर्थिक सहायता
3.	श्रम कल्याण केन्द्र हेतू वित्तीय सहायता।
4.	श्रमिक कल्याण पुरस्कार

8.58 दिनांक 01-04-2025 से 31-10-2025 की अवधि के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत 1,81,620 श्रमिकों के कल्याण पर 13,527.04 लाख रूपये व्यय किये गये। राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ वितरण **(**डी.बी.टी.**)** के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में किया गया तथा अंशदाताओं का डाटा श्रम विभाग, हरियाणा के पोर्टल **hrylabour.gov.in** पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सिलिकोसिस पुर्नवास नीति के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2025 से 31-10-2025 तक 370.61 लाख रूपये खर्च किये गये।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

8.59 यह बोर्ड भवन अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अन्तर्गत गठित किया गया तथा दिनांक 02-11-2006 से कार्यरत है। बोर्ड का उद्वेश्य निर्माण श्रमिकों को निम्न सुविधाएं प्रदान करना हैः- (1) दुर्घटना की स्थिति में तत्काल आर्थिक सहायता (2) पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता। (3) मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता (4) स्वास्थ्य सुविधाएं, वृद्वावस्था पैंशन और विवाह सहायता आदि। वर्तमान में बोर्ड द्वारा 22 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

8.60 वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान 560.72 करोड़ उपकर (सेस) एकत्र किया गया। जिसमें से 136.34 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर व्यय किये गये। इस अवधि के दौरान निर्माण श्रमिकों को कुल 1,30,826 लाभ प्रदान किये गये। इस समय में 43,903 निर्माण श्रमिकों का आनलाईन पंजीकरण किया गया तथा 2,213 श्रमिकों को डाटा आफॅलाईन से आनॅलाईन मोड में स्थानांतरित किया गया।

खेल

8.61 खेल विभाग, हरियाणा का मुख्य दृष्टिकोण "खेल सबके लिए" है। विभाग के मूल उद्श्यों (1) खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना (2) खिलाडियों को प्रशिक्षण प्रदान करना (3) कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान करना और उनका विकास करना (4) खिलाडियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना इत्यादि है। वर्ष 2025-26 के दौरान खेल विभाग, हरियाणा के लिए 589.69 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों/ उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं-:

पैरा ओलम्पिक गेम्स-2024 पेरिस

8.62 पैरा ओलम्पिक गेम्स-2024 पेरिस में हरियाणा के कुल 23 खिलाडियों द्वारा भाग लिया और जिसमें 5 स्वर्ण (व्यक्तिगत), 3 रजत (व्यक्तिगत) पदक जीते। नकद पुरस्कार की देय राशि **तालिका 8.13** में निम्न अनुसार है।

तालिका 8.13: खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदकों का विवरण

खिलाडी का नाम	खेल	इवेण्ट	मेडल	ईनाम राशि
सुमित अंतिल	पैरा एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष F-64	स्वर्ण	60000000
नवदीप		जेवेलिन थ्रो पुरूष F-41	स्वर्ण	60000000
धर्मबीर		क्लब थ्रो पुरूष F-51	स्वर्ण	60000000
हरविन्द्र सिंह	पैरा तीरंदाजी	सिंगल पुरूष (रिकरव)	स्वर्ण	60000000
नितेश कुमार	पैरा बैडमिंटन	सिंगल पुरूष SL-3	स्वर्ण	60000000
योगेश कथूनिया	पैरा एथलेटिक्स	डिस्कस थ्रो पुरूष F-56	रजत	40000000
प्रणव सुरमा	पैरा एथलेटिक्स	क्लब थ्रो पुरूष F-51	रजत	40000000
मनीष नरवाल	पैरा शूटिंग	पुरूष **P1** 10M AIR PISTAL SH-1	रजत	40000000
केवल प्रतिभागिता 15 खिलाडी	**15.00 लाख प्रत्येक खिलाडी**			22500000
				442500000

स्त्रोतः निदेशक, खेल विभाग, हरियाणा।

पैरा एशियन गेम्ज-2022, हैंगजोयू, चीन

8.63 पैरा एशियन गेम्ज 2022 में हरियाणा के कुल 84 खिलाडियों द्वारा भाग लिया गया औंर जिसमे राज्य के खिलाडियों द्वारा 6 स्वर्ण, 9 रजत व 18 कांस्य पदक प्राप्त किये। 18 कांस्य पदक विजेताओं को वितिय वर्ष 2024-2025 में नकद ईनाम की राशि प्रदान की जा चुकी हैं। शेष 6 स्वर्ण व 9 रजत पदक विजेताओं व 3 प्रतिभागियों को वितिय वर्ष 2025-26 में निम्न प्रकार से नकद ईनाम की राशि प्रदान की गई हैं। जिसका विवरण **तालिका 8.14** में निम्न प्रकार से है:

तालिका 8.14: खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदकों का विवरण

खिलाडी का नाम	खेलें	इवेण्ट	उपलब्धियों/पदक	ईनाम
प्रणव सूरमा	पैरा एथलेटिक्स	क्लब थ्रो पुरूष F-51	स्वर्ण	30000000
रमन शर्मा	पैरा एथलेटिक्स	पुरूष 1500 M-T38	स्वर्ण	30000000
सुमीत	पैरा एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष F-64	स्वर्ण	30000000
हनी	पैरा एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष F-37/38	स्वर्ण	30000000
तरूण ढिल्लो	पैरा बैडमिन्टन	डबल पुरूष SL3 SL4	स्वर्ण	30000000
नितेश कुमार	पैरा बैडमिन्टन	सिंगल पुरूष SL3	स्वर्ण	30000000
		डबल पुरूष SL3	रजत	15000000
सरिता अदाना	पैरा तीरअंदाजी	महिला कम्पाउंड टीम	रजत	15000000
पूजा	पैरा एथलेटिक्स	महिला डिस्कस थ्रो F-54	रजत	15000000
धर्मबीर	पैरा एथलेटिक्स	क्लब थ्रो पुरूष F-51	रजत	15000000
रिकू	पैरा एथलेटिक्स	जेवेलिन थ्रो पुरूष F-46	रजत	15000000
प्रमोद	पैरा एथलेटिक्स	पुरूष 1500 M-T46	रजत	15000000
योगेश कथूनिया	पैरा एथलेटिक्स	पुरूष डिस्कस थ्रो F-54/55/56	रजत	15000000
रामपाल	पैरा एथलेटिक्स	पुरूष ऊंची कूद T-47	रजत	15000000
मोनू घणघस	पैरा एथलेटिक्स	पुरूष डिस्कस थ्रो F-11	रजत	15000000
अंजू बाला	पैरा लॉनबॉल	महिला सिंगल B-6	केवल प्रतिभागिता	750000

जयदीप	पैरा क्नोइंग	पुरूष VL3	केवल प्रतिभागिता	750000
जसबीर	पैरा एथलेटिक्स	पुरूष 400M T-47	केवल प्रतिभागिता	750000
	कुल			**317250000**

स्त्रोतः निदेशक, खेल विभाग, हरियाणा।

इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा विशेष कैबिनेट फैसले के तहत श्रीमति विनेश फौगाट, कुश्ती खिलाडी को ओलम्पिक 2024 में रजत पदक के समान 4 करोड़ रूपये का नकद ईनाम प्रदान किया गया हैं।

पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार

8.64 हरियाणा के खिलाडियों ने राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 142 खिलाडियों (पैरालम्पिक गेम्स-2024, पैरा एशियन गेम्स-2022 सहित) तथा राज्य के उत्कृष्ट प्रशिक्षको को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उनकी उपलब्धियों के आधार पर अब तक 88.64 करोड़ रूपये नकद पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये। नकद ईनाम का विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका 8.14: नकद ईनाम का विवरण

(**रूपये लाख में**)

प्रतियोगिता का नाम	**खिलाडियों की संख्या**	**नकद ईनाम राशि**
पैरालम्पिक गेम्स 2024 पेरिस	23	4425.00
पैरा एशियन गेम्ज2022 -, हैंगजोयू, चीन	17	3172.50
एशियन गेम्ज2022 - हैंगजोयू, चीन	10	210.00
ओलम्पिक 2024- श्रीमति विनेश फौगाट, कुश्ती खिलाडी (15.00 लाख रूपये प्रतिभागिता के आधार पर गत वर्ष मे प्रदान किये गये)	1	385.00
कुमारी शेफाली वर्मा, किक्रेट खिलाडी- महिला किक्रेट विश्वकप विजेता	1	150.00
नकद पुरस्कार (राष्ट्रीय/ अंर्तराष्ट्रीय) 2021-22 व अन्य	59	165.65
प्रशिक्षक अवार्ड	31	356.00
कुल	**142**	**8864.15**

स्त्रोतः निदेशक, खेल विभाग, हरियाणा।

8.65 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य जाति के **2,539** खिलाडियों को खेल उपलब्धियों के आधार पर **11.52** करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के **4,775** खिलाडियों को खेल उपलब्धियों के आधार पर 14.73 करोड़ रूपये की छात्रवृतियां प्रदान की गई। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, भीम पुरस्कार विजेताओं, ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं और तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार विजेताओं (कुल 302) को मास अक्तूबर, 2024 से सितम्बर, 2025 तक 4.59 करोड़ रूपये का मानदेय दिया गया।

उत्कृष्ट खिलाडियों को नौकरियां

8.66 खेल विभाग, हरियाणा द्वारा रोजगार नीति 2013 व 2014 तथा हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाडी **(**भर्ती तथा सेवा शर्ते**)** नियम-2018 तथा "हरियाणा उत्कृष्ट खिलाडी" **(**श्रेणी क, ख तथा ग**)** सेवानियम 2021 के अंतर्गत कुल 231 खिलाडियों को उपनिदेशक खेल **(**ओ.एस.पी.**)**, प्रशिक्षक तथा कनिष्ठ प्रशिक्षक **(**ओ.एस.पी.**)** के पद पर खेल विभाग में नौकरी का प्रस्ताव दिया गया।

8.67 (i) खेलो इण्डिया विंटर गेम्स-2025: 5वें संस्करण खेलों इंडिया विंटर गेम्स-2025 लेह लदाख में दिनांक 23-01-2025 से 27-01-2025 तक आयोजित हुए, जिसमें हरियाणा राज्य के 47 खिलाडियों ने भाग लिया और 2 कांस्य पदक अर्जित किए प्राप्त किये**।** इसके अतिरिक्त 5वें खेलों इंडिया विंटर गेम्स-2025 के दूसरे भाग का आयोजन जम्मू-कश्मीर **(**गुलमर्ग**)** में दिनांक 9 मार्च, 2025 से 12 मार्च, 2025 में हुआ हैं।

(ii) **खेलो इण्डिया पैंरा गेम्स-2025:** दितीय खेलों इंडिया पैंरा गेम्स- 2025 का आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 20-03-2025 से 27-03-2025 तक करवाया गया, जिसमें हरियाणा राज्य से कुल 174 खिलाडियों ने प्रतिभागिता करके 34 स्वर्ण, 39 रजत तथा 31 कांस्य पदक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया।

(iii) खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2025: 7वें खेलों इंडिया यूथ गेम्स-2025 का आयोजन बिहार राज्य में दिनांक 04-05-2025 से 15-05-2025 तक किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य से कुल 387 खिलाडियों ने प्रतिभागिता करके 39 स्वर्ण, 27 रजत व 51 कांस्य पदक सहित कुल 117 पदक हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया।

(iv) खेलो इण्डिया बीच गेम्स-2025: प्रथम खेलों इंडिया बिच गेम्स-2025 का आयोजन केन्द्र शासित प्रदेश दीव में दिनांक 19-05-2025 से 24-05-2025 तक किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य से 33 खिलाडियों ने प्रतिभागिता करके 5 स्वर्ण, 1 रजत व 3 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक हासिल करके चौंथा स्थान प्राप्त किया।

(v) प्रथम खेलो इण्डिया वॉटर स्पोंटस फेस्टीवल-2025: पहला खेलो इण्डिया वॉटर स्पोंटस फेस्टीवल-2025, डल झील, श्रीनगर (जम्मू एंव कश्मीर) में 21 से 23 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के 37 खिलाडियों ने भाग लिया औंर कैनोइंग, क्याकिंग तथा रोइंग जैंसे वॉटर स्पोंटस में सराहनीय प्रदर्शन किया ।

खेल उपकरण प्रावधान योजना

8.68 वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौंरान हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत विभिन्न जिलों को कुल 3.87 करोड रूपये की स्वीकृति खेल उपकरण खरीदनें के लिये जारी की गई हैं।

खेल संरचना

8.69 वर्ष 2025-26 के दौरान खेल स्टेडियमों/परियोजनाओं के निर्माण हेतू 41.67 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान राजीव गांधी खेल परिसरों, स्टेडियमों आदि के रखरखाव के लिये 20.78 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई। राजीव गांधी खेल परिसर व जिलों के विभिन्न स्टेडियमों मे बिजली बिलों की अदायगी हेतु 1.94 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई हैं।

खेल नर्सरियां

8.70 वर्ष 2025-26 में राज्य के उभरते खिलाडियों को लाभ प्रदान करने के लिये खेल विभाग ने राज्य भर में कुल 1,500 खेल नर्सरियां शुरू की थी, जिसकी संख्या बढाकर सरकार द्वारा, 2000 कर दी गई हैं। इन खेल नर्सरियां में 8-14 आयु वर्ग के खिलाडियों व 15-19 आयु वर्ग के खिलाडियों को क्रमश 1,500 रूपये व 2,000 रूपये की मासिक छात्रवृति की राशि दी जाती है। निजी नर्सरी के प्रशिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर 20,000 रूपये या 25,000 रूपये का मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है। इन खेल नर्सरियां के खिलाडियों को छात्रवृति प्रदान करने लिये मास अप्रैल, 2024 से मास जून, 2024 की अवधि के लिये 4.36 करोड रूपये की स्वीकृति वितीय वर्ष 2024-25 में जारी की गई थी व मास जुलाई, 2024 से मास जनवरी, 2025 तक के लिये 34.54 करोड रूपये तथा मास अप्रैल, 2025 के लिये 2.82 करोड रूपये की स्वीकृति वितीय वर्ष 2025-26 मे जारी की गई हैं। जिससे अब तक कुल 41.72 करोड रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

8.71 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों एंव निजी खेल संस्थानों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही खेल नर्सरियों के प्रशिक्षको का मास जून, 2024 से मास अक्तूबर, 2024 के लिये 9.39 करोड रूपये की स्वीकृति वितीय वर्ष 2024-25 में जारी की गई थी व मास नवम्बर, 2024 से मास जनवरी, 2025 के लिये 5.70 करोड रूपये तथा मास अप्रैल, 2025 से अगस्त, 2025 तक की अवधि के लिये 7.94 करोड रूपये की स्वीकृति वितीय वर्ष 2025-26 मे जारी की गई हैं। जिससे अब तक कुल 23.03 करोड रूपये की स्वीकृति मानदेय प्रदान करने हेतु जारी कर दी गई हैं।

खेल अकादमियां

8.72 विभाग द्वारा खिलाडियों को बढावा देने के लिये विभिन्न खेलो की 25 रिहायशी खेल अकादमियों के विरूद् 20 रिहायशी खेल अकादमियां चलाई जा रही है। इन खेल अकादमियां मे सभी प्रशिक्षणार्थियों को 400 रूपये प्रति दिन प्रति खिलाडी के हिसाब से खुराक दी जा रही थी, जो कि सरकार द्वारा 500 रूपये प्रति दिन प्रति खिलाडी कर दी गई हैं। जिसके लिये सभी प्रशिक्षणार्थियों को खुराक राशि के रूप में मास सितम्बर, 2024 से मास फरवरी, 2025 के लिये 2.38 करोड रूपये की स्वीकृति वितीय वर्ष 2024-25 में जारी की गई थी तथा मार्च, 2025 से मई, 2025 तक की अवधि के लिये 1.33 करोड रूपये की स्वीकृति व मास जुलाई, 2025 से मास अगस्त, 2025 तक की अवधि की खुराक राशि प्रदान करने के लिये 1.04 करोड रूपये की स्वीकृति वितीय वर्ष 2025-26 मे जारी की गई हैं जिससे अब तक कुल 4.75 करोड रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

खेल प्रतियोगिता

8.73 (i) जनवरी, 2025 में गांव बडागढ जिला अम्बाला में कबडडी महाकुम्भ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतू वित्तीय वर्ष 2025-26 में खिलाडियों के ईनाम, ठहराव, जलपान व अन्य फुटकर मदों इत्यादि पर 32.41 लाख रूपये की राशि खर्च हुई।

(ii) दिनांक 02-06-2025 से 04-06-2025 तक प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय अखाडा कुमार/ केसरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतू खिलाडियों की ईनाम राशि, जलपान व अन्य फुटकर मदों पर 44.94 लाख रूपये की राशि खर्च हुई।

(iii) राज्य स्तरीय योगासना प्रतियोगिता का आयोजन जिला पंचकूला में दिनांक 02-06-2025 से 04-06-2025 तक करवाया गया। जिसमें लगभग 1,188 खिलाडियों को भोजन की व्यवस्था, रहन-सहन, ट्रैक सूट व विजेता खिलाडियों को ईनाम देने पर लगभग 22 लाख रूपये की राशि खर्च हुई।

(iv) वर्ष 2025-26 के दौरान जिला पंचकुला में दिनांक 20-06-2025 से 23-06-2025 तक राज्य स्तरीय अखाडा प्रतियोगिताएं कुमार/केसरी दंगल का आयोजन किया गया, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडियों को खेल किट, ईनाम राशि, भोजन की व्यवस्था खिलाडियों के ठहराव तथा अन्य फुटकर मदों पर लगभग 94 लाख रूपये की राशि खर्च हुई।

(v) वर्ष 2025-26 में दिनांक 27-06-2025 से 29-06-2025 तक जिला पंचकुला में राज्य स्तरीय बाक्सिगं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतू 6.54 लाख रूपये की राशि खिलाडियों के ईनाम, ठहराव व अन्य फुटकर मदों पर खर्च की गई।

(vi) वर्ष 2025-26 में खेल महाकुम्भ का आयोजन दिनांक 02-08-2025 से 04-08-2025 तक तथा दिनांक 24-09-2025 से 26-09-2025 तक राज्य के विभिन्न जिलों में सफलता पूर्वक करवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खेलों का शुभारम्भ जिला पंचकुला में किया गया, जिसमें 20 खेलो का जिला पंचुकला, फरीदाबाद, रोहतक, जीन्द, पलवल, अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, गुरूग्राम व कुरूक्षेत्र में सफल आयोजन करवाया गया खेल महाकुम्भ-2025 में 15,410 खिलाडियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को प्रतिभागिता/मैरिट खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाये गये व प्रतिभागिता करने वाले खिलाडियों को खेल किट, ईनाम राशि, भोजन की व्यवस्था तथा अन्य फुटकर मदों पर लगभग 3.47 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई।

(vii) दिनांक 11-11-2025 से 13-11-2025 तक जिला अम्बाला तथा पंचकुला में राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप का आयोजन करवाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गांव बडागढ जिला अम्बाला में किया गया जिसमें कुल खेलें क्रमश. एथलेटिक्स, हैण्डबाल, वॉलीबाल, तैराकी, बैडमिन्टन तथा बास्केटबाल का सफल आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 4,300 खिलाडियों द्वारा भाग लिया गया। इस प्रतियोगिता पर कुल 1.11 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई।

पर्यटन

8.74 पर्यटन विभाग, हरियाणा ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। पर्यटन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांच, नीति, विनियमन और पर्यटन को विकसित करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। हरियाणा राज्य ने पर्यटन गतिविधियों को बढावा देने और संचालित करने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की। हरियाणा पर्यटन निगम राज्य भर में 42 पर्यटक परिसर चला रहा है, जिसमें कुल 842 एसी कमरे, 8 डोरमेटरी और 56 सम्मेलन हॉल, बहुउद्देशीय हॉल, बैंक्वेट हॉल, पारंपरिक हॉल आदि हैं। हरियाणा पर्यटन निगम 42 रेस्तरां, 5 फास्ट फूड सेंटर (3 पट्टे पर व 2 खुद) भी चलाता है तथा 31 बार और पर्यटक परिसरों में 15 पेट्रोल पंप भी संचालित करते हैं। पर्यटन विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 207.10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

वर्तमान में पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन के विकास, संवर्धन और विनियमन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्य कर रहा हैः

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला

8.75 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी, 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें BIMSTEC भागीदार संगठन और ओडिशा एवं मध्य प्रदेश थीम राज्य थे। इस आयोजन में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस और BIMSTEC सदस्य देशों सहित 44 देशों के 600 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया है। टिकट और पार्किंग के लिए दिल्ली

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और सांस्कृतिक भागीदार के रूप में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम के साथ सहयोग ने इस आयोजन की सफलता में योगदान दिया, जिससे लाभ और ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज, मोरनी में टिक्कर ताल और पिंजौर में हॉट एयर बैलूनिंग में जल और साहसिक खेल गतिविधियों का विकास

8.76 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) से हरियाणा की रणनीतिक निकटता को देखते हुए, राज्य साहसिक खेलों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। टिक्कर ताल (पिंजौर), तिलयार झील रोहतक और हथिनीकुंड बैराज को साहसिक खेल केंद्र के रूप में नामित किया है, जहाँ जल क्रीड़ा, नौका विहार, बनाना बोट, जेट स्कीइंग और कैम्पिंग जैसी विभिन्न गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। ये पहल न केवल आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बना रही हैं, बल्कि राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रही हैं।

महेंद्रगढ-माधोगढ-रेवाडी सर्किट का विकास और एनसीआर क्षेत्र में स्मारकों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास

8.77 हरियाणा सरकार ने 210 करोड़ रुपये के दो प्रस्ताव भेजे थे और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एस.ए.एस.सी.आई.) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से पहले चरण में 77.64 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त हुई। जिसमें से एन.सी.आर.पी.बी. ने नारनौल में पर्यटन के विकास के लिए पहले चरण में 49.81 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और फरीदाबाद, गुडगांव, झज्जर, करनाल, मेवात, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी और जींद सहित एनसीआर क्षेत्र में विरासत स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता के पहले चरण के रूप में 27.83 करोड़ रुपये प्राप्त किये। हरियाणा पर्यटन निगम (एच.टी.सी.) ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एन.एच.एल.एम.एल.) के सहयोग से, 40 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एच.ए.एम.) के तहत महेंद्रगढ़ के ढोसी हिल्स में रोपवे और सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास की पहल की है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

होम स्टे योजना

8.78 इस योजना के तहत घर के मालिक अब पर्यटकों और मेहमानों को व्यावसायिक आधार पर कमरे/आवास प्रदान कर सकते हैं। इस योजना के तहत 9 होम स्टे पंजीकृत किए गए हैं। होम स्टे योजना 2021 में, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान संपत्ति आई.डी. प्रदान करना अनिवार्य था। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, विभाग ने योजना में संशोधन किया और संपत्ति आई.डी. की अनिवार्य आवश्यकता को हटाते हुए इसे 16-08-2024 को प्रकाशित किया और जिले के संबंधित ए.डी.सी. को पंजीकरण का अधिकार दिया गया है।

कृषि पर्यटन योजना

8.79 हरियाणा पर्यटन के साथ 35 कृषि पर्यटन स्थलों को पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, विभाग ने योजना में संशोधन किया और इसे 16-08-2024 को प्रकाशित किया और संबंधित जिलों के ए.डी.सी को पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है।

महाभारत थीम पार्क, और विराट स्वरूप, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में लाइट एंड साउंड शो का विकास

8.80 सरकार ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का विकास निर्माण किया है। जिसकी कुल परियोजना लागत 205.58 करोड़ रुपये है। इस पार्क का उद्देश्य महाभारत की महाकाव्य कथा को जीवंत करना है। यह थीम पार्क एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, विराट स्वरूप, ज्योतिसर में 13.63 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से एक लाइट एंड साउंड शो विकसित किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था है। यह शो आगंतुकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है और महाभारत थीम पार्क की सांस्कृतिक कथा का पूरक है। ये परियोजनाएँ सामूहिक रूप से ज्योतिसर के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाती हैं।

आम मेला और दिवाली मेला

8.81 आम मेला हर साल जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह 4 से 6 जुलाई, 2025 को आयोजित किया गया, जो हर जुलाई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस वर्ष इसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया, जिससे इसकी पहुँच और आकर्षण व्यापक दर्शकों तक बढ़ा। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा इस वर्ष 2 से 7 अक्तूबर, 2025 तक दूसरा दिवाली मेला भी आयोजित किया गया।

हरियाणा पर्यटन का डिजिटल परिवर्तन

8.82 जनवरी, 2025 में, हरियाणा पर्यटन की नई आधिकारिक वेबसाइट लाइव और पूरी तरह से चालू हो गई है, जिसमें एक एकीकृत बुकिंग इंजन होगा जिसने ऑनलाइन होटल आरक्षण शुरू कर दिया गया है। हरियाणा पर्यटन निगम (HTC) की संपत्तियाँ अब गो.आई.बी.बो., मेक.माई.ट्रिप., एगोडा और एक्सपीडिया जैसे प्रमुख ऑनलाइन टूरिज्म (OTA) पर सूचीबद्ध हैं, और इस वित्तीय वर्ष में ईज माई ट्रिप और क्लियरट्रिप के साथ जुड़ने की योजना है। इन पहलों से हरियाणा पर्यटन की डिजिटल पहुँच और ऑनलाइन दृश्यता में वृद्धि होने, पर्यटकों की सहभागिता बढ़ाने और बुकिंग में वृद्धि होने की उम्मीद है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग

8.83 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सतत आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा, पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं के निराकरण के लिये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा अधिनियमिताओं को पूर्णबद्व रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों में सुधार किया गया और अधिसूचनायें जारी की गई तथा राज्य में जैविक चिकित्सा, ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट का प्रभावी रूप से निपटान हेतू प्रयोग किये जा रहे है। जिसमें, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एक क्रियान्वयन एजेंसी है।

रेफरल प्रयोगशाला

8.84 रेफरल प्रयोगशाला को, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्राप्त वैध विधिक नमूनों को सरकारी

विश्लेषक द्वारा विश्लेषण करने के लिए स्थापित किया गया था। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्राप्त सभी विधिक नमूनों का प्रावधानों के अनुसार विश्लेषण किया गया है। रेफरल प्रयोगशाला में कोई भी नमूना जांच हेतू लंबित नहीं है।

स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान

8.85 स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सरकार की आईएमटी मानेसर गुरुग्राम में, एक प्रतिष्ठित परियोजना (निर्माणाधीन) है, जो औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्रदूषण जैसे वायु, जल, खतरनाक और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के संबंध में पर्यावरण संवेदनशीलता और का संवर्धन करेगी।

पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

8.86 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, विभिन्न पर्यावरणीय मुददों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण आयोजित करके खतरनाक पर्यावरण प्रदुषण के बारे में जागरूकता पैदा करने का सराहनीय प्रयास कर रहा है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)

8.87 राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण एस.ई.आई.ए.ए., अधिसूचना, 2006 के तहत श्रेणी-बी परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए भारत सरकार की दिनांक 24-12-2025 की अधिसूचना द्वारा 3 वर्षो के लिए गठित किया गया। यह प्राधिकरण नई परियोजनाओं/विस्तारवादी गतिविधियों/वर्तमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण अथवा ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं पर विशिष्ट प्रतिबन्ध और निषेध लगाने के लिए गठित की गई थी। प्राधिकरण का जनादेश निर्माण से लेकर खनन और औद्योगिक गतिविधियों से लेकर विभिन्न श्रेणियों के तहत पर्यावरण मंजूरी की स्थिति की निगरानी करना है। पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति का विवरण **तालिका 8.14** में दिया गया है।

तालिका 8.14: पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति

वर्ष	प्राप्त परियोजना	पर्यावरण मंजूरी	प्राप्त संवीक्षा शुल्क (लाख रूपये में)
2024-25	240	232	458.50
2025-26 (31-10-2025 तक)	-	-	-

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

जलवायु परिवर्तन सैल

8.88 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जो नोडल एजेंसी है, द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के परामर्श के बाद जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य संचालन समिति द्वारा एसएपीसीसी को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का संशोधन (एस.ए.पी.सी.सी.)

8.89 जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना (एस.ए.पी.सी.सी.-2) को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा दिनांक 09-12-2022 को अनुमोदित किया गया है। इसके बाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23-03-2023 को इसे मंजूरी दे दी है।

राज्य स्तरीय परामर्श: कृषि-जल संवाद: जमीनी स्तर पर जलवायु कार्रवाई को सक्षम बनाना

8.90 दिनांक 30-07-2025 को, विभाग द्वारा जी.आई.जेड. के सहयोग से "कृषि-जल संवाद-जमीनी स्तर पर जलवायु कार्रवाई को सक्षम बनाना" विषय पर एक राज्य स्तरीय परामर्श (कार्यशाला) का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में, राज्यों के विभिन्न हितधारकों को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला के दौरान, जलवायु कार्रवाई को स्थानीय बनाने की आवश्यकता, स्थानीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सरकार द्वारा एस.ए.पी.सी.सी. के प्रभावी स्थानीयकरण के लिए रास्ते तलाशने की आवश्यकता और बड़े पैमाने पर स्थानीय जलवायु कार्रवाई के लिए स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित करने जैसे मुद्दों पर परामर्श किया गया।

राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण

8.91 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 के दिशा-निर्देशों के तहत गठित किया गया ताकि राज्य में आर्द्र भूमि की पहचान और उनके संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु कदम उठाए जा सकें।

- दो आर्द्र भूमियों, अर्थात् सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, झज्जर को हरियाणा राज्य के रामसर स्थल (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन दोनों रामसर स्थलों की एकीकृत प्रबंधन योजना वन विभाग के माध्यम से तैयार की जा रही है, जो इन स्थलों का संरक्षक है।

ईको क्लबों की स्थापना

8.92 राज्य सरकार ने राज्य के 22 जिलों में 5,250 इको-क्लब स्कूल और 100 इको-क्लब कॉलेज स्थापित किए हैं। ये इको-क्लब पूरे राज्य में वृक्षारोपण, आम लोगों में जागरूकता पैदा करने जैसी विभिन्न गतिविधियाँ कर रहे हैं। इको क्लब स्कूल में गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए हरियाणा के 22 जिला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओ.) को रूकी जमा राशि में से 1.19 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

अपीलीय प्राधिकरण

8.93 अपीलीय प्राधिकरण का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत किया गया है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 31 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 28 के अंतर्गत, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धारा 25, धारा 26 या धारा 27 के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, वरीयता प्राप्त अपील का प्रावधान है।

दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

8.94 सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण (जल और वायु), प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण, विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबन्धन, पर्यावरण के मुददों एवं सम्बन्धित विषय पर आम जनता के मध्य जागरूकता लाने के कार्य में उत्कृष्ठता के लिए "प्रो. दर्शन लाल जैन" राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार में भाग लेने वाले पात्र संगठन/संस्थान, सरकारी विभाग, व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन, स्कूल, कालेज और निजी संस्थाएं होंगे जिन्होनें पर्यावरण संरक्षण में अनुकरणीय कार्य किया है। राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष चयनित विजेताओं को प्रथम 3 लाख और द्वितीय 1 लाख के दो पुरस्कार वितरित किए जायेंगे। अब तक केवल पांच नामांकनों की प्राप्ति हुई है। चयन समिति के तीन सदस्यों

द्वारा नामांकनों की समीक्षा की जाएगी, जो पुरस्कार के लिए आवेदन में प्रस्तुत दस्तावेज़ों के आधार पर की जाएगी।

सहकारिता

8.95 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा 1,25,497 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 90,906 लाख रूपये योजनाबद्व (गैर-आवर्ती) के अन्तर्गत अर्थात राज्य योजनाओं के लिए 90,688.60 लाख रूपये एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए 217.40 लाख रूपये तथा 34,591 लाख रूपये गैर-योजनाबद्व (आवर्ती) के अन्तर्गत आबंटित किये गये है। सहकारिता विभाग द्वारा कुल 34 योजनाएं क्रियान्वयन की जा रही है, जिनमें से 27 राज्य योजनाएं एवं 07 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं है (जिनमें से 03 योजनाएं साझेदारी आधार पर तथा 04 योजनाएं पूर्णतया केन्द्र प्रायोजित है।) वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान 77,343.62 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है, जिसमें से 45,075.83 लाख रूपये योजनाबद्व (गैर-आवर्ती) तथा 31,958.06 लाख रूपये की राशि गैर-योजनाबद्व (आवर्ती) के अन्तर्गत व्यय की गई है। आबंटित बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण **तालिका 8.15** में दिया गया है।

तालिका 8.15: राज्य योजनाओं के आबंटित बजट व व्यय का वर्षवार विवरण

(रूपये लाख में)

वर्ष	राज्य योजनाओं के आबंटित बजट	एन.सी.डी.सी. के तहत आंबटित बजट प्रायोजित योजनायें	कुल आबंटित बजट	कुल खर्च
2020-21	99857.05	265.00	100122.05	93761.58
2021-22	204029.22	2593.47	206622.69	128003.09
2022-23	169248.01	3521.93	172769.94	139758.72
2023-24	155035.80	4964.00	159999.00	99389.31
2024-25	144742.05	373.20	145115.25	77343.62

स्त्रोतः रजिस्ट्रार सहकारी समितिया विभाग, हरियाणा।

8.96 राज्य सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य अगेती किस्म के लिए 415 रूपये प्रति क्विंटल तथा मध्यम व पछेती किस्म के लिए 408 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिराई सत्र 2024-25 में राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा 303.81 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई। वर्ष 2024-25 के पिराई सत्र के दौरान 1,210.80 करोड़ रुपये के गन्ने का भुगतान सहकारी चीली मिलों द्वारा किसानों को किया गया, जिसके लिए राज्य सरकार से 305 करोड़ रुपये की राशि असुरक्षित ऋण के रूप में प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों को 36.97 करोड़ रूपये की अनुदान राशि दी गई। दिनांक 31-10-2025 तक हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकार को 4,938.31 करोड़ रुपये की राशि देय है। यह राशि सरकार द्वारा गन्ने के भुगतान हेतू वर्ष 2007-08 में ऋण के रूप में चीनी मिलों को दिये गये थे।

राष्ट्रीय पुरस्कार

8.97 राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान करनाल सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आन लाईन टोकन प्रणाली की शुरूआत

8.98 पिराई सत्र 2023-24 से प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में आन लाईन टोकन प्रणाली शुरू की गई है। जिससे गन्ना किसानों को घर बैठे आन लाईन टोकन लगाने की सुविधा उपलब्ध

करवाई गई जिसके परिणामस्वरूप मिल में निरतंर आवश्यकतानुसार गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित हुई तथा किसानों को उनका गन्ना सप्लाई करने (प्रत्येक ट्राली) में 10-12 घंटे समय की बचत हुई।

गन्ना विकास योजना

8.99 फसल सीजन 2025-26 के लिए 48.68 करोड रूपये की गन्ना विकास योजना स्वीकृत की है। जिसमें से 7.16 करोड रूपये की राशि मिलों द्वारा अनुदान के रूप में वहन करने और 41.52 करोड रूपये की बकाया राशि ब्याज रहित ऋण के रूप में किसानों को बीज, खाद, दवाईयां आदि के के लिए उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।

विस्तार एवं आधुनिकरण

8.100 पानीपत चीनी मिल में 90 के.एल.पी.डी. एथेनाल संयत्र (60 के.एल.पी.डी. बी-हैवी मोलासेस आधारित एवं 30 के.एल.पी.डी. अनाज/मोलासेस आधारित) की स्थापना का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 150.64 करोड़ रूपये है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

8.101 वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान प्रतिदिन औसत दूध खरीद 417.59 टी.एल.पी.डी. रही तथा प्रति लीटर दूध की औसत खरीद दर 46.38 (दिसम्बर, 2025 तक) रही (फैट 5.55 प्रतिशत एवं एस.एन.एफ. 8.54 प्रतिशत)। दूग्ध उत्पादक सहकारी दूग्ध समितियों को अप्रैल से सितम्बर तक 5 रूपये प्रति लीटर तथा अक्तूबर माह में 3 रूपये प्रति लीटर की दर से, गाय एवं भैंस के दूध के लिए निर्धारित मौजूदा दर से अतिरिक्त, अनुदान प्रदान किया गया। अंत्योदय परिवार के सदस्यों को 10 रूपये प्रति लीटर का अनुदान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) के दौरान 6,874.92 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में जमा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा 135 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। अप्रैल, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक की प्रोत्साहन राशि के दावे राज्य सरकार को भेज दिये गये है। जिसमें सितम्बर, 2025 के दावे 3,233.85 लाख रूपये सरकार से प्राप्त हो गये है। वर्ष 2024-25 के दौरान 1,000 लीटर क्षमता के 21 बल्क मिल्क कूलर, 2,000 लीटर क्षमता के 27 बल्क मिल्क कूलर तथा 10,000 लीटर क्षमता का एक बल्क् मिल्क कूलर स्थापित किया गया। जिला भिवानी के सलेमपुर में चिलिंग सैंटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्राथमिक सहकारी श्रम और निर्माण समितियां

8.102 प्राथमिक सहकारी श्रमिक एवं निर्माण समितियों द्वारा दिनांक 01-04-2025 से 30-09-2025 की अवधि के दौरान राज्य के नागरिकों एवं समितियों के सदस्यों की स्थिति में सुधार हेतु लगभग 596.96 करोड़ रूपये के कार्य निष्पादित किये गये हैं। 1 लाख रूपये तक की लागत वाले सभी कुशल एवं अकुशल कार्य सहकारी श्रमिक एवं निर्माण समितियों के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकारी हस्पतालों एवं शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता से सम्बन्धित कार्य अनुसूचित जाति एवं महिला सदस्यों से युक्त सहकारी श्रमिक एवं निर्माण समितियों के लिए 7 करोड़ रूपये की राशि तक आरक्षित किये जायेंगे। यदि सहकारी श्रमिक एवं निर्माण समितियां निविदा प्रस्तुत करने में विफल रहती हैं, जो सेवा प्रदाताओं एवं सहकारी श्रमिक एवं निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदांए आमंत्रित की जा सकती है।

***

अनुलग्नक 1.1 वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2011-12=100)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचकांक		
			2021-22	2022-23	2023-24
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	36.1	83.5	35.3
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	28.4	82.1	34.2
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.75	178.5	800.4	97.3
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	117.2	151.7	167.3
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	103.9	60.6	89.9
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	127.2	148.2	104.6
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रो और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	339.5	524.1	568.5
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	89.7	153.3	61.7
18	छपाई और रिकॉर्डेड मीडिया की प्रजनन उत्पादों का निर्माण	4.16	200.5	212.1	258.9
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	79.8	240.1	410.0
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	106.4	612.9	426.9
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.35	77.8	110.6	83.6
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	38.9	55.1	102.7
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	91.5	151.2	86.9
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.60	131.3	190.3	302.5
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	118.2	111.9	98.7
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	90.9	105.9	107.9
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	187.6	247.3	285.7
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	391.8	198.8	176.5
29	मोटर वाहनोंए ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	225.9	199.5	306.0
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	76.5	227.4	126.0
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	0.2	1.7	1.7
32	अन्य विनिर्माण	9.21	1186.0	309.7	1095.4
	विनिर्माण	**927.83**	**174.6**	**185.1**	**201.1**
	बिजली	**72.17**	**99.6**	**133.7**	**117.3**
	सामान्य सूचकांक	**1000**	**169.2**	**181.4**	**195.1**

स्त्रोतः- अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.2 औद्योगिक उत्पाद वर्गों में वृद्धि

(आधार वर्ष 2011-12=100)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचकांक		
			2021-22	2022-23	2023-24
	निर्माण क्षेत्र	927.83	10.4	6.0	8.7
वर्ष 2022-23 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
32	अन्य विनिर्माण कार्य	9.21	38.0	-73.9	253.7
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	4.0	41.6	86.5
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	-23.9	200.8	70.8
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.60	26.0	44.9	59.0
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	29.6	-11.7	53.4
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	-54.7	-41.6	48.3
18	छपाई और रिकॉर्डेड मीडिया की प्रजनन उत्पादों का निर्माण	4.16	25.7	5.8	22.1
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	-25.3	31.8	15.5
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	-17.9	29.5	10.3
वर्ष 2022-23 के दौरान 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच विकास दर वाले औद्योगिक वर्ग					
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रो और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	35.9	54.4	8.5
वर्ष 2022-23 के दौरान विकास दर 5 प्रतिशत से नीचे वाले औद्योगिक वर्ग					
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	-64.4	16.5	1.9
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	-99.6	949.1	0.0
वर्ष 2022-23 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.75	-20.7	348.3	-87.8
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	15.3	70.8	-59.8
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	-63.5	188.9	-58.4
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	-30.7	131.4	-57.7
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	-36.1	197.3	-44.6
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	-35.8	65.3	-42.6
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	24.4	476.0	-30.3
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	19.5	16.5	-29.4
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.35	100.5	42.2	-24.4
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	-2.6	-5.3	-11.8
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	75.8	-49.3	-11.2

स्त्रोतः- अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 2.1: हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपये में)

मदें	2022-23	2023-24	2024-25 (स.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**89194.67**	**101314.76**	**112624.39**	**127906.82**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (I+II)	**71703.41**	**80614.04**	**90715.69**	**102567.96**
I) राज्य का अपना कर राजस्व (i से ix)	**62960.80**	**72511.06**	**81944.08**	**92233.71**
i) भू-राजस्व	22.43	22.40	28.00	35.00
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	9673.37	11326.48	12650.00	14063.91
iii) बिक्री कर	11262.05	11330.56	11800.00	12750.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	4231.20	4903.63	5250.00	6000.00
v) स्टाम्प तथा रजिटे्शन	8607.13	10529.28	14048.96	16555.30
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	2.76	6.70	8.00	8.50
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	578.00	424.46	650.00	700.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	7.30	7.53	9.12	100.00
ix) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	28576.56	33960.02	37500.00	42021.00
II) राज्य का अपना गैर-कर राजस्व (i से v)	**8742.61**	**8102.98**	**8771.61**	**10334.25**
i) ब्याज प्राप्तियां	1464.09	1645.19	1795.00	1850.00
ii) लाभांश तथा लाभ	191.99	289.79	260.00	300.00
iii) सामान्य सेवाएं	448.02	665.79	809.86	873.32
iv) सामाजिक सेवाएं	2619.70	2492.92	3047.50	3668.15
v) आर्थिक सेवाएं	4018.81	3009.29	2859.25	3642.78
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (III+IV)	**17491.26**	**20700.72**	**21908.70**	**25338.86**
iii) केन्द्रीय करों का भाग	10378.00	12345.35	14065.65	15547.32
iv) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	7113.26	8355.37	7843.05	9791.54
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**31374.54**	**31857.02**	**33944.98**	**41411.67**
i) कर्जे की प्राप्तियां	273.75	301.15	689.01	817.01
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	73.91	114.83	700.00	4600.00
iii) उधार तथा अन्य ऋण	31026.88	31441.04	32555.97	35994.66
कुल प्राप्तियां (1+2)	**120569.16**	**133171.78**	**146569.37**	**169318.49**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.2: हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपये में)

मदें	2022-23	2023-24	2024-25 (स.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
1. राजस्व व्यय (क+ख)	**106406.13**	**113195.67**	**130472.04**	**147516.56**
क) विकासात्मक (i+ii)	**64337.50**	**67797.43**	**78938.27**	**92212.56**
i) सामाजिक सेवाएं	43680.40	43777.52	51347.58	61501.81
ii) आर्थिक सेवाएं	20657.18	24019.91	27590.69	30710.75
ख) गैर-विकासात्मक (i से v)	**42068.63**	**45398.24**	**51533.77**	**55304.00**
i) राज्य की विधाएं	1370.87	1663.01	1827.78	2013.91
ii) वित्तीय सेवाएं	689.36	762.09	725.26	1005.17
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	20395.57	21904.97	24992.58	26531.10
iv) प्रशासनिक सेवाएं	7208.32	7570.60	8674.83	8907.45
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	12404.51	13497.57	15313.32	16846.37
2. पूंजीगत व्यय (ग+घ+ड़)	**11746.75**	**16016.06**	**12932.71**	**16340.11**
ग) विकासात्मक (i से ii)	**11112.13**	**15280.32**	**11996.93**	**14619.08**
i) सामाजिक सेवाएं	3755.79	4437.94	4938.41	5834.09
ii) आर्थिक सेवाएं	7356.34	10842.38	7058.79	8784.99
घ) गैर विकासात्मक (i से ii)	**634.62**	**735.74**	**935.78**	**1721.03**
i) सामान्य सेवाएं	552.80	640.61	812.78	1545.03
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	81.82	95.13	123.00	176.00
ड़) अन्य*	0.00	0.00	0.00	0.00
3. कुल व्यय (1+2)	**118152.88**	**129211.73**	**143404.75**	**163856.67**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+ग)	**75449.63**	**83077.75**	**90935.20**	**106831.64**
5. कुल गैर-विकासात्मक व्यय (ख+घ)	**42703.25**	**46133.98**	**52469.55**	**57025.03**
6. अन्य*(ड़)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

*आकस्मिक निधि का विनियोग।

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.3: हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये में)

मदें	2022-23	2023-24	2024-25 (स.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)370.70	(-)716.09	373.90	531.37
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)107.79	17.53	1107.52	1264.99
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	89194.69	101314.84	112624.40	127816.84
ख) खर्च	106406.21	113195.70	130472.08	148416.59
ग) अधिशेष/घाटा	(-)17211.52	(-)11880.86	(-)17847.68	(-)20599.75
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	73.91	114.83	700.00	4600.00
4. पूंजीगत परिव्यय	11664.95	15920.94	12752.52	16164.11
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	59515.05	62726.70	66150.00	71350.00
ख) पुनः अदायगी	31887.03	33200.08	33744.19	35788.78
ग) निवल	27628.02	29526.62	32405.81	35561.22
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	2462.07	4055.22	3344.78	4647.81
ख) वसूलियां	237.75	301.15	689.01	817.01
ग) निवल	(-)2224.32	(-)3754.07	(-)2655.77	(-)3830.80
7. अंत:राज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	545.95	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	-	545.95	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	269.37	98.43	89.5	63.96
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	2746.55	3467.09	(-)236.82	54.12
12. प्रेषण (निवल)	37.55	(-)15.16	(-)91.00	(-)29.00
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन-देन)	(-)345.39	1089.99	157.47	(-)344.36
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-)716.09	(-)373.90	531.37	187.01
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	17.53	1107.52	1264.99	920.63

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

*आकस्मिक निधि का विनियोग।

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.4: आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपये में)

मदें	2022-23	2023-24	2024-25 (स.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
I. प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**112176.32**	**124807.61**	**137885.21**	**154816.26**
1. उपभोग व्यय (i+ii+iii)	44619.56	46431.04	51860.20	56128.47
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	38535.93	39834.01	44195.77	48609.95
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख-रखाव सम्मिलित है	6020.90	6585.52	7656.40	7506.11
iii) उदार हस्तांतरण	62.73	11.51	8.03	12.41
2. चालू हस्तांतरण *	52690.30	59391.39	72294.89	84963.93
3. सकल पूंजी निर्माण	9038.86	13101.71	9473.91	11331.96
4. पूंजीगत हस्तांतरण	2108.24	1365.76	1065.77	1416.90
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	1169.07	432.34	(-)308.91	(-)4082.90
6. कर्ज तथा अग्रिम	2462.06	4055.22	3344.78	4647.81
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	88.23	30.15	154.57	410.09
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**6685.62**	**7035.17**	**7959.50**	**9174.34**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख-रखाव सम्मिलित है	1821.98	2200.43	2419.85	2508.45
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1734.01	1751.50	3058.75	3318.65
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	50.19	50.04	50.00	51.00
4. ब्याज	968.09	1045.43	1129.66	1159.66
5. सकल पूंजी निर्माण	2111.35	1987.77	1301.24	2135.58
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	0.00	0.00	0	1.00
कुल व्यय (I+II)	**118861.94**	**131842.78**	**145844.71**	**163990.60**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज/अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।